राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का ८ वां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक १८ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, उद्योग, विद्युत्, स्वायत्त शासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, विधि, समाज कल्याण, एवं जन-स्वास्थ्य विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री शिवनाथसिंह।

नवलगढ़ विद्यालय के अध्यापकों का बकाया वेतन

१२९. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला झुंझुनू के श्री नवलगढ़ विद्यालय, नवलगढ़ को कितना प्रतिशत सहायता अनुदान मिलता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस विद्यालय के अध्यापक श्री हरीराम शर्मा, सहायक अध्यापक तथा श्री हरीपाल दाधीच, सहायक अध्यापक को सन् १९६१ से न्यूनतम वेतन ७५ रु. प्रति माह मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है जिसके लिये उन्होंने बार-बार शिकायतें की हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर तथा निरीक्षक,शिक्षणालय झुंझुनु ने जब तक इन अध्यापकों को बकाया वेतन, विद्यालय नहीं देता है जब तक के लिये सहायता अनुदान रोके जाने के लिये राज्य सरकार से निवेदन किया है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) ६० प्रतिशत।

(२) जी हां।

(३) लेकिन अध्यापक प्रबन्धक समिति से समझौता हो जाने की वजह से अनुदान का भुगतान रोका नहीं गया है।

श्री शिवनाथसिंह : अब आगे की कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं क्या ?

राव श्री धीरसिंह : समझौते के मुताबिक अध्यापक प्रबन्धक कमेटी ने मान लिया था जो भी निर्णय प्राइमरी और माध्यमिक एज्युकेशन के डाइरेक्टर देंगे वह दोनों को मान्य होगा। इस कारण वह मामला विचाराधीन है अन्तिम निर्णय के बारे में अध्यापकों की ओर से कोई शिकायत नहीं आयी हैं कि हम

Page No 2

(श्री धीरसिंह)

समझौता लागू नहीं कर रहे हैं या भुगतान नहीं कर रहे हैं। पहले समझौता २१-३-६९ को हो गया था उसके मुताबिक जो निदेशक निर्णय देंगे वह मान्य होगा अभी तक उनके निर्णय की सूचना हमारे पास नहीं आयी है।

श्री शिवनाथसिंह : इन्टरीम समझौता भंग हो गया है क्या ?

राव श्री धीरसिंह : समझौते की इत्तला नहीं आई है। २१-३ के समझौते के अनुसार ग्रान्ट रिलीज कर दी। डाइरेक्टर के डिसीजन का पता नहीं है वह प्राप्त होने पर उसके अनुसार पाबन्द किया जायगा।

प्रश्न संख्या १३०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकुमार नन्दवाना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३१

श्री परसराम गंगाराम

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना।

एक्सप्रेस बसों का किराया

१३२. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तख्तगढ़-जिला पाली की एक सार्वजनिक संस्था जागृति संघ ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महोदय, जोधपुर को तारीख २४-२-६९ को एक्सप्रेस बसों द्वारा निषिद्ध गांवों में स्टाफ के विषय में एक प्रार्थना-पत्र जागृति संघ के क्रमांक ५९, तारीख ६-२-६९ के क्रम में भेजा था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि एक्सप्रेस बस एवं लोकल (साधारण) बस के किराये में फर्क हैं ? यदि हां, तो फर्क कितना और क्यों है ?

(३) एक्सप्रेस बस एवं लोकल बस में अन्य किस-किस बात का फर्क है ?

(४) क्या राज्य परिवहन की बसों में एक्सप्रेस व साधारण बसों की व्यवस्था है और उनके किराये में भी फर्क है, यदि नहीं तो प्राइवेट बसों में ऐसी व्यवस्था का कारण क्या है ?

(५) क्या यह सही है कि फालना-जालोर एवं सुमेरपुर-जालोर रूटों पर एक्सप्रेस बसें वास्तव में लोकल बसों की तरह चलती हैं परन्तु किराया ४ (चार) पैसे प्रति किलो मिटर ही वसूल किया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री, यातायात (श्री समरथलाल): (१) जी हां। जांच की जा रही है।

(२ व ३) साधारण बसों में ३ पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री की दर से व एक्सप्रेस बसों में ४ पैसे प्रतिकिलो मीटर प्रति यात्री की दर से प्रथम १०० किलोमीटर तक किराया लिया जाता है। जिससे अधिक दूरी के लिये दोनों दशाओं में समान किराया लिया जाता है क्योंकि ये बसें रास्ते की सवारियां नहीं उठा पाती हैं।

(श्री समरथलाल)

(४) जी हां फर्क है।

(५) जी नहीं। एक्सप्रेस बसें वास्तव में एक्सप्रेस की तरह ही चलती हैं इसलिये किराया ४ पैसे प्रति किलोमीटर है। यदि कोई शिकायत हो तो जांच की जा सकती है।

श्री फूलचन्द बाफना : जब कि सरकारी साधारण बसेज और एक्सप्रेस बसेज के किराये में फर्क नहीं है तो प्राइवेट बसेज को किराया बढ़ाने की इजाजत क्यों दी गई ?

श्री समरथलाल : एक्सप्रेस में ४ पैसे प्रति किलोमीटर और साधारण बसेज में ३ पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा है।

श्री फूलचन्द बाफना : अजमेर से हम रोज ही आते हैं एक्सप्रेस और साधारण बसेज का सरकारी बसेज का किराया एक ही है।

श्री समरथलाल : मैंने निवेदन किया सरकारी और प्राइवेट बसेज के किराये में फर्क है।

श्री अध्यक्ष : यह फर्क क्यों है ?

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने निवेदन किया अजमेर से जो बसेज आती हैं सरकारी एक्सप्रेस हो या साधारण उनमें किराये में फर्क नहीं है। तो फिर प्राइवेट बसेज को ४ पैसे प्रति किलोमीटर अधिक लेने की क्यों इजाजत दे रखी है ?

श्री समरथलाल : बसेज के किराये में फर्क है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उन्होंने यह पूछा है कि रोडवेज में फर्क नहीं हैं तो फिर प्राइवेट में अन्तर क्यों रक्खा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : डीलक्स की बसों से आप का मतलब है क्या ?

श्री फूलचन्द बाफना : जी नहीं। यह तो रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों की ही बात पूछ रहा हूं।

श्री समरथलाल : माननीय अध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में जांच कर के ही कह सकूंगा।

श्री फूलचन्द बाफना : उत्तर हमें मिलेगा सदन में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रिन्सिपल को आप मानते हैं या नहीं यह कहिये न आप तो ?

श्री समरथलाल : जांच करा ली जावेगी।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये इसका आश्वासन दीजिये।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में जांच करवा ली जावेगी ?

श्री समरथलाल : डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है इस सम्बन्ध में जांच करा ली जावेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपकी जानकारी इस डिस्क्रिमिनेशन की है या नहीं यह बताइये। फरक तो है यह आपने माना है।

श्री अध्यक्ष : यह कहां मान रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई ; उत्तर में लिखा है और आपने पढ़कर सुनाया है। इसकी जांच करावेंगे क्या ? स्वयं ही गलत हैं या सही हैं इसकी जांच होगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा भी हो सकता है।

श्री जुझारसिंह : आप यह तो मान लीजिये की रोडवेज में है वही प्राइवेट में रहेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। जबतक ये जांच करके उत्तर न दें।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न तो साधारण है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मन्त्री भी ऐरे गेरे ही हैं ?

श्री फूलचन्द बाफना : रुपया खर्च किया हो और उसके बदले में तीन पैसे के बदले में चार पैसे की परमिशन उनको दे दी हो तो फिर तो उनको सुविधा मिलनी चाहिये पर समाजवादी सरकार के राज में प्राइवेट वालों को ज्यादा छूट और सरकारी रोडवेज में छूट नहीं यह भेदभाव क्यों होना चाहिये। समाजवाद में तो सबको बराबर रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाजवाद में रुपया खर्च करे तो फल नहीं मिलता हैं क्या ?

श्री फूलचन्द बाफना : मिला होगा। पर वह फायदा रोडवेज को भी दिया जावेगा, यह आश्वासन दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन देने की स्थिति में हों तो वह दे दीजिये न। फिर होगा जो देखा जावेगा।

श्री समरथलाल : इस सम्बन्ध में और अधिक जांच करा के ही कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब वह स्थगित करने का खुद कह रहे हैं। मैं इसे स्थगित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मुझे लगता है मन्त्री महोदय बिलकुल ब्लेन्क हैं। जीरो।

श्री फूलचन्द बाफना : किस कारण से।

श्री अध्यक्ष : सूचना देने में असमर्थ रहे हैं इसलिये -

ग्राम सलोनियां के सरपंच के विरुद्ध जांच

१३३. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सलोनिया पंचायत समिति, पिडावा, जिला झालावाड के सरपंच के विरुद्ध घोर अनियमितता के चार्जेज जांच हेतु विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से ? और क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि सलोनिया के सरपंच राज्य मन्त्रिमण्डल में उप मन्त्री बन गये हैं और बहैसियत मन्त्री पिछले डेढ़ साल से पंचायत की मीटिंगों में भाग लेते आ रहे हैं ? कृपया इनके मन्त्री बनने के बाद से इन्होंने कब-कब कितनी मीटिंगों में भाग लिया व कितनों में कोरम हुआ ? तारीखवार बताने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उप मन्त्री ने पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने के समय का व उनमें जाने-आने का मन्त्री की दर से भत्ता उठाया है ? यदि हाँ, तो कब-कब और कितना ?

Page No 5

(श्री जुझारसिंह)

(४) क्या एक सरपंच मन्त्री बन जाने के बाद भी सरपंच रह सकता है यदि हां, तो नियमों के आधीन व पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने के समय किन नियमों से भत्ता उठावेगा ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) सरपंच के विरुद्ध अनियमितता के मामले में वस्तुस्थिति की जांच की जा रही है।

(२) जी हां किन्तु बहैसियत मन्त्री पंचायत की किसी मीटिंग में भाग नहीं लिया।

(३) इसकी सूचना विभाग के पास नहीं है।

(४) इस सम्बन्ध में विधि विभाग से राय मांगी जा रही है।

श्री जुझारसिंह : अनियमितता के चार्जेज क्या-क्या हैं ? पढ़कर सुना सकते हैं क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह तो मेरे प्रश्न का मुख्य भाग है इसलिये जानना चाहता हूं कि वे अनियमितताएं किस-किस प्रकार की हैं। उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, सरकारी सम्पत्ति पर अनधिकृत अधिकार करने के भी आरोप हैं और इस तरह के कई गम्भीर आरोप हैं। उसकी लिस्ट होनी चाहिये आपके पास।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि सूचना मेरे पास अभी नहीं आई है। पर जो अनियमितताएं हैं उनकी जानकारी की जा रही है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या जिनके प्रति इन अनियमितताओं का प्रश्न है वे वास्तव में वही कन्हैयालाल हैं जो मिनिस्टर हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बिना रिकार्ड जाने नहीं कहा जा सकता कुछ भी।

श्री दौलतराम सारण : यही मालूम नहीं तो क्या कह सकते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रिकार्ड मंगाया गया है। जब तक वह नहीं आवे तब तक क्या कह सकती हूं।

श्री दौलतराम सारण : तो फिर जो जवाब दिया जा रहा है वह बिना रिकार्ड को देखे ही दिया जा रहा है। पहले रिकार्ड मंगाया या नहीं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सरपंच पर गबन के चार्जेज हैं ? क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वस्तुस्थिति की जानकारी की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या ये कन्हैयालाल पटेल हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिप्टी मिनिस्टर हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सब जानते हैं, इसको तो।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न में ही है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है अध्यक्ष महोदय कि इस सम्बन्ध का प्रश्न इससे पहले भी आ चुका है ? और आपने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि जांच कराई जावेगी खानगी तौर से।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : बड़ी लज्जाजनक स्थिति है एक व्यक्ति केबिनेट में मन्त्री भी बन जावे और ग्राम पंचायत में सरपंच भी बना रहे और मिनिस्टर भी बना रहे पदलोलुपता की चरम सीमा है। फिर कानूनी स्थिति का भी मालूम नहीं। पूरी शंका है। विधि विभाग से भी जानकारी ली जा रही है और यह जानकारी २॥ वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक मन्त्री रहकर सरपंच भी बना रहे, यह नैतिक दृष्टि से भी कतई उचित नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विधि विभाग से जानकारी ली जा रही है।

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय ने बहैसियत सरपंच के कितनी मीटिंगें अटेण्ड की हैं इसकी सूची आपके पास है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्पष्ट जवाब दिया है कि वह सूचना विभाग के पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह मन्त्री महोदय का जवाब गलत है। ६ महीने पहले विधान सभा में मैंने इसी तरह का प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में मेरे को इस विधान सभा में जवाब दिया गया था कि २३-२-६८ से लेकर २८-८-६८ तक १५ मीटिंगें इन मन्त्री महोदय ने बहैसियत सरपंच के अटेण्ड की हैं। डेट भी है। फिर आगे की इन्फोर्मेशन मांगी तो कहते हैं जानकारी उपलब्ध नहीं है। छः महीने पहले जानकारी उपलब्ध हो सकती थी तो इस समय नहीं हो रही, यह कैसे क्या मामला है ? जानबूझकर प्रश्न को टालना चाहती है सरकार। क्या यह सही नहीं है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह सही है कि डिप्टी मिनिस्टर ने ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लिया था। पर जब पूछा गया कि डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से या ग्राम पंचायत के सरपंच की हैसियत से अटेण्ड की तो बहैसीयत डिप्टी मिनिस्टर के अटेण्ड नहीं की सरपंच की हैसियत से की। आपने पूछा डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से की बल्कि बहैसियत सरपंच के मीटिंग में पार्टीसिपेट नहीं किया है तो इसलिये उत्तर दिया कि जानकारी कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या वह मन्त्री पद को यहीं पर रखकर जाते हैं ?

श्री जुझारसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि २३-२-६८ को मन्त्री महोदय ने मीटिंग अटेण्ड की, २०-२-६८ को की, २७-२-६८, २९-३-६८, २-४-६८, ६-४-६८, ४-६-६८, ८-६-६८, ११-६-६८, ४-७-६८, २३-७-६८, ३०-७-६८, १३-८-६८, २८-८-६८, २९-८-६८ को की। तो क्या इन डेट्स पर मन्त्री महोदय ने मन्त्री का भत्ता लिया या नहीं लिया ? मन्त्री का टी. ए., डी. ए. उठाया या नहीं उठाया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना पंचायत विभाग के पास में नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी उनसे लेना भी चाहता

(श्री परसराम मदेरणा)

था पर वे यहां हैं नहीं इसलिये जो इन्फोर्मेशन लिख कर भेजी वह आज यहां पर दे दी, अब अगर वे मंत्री की हैसियत से भी जाते हों तो पंचायत की मीटिंग भी अटेन्ड कर सकते हैं, पंचायत की मीटिंग के काम से जा सकते हैं, राज्य के दूसरे कामों से भी जा सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण: पहले मंत्रीजी उत्तर दे चुके हैं कि वह पंचायत की मीटिंगों में बहैसियत सरपंच गये। बहैसियत मंत्री नहीं गये। आप कह रहे हैं सरकारी काम से भी जा सकते हैं और मन्त्री की तरह जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक काम में अनेक काम हो सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण: प्रश्न के भाग तीन में स्पष्ट पूछा है कि क्या यह सही है कि उपमन्त्रीजी ने पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने के समय का व उनमें आने-जाने का मन्त्री की दर से भत्ता उठाया है या नहीं और अगर उठाया है तो कब-कब और कितना-कितना? आप कह रहे हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है। जब यह प्रश्न में ही स्पष्ट है तो फिर सूचना उपलब्ध न होने का क्या अर्थ है?

श्री दौलतराम सारण: सूचना उपलब्ध क्यों नहीं थी अधुरी सूचना लेकर सदन में क्यों आये इसलिये अध्यक्ष महोदय हमारी मांग है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय मीटिंग अटेन्ड करने के लिये कौन-कौन से कार्य किये हैं?

श्री परसराम मदेरणा: इसका सम्बन्ध मेरे से नहीं है। इसका सम्बन्ध जी० ए० डी० से है। मंत्रियों के पास भी इसका रेकार्ड रहता है। क्योंकि वे आज नहीं हैं इसलिये मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। किसी प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं है तो उत्तर को पोस्टपोन नहीं करवाते हैं। हालांकि मैं खुद सोच रहा था इसको पोस्टपोन करवाने की क्योंकि जब तक वे यहां नहीं पहुंच जाते हैं तब तक पूरी सूचना देना सम्भव नहीं है लेकिन आप कह रहे पूरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जब एक व्यक्ति बहैसियत मंत्री के वहां नहीं था इसलिये मैंने जवाब में यह बात कही है कि टी० ए०,डी० ए० उठाया या....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर! आॅर्डर!

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस प्रकार के निर्देशन दे रखे हैं कि किस मंत्री को कौनसा काम बहैसियत मंत्री होगा और किस प्रकार का काम व्यक्तिगत रूप से होगा।

श्री परसराम मदेरणा: यह जी० ए० डी० से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह: यह जी० ए० डी० ने किया होगा तो वह आप पर भी तो लागु होगा।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न। अब यह प्रश्न कहां पैदा होता है। इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं चूंकि माननीय मंत्री जी से इसका सम्बन्ध नहीं है। सम्भवत: पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना पड़े इसलिये दोनों दृष्टि से इसको स्थगित करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्री मजलीस खां (कामां): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछने के लिये उन्होंने मुझे ग्रोथोराइज किया है ।

श्री अध्यक्ष: नहीं पूछना चाहते हैं ?

श्री मजलिस खां: पूछना चाहता हूं । उन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछने की आज्ञा दी है ।

श्री अध्यक्ष: वन मंत्रीजी ।

पोचिंग की शिकायत

१३४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) की अनुपस्थिति में [श्री मजलिस खां, (कामा) द्वारा पूछा गया]: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही हैं कि सिरस्का पशु-पक्षी विहार में पशुओं के खाल के लालच में पोचिंग किये जाने की शिकायतें आई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वहां पेट्रोलिंग करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ?

(३) यदि हां, तो पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है और होनी कैसी चाहिये ?

(४) वहां टूरिस्ट्स के ठहरने हेतु जो मकान बना उसका रेफ्रीजिरेटर कब खराब हुआ और किस अवधि से वह काम में नहीं लिया जा सका ?

(५) उसमें क्या खराबी हुई और दुरस्त कराने में इतना समय क्यों लगा ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह, : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) वर्तमान में तीन-तीन गेम वाचरों को अलग-अलग क्षेत्रों में चौकसी हेतु नियुक्त किया गया है । जो जहां-जहां पोंचिग की सम्भावना हो सकती है इन स्थानों पर रात-दिन घूमते हैं । मचानों व पानी के स्थानों की सम्भाल करते हैं । गेम वार्डन समय समय पर जीप से सैंचूरी में निरीक्षण करते हैं । गेम सैंचूरी के स्टाफ के अतिरिक्त सिरिस्का रेन्ज का अन्य स्टाफ भी सैंचूरी स्टाफ की सहायता करता है । पेट्रोलिंग की यह व्यवस्था उचित जान पड़ती है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : आवाज नहीं आ रही है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : माईक खराब है ।

श्री नारायणसिंह : आप ध्यान पूर्वक सुने । खण्ड (४) रेफ्रीजिरेटर खराब नहीं हुआ । यह केरोसिन से चलने वाला रेफ्रीजिरेटर है । जब ५-७ दिन के लिये पर्यटक सैन्चूरी रेस्ट हाउस में आने वाले नहीं होते हैं तो इसे मितव्ययता हेतु बन्द रखा जाता है । बन्द रखने का रेकार्ड नहीं रखा जाता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मजलिस खां : अध्यक्ष महोदय, यह पोचिंग किस आधार पर किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी करना चाहता हूं पोचिंग के कितने मामले पकड़े गये हैं ? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे ?

Page No 9

श्री नारायणसिंह : मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष: पोचिंग के कितने मामले पकड़े गये, इस पर रोशनी डालेंगे ?

श्री नारायणसिंह : कई मामले पकड़े गये हैं। सिरसका क्षेत्र में भी एक महत्व-पूर्ण मामला पकड़ा गया है जो मेरे सामने भी आया है। यह एक लोहे का बना हुआ जाल सा है, मेरी समझ में नहीं आया जिसके अन्दर किसी भी जानवर को उसके अन्दर फंसा कर पकड़ सकते हैं। वह रंगे हाथों पकड़ा गया जो उनको मारने की कोशिश कर रहा था। उस पर मुकदमा भी करवाया गया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह जाल पक्षियों के पकड़ने के लिये है या पशुओं को पकड़ने के लिये है ?

श्री नारायणसिंह : यह एक जाल होता है। पशु-पक्षी दोनों ही आ जाते हैं। यह नया-नया निकला है। इसको मैंने अभी देखा नहीं है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : इस सम्बन्ध में जो शिकायत आई है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की अनियमितता की ?

श्री नारायणसिंह : यह मामला दफ्तर में चल रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: पोचिंग होता है तो पोचिंग करते हुये इन पोचर्स के पास ऐसी खाल बरामद की गई है — ऐसे कोई मामले हैं कि खाल पकड़ी गई हो ?

श्री नारायणसिंह : अभी जो पोचिंग की बात है वह रंगे हाथों पकड़ा गया है क्योंकि वह मार रहा था। बाकी जहां पोचिंग हुआ होगा उसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लिया जाय तो मैं जवाब मंगा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

प्रश्न सं० १३५ ।

राजर्षि कॉलेज, अलवर के प्रिन्सिपल के विरुद्ध शिकायतें

१३५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजर्षि कॉलेज, अलवर में प्रिन्सिपल श्री एस० के० सिन्हा कुमारी उमा माथुर, भूतपूर्व विधायिका कांग्रेस दल के सगे भाई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वर्ष १९६७-६८ में इस कॉलेज के प्रिन्सिपल श्री पुरुषोत्तम सिन्हा थे और इस वर्ष पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षायें खुलने के बाद किसी और सज्जन को राजर्षि कॉलेज का प्रिन्सिपल नियुक्त किया गया था परन्तु कुमारी माथुर के आग्रह पर उनकी नियुक्ति कैन्सिल करके उनके बड़े भाई को इस कॉलेज में प्रिन्सिपल नियुक्त किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कॉलेज के प्रिन्सिपल को यह ऐच्छिक अधिकार राज्य सरकार ने दिये हुये हैं कि वे अपने इन अधिकारों के तहत चाहे जिस विद्यार्थी को स्थान होते हुये भी कॉलेज में प्रवेश देने से इन्कार कर सकते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्याज्ञा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

Page No 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) क्या यह सही है कि राजर्षि कॉलेज में प्रिन्सिपल साहब ने गत वर्ष कुछ विद्यार्थियों को इन अधिकारों का प्रयोग करते हुये कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया ? यदि हां, तो वे विद्यार्थी कौन-कौन हैं और उनको किस-किस शाला में प्रवेश से इन्कार किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(५) क्या यह सही है कि १९६७-६८ में भी श्री पुरुषोत्तम सिन्हा ने कुछ लड़कों को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया था जिनको शिक्षा मंत्री महोदय के हस्तक्षेप से प्रवेश दिया गया था ?

(६) क्या यह सही है कि प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल के विरुद्ध अपनी बहन कुमारी उमा माथुर की स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर भेद-भाव की नीति बरतने की शिकायत शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है ?

(७) क्या यह सही है कि राजर्षि कॉलेज में १९६७-६८ में कुछ लड़कों को दाखिला देने से पूर्व लड़कों या उनके अभिभावकों से किन्हीं शर्तनामों पर हस्ताक्षर कराये गये हैं ? यदि हां, तो इन विद्यार्थियों की सूची, उन शर्तनामों की प्रतिलिपियां और शर्तनामें भराने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) श्री बी० सिन्हा व श्री पुरुषोत्तम सिन्हा इनके भाई हैं ।

(२) जी हां । श्री पी० सिन्हा, अर्थशास्त्र में वरिष्ठ ग्रेजुएट होने के कारण प्रिन्सिपल के पद पर पदोन्नत किये गये ।

(३) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी हां । आचार्य ने उक्त आदेश के तहत निम्नलिखित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया—(१) श्री इन्द्रकुमार तोलानी, प्रथम वर्ष विज्ञान, कला वाणिज्य या कला, (२) श्री धर्मचन्द जैन, एम० काम० प्रथम खण्ड, (३) श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, प्रथम वर्ष कला ।

(५) यह गलत है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने राजर्षि कॉलेज, अलवर में प्रवेश सम्बन्धी मामलों में कभी भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया ।

(६) राजर्षि कॉलेज, अलवर में किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं बरती जाती है न इस सम्बन्ध में इस निदेशालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(७) प्रवेश फॉर्म में दी हुई शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं और शर्तों पर विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से हस्ताक्षर नहीं करवाये गये ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजर्षि कॉलेज, अलवर में बी० सिन्हा को प्रिन्सिपल नियुक्त करने से पहले किन्हीं दूसरे सज्जन को प्रिन्सिपल नियुक्त कर दिया गया था और वे अलवर में चले भी गये थे लेकिन वहां पंहुचने के बाद उनकी नियुक्ति को कैन्सिल किया गया और उमा माथुर के हस्तक्षेप के बाद जी० सिन्हा को नियुक्त किया गया जबकि वे जूनियर थे—जो पहले अजमेर में थे । यह कहां तक सही है ?

श्री धीरसिंह : इनका प्रमोशन उसी वक्त हो गया इसलिये ट्रान्सफर करके नियुक्त कर दिया। उमा माथुर के कहने से ट्रान्सफर नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले अन्य व्यक्ति प्रिन्सिपल अलवर के बनाये गये, वे चले गये और फिर कैन्सिल करके बी० सिन्हा को किया गया।

श्री धीरसिंह : पोस्टिंग होने के बाद ट्रान्सफर किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं पूछता हूं यह फैक्ट है या नहीं कि ट्रान्सफर कैन्सिल किया गया और बी० सिन्हा को लगाया—यह फैक्ट है या नहीं ?

श्री धीरसिंह : यह फैक्ट है लेकिन इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। डायरेक्टर का प्रस्ताव था। प्रशासनिक कारण से या किसी कारण से ट्रान्सफर किया गया है। उमा माथुर के भाई होने से लगाया, यह गलत है। अन्य कई कारण हैं—प्रशासनिक हैं और किसी कारण से भी हो सकता है। इस तरह ट्रान्सफर तो होते रहते हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अन्य कारण तो नहीं बता रहे हैं कि क्या हैं। अन्य कारण क्या हैं उनको फिर आप क्यों छिपा रहे हैं ?

श्री धीरसिंह : आपने यही पूछा है कि क्या उमा माथुर के ब्रदर होने की वजह से इनका पोस्टिंग किया गया और मैं कहता हूं कि इस कारण नहीं किया गया है। जो आप पूछ रहे हैं वह मैं बता रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह अन्य कारण प्रशासनिक हैं या और हैं ?

श्री धीरसिंह : प्रशासनिक हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या हैं ?

श्री धीरसिंह : जब भी गवर्नमेन्ट चाहे कर सकती है। इसके लिए रिजिड रूल्स नहीं हैं। उनकी सहूलियत को भी देखा जाता है जिस समय पोस्टिंग किया जाता है। अगर वह नहीं जाना चाहते और दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से कर सकते हैं। यह डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि किसका कहां पोस्टिंग करें। इसके लिए कोई लिमिटेशन्स नहीं लगाई जा सकतीं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्थानान्तरण करने से पूर्व वे प्रशासनिक या अन्य कारण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं थे ?

श्री धीरसिंह : जो उनका ट्रान्सफर किया गया उस समय में जो पोजीशन सामने थी इनका प्रमोशन हो गया उस के बाद उनका ट्रान्सफर करके इनको पोस्ट कर दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : क्या प्रशासनिक और अन्य कारण....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो प्रश्न ३ के उत्तर में प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें यह बताया गया है कि प्रिन्सिपल को यह अधिकार होते हैं कि Principal

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

may refuse admission to any candidate without assigning any cause. यह रूल्स फोर एडमीशन्स ऑफ स्टुडेन्ट्स इन कॉलिजेज किसके बनाये हुए हैं गवर्नमेन्ट के हैं या युनिवर्सिटी के हैं और कब से बनाये हुए हैं ?

श्री धीरसिंह : यह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स डाइरेक्टर, कॉलेज एजूकेशन का है जिसके क्लॉज (४) में यह प्रावधान है कि The Principal may refuse admission to any candidate without assigning any cause.

तो इन ३ लड़कों की आचरण सम्बन्धी शिकायत थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो सवाल चौथा है। रटी रटाई बात मत कहो। मैं तो नीति के बारे में पूछ रहा हूं कि यह जो प्रिन्सिपल्स को अधिकार दिये हुए हैं कि वह बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को एडमीशन रिफ्यूज कर सकते हैं यह पावर्स किसने दिये ? यह रूल्स किसने बनाये हैं ? गवर्नमेन्ट ने या युनिवर्सिटी ने बनाये हैं– नम्बर एक और दूसरे यह रूल्स कब बनाये गये प्रीइन्डीपेन्डेन्स पीरियड के हैं या बाद के हैं ? वह तारीख य साल बता दें।

श्री धीरसिंह : यह डाइरेक्टर कॉलेज एजूकेशन के रूल्स के तहत क्लॉज है उसी के संबंध में है और उसी की कॉपी मैंने सदन की मेज पर रखी है और उसमें यह प्रावधान है और यह ऑर्डर्स किन रूल्स के तहत निकले हैं यह आपने नहीं पूछा है, परन्तु उस ऑर्डर के तहत पावर्स हैं। यह किसके तहत निकले हैं यह आप प्रश्न पूछें तो मैं जवाब दे दूंगा। आपने डाइरेक्ट प्रश्न पूछा है उसका मैंने जवाब दे दिया है। आपने पूछा कि क्या ऐसा प्रावधान है तो मैंने कहा कि हां है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन आपकी नॉलेज में है या नहीं ?

श्री धीरसिंह : आप पूछें तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह ; अभी बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल्स फॉर एडमीशन ऑफ स्टुडेन्ट्स इन कॉलेजेज यह लैटर जिसका रेफरेन्स दिया है इसका इन रूल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो रीसेन्ट लेटर है, एफ–१५ डी० सी० ६८, दिनांक ३०-५-६८। इन रूल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिलकुल सैपरेट रूल्स हैं ये रूल्स कहां से लाये आप ? या ऐसे ही लिख दिया ?

श्री धीरसिंह : यह गवर्नमेन्ट और युनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक कॉलेज एजूकेशन के डाइरेक्टर के इन्सट्रक्शन्स के अन्दर लिखे हुए हैं कि वह चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। यह डाइरेक्टर, कॉलेज एजूकेशन के यहां से निकले हुए हैं। रूल्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ लें, मैं बता दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार इस डेमोक्रेटिक एज में इस प्रकार के नियम को उचित समझती है और क्या इसको कान्स्टीट्यूशन के विरुद्ध नहीं समझती है ?

श्री धीरसिंह : इसके अन्दर जो वाइड पावर्स दी हुई हैं उसके लिए आपके सुझावों पर विचार कर लेंगे कि थोड़े से लिमिटेशन्स लगा दिये जायें लेकिन अभी जो स्थिति है वह यह है । इसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स करने का सुझाव आया है उस पर विचार कर लेंगे और इसमें लिमिटेशन्स इन्सर्ट करने की बात कहते हैं वह कर देंगे कि इतनी वाइड पावर्स प्रिन्सिपल्स को नहीं रहे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ये आॅर्डर्स किसी भी नियम के अन्तर्गत जारी नहीं किये गये ?

श्री धीरसिंह : इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : जांच क्या करा ली जायेगी अध्यक्ष महोदय ? आप यह बता दें कि किसी भी नियम के अन्तर्गत ये आर्डर्स इश्यू नहीं हुए हैं क्या ?

श्री धीरसिंह : नियमों के बारे में अलग से सवाल पूछ लें तो मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह डिप्टी एजूकेशन मिनिस्टर हैं, इनको मालूम होना चाहिए । इतने अनडेमाक्रेटिक आॅर्डर्स इश्यू कर दिये गये और उसका पोलिटिकल एक्सप्लाइटेशन होता रहा और मिनिस्टर साहब इतना भी नहीं कह सकते कि किन रूल्स के तहत ये आॅर्डर्स निकाले हैं ?

श्री धीरसिंह : एडमीशन की पॉलिसी के आधार पर ये आॅर्डर्स जारी हुए हैं और उनके मुताबिक नहीं हैं तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आज तक आपने क्या किया है ? क्वेश्चन आने के बाद आपने क्या किया है ? यह तो क्वेश्चन को इवेड करने की बात है । डिप्टी मिनिस्टर अपनी नाकाबलियत इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि यह किस के तहत आॅर्डर्स इश्यू हुए हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है । यह जांच अभी तक नहीं कर सकें तो यह बैठे किस लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें यह लिखा है : Rules for Admission of Students in Colleges.

श्री धीरसिंह : एडमीशन के रूल्स बने हैं । उनके तहत जारी हुए हैं लेकिन इसकी डिटेल्स अभी नहीं कह सकता । यह रिलेवेन्ट क्वेश्चन नहीं है । अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : यह रूल्स फॉर एडमीशन ऑफ स्टुडेन्ट्स इन कॉलेजेज इसकी प्रतिलिपि आपके पास है क्या ? क्यों कि उसमें एक्सट्रेक्ट दिया हुआ है । रूल्स सारा का सारा होना चाहिये ताकि उससे पता चल जाये कि किन रूल्स के तहत निकला है ।

श्री धीरसिंह : यूनिवर्सिटी के रूल्स बने हैं उसी का एक्सट्रेक्ट है ।

श्री अध्यक्ष : उसी का एक्सट्रेक्ट है । रूल्स की प्रतिलिपि आपके पास नहीं है । आपके पास अभी है क्या ?

श्री धीरसिंह : अभी तो नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस तरह के आॅर्डर्स फण्डामेन्टल राइट्स के खिलाफ हैं । यह जनतंत्र के सिद्धांत के भी बिलकुल विपरीत हैं । यह आॅर्डर क्या है यह तो डिक्टेटोरियल और भ्रष्ट अधिनायकवाद का द्योतक है ।

श्री धीरसिंह : इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि ये बहुत ही वाइड पॉवर्स हैं

(श्री धीरसिंह)

और लिमिटेशन्स को इन्सर्ट करने पर विचार कर लेंगे और आपके सुझावों के मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे कर लेंगे यह तो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं।

श्री धीरसिंह : यूनिवर्सिटी के चांसलर को गवर्नमेन्ट से एडवाइस करा सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के अधीन दिया गया है यह पैनिक का परिणाम है और जो अनियंत्रण हो रहा है कॉलेजेज के अन्दर छात्रों वगैरह के अन्दर उससे दबकर, डरकर और बचने के वास्ते जो भी ये ऑर्डर्स दिये गये हैं यह जनतंत्र के लिए कलंक है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि रूल्स फॉर एडमीशन ऑफ स्टूडेन्ट्स इन कॉलेजेज के रूल्स यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत होते हैं ?

श्री धीरसिंह : एडमीशन के रूल्स यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत में बनाये गये हैं और उसके मुताबित ये इन्सट्रक्शन्स जारी किये गये हैं लेकिन इसमें लिमिटेशन्स रखने के लिये चान्सलर को गवर्नमेन्ट की तरफ से एडवाइस किया जावेगा कि इतनी वाइड पॉवर्स रूल्स के तहत प्रिन्सिपल्स को नहीं होनी चाहिए और उसके अन्दर लिमिटेशन्स होने चाहिए ताकि वह मिसयूज नहीं कर सके।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि एडमीशन का अधिकार हैड आफ दी डिपार्टमेंट का होता है और उसके तहत ट्रेडीशन्स बनाये जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है एडमीशन के रूल्स यूनिवर्सिटी बनाती है और जहां तक गवर्नमेन्ट कॉलेजेज के एडमीशन का सवाल है उसके लिए डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन की मार्फत टाइम टू टाइम सर्क्यूलर इश्यू किया करते हैं, मिसाल के तौर पर साइन्स में ४५ पर्सेन्ट से कम के लड़कों को दाखला नहीं दिया जाय। इस स्ट्रेन्थ को देखते हुए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम शिक्षा मन्त्री प्रिन्सिपल्स को कान्फ्रेन्स करते हैं। उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करते हैं कि कितनी मेन पॉवर नीड है। ये सब बातें सोचकर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्सट्रक्शन इश्यू करती है। उस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेज के प्रिन्सिपल्स एडमीशन करते हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है यूनिवर्सिटी के एडमीशन्स के रूल्स यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज बनाती हैं, और वे ही लागू करती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नं० ४ में दिया है कि यह जो तीन लडकों को एडमिशन नहीं दिया गया है तो इनके आचरण वगैरह की क्या शिकायत बताई है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग से प्रश्न नहीं है। यह इसी में है नं० ४ पर। नियमों में बतलाया गया है कि आचरण की शिकायत हो तो आचरण की क्या शिकायत है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट, श्री दौलतराम सारण।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इन तीन लड़कों को एडमीशन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं दिया गया और गवर्नमेन्ट ने अभी तक यह नहीं बताया कि उनके खिलाफ क्या शिकायत थी। डेढ़ साल से यह कवेश्चन पेंडिंग है। यह उनकी जिन्दगी का सवाल है। लड़कों को बिना कारण बताये एडमीशन नहीं हो, तो इस तरह से एक कॉलेज में नहीं हो दूसरे में भी नहीं और तीसरे में भी नहीं हो। यदि उनके आचरण में खराबी न हो तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लो। यदि खराबी है तो उनको निकाल दिया जाय, उनको रेस्ट्रीकेट किया जाय। आपके पास सब पावर्स हैं। उसमें मुझे एतराज नहीं, लेकिन कारण नहीं बतायें तो क्या यह सही है कि ये तीनों विद्यार्थी कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं, इनके फादर्स कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं। हारूमल तोलानी राजस्थान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटेरियेट के सेक्रेटरी हैं और राजस्थान किसान सभा के प्रेसीडेन्ट के लड़के इन्द्रकुमार तोलानी जो राजस्थान विद्यार्थी परिषद् का सेक्रेटरी है उसको एडमिट नहीं किया गया। उनके खिलाफ कोई मिसकन्डक्ट का चार्ज हो तो वह चार्ज लगायें।

श्री भैरोंसिंह : इससे ज्यादा जलालत की और कोई चीज नहीं हो सकती कि पोलिटिकल पार्टीज से जिनका एफिलियेशन है उनके लड़कों के साथ इस तरह से अन्याय किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके फादर ने दो बार उमा माथुर के खिलाफ चुनाव लड़ा है जिसमें उन्होंने काम किया। अबकी बार मैंने उमा माथुर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उसमें उन्होंने काम किया जिसकी वजह से उनको एडमीशन नहीं मिल रहा है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय....

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इन बच्चों का क्या होगा ?

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से तो राजनैतिक काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के बच्चों को और रिश्तेदारों के बच्चों को कॉलेजेज व स्कूल्स में एडमीशन नहीं मिल सकेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार मनमाने रूप से यह निर्णय ले लेती है कि अमुक व्यक्ति को एडमीशन नहीं दिया जाय और बिना इस कारण बताये इस तरह की व्यवस्था होती है तो यह मेरे खयाल से एक फण्डामेन्टल प्रश्न है। यह अवैधानिकता की पराकाष्ठा है, यह भ्रष्ट अधिनायकवाद की व्यवस्था है। इसके बारे में आरोप लगाने का विरोधी पक्ष का पूर्ण रूप से अधिकार है। ऐसे निकम्मे और सड़े-गले और अन्यायपूर्ण आपके ऑर्डर्स हैं जिससे उनको बड़ा असन्तोष है। आपको शर्म आना चाहिये इस तरह से करने के लिये।

श्री धीरसिंह : यह बात बिल्कुल गलत है कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी में होने की वजह से हटाया गया है। रूल्स में वाइड पावर्स हैं। उनकी भावनाओं को विचार में लेकर इसके अन्दर एमेंडमेंट रखने की बात करेंगे। यह एलिगेशन गलत लगाया गया

Page No 16

(श्री धीरसिंह)

है कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनका एफिलियेशन है इसलिये निकाला गया है । आचरण सम्बन्धी शिकायतों के कारण रूल्स को फोलो करके उनको अलग कर दिया है तो अनियमितता नहीं की गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको एक्शन लेने का अधिकार है फिर कारण नहीं बताने का क्यों बहाना लिया गया है ? अगर आचरण की शिकायत है तो इन्दुकुमार तोलानी कभी राजर्षि कॉलेज का स्टूडेन्ट नहीं रहा । फर्स्ट ईयर में पहली बार एडमीशन सीक कर रहा है और जिस जगह से वह आता है पिछली इन्स्टीट्यूशन का गुड केरेक्टर का उसके पास सर्टिफिकेट है तो फिर क्या कारण है कि उनको कॉलेज में एडमीशन नहीं दिया गया ? यह क्या तथ्य आप गलत मानते हैं कि हारूमल तोलानी का वह लड़का है जिस हारूमल तोलानी ने उमा माथुर के खिलाफ चुनाव लड़ा था ? क्या यह तथ्य गलत है कि हारूमल तोलानी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है ? इन तथ्यों के आधार पर क्या नतीजा निकालेंगे ? उसके आचरण का प्रिन्सिपल को कहां से पता लगेगा वह उनका स्टूडेन्ट नहीं रहा । इसने हारूमल अपने फादर के लिये काम किया है उमा माथुर के खिलाफ, फिर मेरे इलेक्शन में उमा माथुर के खिलाफ काम किया था । यह अगर प्रिन्सिपल साहब को खराब लगा हो क्योंकि वे उमा माथुर की तरफ से काम कर रहे थे तो बात दूसरी है ।

श्री धीरसिंह : यह आपकी खड़ी की हुई बात है कि आचरण खराब हो तो बताया जाय और भी शिकायत हो सकती है ।

एक माननीय सदस्य : शिकायत हो सकती है तो बताइये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आचरण की शिकायत हो तो मुझे क्या एतराज है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : इस मामले की जांच की जानी चाहिये । लड़के ने क्या कसूर किया है जिसकी उसको सजा दी जा रही है । इसकी जांच होनी चाहिये और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी विद्यार्थी उसके रिश्तेदार या उसके पिता की पोलिटिकल लिनिंग की वजह से एडमीशन नहीं रोका जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक इन तीन विद्यार्थियों का सवाल जो कि सदन में चल रहा है इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी की जायेगी कि किस कारण से एडमीशन प्रिन्सिपल ने रिफ्यूज किया है और वह मैं आपको बता दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्दुकुमार तोलानी कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर है तो एतराज करेंगे क्या ? यदि कोई स्टूडेन्ट पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर है तो एतराज करेंगे नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं स्टूडेन्ट किसी भी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो तो हमें एतराज नहीं है, मगर यदि वह कॉलेज में इन्डिसिप्लिन करता है, अगर उस कॉलेज

(श्री मथुरादास माथुर)

के अन्दर उसका बरताव इस तरह का है कि जिसकी वजह से कॉलेज में डिसिप्लिन और एकेडेमिक एटमास्फियर में फर्क पड़ता है तो प्रिन्सिपल को पूरी ऑथोरिटी होनी चाहिये कि इस मामले में उसको एडमीशन दे या न दे। जहां तक इन तीन विद्यार्थियों का सवाल है, मैंने निवेदन किया है कि इनके बारे में प्रिन्सिपल से पूछा जायगा कि किस कारण से इनका एडमीशन रिफ्यूज किया गया है। अगर प्रिन्सिपल का रीजन जस्टीफाइड नहीं होगा तो गवर्नमेंट इन्टरफियर करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सारण !

अकाल राहत कार्य और मजदूरी निर्धारित करने का आधार

१३९. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकाल सहायता कार्यों में दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित करने के क्या आधार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि खोदने वाले और ढोने वाले तथा बालक के नाम से मजदूरी में अन्तर है।

(३) क्या यह सही है कि खोदने वालों में पुरुष और ढोने वालों में महिला और बच्चे ही रखे जाते हैं ?

(४) क्या इन कार्यों पर काम नाप कर दिया जाता है ? क्या शाम को दिन भर किये गये काम को नापा जाता है ?

(५) क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों में लगे पीड़ित मजदूरों को मजदूरी चूरू, बीकानेर और अन्य जिलों में भी निर्धारित दर से बहुत कम चुकाई गई है ? कम मजदूरी कहां-कहां और कितनी-कितनी चुकाई गई है तथा क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों पर मजदूरों को पूरे औजार भी नहीं दिये गये और न काम नाप कर दिया गया और न काम करने के उपरान्त शाम को मजदूरों के सामने नापा ही गया ? क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें, प्रतिवेदन-पत्र और प्रस्ताव मिले हैं ? कहां से ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों नहीं ? अब क्या कार्यवाही की जायगी ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से संबंधित सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए इसको स्थगित किये जाने की प्रार्थना है ?

श्री दौलतराम सारण : कहां से किसकी सूचना ?

श्री अध्यक्ष : सवाल से सम्बन्धित सूचनाएं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है कि शुरू से लेकर अभी तक जब से यह अधिवेशन आरम्भ हुआ है जितने भी स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन्स थे फेमीन से सम्बन्धित थे उनका एक का भी उत्तर नहीं दिया गया। हम यह नहीं मानते हैं कि सरकार के पास उत्तर नहीं हैं। २०-२५ दिन पहले

Page No 18

(श्री भैरोंसिंह)

क्वैश्चन्स के नोटिस दिये गये थे और आज तक एक भी प्रश्न का सरकार की तरफ से खास तौर से अकाल राहत विभाग की ओर से नहीं दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न गत अधिवेशन में दिया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : आपके क्वैश्चन सरकार की चापलूसी के हैं इसलिए दे दिया गया है जवाब।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न गत अधिवेशन के पहले का दिया हुआ है। इसमें ऐसी कोई गम्भीर सूचना नहीं है, कोई लम्बी चौड़ी सूचना नहीं है। सारे प्रश्न में नीति से सम्बन्धित मामला है। इसकी सूचना राज्य सरकार को देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार को देना चाहिये मैं इसको अभी स्पष्ट करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिरकार इस सदन के सदस्यों को भी कोई अधिकार है? वे प्रश्न पूछते हैं और महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रश्न पूछते हैं और अगर सरकार तैयारी करके उत्तर देने के लिए गुरेज करती है तो मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है, जनतन्त्र का हनन है। आप क्यों डरते हैं उत्तर देने में? आपको स्पष्टतया उत्तर देना चाहिये, आप उत्तर नहीं देते हैं तो इससे यह स्पष्ट है कि आपकी जो कुछ भी अनियमितताएं हैं उनका वैधकरण करके किसी तरह से उनको जस्टीफिकेशन में डालना चाहते हैं इस संबंध में आपको क्या कहना है। आपको उत्तर तो देना चाहिये। अगर उत्तर नहीं देते हैं तो आप सभ्य सरकार नहीं हैं। अगर पाकिस्तान या बर्मा में ऐसा हो तो मैं मान सकता हूं लेकिन जनतन्त्र के अन्दर आप उत्तर नहीं देते हैं तो यह क्या मखौल है?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। मैं अपने नाते निवेदन करना चाहता हूं। अभी तक अध्यक्ष महोदय, स्टार्ड और अनस्टार्ड २० क्वेश्चन्स मेरे आये हैं लेकिन २० में से सिर्फ दो का उत्तर दिया गया है बाकी के पोस्टपोन्ड किये गये हैं। यदि ऐसा है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा तो यह आदेश दे दें कि आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो यह व्यवस्था करें कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यही पोजीशन मेरे प्रश्नों की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is an insult to the House. I want a ruling from you.

श्री दौलतराम सारण : अगर इस तरह से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है तो प्रश्नों का पूछना ही बेकार है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर इस सत्र में नहीं दिया गया और उससे पहले के अधिवेशन में भी यही स्थिति थी।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय

Page No 19

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों का यह आरोप कि राज्य सरकार उत्तर देने में गुरेज कर रही है और जनतन्त्र में, जिस जनतन्त्र के अन्दर राजस्थान सरकार काम कर रही है, कोई बात इण्टेंशनली या नोइंगली छुपावे, यह प्रश्न माननीय सदस्यों के दिमाग में आया है। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह कतई नहीं रखना चाहिये। आपको इन्फार्मेशन नहीं देने के लिये राज्य सरकार आपको उत्तर नहीं दे रही है, यह नहीं है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे इसके खण्ड ५ में पूछा गया — क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों में लगे पीड़ित मजदूरों को मजदूरी चूरू, बीकानेर और अन्य जिलों में भी निर्धारित दर से बहुत कम चुकाई गई है ? कम मजदूरी कहां-कहां कितनी-कितनी चुकाई गई है तथा क्यों ?

यह एक-एक कैंप की मांगी गई है। यह इन्फार्मेशन नहीं आ सकी है।

श्री दौलतराम सारणः अध्यक्ष महोदय, केवल चूरू और बीकानेर की चाही गई है।

श्री परसराम मदेरणा: यह नाप गेंग वाइज है। कितनी कटौती हुई है, कितना मिला है, यह इन्फोर्मेशन पूरी आई नहीं है। जैसा कि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। यदि हम जवाब दे दें तो पूरा उत्तर नहीं होता है। मजबूरी की हालत में पोस्टपोन कराना चाहते हैं। यह कतई इरादा नहीं है जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर नहीं देते हैं। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर नहीं दिया है।

मैं निवेदन करूं कि रिलीफ कमिश्नर ने उत्तर नहीं दिया है। कमिश्नर से पर्टीक्युलरली जवाब मांगा गया है। कल ही हमने कहा है। अगर डिप्टी कमिश्नर के यहां से देर होती हैं तो हैड ऑफ डिपार्टमेंट जो सीनियर आदमी है, उसकी जिम्मेदारी है। भविष्य में इसकी हमने व्यवस्था की है। लेकिन सदन को इन्फार्मेशन नहीं देने का न तो हमने सोचा है और न स्वप्न में ही सोच सकते हैं। यह कभी नहीं हो सकता है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को उनके हक से वंचित रखा जाये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, ११ महीने पहले से...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आपका अधिकार है। अभी मैं स्वयं इस संन्दर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। (माननीय दौलतराम सारण के पुनः खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे राजस्थान से इन्फार्मेशन मांगी गयी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

मैं इस प्रश्न को लेकर नहीं किन्तु इस संदर्भ में खुद भी विचार प्रकट करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैंने स्वयं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अपने ऑफिस की फाइल देखकर मुझे डिटेल बताया गया कि इन प्रश्नों के उत्तर देने को राज्य सरकार उदासीन रहती है। मैंने स्वयं कहा

(श्री अध्यक्ष)

है कि भविष्य में ऐसी उदासीनता नहीं बरती जाय। यह उदासीनता हमारे सदन के काम पर विपरीत असर रखती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ा है और, राज्य सरकार अपनी मशीनरी को सजीव और सतर्क करने चली है। लेकिन इसमें कहां तक सतर्कता है, मैं कह नहीं सकता हूं। चूंकि सदन के अन्दर चिन्ता व्यक्त की गई है, अतः मैं पुनः राज्य सरकार को सूचित करता हूं कि भविष्य में यद्यपि प्रश्न लम्बे-चौड़े हो सकते हैं लेकिन इनके उत्तर देने में अवहेलना न करें। (हियर हियर) क्योंकि उसके ऊपर उदासीनता पहले बरती जाती रही है। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह अपनी उदासीनता को समझे और अपनी मशीनरी को सक्रिय करे। ऐसा अवश्य चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो शासन की उदारता का नाजायज फायदा उठाते हैं। वैसे तो हमीं ठीक कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ आ जायें।

श्री अध्यक्ष : उसमें तो मैं लकड़ी देने वाला नहीं हो सकता हूं। (हंसी) स्थगित किया गया। नैक्स्ट श्री शंकरलाल।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : वह तो जवाब देने के लिए खड़ी हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने स्थगित कर दिया है।

श्री रोशनलाल शर्मा : वह जवाब दे रही हैं। मन्त्री महोदया...

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में दे दिया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में...

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लिया जाएगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : सूचना नहीं आयी है।

शिक्षा प्रसार अधिकारियों का पद

१३८. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायत समितियों में कार्य कर रहे शिक्षा प्रसार अधिकारियों को जिनकी सेवाएं पांच वर्ष अथवा उससे अधिक हो गई हैं भविष्य में इस पद पर नहीं रखने का निर्णय लिया है ?

(२) यदि हां तो यह निर्णय किन कारणों से व किन आधारों पर लिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस निर्णय के फलस्वरूप इन अधिकारियों के विशेष वेतन एवं यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता में कमी होने से उनको आर्थिक हानि होगी ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भंडारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस पद पर अनुभवी व्यक्तियों को रखना आवश्यक बताया गया है ?

(५) क्या सरकार अपने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार कर अनुभवी व्यक्तियों को अपने पद से न हटाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :

(श्री धीरसिंह)

(१) शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर निरन्तर पांच वर्ष से अथवा उससे अधिक समय तक कार्य कर रहे अध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के रूप में स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में उनको इन पदों पर नहीं रखा जायेगा यह सही नहीं है।

(२) लगातार शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य करते रहने से वे अध्यापन की नवीन पद्धतियों एवं शिक्षा जगत में स्वं कृत नवीन प्रवृत्तियों व प्रयोजनों से अनभिज्ञ रह जाते हैं।

(३) यदि इन अधिकारियों को उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया जाता है तो उनको ३० रु० प्रति माह के स्थान पर २५ रु० प्रति माह का विशेष वेतन मिलता है। सहायक अध्यापक के रूप में उन्हें कार्य विशेष वेतन नहीं मिलता है। यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियमानुसार किये गये खर्च पर मिलता है अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(४) भंडारी समिति का प्रतिवेदन अभी न तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हुआ है और न हीं प्रकाशित है। राज्य सरकार का भी निर्णय यही है कि इस पद पर वरिष्ठ, योग्य एवं अनुभवी लोगों को लगाया जाय।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : आपने यह कहा है कि आर्थिक हानि नहीं होगी। उत्तर में यह कहा गया है कि ३० रु० के स्थान पर २५ रु० मिलेंगे। एक बार जो एमोलूमेंट हो जाता है उससे कम कैसे मिलेंगे ?

श्री धीरसिंह : पांच रुपये का ही फर्क रहता है। मिडिल स्कूल के हैडमास्टर की पोस्ट है। इस प्रकार गवर्नमेंट को करने का अधिकार है। उसको ५ रु० कम मिलेंगे। उनको एस० डी० आई० बनाये रखने में उनका पढ़ाने का काम कम हो जाता है। दुबारा अध्यापन का काम देने से उनको अध्यापन का अनुभव, जो उस बीच में कम हो जाता है, नहीं रहेगा।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि राजस्थान के सीनियर अध्यापकों ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दी हैं और राजस्थान हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : दे रखी है।

श्री धीरसिंह : इण्डीवीजुअल केस में ऐसा किया गया है।

श्री शंकरलाल : क्या आप भी एग्जामिन करवा रहे हैं ?

श्री धीरसिंह : जिस प्रकार के स्टे ऑर्डर हैं, उनके अनुकूल एक्शन लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज। मैंने स्थगित किया था क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं आया है। फिर भी आप उत्तर देना चाहती हैं उत्तर दीजिए।

चालू वर्ष में परिवार नियोजन योजना का लक्ष्य

१३७. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हंसराज आर्य)

(१) परिवार नियोजन योजना के तहत सरकार ने कुल कितने पुरुषों की नसबन्दी की तथा कितनों का ऑपरेशन किया और कितनी महिलाओं के लूप लगाई गई हैं ?

(२) कुल कितने शिविर लगाये गये ?

(३) इस योजना में सरकार चालू वर्ष में क्या लक्ष्य मानकर चलती है ? क्या अनुमान लगाया गया था और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) :

उत्तर

(१) परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत जून, १९६९ तक १,०८,६३२ पुरुषों की नसबन्दी व २३,९२९ महिलाओं की नसबन्दी के ऑपरेशन किये गये और ७७,३०२ महिलाओं के लूप लगाये गये।

(२) राज्य में सन् १९६७-६८ में ३७०९, सन् १९६८-६९ में ७३३१ नसबन्दी व लूप शिविर लगाये गये।

(३) भारत सरकार ने राजस्थान राज्य के लिये सन् १९६९-७० के लिये १,५४,६०० नसबन्दी व ७७,३०० लूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल, १९६९ से जून, ६९ तक की प्राप्तियां निम्न है:—

लक्ष्य ६९-७०	लक्ष्य तीन माह	प्राप्तियां अप्रैल से जून ६९	प्रतिशत
नसबन्दी १,५४,६००	३८,६५०	५,९०६	१५.३
लूप प्रविष्टी ७७,३००	१९,३ ५	३,६२०	१८.७

(१२ मध्याह्न)

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसमें मन्त्री कितने शामिल हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : नसबन्दियां ज्यादा हुई हैं और लूप कम लगे हैं इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि इसमें जबरन की गई है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि कुछ लोगों को धोखा देकर नसबन्दी की जाती है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस तरह की हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जो नसबन्दी की है और लूप लगाये हैं उनमें कितने ऐसे केसेज हैं जो असफल हुए हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : असफल से क्या मतलब है आपका ?

श्री श्रवणलाल : जब नसबन्दी हो गई उसके बाद भी बच्चा हो गया।

श्री हंसराज आर्य : ऐसे केसेज हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मन्त्रीजी के खुद १२ बच्चे हैं।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि नसबन्दी के बावजूद भी कुछ बच्चे पैदा हुए हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व परिवार नियोजन राज्य मन्त्री श्री बी० एन० जोशी जिस दिन परिवार नियोजन शिविर का उद्घाटन करने जा रहे थे उस दिन उनके घर में १३वें बच्चे का जन्म हुआ था ?

श्रीमती सुमित्रा : बिल्कुल गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : १२वें बच्चे तक की जानकारी है १३वें की नहीं।

श्री भैरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर) अनजाने में हो गया होगा तो गिनती की जरूरत थोड़े ही है ?

श्री हंसराज आर्य : कुछ केसेज ऐसे हुए हैं कि नसबन्दी के बाद बच्चे हो जाने पर झगड़े हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा : सूचना भेज दें जांच करवा देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य नसबंदी और लूप के अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : श्री बी० एन० जोशी को १३वां बच्चा हुआ है, इसका मतलब परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नसबंदी के पहले के हैं सभी।

श्री रूपसिंह !

जयपुर-हनुमानगढ़ रूट पर यात्रियों को असुविधा

१३६. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से हनुमानगढ़ वाया सरदारशहर तक पब्लिक की या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई सीधी बस नहीं चल रही है जिसकी वजह से जयपुर से हनुमानगढ़ के बीच ३-४ जगह मुसाफिरों को बसेज बदलनी पड़ती हैं और मुसाफिरों को बड़ी तकलीफ रहती है ?

(२) क्या सरकार जयपुर से हनुमानगढ़ व हनुमानगढ़ से जयपुर तक सीधी बस राज्य पथ परिवहन निगम की चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक बसेज चालू करदी जावेंगी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) जी हां। जयपुर से हनुमानगढ़ वाया सरदारशहर तक पब्लिक की या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई सीधी बस नहीं चल रही है।

(२) जी हां। जयपुर से रावतसर मार्ग का परमिट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र निगम द्वारा पेश कर दिया गया है। परमिट प्राप्त होने पर निगम द्वारा बस सेवायें चलाई जायेंगी तथा रावतसर से हनुमानगढ़ पर अब भी निगम की सेवायें चल रही हैं।

Page No 24

राजवी श्री रूपसिंह : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर से हनुमानगढ़ एण्ड वाइसवर्सा कोई डाइरेक्ट बस नहीं चल रही है जिसके कारण से यात्रियों को दो-तीन जगह हाल्ट करना पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि दो-दो घंटे तक उनको रुकना पड़ता है। इसलिए क्या सरकार उनकी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए जैसा इस एक्ट के अनुसार कानून में रखा गया है, क्या सरकार ऐसा डारेक्ट रूट जयपुर से हनुमानगढ़ के लिए बसेज प्लाई करने का इरादा रखती है? अगर हां तो कब तक ?

श्री समर्थलाल : जैसा मैंने निवेदन किया इस संबंध में प्रार्थना-पत्र पेश हुआ है और उसके लिए बस का परमिट दिया जायेगा उसके बाद बस सीधी चालू हो जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मंत्री महोदय निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बस का परमिट दिया जायेगा ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। एप्लाई किया गया है और एप्लिकेशन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जब स्वीकृति दी जायेगी और परमिट दिया जायेगा तो हम उस परमिट के अनुसार गाड़ी चलायेंगे रोडवेज की तरफ से।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

शराब के ठेकेदारों पर बकाया

१४०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी-बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान भर में शराब के ठेकेदारों में राज्य सरकार की कुल कितनी बकाया निकलती है और कब से निकलती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें ठेकेदारों के नाम व राशि अंकित हो।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस सम्पूर्ण बकाया राशि को माफ कर देने का फैसला कर दिया है ? यदि हां तो कब और क्यों ? क्या माफ करने का फैसला मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया ? यदि हां तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : I have applied for postponement.

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित करने की प्रार्थना आई है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न काफी समय से...

श्री मथुरादास माथुर : इसकी इन्फरमेशन मेरे पास है। तीन जिलों के अलावा सब जिलों से आई हुई थी, तीन जिलों की आज ही आई है। इसलिए मैं नेक्स्ट टर्न पर जवाब दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पर आपने व्यवस्था दी है उसका इस सदन ने बड़ा स्वागत किया है। सरकार की ओर से जानकारी भेजने में उदासीनता बरती जाती है। मैं आपका ध्यान नियमों के चेप्टर ७ की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम ४० में लिखा है :

"40. List of questions. Questions which have not been disallowed, shall

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

be entered in the list of questions for the day for oral or written answer, as the case may be, in accordance with the orders of the Speaker."

अध्यक्ष महोदय, I would draw your Honour's attention to Rule 43.

"43. Withdrawal or postponement of questions.—A member may, by notice given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list withdraw his question or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall, subject to the provisions of rule 34 be placed on the list after all questions which have not been so postponed."

यह नियम ४३ है और इन नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई है, उनके अंदर पोस्टपोनमेंट का अधिकार प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दिया गया है। अन्यथा बाकी नियमों के अन्तर्गत यह जिम्मेदारी सरकार पर है। वह उन प्रश्नों के उत्तर जो विषय सूची में अंकित किए गए हैं और छप गए हैं और जिनको अध्यक्ष ने ग्राह्य विच हैव बिन एडमिटेड एण्ड प्रिन्टेड उनका जवाब देना सरकार के लिये लाजमी है। जब तक अध्यक्ष महोदय को उनकी अग्रिम सूचना देकर उस संबन्ध में सूचित न करे, यह नियमों में व्यवस्था है। अब इन नियमों की व्यवस्था के संबन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने नियमों का उल्लंघन किया है। यह सदन और मेरा अधिकार है कि जवाब देना चाहिये। आपका पोस्टपोनमेंट का अधिकार नियमों में नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि भविष्य में आया इस प्रकार मंत्रियों को पोस्टपोनमेंट के रिक्वेस्ट करने की व्यवस्था कहीं भी किसी जगह नियमों के तहत है क्या? यह पार्लियामेन्टरी प्रिविलेजेज की किताब है। इतना ही नहीं, रूल्स का कन्ट्रेविन्शन करेंगे तो "A contravention of the rules in all such cases will be actionable contempt." रूल्स के कन्ट्रेविन्शन करने पर व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार करेंगे तो एक्शनेबुल कन्टेम्प्ट है। नियमों में कहीं व्यवस्था नहीं है। इसलिये सरकार से कहा जाय कि जो प्रश्न लिस्ट पर आ जायें, सरकार को उनका जवाब देना होगा जब तक वह सम्बन्धित माननीय सदस्य को सूचित न करें सवालों के लिये एक घंटा अलग रखा जाता है, माननीय सदस्य आते हैं और मन्त्री एक सेकंड में कह देते हैं जानकारी प्राप्त नहीं हुई है लिहाजा पोस्टपोन किया जाय। यह घर की पंचायत नहीं है, विधान सभा है। तो इस प्रश्न पर सरकार को कन्डेम किया जाय और कन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में वित्त मंत्री को ट्राइ किया जाय। यह एक्शनेबुल कन्टेम्प्ट है एण्ड दिस इज कन्ट्रेविन्शन ऑफ रूल्स।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सतीशचन्द्रजी का बहस बढ़ाने का इरादा है। मैंने अपने राइट्स में इसके लिये लिखकर विधान सभा को १६ तारीख को भेजा था कि मेरे पास तीन जिलों का जवाब नहीं आया है। इसलिए अपूर्ण जवाब नहीं दे सकता। अध्यक्ष को लिखा हुआ है उसके बावजूद भी मैंने यहां निवेदन किया कि मेरे पास आज सुबह तीन जिलों की इन्फरमेशन आई है। मैं देखकर कम्पाइल करके जवाब दूंगा, अगली टर्न पर दूंगा, न मैंने कान्टेम्प्ट किया, न टाइम मांगता हूं। जिलों से जानकारी मांगी जाती है तो आने में समय लग जाता है। ३ जिलों से नहीं

Page No 26

(श्री मथुरादास माथुर)

आई थी इसलिए मैंने विधान सभा को १६ तारीख को सूचना दी थी। नियमों में प्रोवीजन है, उसकी इत्तला की है, न सदन का कान्टेम्प्ट किया है, न मेरी घर की पंचायत है न सतीश जी की है। यह ग्राम जनता की पंचायत है जिसको असेम्बली कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए ही मैं निवेदन कर रहा हूं यह सदस्यों को अधिकार दिया हुआ है नियमों में जो नियमों के अन्तर्गत पोस्टपोन कर सकते हैं। किन्तु नियमों में आपको पोस्टपोन करने का अधिकार कहां है?

श्री मथुरादास माथुर : हम भी नियम ४३ के अन्डर में ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह जो रूल आपने पढ़ा है उसके नीचे ही गवर्नमेंट को स्पीकर महोदय को पहले लिख कर देना पड़ता है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम ४३ में यह व्यवस्था हो कि उसमें गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया हो किसी क्वेश्चन को पोस्टपोन करने का, इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे दें, तो मैं मान लूंगा कि नियमों के अन्दर यह व्यवस्था है।

श्री विश्म्बरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। असल में सरकार किसी प्रश्न को स्थगित नहीं कर सकती है, वह आसन से दरख्वास्त करती है और आसन को पूरा अधिकार है।

श्री लादूराम सुलानिया : ठीक। ठीक।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम भी कानून जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न व्यवस्था का माननीय सदस्य ने उठाया है, जहां तक हमारे नियमों का प्रश्न है वहां तक उनकी आपत्ति में वजन है। मैं इस प्रश्न का अध्ययन भी करना चाहूंगा विस्तृत रूप से कोई कार्यक्रम लिस्ट पर जो प्रश्न आ जाय उसको पोस्टपोन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई निवेदन किया जा सकता है या नहीं। नियमों के अन्तर्गत तो इस स्थिति में जो माननीय सदस्य ने बतलाई है वजन है। लेकिन नियमों के अतिरिक्त इस सदन की कुछ परम्पराएं रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अलग है साहब।

श्री अध्यक्ष : और जो परम्परायें दृढ़ता से चलती रहती हैं बिना टूटे हुए उनका प्रभाव नियमों जैसा ही हो जाता है। इस सदन की बराबर यह परम्परा रही है कि माननीय मंत्री महोदय ऐसे प्रश्नों के लिए, जिनकी सूचना पर्याप्त रूप से प्राप्त न हो, स्थगित करने का निवेदन करते रहे हैं और माननीय सदस्यों द्वारा भी कभी इस प्रश्न पर आपत्ति, जैसी अभी उठाई गई है, इस रूप में नहीं उठाई जाती रही इसलिए यह परम्परा बन गई। इस आधार पर जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इनके सम्बन्ध में सूचना वित्त मंत्रालय से पहले आ चुकी है। क्योंकि पर्याप्त सूचना नहीं आई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय। मैंने जो परम्परा का प्रश्न माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा है, इस आधार पर इसी सदन की एक जो व्यवस्था है, उसको पढ़ कर मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख रख देना चाहता हूं

(श्री अध्यक्ष)

कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रश्न सूची में प्रविष्ट किसी प्रश्न की पूरी सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो और उसके लिए समय की मांग की जाय तो सम्बन्धित मंत्री उसका उत्तर दिये जाने के लिए सदन में समय की मांग कर सकता है।

इसलिए माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अन्तर्गत उचित होते हुए भी परम्पराओं के अन्तर्गत यह सदन को मान्य नहीं रहा है।

नेक्स्ट ! श्री सुमेरसिंह !

श्री विजयसिंह : १४१।

पंचायत समिति सीलोरा का बी. डी. ओ.

१४१. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) की अनुपस्थिति में [श्री विजयसिंह (मकराना) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार पंचायत समितियों में दो प्रकार के बी. डी. ओ. नियुक्त करती है यानी कृषि उत्पादन क्रम का व पशु नस्ल सुधार क्रम का ?

(२) यदि हां, तो पंचायत समिति सीलोरा, तहसील किशनगढ़ में जिसके कि अधिकांश हिस्से के व्यक्ति पशुपालन यानी भेड़, बकरी पालने का कार्य करते हैं, कृषि उत्पादन कार्य का शिक्षित बी. डी. ओ. क्यों नियुक्त कर रखा है ?

(३) अगर गलत नियुक्त कर रखा है तो पशुपालन सुधार सम्बन्धित बी. डी. ओ. कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां, किन्तु विकास अधिकारियों के पद २५ प्रतिशत नॉन, केडर विकास अधिकारियों के लिये भी सुरक्षित किये गये हैं।

(२) विभागीय वर्गीकरण के अनुसार पंचायत समिति सीलोरा को कृषि प्रधान पंचायत समिति माना गया है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह माननीय विकास अधिकारी वहां पर कितने अर्से से है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : यह इसी से सम्बन्धित है और यह इसलिए कि इस पंचायत समिति के अन्दर कृषि के अलावा पशुपालन का जो क्षेत्र है वह भी अधिक है, इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि कृषि के अलावा पशुपालन अधिकारी को भी लगा दिया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने उत्तर में बताया सीलोरा पंचायत समिति कृषि प्रधान की श्रेणी में आती है इसलिए वहां कृषि विभाग का अथवा नॉन-केडर का अधिकारी रह सकता है, पशुपालन का नहीं रह सकता।

श्री विजयसिंह : क्या यह जरूरी है कि कृषि विकास अधिकारी को वहां ठेका दिया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जरूरी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शेखावत !

Page No 28

श्री विजयसिंह : जब उसको वहां से ट्रान्सफर करने की जनता की मांग है तो क्या गवर्नमेंट उसको वहां से ट्रान्सफर करेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शेखावत !

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग के निदेशक

१५२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग के निदेशक श्री सत्यप्रकाश जनवरी, १९६९ में अपना सेवा काल पूरा होने के उपरान्त भी इस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? यह आदेश कब और किसके द्वारा निकाला गया और क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :
(१) जी हां

(२) फिलहाल राज्य सरकार ने डॉक्टर सत्य प्रकाश को छः माह के लिए री-एम्प्लायमेंट देने का निर्णय किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय कब किया गया था ?

श्री धीरसिंह : यह १८-७-६९ को ऑर्डर निकला है।

श्री भैरोंसिंह : जब से उनकी सर्विसेज टर्मिनेट होती थी जनवरी से, तब से १८-७-६९ तक वह किस प्रकार से इस पद पर बने रहे ?

श्री धीरसिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन चल रहा था। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, संग्रहालय विभाग में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी रिटायरमेंट को एज ५५ से बढ़ा कर ६० करने की सिफारिश सभी सरकारों को की गई थी, वह यहां पर भी आई, उस पर विचार चल रहा था कि रिटायरमेंट की एज ६० वर्ष की कर दी जाय अथवा नहीं। इसमें थोड़ी देर लग गई। अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल छः माह के लिए ऑर्डर दे दिया गया। यह सही है कि इसमें देरी लगी है, यह निर्णय रिटायरमेंट के पहले ले लिया जाना चाहिए था। इसमें देरी अवश्य लगी है।

श्री भैरोंसिंह : १८-७-६९ के पहले कोई आदेश जारी नहीं किया गया ? क्या यह सही है ?

श्री धीरसिंह : १८-७-६९ को ऑर्डर जारी किया गया गया है, उसके मुताबिक ही इनको तनख्वाह....

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रश्न पूछता क्या हूं और आप जवाब क्या देते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या १८-७-६९ के पहले कोई आदेश जारी नहीं किया गया ?

श्री धीरसिंह : राज्य सरकार द्वारा इसके पहले कोई आदेश जारी नहीं किया गया। १८-७-६९ को आदेश जारी कर दिया गया, यह बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, वह अधिकारी, जब उसका

(श्री भैरोंसिंह)

रिटायरमेंट जनवरी में ड्यू हो गया, किस अधिकार के कारण १८-७-६९ तक उस पद के ऊपर बना रहा ?

श्री धीरसिंह : उनकी तनख्वाह इस दौरान की इस ऑर्डर के जारी करने के बाद दी गई और इस मामले पर....

श्री भैरोंसिंह : इसमें तनख्वाह का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वाइटल प्रश्न यह है कि एक आदमी का जनवरी, १९६९ के अन्दर रिटायरमेंट ड्यू था, जो एक्सटेंशन हुआ है वह १८-७-६९ के बाद हुआ है उसके पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया है तो वह व्यक्ति जनवरी से १८-७-६९ तक किस अधिकार के मातहत उस पद के ऊपर बना रहा है ?

श्री धीरसिंह : यह जो केन्द्रीय सरकार से सिफारिश आई थी उस पर निर्णय करने में समय लगा है।

श्री भैरोंसिंह : समय का सवाल नहीं है, अधिकारी कैसे उस पद पर बना रहा ? आज किसी आदमी का रिटायरमेन्ट हो जाता है तो वह रिलीव कैसे नहीं हुआ और किस बिना पर वह छ: महीने तक उस पद पर बना रहा ?

श्री धीरसिंह : राज्य सरकार ने उस मामले में एक्सटेंशन देने को तय करने का सोचा था, इसलिए उसको कहा था कि ऑर्डर भेज रहे हैं, काम करते रहो। ऑर्डर...

श्री भैरोंसिंह : यह कोई बनिये की दुकान है ? १८ जनवरी को रिटायरमेंट हुआ है तो वह ओटोमेटिकली रिलीव हो जाना चाहिए था। वह उस पद पर बैठा रहा और सात माह के बाद में ऑर्डर आता है तो सात माह तक किस अधिकार से काम करता रहा, क्या अधिकार था ?

श्री अध्यक्ष : यह आदेश रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का था ?

श्री धीरसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके साथ एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। क्या वह एक्सटेंनशन का प्रश्न था या री-एम्प्लायमेंट का प्रश्न था ?

श्री धीरसिंह : उनकी, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश थी, वह एज बढ़ाने की सिफारिश थी। एक्सटेन्शन के ऊपर निर्णय नहीं हुआ, यह विचाराधीन था कि एज ६० वर्ष की सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश के मुताबिक करदें, फिलहाल सिक्स मन्थ के लिए उनको री-एम्प्लायमेंट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : री-एम्प्लायमेंट या, एक्सटेंशन का प्रश्न पी. एस. सी. के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है नियमों के अन्तर्गत ?

श्री धीरसिंह : जी नहीं। अपाइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट ने किया है छः महीने के लिए, १८-७-६९ को।

श्री अध्यक्ष : पी. एस. सी. को रेफर नहीं किया है ?

श्री धीरसिंह : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: कोई कानकरेन्श पी. एस. सी. की इस पर नहीं ली जाती है ?

Page No 30

श्री धीरसिंह : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उनको यह जबानी कह दिया गया था कि आप काम करते रहें, बाद में ऑर्डर आ जायगा ? अगर हां, तो किस अधिकारी ने जबानी कह दिया था कि रिटॉयरमेंट के बाद भी वह काम करते रहें ?

श्री धीरसिंह : गवर्नमेंट की तरफ से इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी ने कन्वे किये थे कि इस मामले में, जो ६० वर्ष की एज करने की सिफारिश आई है सेन्ट्रल गवर्नमेंट की, उस पर सरकार निर्णय कर रही है, और एज के एक्सटेन्शन को करने की बात विचाराधीन है, इसलिए आप काम करते रहें, गवर्नमेंट छः महीने के लिए ऑर्डर निकाल रही है। ऑर्डर निकालने में जो फार्मेलिटी पूरी होती है और जो उसका प्रोसीजर है इसमें टाइम लग गया। यह मैं खुद कह रहा हूं कि सरकार की खुद की लापरवाही रही है और इसमें देरी लगी है। वैसे इसके जो फेक्टस हैं वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें देरी नहीं लगनी चाहिए यह मैं आप के सामने कह रहा हूं। लेकिन वह बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी की वजह से देरी लगी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इन्स्ट्रक्शन जबानी थे या लिखित में थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फरवरी, १६६६ में यह व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा में नहीं था ?

श्री धीरसिंह : अब यह जो रिटायरमेंट के बाद का पीरियड निकला...

श्री भैरोंसिंह : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। फरवरी, १६६६ में राजस्थान सेवा अधिनियम के अन्तर्गत, नियमों के अन्तर्गत यह व्यक्ति राज्य की सेवा में नहीं था ?

श्री धीरसिंह : यह ऑर्डर रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से निकाला गया, इसलिए सेवा में था।

श्री भैरोंसिंह : मैं फरवरी की बात कर रहा हूं।

श्री धीरसिंह : फरवरी में था, आज की स्थिति में यह व्यक्ति उस वक्त भी था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आदेश निकालने के पूर्व यह व्यक्ति फरवरी, १६६६ में राज्य सेवा में नहीं था ?

श्री धीरसिंह : यह व्यक्ति राज्य सेवा में था। इन्स्ट्रक्शन्स देते रहे। फाइनल ऑर्डर जारी हो रहा है। एरीयर तनख्वाह का दिलाया इसलिये राज्य सेवा में था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट के ऑर्डर पास होने से पहले और रिटायरमेन्ट डेट के बीच में जो उन्होंने काम किया और आदेश दिये थे वे इल्लीगल थे विथआउट ऑथोरिटी थे और कोई लोकस स्टैन्डी नहीं थी। विथआउट एनी ऑर्डर सेक्रेटरी का टेलीफोन पर कहना।

Does the Government take any cognizance of such orders ?

श्री धीरसिंह : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से १८-७-६६ को ऑर्डर निकाला है, पहले के

(श्री धीरसिंह)

पीरियड में काम करने से उसको रेगुलेराइज करके तनख्वाह दिलाई गयी है। उस मामले पर विचार करके ६० इयर्स की एज करना है या नहीं, यह पहले तय नहीं हुआ इसलिये या तो पहले बीच में कोई अरेन्जमेन्ट होता अगर निकाल देते तो बीच में आदमी के लिये अरेन्जमेन्ट करना पड़ता और एडवरटाइजमेन्ट वगैरा करना पड़ता। इसमें देर हुई सरकार की तरफ से वह नहीं होनी चाहिये थी पिछली फरवरी से ही काम पर हैं यह मान कर ऑर्डर्स दिये हैं इसलिये यह रेगुलर और विथ आथोरिटी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से आदेश जब तक लिखित रूप में न दिया जाय तो लीगल नहीं माने जा सकते ?

श्री धीरसिंह : बाद में इस पीरियड में काम किया है उसको रेगुलेराइज किया है

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ क्या रहा हूं और आप जवाब क्या दे रहे है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो यह है कि पहले रेगुलेराइज नहीं किया गया बाद में रेगुलेराइज किया गया।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के विभिन्न आदेश और नियमों के अन्तर्गत कोई सरकार का प्रतिनिधि उसको मौखिक आदेश लिखित रूप में न दिये जांय वह रेगुलर नहीं माना जा सकता ?

श्री धीरसिंह : एक ऑर्डर निकालना था, बाद में उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि विदआउट ऑथोरिटी वह काम कर रहा था। मैं गवर्नमेन्ट से पूछना चाहता हूं कि वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट कैसे रह गया बिना किसी ऑर्डर और ऑथोरिटी के ?

श्री धीरसिंह : टेलीफोन की इन्स्ट्रक्शन के मुताबिक वह काम करता रहा ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में इनकी मेजोरिटी का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक अधिकारी का फरवरी में रिटायरमेंट हो गया और फरवरी से जुलाई तक काम करता रहा अब उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। विथआउट ऑथोरिटी के काम करता रहा शर्म आनी चाहिये ऐसी गवर्नमेंट को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मार्च में इन अधिकारी ने किसी सबोर्डिनेट को डिस्मिस कर दिया तो वह कोर्ट में गया तो लीगल हालात पैदा होते हैं। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते It is defective even today.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ३१ मार्च, १९६९ को सारा मनी कन्सोलिडेटेड फण्ड से ड्रॉ हुआ तो उनके हस्ताक्षर से ड्रॉ हुआ जबकि वह बिना अथोरिटी के काम कर रहा था। यह तो भड़भूंजे की दुकान हुई सरकार थोड़े ही है। सरकार के कन्सोलिडेटेड फन्ड से इस प्रकार मनी ड्रॉ हुआ।

श्री धीरसिंह : जब तक उससे चार्ज नहीं लिया जाता वह उस पद पर है।

(व्यवधान)

Page No 32

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह क्या मजाक हो रही है। रिटायरमेंट की अवधि आ गयी और उसको रिटायर किया नहीं वह काम करता रहा बिना ऑथोरिटी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! माननीय सदस्य।

माननीय मन्त्री महोदय। आपकी पत्रावलियां भी इस सम्बन्ध में विपरीत बोलती हैं। पत्रावलियों में एक्स्टेन्शन पर ही भिन्नता है। आप देखिये उसको जाकर।

(व्यवधान) (शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज। अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सर्वे इन्वेस्टीगेशन का कार्यालय

१३०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में सिंचाई विभाग की ओर से एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर सर्वे इन्वेस्टीगेशन का ऑफिस है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर सर्वे द्वारा इस जिले की आवश्यक स्कीमों की सर्वे नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और यदि सर्वे की हो तो उसकी सूची दी जावे?

(३) क्या यह भी सही है कि इनका सारा स्टाफ इस जिले में कार्य नहीं कर अन्य किसी दूसरे जिले में कार्य कर रहा है?

उत्तर

(१) जी हां, अप्रेल सन् १६६८ से।

(२) जी नहीं, सर्वे प्रोग्राम के अनुसार योजनाओं की सर्वे की जा रही है। सर्वे की गई योजनाएं निम्नलिखित हैं।

(१) उंचकिया
(२) बरडिया
(३) डोराई
(४) मोडिया महादेव

(३) जी नहीं।

तहसील परबतसर के ग्रामों में चीनी का वितरण

१३१. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर, सु.) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम हरनावा राबड़ीयावास, दौलिया व पीलवा, रुडहुडी तहसील परबतसर जिला नागौर के लिये जो शक्कर का कोटा निर्धारित है वह जनता को वितरित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? जो शक्कर वितरित नहीं की गई है वह किस-किस माह में उठाई गई थी?

(२) क्या इन शक्कर वितरण करने वालों के खिलाफ जनता की शिकायतें हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(स्थगित किया गया)

Page No 33

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता

१९६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस-किस मद में कितने-कितने रुपये खर्च किये जायेंगे तथा वह रुपये कहां-कहां से प्राप्त किये जायेंगे ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त योजना में किस-किस कार्य को प्राथमिकता दी जायगी और उन कार्यों में पिछली योजनाओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक खर्च किस-किस वर्ष में किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त योजना मे प्रति व्यक्ति आय व कर-भार किस अनुपात में रहेंगे ?

(४) योजना में केन्द्रीय सरकार किस अनुपात में सहायता देती है और राज्य सरकार ने किस अनुपात से सहायता देने की मांग की है ?

उत्तर

(१) राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिये यह सूचना देना संभव नहीं है।

(२) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर निर्णय के अभाव में यह सूचना भी उपलब्ध नहीं है।

(३) इस प्रकार के अनुमान (Projections) राज्य स्तर पर नहीं लगाये जाते और इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार चौथी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता काश्मीर, आसाम व नागालैण्ड को छोड़कर बाकी सभी प्रान्तों में निम्न आधार पर वितरित की जायगी:—

(१) जनसंख्या	६० प्रतिशत
(२) प्रति व्यक्ति आय (केवल उन्हीं प्रान्तों की जिनकी प्रति व्यक्ति आय average से कम है)।	१० ,,
(३) करभार प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में।	१० ,,
(४) चालू वृहत् सिंचाई एवं बिजली योजनाओं की आवश्यकतायें।	१० ,,
(५) प्रान्तों की विशेष समस्यायें।	१० ,,

(४) उपरोक्त आधार पर कुल ३५०० करोड़ केन्द्रीय सहायता में से राजस्थान के लिये योजना आयोग ने २२० करोड़ की सहायता निर्धारित की है।

अकाल और शराब की दुकानें

१९७. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिन-जिन जिलों में भीषण अकाल है क्या वहां शराब की दुकानें अब भी ज्यों की त्यों चल रही है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(२) क्या सरकार ने इन दुकानों को हटवाने का प्रयत्न किया है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि महुआ गाय को बचाने में वरदान सिद्ध हो सकता है ? यदि हां, तो राज्य में जितनी भी डिस्टीलेरीज हैं उनका महुआ मवेशियों के लिये सरकार ने खरीद कर मवेशी के प्राण बचाने के काम में लिया या नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) इस प्रश्न का सम्बन्ध आबकारी विभाग से नहीं है ।

कम्पनियों, निगमों तथा अन्य व्यापारिक संस्थानों में राजकीय पूंजी

१९८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) ३१ मार्च, ६८ तक राज्य सरकार की कितनी पूंजी कंपनियों में अथवा निगमों अथवा अन्य व्यापारिक संस्थानों में अथवा सहकारी समितियों में लगी हुई थी ? और उस पर अलग-अलग कितना लाभ राज्य सरकार को हुआ ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि इस लगाई गई पूंजी पर राज्य सरकार को दो प्रतिशत लाभ भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूंजी नियोजन की अपनी नीति पर पुर्नविचार करेगी और जिन संस्थाओं में लाभप्रद स्थिति नहीं है, उनमें से अपना रुपया वापस निकालने का प्रयत्न करेगी ।

उत्तर

(१) ३१-३-६८ को राज्य सरकार का १०५९४६८०१ रु० का विनियोजन राजकीय कम्पनियों / निगमों / व्यापारिक संस्थानों / सहकारी समितियों में था और उन पर प्राप्त लाभांश को तालिका निम्न अनुसार है:—

विवरण	विनियोजित राशि	प्राप्त लाभांश
कम्पनी	२०६५२६५५	५३४१८७
निगम	३१०७००००	१४४८७००
व्यापारिक संस्थान	७११०७३६	५८६१११५
सहकारी समितियां	४६८१३४१०	३९५२८२
योग ...	१०५९४६८०१	२९६४२८४

(२) उपरोक्त आंकड़ों से यह विदित होता है कि राज्य सरकार को इस विनियोजन पर औसतन २.८ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है जहां तक विनियोजन करने की नीति पर पुर्नविचार करने का प्रश्न है इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि निगमों, व्यापारिक संस्थानों एवं कम्पनियों में विनियोजन करने में सरकार का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना ही नहीं होता है अपितु राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अधिक लोगों को रोजगार दिलाना एवं अप्रत्यक्ष करों से राज्य सरकार की आय को बढ़ाना है। इसी प्रकार सहकारी संस्थानों में विनियोजन लाभ प्राप्त करने हेतु ही नहीं किया गया है अपितु प्रदेश में सहकारिता का उत्थान करने हेतु किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण

१६६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के जिम्मे कुल कितना कर्ज है और वह किस-किस से लिया गया है।

(२) उस कर्ज पर कुल सालाना कितना सूद देना पड़ता है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

राजस्थान सरकार पर दिनांक १-४-६६ को संशोधित अनुमानों के आधार पर ५००.२६ करोड़ रूपये कर्जे के हैं। यह कर्ज किस किस से प्राप्त किया गया है, इसका विवरण निम्न प्रकार से हैं:—

	(अंक करोडों में
(क) सार्वजनिक ऋण राजस्थान (जागीर, पुनर्ग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बाण्डों के अतिरिक्त)	४६.१५
(ख) राजस्थान जागीर, पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बाण्डों से	१०.३६
(ग) अल्पकालीन ऋण	०.०७
(घ) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण जिसमें मार्गोपाय अग्रिम की राशि ५.१७ भी सम्मिलित है।	४३१.८२
(ङ) स्वायत्त निकायों से ऋणः—	
(१) रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि	१.८६
(२) भारत जीवन बीमा निगम	८.३१
(३) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	१.७६
(४) राष्ट्रीय वेयर हाऊसिंग निगम	०.०३
(५) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन	०.०१

(२) उपरोक्त कर्ज की राशि पर (आय व्ययक अनुमानों ६६-७० के आधार पर) देय ब्याज की रकम २५.०४ करोड़ रूपये आती है। विवरण निम्न प्रकार से है:—

(क) सार्वजनिक ऋण पर ब्याज	२.३२
(ख) राजस्थान जागीर, पुनर्ग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा बाण्डों पर	०.३५
(ग) अल्पकालीन ऋण	०.२५
(घ) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण पर	२१.५२
(ङ) स्वायत्त निकायों से लिये गये ऋण पर	०.६०
योग:—	५.०४

राजस्थान पोलीटेक्निक लाइब्रेरियन के ग्रेड

२००. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान पोलीटेक्निक लाइब्रेरियन के ग्रेड राणावत कमीशन की रिपोर्ट के पहले क्या थे ? इस कमीशन ने उनके क्या ग्रेड रखने की सलाह दी ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(२) क्या यह सही है कि राणावत कमीशन उनके ग्रेड देना ही भूल गई तथा निदेशक द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर भी सरकार व सब-कमेटी ने कुछ नहीं किया ?

(३) क्या उक्त लाइब्रेरियन का ग्रेड डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरियन के ग्रेड से भी उच्च थे ? क्या निदेशक ने मार्च में इस संदर्भ में सरकार को कोई फिर पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

(४) क्या और इसी प्रकार के मामले हैं, जिन पर राणावत कमीशन ने ध्यान नहीं दिया हो ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से ?

उत्तर

राणावत कमीशन की रिपोर्ट के पूर्व राजस्थान पोलीटेक्निक लाइब्रेरियन का वेतनमान १७०-१०-२७०-१०-३१०-१२½-३४७½ एस० बी० ३७५-१२½-४०० था। राणावत वेतन आयोग ने इस पद के लिये ११०-२०० या १६०-३६० का वेतनमान योग्यतानुसारदेने का सुझाव दिया था।

(२) वेतन आयोग ने उपरोक्त वेतन श्रृंखला दिये जाने की सिफारिश की थी।

(३) १-९-६८ से पूर्व स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालय के लाइब्रेरियन के निम्न दो ग्रेड थे:—

(१) २२५-१०-२७५ ई० बी० १०-२८५-१५-४३५-२५-४८५

(२) १३०-५-१५५-१०-२०५-२२५-१०-२७५ एस० बी० २९५-१२½-३२०

पोलीटेक्निक के लाइब्रेरियन की वेतन श्रृंखला १७०-१०-२७०-२९०-१०-३१०-१२½-३४७½ एस० बी० ३७५-१२½-४०० थी। निदेशक का इस संदर्भ में पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर इस कार्यालय के पत्र सं० एफ. ३ (१) वित्त (नियम)/६९, दिनांक २२-४-६९ को भिजवा दिया गया था। पोलोटेक्निक के लाइब्रेरियन का पद डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरियन के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन को कई विषय की पुस्तकों से संबन्धित कार्य करना पड़ता है जबकि ऐसी स्थिति में पोलोटेक्निक के लाइब्रेरियन को काम नहीं करना पड़ता है।

(४) पोलीटेक्निक के लाइब्रेरियन के पद की वेतन श्रृंखला निर्धारित किये जाने की सिफारिश वेतन आयोग द्वारा की गई है। अत: आयोग के ध्यान न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास ऋण

२०१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार ने सन् १९६७ से लेकर अब तक विकास ऋण के नाम पर जनता से किस रूप में कब-कब कितने-कितने रुपयों का विकास ऋण लिया ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों ने प्रत्येक जिले में जनता से सरकारी विकास ऋण के बाण्ड नहीं बेचकर प्रतिशत के हिसाब से धन एकत्रित किया ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले से किस किस

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पारी से कितना-कितना रुपया लिया और उसका उपयोग किस प्रकार से किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) सरकार ने प्रत्येक जिले में किस-किस बैंक को विकास ऋण के बान्ड देकर कितना-कितना रुपया लिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने सन् ६७ में ५।। प्रतिशत राजस्थान राज्य विकास ऋण १९७९ के रूप में ४.१० करोड़ तथा सन् १९६८ में ५।। प्रतिशत राजस्थान राज्य विकास ऋण १९८० के रूप में ५.५१ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी किये हैं। अभिदान कर्त्ताओं की सूची संलग्न है।

(२) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आवेदनकर्त्ता द्वारा पूरा निर्गम मूल्य (Issue Price) राज्य कोष में जमा करा देने पर ही रिजर्व बैंक उसके नाम से ऋण-पत्र जारी करता है।

(३) संलग्न सूची में वांछित सूचना उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

अधिकारियों पर होने वाला खर्च

२०२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९५१ में राजस्थान में कितने-कितने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी व अन्य कर्मचारी राज्य सेवा में थे। कृपया सभी श्रेणियों का विवरण बताया जावे।

(२) वर्ष १९५१ में राजपत्रित अधिकारी वर्ग पर कितना खर्च राजकीय कोष से वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था।

(३) १९५१ में राजकीय कर्मचारियों पर राजकीय कोष से कितना खर्चा वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था।

(४) १९६७ में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी वर्ग पर अलग-अलग कितना व्यय भत्ता, वेतन व अन्य सुविधाओं पर होता है ?

(स्थगित किया गया)

मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत मुकदमें

२०३. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सन् १९६४ से लगाकर आज तक कितने मुकद्दमात श्रम विभाग द्वारा मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत कोर्ट्स में पेश किये गये ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) उन मुकद्दमात से कितने मजदूरों को राहत मिली ? यदि नहीं मिली तो क्यों ?

उत्तर

(क) सन् १९६७ से जून, १९६९ के दावे (क्लेम) की सूचना सूची 'अ' में

Page No 38

(श्री श्रम मन्त्री)

तथा सन् १९६४ से १९६९ तक के चालानों की सूचना सूची 'ब' में संलग्न है।

(ख) चालान नियोजकों को कानूनी धारायें पालन न करने के लिये किये जाते है। जिससे भविष्य में कानून की पालना हो और श्रमिकों को लाभ मिल सकें। श्रमिकों के पक्ष में ५६० में से २४१ दावे तय हुए।

नोट:—सूचना जिलेवार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि श्रम कार्यालय प्रादेशिक स्तर पर है जिलस्तर पर नहीं।

दावों सम्बन्धी सूचना इस विभाग में १९६१ से उपलब्ध है, क्योंकि इससे पूर्व यह कार्य सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि के पास था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

टी. बी. क्लिनिक, झुंझुनू का स्टाफ

२०४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार के दिनांक १३-६-६८ के आदेश क्रमांक एफ. ८ (५०) एच. बी./६८ (प. नि.) के अन्तर्गत झुंझुनू अस्पताल में टी. बी. क्लिनिक स्थापित कर दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त आदेशानुसार टी. बी. क्लिनिक के लिये जिन डॉक्टर्स आदि कर्मचारियों की नियुक्ति की गई वह पूरा स्टाफ अभी तक नहीं पहुँचा है? यदि हां, तो किस-किस पद के कौन-कौन से कर्मचारियों की पोस्ट कब से खाली पड़ी है और कब तक पूरा स्टाफ पहुँच जावेगा?

उत्तर

(१) जी हां, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ८ (५०) एम० पी० एच०/६८ (प. नि.), दिनांक १३-८-६८ के अंतर्गत झुंझुनू अस्पताल में टी. बी. क्लिनिक स्थापित कर दी गयी है।

(२) निम्नलिखित कर्मचारियों की टी. बी. क्लिनिक झुंझुनू में नियुक्ति कर दी गई है:—

क्रमांक	पद	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
(१)	सी. ए. एस. डॉक्टर्स	२	१	१
(२)	टी. बी. हेल्थ विजिटर	२	२	×
(३)	नॉन मेडिकल बी. सी. जी. टेक्नीशियन टीम लीडर	१	१	×
(४)	बी. सी. जी. टेक्नीशियन	६	४	२
(५)	एक्सरे टेक्निशियन	१	१	×
(६)	लेबोरेटरी टेक्नीशियन	१	१	×
(७)	कम्पाउन्डर ग्रेड I	१	१	×
(८)	वरिष्ठ लिपिक	१	१	×
(९)	कनिष्ठ लिपिक	१	१	×
(१०)	च० श्रे० कर्मचारी	४	४	×
(११)	ड्राइवर	२	—	२

(चिकित्सा मन्त्री)

उपरोक्त कर्मचारी जनवरी, १९६९ से कार्य कर रहे हैं। संख्या २ एवं ११ में दिखाये गए रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न कारणों से नहीं की जा सकती थी।

एम संख्या २: बी. सी. जी. टैक्नीशियन	सरकार के रिक्त स्थानों को खाली रखने के आदेश थे जो दिनांक २-७-६९ को वापस लिये गये हैं, यह स्थान शीघ्र भर दिये जावेंगे ड्राइवर के स्थान तभी भरे जा सकेंगे जब यूनिसेफ से २ गाड़ियां उपलब्ध होंगी।

यूनियन के पदाधिकारी का तबादला

२०५. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिला स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का परिवर्तन कोटा महाराव भीमसिंह अस्पताल से कर दिया गया है? यदि हां तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि यह यूनियन भारतीय मजदूर संघ से संबन्धित है?

(३) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी यूनियन के पदाधिकारियों के परिवर्तन नहीं किये जावें? यदि हां, तो फिर उन आदेशों की अवहेलना क्यों की गई?

उत्तर

(१) जी हां। प्रशासनिक कारणों से।

(२) जी हां।

(३) जी हां। प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानान्तरण पर उक्त आदेश लागू नहीं होते हैं।

फेमिली प्लानिंग स्कीम के अन्तर्गत होने वाला व्यय और कार्य

२०६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६७ में फेमिली प्लानिंग स्कीम के अन्तर्गत किस-किस जिले में कितनी नसबन्दी की गई और कितने लूप लगाए गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस समय इस विभाग में कितना-कितना स्टाफ किस-किस तरह का लगा हुआ है और इसके प्रचार आदि हेतु कितनी जीपें हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) भारत सरकार से इस विभाग को १९६७ में कितनी आर्थिक व अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई है?

(४) फेमिली प्लानिंग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या आर्थिक व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं? और सन् १९६७ में इन सुविधाओं और प्रचार के अन्तर्गत कितना खर्चा हुआ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि फर्जी रेकार्ड बनाने और जबरन अविवाहित लोगों को नसबन्दी और लूप लगाने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी शिकायत किस-किस जिले से

(श्री प्रेमदत्त भाई।)
प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या-क्या कार्य-वाही की गई है ?

(६) क्या सरकार इन शिकायतों की इन्क्वायरी कराने का विचार रखती है जिससे कि भ्रष्टाचार रुक सके या कम हो सके।

(७) नसबन्दी व लूप लगाने से क्या-क्या काम्प्लीकेशन्स ज्यादातर होती हैं ?

उत्तर

(१) सन् १९६७ (जनवरी ६७ से दिसम्बर ६७) में कुल २६,३८८ ऑपरेशन (नसबन्दी) तथा २२,२८० लूप लगाये गये। जिलेवार सूची "क" सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इस सम्बन्ध की सूचियां "ख" एवं "ग" सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(३) भारत सरकार से वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में १२६.२८ लाख रुपये की धनराशि परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। इसके अलावा भारत सरकार से फिल्म्स, पोस्टर, पेम्फलेट व साहित्य आदि विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री प्राप्त हुई थी।

(४) राज्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित आर्थिक व अन्य सुविधाएं दी जाती है:—

आर्थिक सुविधाएं :

लूप प्रविष्टी

(१) लूप प्रविष्टी कराने वाली महिला को — ५) रु०

(२) उक्त महिला के आने-जाने का खर्चा — २) रु०

(३) लूप प्रविष्टि के लिये प्रोत्साहित करने वाले को — २) रु०

योग ९ रु०

पुरुष नसबन्दी

(१) प्रत्येक पुरुष को नसबन्दी कराने पर — १६) रु०

(२) पुरुष नसबन्दी के लिये प्रोत्साहित करने वाले को — ७) रु०

योग २३) रु०

महिला नसबन्दी के लिये :

(१) प्रत्येक महिला को नसबन्दी कराने के लिये — २०) रु०

(२) महिला नसबन्दी के लिये प्रोत्साहित करने वाले को। — ७) रु०

योग २७) रु०

अन्य सुविधाएं :

विशेष आकस्मिक अवकाश

(१) लूप प्रविष्टी कराने वाली महिला कर्मचारी को — १ दिन

Page No 41

(श्री ओमदत्त भाटी)

(१) नसबन्दी ऑपरेशन कराने वाले पुरुष कर्मचारी को ४ दिन

(३) (पोस्ट मार्टम) आपरेशन कराने वाली महिला कर्मचारी को १४ दिन

(४) कैदियों को ऑपरेशन के पश्चात् पांच दिन का विश्राम दिया जाता है और कुल मिलाकर १५ दिनों का रेमीशन दिया जाता है।

(५) अकाल सहायता शिविर में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरुष नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर ७ दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। महिला श्रमिको को २ माह का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। ऑपरेशन कराने वाले श्रमिकों को उक्त सवैतनिक अवकाशों के अतिरिक्त परिवार नियोजन बजट से २०) रु० प्रति श्रमिक क्षतिपूरक धनराशि दी जाती है।

वर्ष १९६७-६८ पर उक्त सुविधाओं से इन्सेटिव पर ४,४६,८६६) रुपये तथा प्रचार आदि पर कुल रुपया २,५९,८६३ राशि खर्च की गई है। प्रचार आदि पर उक्त वर्ष में हुए व्यय की जिलेवार सूची"घ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(५) जोधपुर व चूरू जिले से फर्जी रिकार्ड बनाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच कराने पर मालूम हुआ कि प्रगति के आंकड़े गलत सूचित किये गये थे। जिस पर जोधपुर के भूतपूर्व जिला परिवार नियोजन अधिकारी का पदावनत कर स्थानान्तर कर दिया गया है। चूरू के जिला परिवार नियोजन अधिकारी को भी पदावनत एवं निलम्बित कर दिया गया है। दोनों ही मामलों में जांच जारी है।

जबरन अविवाहित लोगों की नसबन्दी और लूप लगाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इनकी जांच की जा रही है।

साधारणतया नसबन्दी से आदमियों में कोई कौम्पलीकेशन नहीं होना चाहिये। परन्तु कोई-कोई केस सैप्टिक हो सकते है जिससे टांकों में पीप पड़ जाना देखा गया है इसके अलावा किसी केस में अन्ड-कोष में रक्त का जमा हो जाना, सूजन उठ जाना व ऐपीडिडी-माईटिस हो सकता है। किन्तु ऐसे कोम्पली-केशन्स प्राय: ऑपरेशन कराने वालों की लापरवाही से हो होते हैं।

महिलाओं में लूप प्रविष्टी के बाद कभी-कभी मासिक धर्म के समय रक्त स्राव बढ़ जाता है। इसके अलावा कमर में दर्द या सफेद पानी आना भी देखा गया है यह भी उपचार से जल्दी ठीक हो जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

फोरेस्ट रेन्ज देवगढ़ और प्रतापगढ़ की बीड़ का ठेका

२०७. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़-सु.) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला चितौड़-गढ़ सब-डिविजन प्रतापगढ़ की फोरेस्ट रेन्ज देवगढ़ में व फोरेस्ट रेन्ज प्रतापगढ़ में किसी

(श्री हरलाल मीणा)

निजी खाते की लगानी बीड़ की लकड़ी काट कर बेचने का ठेका दिया जा सकता है ? यदि हां, तो यह आदेश कब निकला व इन रेन्जों में कितने बीड़ लकड़ी काटने बाबत कहां-कहां से किस-किस ठेकेदार ने लिये ?

(२) क्या यह भी सही है कि उस बीड़ का मालिक स्वयं लकड़ी काट कर नहीं बेच सकता ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन बीड़ों की लकड़ी की आड़ में जंगलों में नाजायज कटाई होकर सैंकड़ों ट्रक माल निकाला जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उन बीड़ों की लकड़ी का कूतनामा बगैर वन विभाग के किये ही लकड़ी की कटाई की जाती है ? यदि हां, तो वन विभाग को कैसे पता चलता है, इस बीड़ में कितना माल था ?

उत्तर

(१) निजी खाते की लगानी बीड़ की लकड़ी काट कर बेचने का ठेका वन विभाग द्वारा नहीं दिया जाता । किन्तु राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम के अनुसार खातेदार कृषक अपनी खातेदारी भूमि की वन संपदा को किसी भी कार्य के लिये कटवा सकता है । कितने बीड़ों की लकड़ी काटने बाबत कहां-कहां से ठेके दिये गये इसकी सूचना वन विभाग में नहीं है ।

(२) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार खातेदार कृषक अपने अधिकार की भूमि से वृक्ष काट सकता है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां । वन उपज के ट्रांजिट पास देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर वन उपज का कूंत करते हैं जिससे उस खातेदारी भूमि के आसपास के वन क्षेत्र से अवैध वन उपज की निकासी नहीं हो ।

छीपाबड़ौद रेन्ज में वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा

२०८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद रेंज के अधीनस्थ वन विभाग के अलग-अलग ब्लॉक की भूमि लगभग २५,००० बीघा पर लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? उक्त नाजायज तौर से कब्जा की गई भूमि का खसरावार ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

अलग २ ब्लॉकों की लगभग ५ ३५० बीघा वन भूमि पर छींपाबड़ौद रेन्ज में लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी है । इन लोगों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम भारतीय दण्ड विधान तथा भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है । नाजायज तौर से कब्जा की गई भूमि की वन खण्डवार सूची तथा भूमि का विवरण संलग्न है ।

(सूची सरकार से प्राप्त नहीं हुई)

Page No 43

जिलास्तरीय कमेटियों का गठन व बैठकें

२०१. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों ने जंगलों से काबिल काश्त भूमि को, निकाल कर देने व पंचायत समितियों के क्षेत्र में खेती के अयोग्य भूमि को वन विभाग में हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव वन विभाग से मांगे थे ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो वन विभाग का इस प्रस्ताव पर क्या अभिमत है ?

(२) डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले में किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक कितनी-कितनी काबिल काश्त जमीन वन विभाग से निकाली गई व अब कहां-कहां कितने-कितने क्षेत्रफल भूमि और निकल सकती है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) वन विभाग में जिला स्तरीय कमेटियों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है ? इन कमेटियों का गठन कब हुआ ? इसके क्या कार्य हैं ? बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिले की कमेटी की बैठकें कब हुई व इसके सदस्य कौन कौन हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) इस प्रकार के प्रस्ताव की जानकारी वन विभाग को नहीं है ? प्रस्ताव प्राप्त होने पर अभिमत दिया जा सकेगा।

(२) बांसवाड़ा वन-मण्डल में अब तक १०१५४.०४ एकड़ वन-भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तर की जा चुकी है। तहसील स्तर वन समिति द्वारा भू-क्षमता सर्वेक्षण पूरा होने पर ही यह सूचना मिल सकती है। इस सर्वेक्षण हेतु निश्चित समिति के संयोजक विकास अधिकारी हैं।

(३) जी हां। १९-१२-६० को जिला समिति के पास तहसील स्तर समिति का मोटे रूप में भू-क्षमता सर्वेक्षण प्रतिवेदन भेजा जाता है। जिस में यह बताया जाता है कि कौन कौनसी भूमि कृषि, चरागाह और ग्राम्य वन और वन हेतु निर्धारित की जानी चाहिये। जिला समिति तहसील समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय ले लेती है और इस निर्णय के अनुसार भूमि का स्थानान्तर कर लिया जाता है। किन्तु यदि समिति में नियुक्त वन विभाग का रिप्रेजिन्टेटिव समिति निर्णय से सहमत नहीं हो तो ऐसे मुआमले राजस्व मण्डल एवं मुख्य वन संरक्षण की सम्मति सहित राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

डूंगरपुर जिले की जिला समिति की बैठक ६-८-६८ को हुई जिसमें किसी भूमि के हस्तान्तरण का निर्णय नहीं हुआ। बांसवाड़ा जिले की समिति की बैठक १६-११-६८ को हुई जिसमें श्यामपुरा वन-खन्ड से ११९.४४ एकड़ भूमि नया बाजार बनाने हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से पूर्व बांसवाड़ा वन मन्डल में १००३७.६० एकड़ भूमि पहले ही राजस्व विभाग को कृषि आदि कार्यों के लिए हस्तान्तरित की जा चुकी थी। जिला समिति के निम्नानुसार सदस्य हैं:—

Page No 44

(वन मन्त्री)

(१) जिले का जिलाधीश (संयोजक),

(२) वन संरक्षक,

(३) जिला कृषि अधिकारी,

(४) जिला परिषद् के २ प्रतिनिधि,

(५) अनुसूचित अथवा अनुसूचित जन-जाति का एक विधान सभा सदस्य ।

जैसलमेर-जोधपुर सड़क पर लगाये गये पेड़ों पर खर्च व उनके संरक्षण की व्यवस्था

२१० श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने का निर्णय लेकर पेड़ लगाए गये? अगर हां, तो किस वर्ष में कितना खर्च किया गया, आज तक वर्षवार खर्च की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) आज तक कितनी संख्या में पेड़ सड़क पर लग चुके हैं और उनकी संरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है और संरक्षण पर कितना खर्च किया जाता है ?

(३) किस वर्ष से पेड़ लगाने आरम्भ किये गये थे और आज तक कितने पेड़ जिन्दा हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) जी हां । संलग्न सारणी में दिखा दिया गया है ।

(२) ८, ४९९ वृक्ष १९६७ तक लगाये गये । संरक्षण व्यवस्था मण्डल वन-अधिकारी, जोधपुर करते है, लगातार सूखे व पाले के कारण इस कार्य में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके कारण इन वृक्षों के संरक्षण पर अब कोई व्यय नहीं किया जाता है ।

(३) १९६९ से वृक्षारोपण आरम्भ किया गया था । उगाए गये वृक्षों में से १५१० वृक्ष जीवित हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

कालाडेरा कॉलेज के फिजिकल इन्स्ट्रक्टर

२११. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कालाडेरा कॉलेज में दिनांक ४-९-६७ को फिजिकल इन्सट्रक्टर कौन था और वह व्यक्ति दिनांक ४-९-६७ को जयपुर में था और हाजरी कॉलेज में दर्ज है ?

उत्तर

श्री महावीरप्रसाद शर्मा । जी हां ।

गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल हायर सेकन्डरी स्कूल, अजमेर का टाइपराईटर

२१२. श्री अम्बालाल शर्मा(अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल अजमेर में टाइपराइटरों की चोरी हुई है ?

Page No 45

(श्री अम्बालाल शर्मा)

(२) यदि हां, तो कब और कितनी मशीनों की।

(३) उक्त टाइप मशीनों को चोरी किस प्रधानाध्यापिका के कार्यकाल में हुई ?

(४) क्या इस चोरी के सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी की गई ?

(५) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(६) क्या इस चोरी के सम्बन्ध में पुलिस में केस दर्ज कराया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिल्डिंग फण्ड के नाम से प्राप्त राशि से बनाये गये भवन

२१४. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर जिले में विकास फण्ड (बिल्डिंग फण्ड) के नाम से छात्रों से गत ५ वर्षों में कितना रुपया लिया गया है ? वर्ष-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस प्रकार एकत्रित धनराशि से कितने भवनों का निर्माण किया गया है ? और कहां-कहां किया गया है ? इन भवनों में कितना खर्च हुआ है ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में सत्र ६८-६९ से पूर्व इस जिले की शालाओं में विकास शुल्क अथवा भवन निर्माण शुल्क विभागीय आदेशानुसार इकट्ठा नहीं किया गया। यदि वहां की जनता द्वारा इकट्ठा किया गया हो तो उसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। विभागीय आदेशानुसार सत्र ६८-६९ में विकास फण्ड हेतु धन छात्रों से वसूल किया गया है जिसकी आय-व्यय के ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसकी सूचना भी प्रश्न संख्या १ के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई पूर्व में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

अध्यापकों की मुस्तकिली

२१४. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में लगातार दो या तीन साल तक नये अध्यापकों की नियुक्ति होने पर भी हर साल सैशन खत्म होने पर इन अध्यापकों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है और फिर दुबारा लगाया जाता है ? ऐसा करने का क्या कारण है ?

Page No 46

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(२) क्या इन्हें मुस्तकिल नहीं किया जाकर इसी प्रकार रखा जाता है ?

(३) राज्य सरकार ऐसे अध्यापकों को कब मुस्तकिल करना चाहती है और इस संबंधी नियम क्या हैं ?

उत्तर

(१) प्रशिक्षित आशार्थी की नियुक्ति अध्यापक पद पर रिक्त पद पर विभागीय आदेश संख्या २०/१९६६ के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। उन्हें हर वर्ष राज्य सेवा से नहीं हटाया जाता है परन्तु जिन प्रशिक्षण आशार्थी जिनको बी० एस० टी० सी० या बी० एड० प्रशिक्षण में जाने वाले अध्यापकों की जगह लगाया जाता है या नियुक्ति दिसम्बर से पूर्व की होती है तो उन्हें ग्रीष्म-कालीन अवकाश के अन्त में हटाया जाता है और अगर नियुक्ति जनवरी मास में होती है तो भी ग्रीष्म कालीन अवकाश के पूर्व हटा दिया जाता है।

(२) मुस्तकिल स्थायी पद रिक्त होने पर नियमानुसार किया जाता है।

(३) जैसे-जैसे पद स्थायी खाली होते हैं या अधिक स्थायी पद स्वीकृत होते हैं उन पदों पर वरिष्ठता के आधार पर स्थायी किया जाता है।

१९६८-६९ में स्कूलों की क्रमोन्नति

२१५. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य में वर्ष १९६८-६९ में कितने प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में परिणित किया गया है व कहां-कहां की ?

(२) कितने मिडिल स्कूल हायर सैकेन्डरी में परिणित किये गये और कहां-कहां के ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा-पुस्तकालय में रख दी गई)

एस. टी. सी. स्कूल्स के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक

२१६. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में अभी तक कितने एस. टी. सी. स्कूल चल रहे थे ?

(२) इनमें कितने अध्यापक प्रशिक्षण ले रहे थे ? और इसमें हर अध्यापक को कितना खर्च करना होता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षण पाये हुए अध्यापक नौकरी की तलाश में फिरा करते हैं ?

(४) जिन अध्यापकों को सरकारी नौकरी मिल जाती है उनकी ग्रेड कहां से कहां तक होती है ?

(५) जिला बून्दी के एस. टी. सी. स्कूल में कितने अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ?

Page No 47

उत्तर

(१) राजकीय व अराजकीय एस. टी. सी. स्कूलों की संख्या क्रमशः १६ व ७ थी।

(२) ४,७५७ अध्यापक प्रशिक्षण ले रहे थे। सामान्यतया हर अध्यापक को ६००) खर्च करना होता था।

(३) जी हां।

(४) एस. टी. सी. पास अध्यापकों को ११८-२३० का ग्रेड दिया जाता है।

(५) ९८ अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

शारीरिक शिक्षकों का वेतन

२१७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय से आदेश क्रमांक स. नि. रि./जय/संस्था-६/२० /१९७/६५, दिनांक ६-२-६६ के द्वारा यह आदेश दिये हैं कि रा. उ. मा. विद्या. करौली, सवाईमाधोपुर एवं १ से ४० स्कूलों में स्वीकृत स्केल नं० १३ के पदों में से एक पद कम करके स्केल नं० १६ में एक पद शारीरिक प्रशिक्षक के लिए आवंटित किया जाता है और प्रधानाध्यापक शाला में कार्य कर रहे द्वितीय वेतन शृंखला (स्केल नं० १३) शारीरिक शिक्षक का वेतन स्केल नं० १६ में स्थिरीकरण संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जाय ? यदि हां, तो किस-किस स्कूल में किस-किस शारीरिक शिक्षक को किस-किस तारीख से किस वेतन में पदोन्नत किया गया ? मय आदेश की प्रति के साथ सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उप-शिक्षा निदेशिका (महिला), जयपुर के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षकों को भी पदोन्नत किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि मैट्रिक एवं क्राफ्ट का सर्टिफिकेट प्राप्त क्राफ्ट-अध्यापक तथा मैट्रिक एवं पी. टी. आई. का सर्टिफिकेट प्राप्त पी. टी. आई. अध्यापक का पद सेवा नियमों के अन्तर्गत समान है ? यदि हां, तो क्या दोनों का वेतन समान है ?

उत्तर

(१) यह सही है। सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। निदेशालय से भेजे गये आदेश "कि व्यायाम शिक्षकों को वेतन शृंखला १३ की जगह वेतन शृंखला १६ में लगाया जाय क्योंकि व्यायाम शिक्षकों का वेतनमान नं० १३ का समीकरण स्केल नं० १६ में हुआ है अतः इसी वेतन शृंखला में वेतन उठाया जाय," का मतलब न समझते हुए व्यायाम शिक्षकों को वेतनमान १३ में ही वेतन दिया जाता रहा। अब स्थिति स्पष्ट हो जाने पर उप-निदेशक (महिला) जयपुर द्वारा ऐसे शिक्षकों को वेतन शृंखला १६ में लगाकर उनका वेतन उसी शृंखला में उठाने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) नवीन वेतनमान, १९६९ में व्यायाम प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय तथा वरिष्ठ शिल्प

Page No 48

(शिक्षा मंत्री)

अध्यापक (ग्रेड तृतीय) का वेतन मान ११०-२३० (स्केल नं० ७) है, दोनों की वेतन श्रृंखला समान है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

बारां नगर की प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलें

२१८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां नगर में कितनी प्राइमरी छात्र-छात्राओं की स्कूलें हैं और उनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) बारां नगर की माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है ? प्रत्येक कक्षा के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या सरकार नगर में विद्यार्थियों की इतनी संख्या को देखते हुए दूसरी माध्यमिक स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) बारां नगर में छात्रों की प्राइमरी स्कूलें ६ हैं, जिनमें छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

शाला का नाम	छात्र संख्या
(१) प्रा० वि० बारां प्रथम	५६४
(२) प्रा० वि० बारां द्वितीय	४०६
(३) प्रा० वि० बारां तृतीय	२६२
(४) प्रा० वि० बारां चतुर्थ	४४३
(५) प्रा० वि० बारां पंचम	३१६
(६) प्रा० वि० बारां षष्ठम	६८

(२) बारां नगर के उ० प्रा० वि० में छात्रों की कक्षावार संख्या निम्न प्रकार है:—

प्रथम पारी

कक्षा	छा० सं०	कक्षा	छा० सं०	कक्षा	छात्र सं०
६ ए	३७	७ ए	३३	८ ए	३८
६ बी	४०	७ बी	३६	८ बी	३७
६ सी	३८	७ सी	३८	८ सी	४३
६ डी	३६	७ डी	३६	८ डी	४१
६ ई	३४	७ ई	४४	८ ई	४२
६ एफ	४३	७ एफ	३७	८ एफ	४२
६ जी	३६	७ जी	४२	८ जी	३८
६ एच	३६	७ एच	३६	८ एच	४२
६ आई	३८	७ आई	३६		
६ जे	३६				
६ के	४४				

(३) धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

पंचायत समिति लाडनूं के प्रधान के खिलाफ हुई शिकायतों पर कार्यवाही

२१९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मौजूदा प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के खिलाफ कौन-कौन सी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

शिकायतें कब कब राज्य सरकार व जिलाधीश नागौर को पेश हुईं ? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

अकाल से बच्चों व पशुओं की मृत्यु

२२०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष अकाल से बच्चों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो कहां पर कितने बच्चों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या बच्चों की मृत्यु का समाचार मिलने पर राज्य सरकार ने कोई जांच कमेटी बिठा कर जांच करवाई ? यदि नहीं, तो इन समाचारों की सत्यता का कैसे पता लगाया गया ?

(३) बच्चों की मृत्यु अकाल के कारण नहीं हो इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(४) क्या यह भी सही है कि भारी संख्या में पशु-धन की मृत्यु अकाल के कारण हुई है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) इस वर्ष अकाल-जनित भूख-प्यास से बच्चों की कोई मृत्यु नहीं हुई । अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) बच्चों को स्वस्थ रखने के लिये दुग्ध चूर्ण व सी० एस० एम० विटामिन की गोलियों का वितरण किया गया है ।

(४) अकाल के कारण भूख, प्यास से कुछ पशुओं की मृत्यु अवश्य हुई है, किन्तु इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना सम्भव नहीं है ।

अकाल पर आय-व्यय

२२१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान निर्माण के बाद अब तक अकाल सहायता पर प्रति वर्ष किस-किस मद में कितने-कितने रुपये खर्च हुए जिससे केन्द्र व राज्य सरकार के कितने-कितने थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) किस-किस वर्ष में कितने-कितने रुपये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांगे और कितने-कितने प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) इस वर्ष राज्य सरकार ने अकाल सहायता के लिये कब-कब कित-कितने रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगे और कितने

Page No 50

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कितने रुपये कब-कब प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस वर्ष कुल कितना खर्चा अकाल सहायता पर होगा जिसमें केन्द्रीय सरकार से कितने प्राप्त होंगे ?

(स्थगित किया गया)

अकाल से पशुओं का निष्क्रमण

२२२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ अप्रेल, सन् ६८ को जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिलों में अन्तिम पशु गणना के आधार पर किस-किस प्रकार के पशुओं की संख्या क्या है ?

(२) अकाल के कारण किस-किस जिले के कितने-कितने पशुओं का कहां-कहां और कब-कब निष्क्रमण हुआ ?

(३) अकाल के कारण अब तक किस-किस जिले में कितने-कितने पशु मर गये ?

उत्तर

(१) अन्तिम पशु-गणना के अनुसार जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिलों में विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

नाम जिला	गाय-बैल	भैंस	भेड़	बकरियां	अन्य	योग
जोधपुर	६०७	५७	६६३	३७५	५६	१७५५
बाड़मेर	६३७	२६	७९२	१९४७	११७	३६२१
जैसलमेर	३४४	१	५९१	२९४	५९	११९९
बीकानेर	३५६	४७	५६३	१३३	५२	११९९
चूरू	२८९	१३१	३६२	२७१	९०	११४२

(२) अभावस्थिति के कारण निम्न जिलों से पशुओं का निष्क्रमण हुआ है :—

(१) बीकानेर ९०३२०
(२) बाड़मेर १०३८४२
(३) जैसलमेर ७८१८७
(४) जालौर ३६८९९
(५) जोधपुर १०७१९
(६) नागौर १४५००
(७) पाली ७७३१
(८) अजमेर ७०००
(९) टोंक १००००
(१०) सिरोही ५६०२

योग ... ३,६५,७००

और निम्न राज्यों में हुआ :—

मध्यप्रदेश ९२३५४ पंजाब ९०३२०

Page No 51

(अकाल सहायता मंत्री)

गुजरात	५३४२२
हरियाणा	१८६८३
उत्तर प्रदेश	३०४२१
योग...	३,६५,७००

(३) किस-किस जिले में कितने-कितने पशु अब तक अकाल के कारण मर गये इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

अकाल पीड़ित जनता हेतु अनाज की व्यवस्था

२२३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या अकाल से प्रभावित है? कृपया जिलेवार संख्या बतलाने का कष्ट करें।

(२) इस अकालग्रस्त जनसंख्या के लिये अनाज की क्या व्यवस्था की गई है? कुल कितने अनाज की आवश्यकता है, कितने अनाज की राज्य सरकार व्यवस्था कर सकी है? कमी पूर्ति के लिए क्या योजना है?

(३) अब तक कितनी सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा चुकी हैं? कुल कितनी दुकानें कब तक खोलने का कार्यक्रम है किस आधार पर? कृपया जिलेवार खोली गई और खोली जाने वाली दुकानों की संख्या बतलावें।

(४) सस्ते अनाज में कौन-कौन सा अनाज किस-किस भाव से दिया जाता है? प्रति व्यक्ति कितना अनाज दिया जाता है?

(५) क्या यह सस्ता अनाज सहायता कार्यों पर काम करने वालों और काम न करने वालों सभी को दिया जाता है?

(६) क्या दिया जाने वाला सस्ता अनाज सड़ा-गला होने की शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं? क्या ऐसा खराब अनाज वितरण करने के कारण लोगों में बीमारी फैलने और मरने की शिकायतें भी आई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

सरकार द्वारा अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने की व्यवस्था

२२४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने पशु अकाल पीड़ित हैं? सरकार की ओर से अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

(२) सरकार ने कितना घास व चारा खरीदकर कितने डिपोज में वितरण के लिए रखा है किस दर से तथा प्रति पशु कितनी मात्रा में रखा है? कृपया जिलेवार डिपोज की सूची उनके अन्दर घास वितरण प्रारम्भ के दिनांक दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें। उसमें यह भी अंकित किया जाय अब तक प्रत्येक डिपो पर कितना-कितना घास चारा किसानों को दिया जा चुका है।

(३) अकाल पीड़ित पशुओं को बचाने के लिए कुल कितने घास व चारे की आवश्यकता का अनुमान है? राज्य सरकार अब तक

(श्री दौलतराम सारण)

कितने घास व चारे की व्यवस्था कर चुकी है ?

(४) भेंट या दान अथवा सहायता स्वरूप कितना-कितना घास व चारा कहां से प्राप्त हुआ है ?

(५) क्या यह सही है कि अपने संकट-ग्रस्त भाइयों के पशु बचाने के लिये बिना मूल्य लिए सहायता स्वरूप दिए गये घास व चारे को राज्य सरकार आठ रुपया प्रतिमन के भाव से मूल्य लेकर बेच रही है ?

(६) अब तक कितने पशु भूख से मर गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

६८-६९ में अकाल घोषित जिलों में व्यय

२२५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६८-६९ में राजस्थान प्रदेश में किन-किन जिलों में अकाल घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जिन-जिन जिलों में अकाल घोषित किया है उन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ? कृपया जिलावार व तहसीलवार सूची सदन में रखें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान कैनाल की मूल योजना

२२६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान कैनाल की मूल योजना क्या थी तथा कितने रुपयों की व कब तक पूरी होने की थी ? योजना की प्रति मय नक्शों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) मूल योजना के बाद इस योजना में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं ? परिवर्तन योजना की प्रति मय नक्शों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) अब तक इस योजना पर प्रति वर्ष कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है और उसमें से कितने-कितने रुपये केन्द्र व राज्य सरकार के हैं और केन्द्रीय सरकार से किस-किस वर्ष में कितने-कितने रुपयों की मांग की गई और कितने-कितने प्राप्त हुए ?

(४) अब यह योजना कब तक पूरी होगी जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का कितना-कितना रुपया खर्च होगा ?

(५) अब तक कितनी भूमि इस कैनाल से सिंचित होती है और योजना पूरी होने पर कितनी भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

प्रश्न १ व २ का उत्तर

(१) मूल योजना के अनुसार ४२६० मील लम्बी राजस्थान नहर द्वारा ६६.४६ करोड़ रुपयों में १६.४८ लाख एकड़ भूमि में

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)

सिंचाई करने का प्रस्ताव था तथा इसे सन् १९६७-६८ तक पूरा करने का अनुमान था।

(२) १९५७ को मूल योजना के बाद एक संशोधित तखमीना १९६३ में बनाया गया। अब १९६९ में संशोधित मूल योजना तैयार की गई है जो "योजना" प्रायोग के विचाराधीन है। १९५७ की योजना की तुलना में संशोधित योजना (१९६९) में निम्न लिखित मुख्य परिवर्तन हैं:—

(१) व्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण।

(२) बारहमासी सिंचाई ७.०२ लाख एकड़ के बजाय ३१.२४ लाख एकड़ होना।

(३) नहरों की लम्बाई जो पहले लगभग २५०० मील ही होनी थी, अब लगभग ४००० मील होगी।

(४) तीन लिफ्ट नहरों का समावेश।

(५) पहले केवल ११० मील लम्बी नहर को ही पक्की बनाने का प्रावधान था, अब पूरी ४२९-मील लम्बी नहर को पक्का किया जावेगा।

(६) पहले शाखाएं व उप शाखाएं कच्ची बननी थी अब उन्हें भी पक्का बनाने का निर्णय लिया गया है।

(७) पहले सिंचाई कमान्ड रकबे में ७८ फीसदी होनी थी अब ११० फीसदी पर तखमीना बनाया जा रहा है।

(३) खर्चे का विवरण अलग मे सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है। यह समस्त धनराशि भारत सरकार से राज्य सरकार को कर्जे के रूप में दी जा रही है।

(४) इस योजना को १९७७-७८ तक पूरा करने का अनुमान था परन्तु यह तब ही सम्भव हो सकेगा अगर उचित धनराशि पूर्ण रूप से समय-समय पर उपलब्ध होती रहेगी। ऊपर लिखित अनुसार सारा खर्चा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ऋण के रूप में देती है।

(५) राजस्थान नहर परियोजना से गत वर्ष (१९६८-६९) में लगभग २,४५,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हुई थी। योजना के पूर्ण होने पर कुल ३१.२४ लाख एकड़ भूमि में सिचाई होने का अनुमान है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का स्थाई करण

२२७. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिचाई विभाग में भिन्न-भिन्न पदों पर कुल कितने स्थानों का प्रावधान है?

(२) उपरोक्त स्थानों पर कितने कर्मचारी स्थाई व अस्थाई हैं? अस्थायी व्यक्ति सामान्यतया कितने समय से अस्थायी हैं?

Page No 54

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(३) अस्थायी कर्मचारियों को इतनी लम्बी अवधि तक स्थायी न बनाने का क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि अस्थायी कर्मचारियों को एडहाक आधार पर पदोन्नति दी गई है ? अगर हां, तो किन-किन को व क्यों ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) उपरोक्त स्थानों पर कार्य कर रहे स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों की संख्या को संलग्न सूची कॉलम ४ में दिखाई गई है। अस्थाई व्यक्ति सामान्यतया ५ से ७ साल से अस्थाई हैं।

(३) अस्थाई कर्मचारियों को इतनी लम्बी अवधि तक स्थाई न करने के निम्नलिखित कारण हैं :

अ. कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से स्वीकृत स्थाई पद कम है। अतः जितने स्थाई पद हैं उतने ही कर्मचारी स्थाई किए जा सकते हैं बाकी कर्मचारी स्थाई पद रिक्त होने पर ही किए जा सकते हैं।

ब. कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति। पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की स्वीकृति हेतु पेन्डिंग है। जिसके लिए समय-२ पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

स. कुछ पदों के लिए जैसे रिसर्च सर्विस सेवा नियम अभी तक राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। अतः उनको स्थाईकरण की अग्रिम कार्यवाही सेवा नियम स्वीकृत हो जाने पर की जावेगी।

द. अधिनस्थ सेवाओं के नियम राज्य सरकार द्वारा १९६७ में स्वीकृत किए गये हैं इसी के आधार पर अस्थाई कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है चयन समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर ही किए जायेंगे।

ई. कुछ सेवाओं के लिए जैसे लिपिक वर्ग के लिए राज्य सरकार से स्थाई करण के लिए विभागीय परीक्षा लागू करदी तथा बाद में स्थाईकरण पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया इस कारण स्थाई करण नहीं किया जा सका अगस्त, १९६९ से यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा हटा लिया गया है अतः स्थाई करण की कार्यवाही की जा रही है।

(४) स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों की पदोन्नतियां संबन्धित सेवा नियमों के अनुसार की जाती हैं। इस विभाग में अस्थाई कर्मचारी को एड्हाक आधार पर पदोन्नति नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट १८ देखिये)

Page No 55

शाही फीडर योजना

श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शाही फीडर की योजना पूरी हो जाने पर जवाई बांध का कमान्डेड क्षेत्र बढ़ाया जावेगा ?

(२) यदि हां, तो बचे हुए पानी का क्या उपयोग किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पहले ही कमान्ड क्षेत्र अधिक है और पानी की कमी है।

पीलीबंगा सेक्शन के अधिशासी अभियन्ता

२२९. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पीलीबंगा सेक्शन (भाखड़ा डिवीजन) में इस वक्त अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) कौन है और वे कहां कितने अर्से से हैं ?

उत्तर

पीलीबंगा सेक्शन (भाखड़ा डिवीजन) में इस वक्त श्री के० एस० कांग अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) कार्य कर रहे हैं। वर्तमान पद पर वे ५-११-६६ से काम कर रहे हैं। इनके खण्ड का नाम पीलीबंगा सिंचाई, मुख्यालय, हनुमानगढ़ है।

घग्घर फ्लड से प्रभावित काश्तकारों की भूमि का एवजाना

२३०. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिन जिन काश्तकारों की जमीन घग्घर फ्लड कन्ट्रोल में आ गई है और जिसकी वजह से उनको वह जमीन छोड़नी पड़ी उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) जिन काश्तकारों की जमीन घग्घर फ्लड कन्ट्रोल के अन्दर आ गई है उसमें से कितनों को उसकी एवज में कहां कहां पर जमीन दी जा चुकी है व कितने काश्तकार ऐसे हैं कि जिनको अभी तक जमीन एवज में नहीं मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) जिन काश्तकारों को अपनी जमीन की एवज में अभी तक जमीन नहीं मिलने से लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ है व हो रहा है उसे सरकार किस तरह पूरा करने का विचार रखती है ? क्या सरकार इन काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को नाली में जो सरकारी जमीन बची है उसमें से या हनुमानगढ़ के पास जो बागात की जमीन है उसमें से देने का विचार रखती है।

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(ख) जमीन के एवज में जमीन देना राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

(ग) अधिकतर काश्तकारों को मुआवजा या बदले में जमीन दे दी गई है शेष काश्त-

Page No 56

(सिंचाई मंत्री)

कारों को जमीन देने की कार्यवाही जारी है। नाली में बची हुई सरकारी जमीन का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

गुढा बंध की नहर योजना

२३१. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला बून्दी स्थित गुढा बन्ध की कौन कौनसी नहरों की सड़कों को पक्का किया जा रहा है ?

(२) इस योजना में कुल कितना खर्चा आवेगा ? मुकम्मिल सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा गुढा बान्ध की किसी भी नहर की सड़क को पक्का नहीं किया जा रहा है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनोहरथाना के परवन प्रोजेक्ट का चौकीदार

२३२. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या मनोहरथाना परवन प्रोजेक्ट पर मुस्तकीम अली नाम का कोई चौकीदार काम करता था?

(२) क्या उक्त चौकीदार ने परिवार नियोजन के अन्तर्गत अपना ऑपरेशन कराया था और जब उसने उस अवधि में छुट्टी चाही तो उसे छुट्टी नहीं दी गई एवं सर्विस से पृथक् कर दिया गया ?

(३) क्या ऑपरेशन कराये जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को इस अवधि में अवकाश चाहने का प्रावधान है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उक्त चौकीदार ने परिवार नियोजन के अन्तर्गत अपना ऑपरेशन कराया था। छुट्टी न देने और इस बिना पर पृथक् कर देने का जहां तक प्रश्न है, यह सही नहीं है।

(३) जी हां।

जयसमन्द फीडर की भूमि

२३३. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयसमन्द फीडर (अलवर) पर कितने किसानों ने खेती कर रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर किसानों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

(४) क्या सिंचाई विभाग इनसे कुछ वसूल करता है ?

उत्तर

(१) ८४ किसानों ने।

Page No 57

(सिंचाई मन्त्री)

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

माही परियोजना

२३४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माही परियोजना को योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से हुए करार की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ?

(३) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और कितने एकड़ भूमि में सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में बांध के अभाव में सरकार अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर पा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, योजना अभी केन्द्रीय योजना आयोग के विचाराधीन है गुजरात से हुए करार की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(२) इस योजना पर कुल २९,५९ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, व योजना के पूर्ण होने पर राजस्थान में ७९, ००० एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई होगी। एवं १००० क्यूसेक जल गुजरात राज्य में उनके उपयोग हेतु दिया जा सकेगा।

(३) जून, १९६९ तक १७५ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सिंचाई अभी आरम्भ नहीं हुई।

(४) बांध का निर्माण कार्य अभी चालू नहीं हुआ अतः पानी के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

बाला झील पंचायत कोरसीना का लिफ्ट ईरिगेशन हेतु सर्वे

२३५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने पंचायत कोरसीना के तहत बाला नाम की झील का लिफ्ट ईरिगेशन हेतु कभी सर्वे किया है ? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्या अब इसका सर्वे किया जाकर भरे हुए पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकेगा ?

(२) क्या इस झील का पानी मीठा है ?

(३) क्या यह झील हर साल बरसात के समय भर जाती है ? अगर हां, तो कितने बीघा पानी इसमें इकट्ठा होता है और आज तक इसका क्या उपयोग हुआ है ?

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(१) जी नहीं। झील इस विभाग के अधीन नहीं है, अतः लिफ्ट सिंचाई हेतु सर्वे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी हां।

(३) जी हां। लगभग ५०० बीघे में पानी भरा रहता है यह झील इस विभाग के अधीन नहीं है। इस कारण कि पानी के उपयोग के संबंध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

सरप्लस कर्मचारी

२३६. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में १९५९-६० व ६०-६१ से काम कर रहे सेटलमेन्ट विभाग के जिलेदार व अमीन सरप्लस घोषित किये जाकर पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट को वापिस कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सेटलमेन्ट विभाग से डेपुटेशन पर मांगे गये अमीनों व जिलेदारों के नाम व साल सहित यह बतावें कि इनमें से किन किन को वापस विभाग में भेजा गया ?

(२) क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट विभाग ने यह कह कर कि सैटलमेन्ट विभाग क़ासी परमानेन्ट विभाग है और क़ासी परमानेन्ट पद पर कोई लियन नहीं होता, इन कर्मचारियों को वापस लेने से इन्कार कर दिया है ?

(३) ऐसे कर्मचारियों को जो सिंचाई विभाग से तो रीलिव कर दिये गये हैं परन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने वापस नहीं लिया है, तनख्वाह कहां से दी जा रही है और यदि नहीं दी जा रही है तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) जी हां, उन्होंने वापस लेने से पहिले इन्कार किया था परन्तु बाद में उनको अपने विभाग में वापस ले लिया।

(३) चूंकि कर्मचारियों ने सैटलमेन्ट विभाग में ज्वाइन कर लिया है अतः उन्हें तनख्वाह मिलने या न मिलने की जानकारी इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखती है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

स्टेट रोड़वेज कारपोरेशन के चैयरमेन को मिलने वाली सुविधाएें

२६७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्टेट रोडवेज कारपोरेशन के चेयरमेन ने सितम्बर से दिसम्बर ६८ तक किस किस दौरे का कितना टी० ए० व डी० ए० कारपोरेशन से लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) चेअरमेन को कितना वेतन और सुविधायें मिलती हैं ?

Page No 59

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(१) ३९ दौरे किये गये तथा १४९२-१८ रुपये यात्रा भत्ता के वसूल किये। दौरों की सूची संलग्न है।

(२) १००० रु० वेतन तथा ५०० रु० कार भत्ता तथा उप मन्त्री की अन्य सुविधायें दी जाती हैं।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

प्रतापगढ़ से मन्दसौर तक चलने वाली बस

२३८. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु०): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सच है कि प्रतापगढ़ से मन्दसौर आर० जे० एच० ४८२ शक्ति सर्विस चलती है? यदि हां, तो इसकी कन्डीशन कैसी है और इस कन्डीशन में यह बस कब से चल रही है? क्या कभी इसका चैकिंग भी हुआ है? यदि हां, तो कब?

(२) क्या यह सही है कि यह बस प्रतापगढ़ से मन्दसौर रेल्वे स्टेशन पर सुबह-शाम यात्रियों को लेकर जाती है और आती है? यदि हां, तो क्या यह हमेशा यात्रियों को समय पर लाती और लेजाती है?

उत्तर

(१) जी हां। मेकेनिकल इन्सपेक्टर भीलवाड़ा ने दिनांक २२-९-६९ को इस बस का निरीक्षण करके इसे ३१-१-७० तक का फिटनेस जारी किया है। इसका चैकिंग दिनांक २३-९-६९ को किया गया है।

(२) जी हां, यह सही है कि उक्त बस यात्रियों को प्रतापगढ़ से मन्दसौर रेल्वे स्टेशन तक सवारियां लाती व ले जाती है तथा समय पर न पहुँचने की कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा से अकलेरा चलने वाली बसें

२३९. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा से अकलेरा जाने वाली बसेस की संख्या क्या है एवं उनका टाइम टेबिल क्या है?

(२) क्या यह भी सत्य है कि कोटा से चलने वाली एक भी बस अपने निर्दिष्ट समय पर रवाना नहीं होती है?

(३) क्या यह भी सही है कि कोटा से अकलेरा चलने वाली सायंकाल ५ बजे वाली बस नित्य ९.३० बजे रवाना होकर रात्री को १२ बजे अकलेरा पहुँचती हैं?

(४) क्या उक्त बसों के चालक परिचालक कई बार गाड़ियों को झालावाड़ पाटन में ही खड़ी करके सो जाते हैं और यात्रियों को कह देते हैं कि गाड़ी आगे नहीं जायेगी?

(५) क्या यह सही है कि पिछले दिनों उसी प्रकार एक बस को रात्री ११ बजे डुंगर गांव में रोक दिया गया था और उस बस में यात्रा कर रहीं एक भद्र महिला जो कि मध्य प्रदेश की निवासी थी की अस्मत लूटने का ड्राइवर, कन्डक्टर द्वारा प्रयास किया था?

Page No 60

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(६) यदि कारपोरेशन निश्चित समय पर अपनी बसें रवाना करने की स्थिति में नहीं हैं और नित्य २ घंटा लेट हो जाती है तो उन बसों का समय २ घंटा लेट ही क्यों नहीं निश्चित किया जाता है जिससे यात्री परेशान न होवें ?

उत्तर

(१) कोटा से अकलेरा ४ अप व ४ डाउन सेवायें हैं, जिनका समय चक्र निम्न प्रकार है:—

प्रस्थान कोटा	पहुँच अकलेरा	प्रस्थान अकलेरा	पहुँच कोटा
५-३०	९-३०	१६-३०	२०-३०
१०-००	१४-३०	६-००	१०-३०
१४-००	१८-३०	९-००	१३-३०
१७-३०	२२-००	१६-००	२०-००

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता है।

ट्रक आर० जे० एल० ५७३

२४०. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ट्रक नम्बर आर० जे० एल० ५७३ का मालिक छीतरमल पुत्र सुखराम सुनार साकिन पावटा, थाना कोटपूतली था ? यदि हां, तो कब तक और बाद में यह ट्रक किस व्यक्ति के नाम किस आधार पर कब हुआ ?

(२) क्या यह भी सत्य सही है कि उपरोक्त ट्रक का ट्रान्सफर होते समय कोई टैक्स बकाया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या उसका टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट जारी हुआ था ? यदि हां, तो कब और किसने किस आधार पर जारी किया ?

(३) अब यह ट्रक कहां पर किस व्यक्ति के नाम से है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। गाड़ी नम्बर आर० जे० एल० ५७३ का पंजीयन श्री भूरसिंह पुत्र श्री माधोसिंह निवासी चंदवाजी के नाम हुआ था और अब भी वे ही उसके स्वामी हैं।

(२) आर० जे० एल० ५७३ का ट्रान्सफर अभी तक किसी के नाम नहीं हुआ है। इसका कोई टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था।

(३) अभी इस गाड़ी (आर० जे० एल० ५७३) के मालिक श्री भूरसिंह पुत्र श्री माधोसिंह हैं।

सदस्यों द्वारा सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्रीमती शिवकुमारी ने ११ अगस्त

(श्री अध्यक्ष)

१९६९ से इस सत्र के अन्त तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(१२.२५ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री श्रवणलाल, श्री हरिप्रसाद शर्मा व भगवानदास शास्त्री ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें १२-८-१८ व १३-८-६८ को भारी वर्षा के कारण करौली, गंगापुर हिण्डौन व टोडा भीम और महुआ तहसीलों में नदी से बाढ़ आ जाने के कारण गांव बह जाने व जानवर तथा जनता को भारी क्षति पहुँचना बतलाया है।

(विराम)

मैं अपने आपको करेक्ट करता हूं। गलत प्रिन्टिग हो गया है।

(विराम)

श्री श्रवणलाल, श्री हरिवल्लभ शर्मा व श्री भगवानदास शास्त्री ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें १२-८-६९ व १३-८-६९ को भारी वर्षा के कारण करौली, गंगापुर हिण्डौन व टोडा भीम और महुआ तहसीलों में नदी से बाढ़ आ जाने के कारण गांव बह जाने व जानवर तथा जनता को भारी क्षति पहुँचना बतलाया है। भरतपुर, कोटा, चित्तौड़ व झालावाड़ में भी अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ के कारण क्षति होना प्रकट होता है। बाढ़ के सम्बन्ध में श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री भैरोंसिंह, श्री जुझारसिंह व श्री विट्ठल प्रसाद के भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

बाढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को उत्सुकता हो सकती है। अतः मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे राज्य में बाढ़ की सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी कर कल दिनांक १९ अगस्त, १९६९ को एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मेरा भी इसमें एक प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम भी जोड़ दिया जाता है।

माननीय मंत्री महोदय परसों के लिये निवेदन करते हैं। परसों रख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने कस्बा रावतसर के प्रधान, पंचायत समिति, नोहर के वहां डाका पड़ने व पुलिस द्वारा उसका पता न लगा सकने का उल्लेख किया है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मदनसिंह दांता, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता व श्री रामचन्द्र आर्य से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने टीबवाल के शहीद हवलदार मेजर पीरूसिंह की माता

Page No 62

(श्री अध्यक्ष)

को राज्य सैनिक मण्डल द्वारा सहायता बन्द कर देना बतलाया है।

बूंदी स्थित एक रमणीय स्थान रामेश्वर महादेव को जाने वाली सड़क खराब होने से दुर्घटना हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केशरीसिंह हाड़ा ने दी है।

इन तीनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा समय सूचित कर दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, कब तक ?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय पैरों पर हैं अभी।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों की ओर सूचनाएं, प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं।

(१) श्री विजयसिंह मकराना ने आबू पर्वत पर वाटर वर्क्स की ओर जाने वाली सड़क की पुलिया गिर जाने से कुछ व्यक्तियों के घायल हो जाने तथा वहां के ए० ई० एन० के अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक व्यक्ति विशेष की शिकायत का मामला है।

(२) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केशरीसिंह हाड़ा से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील नैनवा में सीसोला से गोठड़ा की सड़क अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत निर्माण कराने के सम्बन्ध में कम भुगतान करने आदि का उल्लेख किया है। अकाल से सम्बन्धित चर्चा के लिये दो दिन निश्चित किये जा चुके हैं।

(३) श्री भगवानदास शास्त्री ने पुनर्गठन पूर्व अजमेर राज्य के शिक्षकों की ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारण तथा प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला प्रश्नों के द्वारा उठाया जा सकता है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर आज इन पर विचार किया जाय अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री जुझारसिंह श्री मदनसिंह (सिरोही), सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति, सांगोद, जिला कोटा में लिफ्ट सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा एक प्रस्ताव पहले था रोडवेज के कर्मचारियों के विषय में।

श्री अध्यक्ष: आज सूचना आजावेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, अजमेर ७ नवम्बर, १९५६ से राजस्थान में मर्ज हुआ है जब से शिक्षक बराबर मंत्री महोदय से और उप-मंत्री महोदय से मिलते रहें हैं। कागजों का ढेर लगा हुआ है उस ओर कोई ध्यान नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर कोई भाषण नहीं हो सकता।

श्री भगवानदास: अध्यक्ष महोदय अभी भी उनका प्रोमोशन नहीं है अजमेर के मर्जर के समय भी उनकी पे स्केल्स ऊंची थी फिर भी उनको प्रोमोशन नहीं दिया गया है।

अजमेर के शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता था फिर भी उनको कहा गया कि आप राजस्थान के पे स्केल ले लीजिये वे भुलावे में आ गये और उन्होंने यहां का पे स्केल लेलिया वह इसलिये कि उनका भविष्य राजस्थान के ग्रेड से ठीक रहेगा। उनको प्रोमोशन के अवसर रहेंगे लेकिन १४४ अध्यापकों का प्रोमोशन हुआ हैं जयपुर जोन के लेकिन अजमेर का उसमें एक भी शिक्षक नहीं लिया जाता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं आपकी चिन्ता को समझ गया।

श्री भगवानदास शास्त्री: अजमेर के अध्यापकों को जैसे पहले दिल्ली के साथ थे वैसे ही उनको रहने दिया जाय। राजस्थान में शिक्षकों के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य। शिक्षा मंत्री महोदय आप इसको देखिये, यह महत्त्वपूर्ण मामला है अत. आप माननीय सदस्य से बात करके कोई निर्णय करिये।

(विराम)

अकाल के सम्बन्ध में एक समिति बनी थी? माननीय सदस्य को ज्ञात होगा पिछले सत्र में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कतिपय अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में उल्टी-दस्त आदि से अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु के संबन्ध में श्री भैरोंसिंह एवं श्री चुन्नीलाल इन्दलिया के स्थगन प्रस्तावों पर चिकित्सा मंत्री के वक्तव्य सत्यता विवाद ग्रस्त होने पर इस मामले की जांच के विपक्षी सदस्यों के सुझाव पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की सहमति से मैंने सदन के ७ माननीय सदस्यों को एक विशिष्ट समिति श्री गिरधारी लाल व्यास के संयोजकत्व में मनोनीतकी थी।

इस समिति ने प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर जाने से पूर्व स्थगन प्रस्तावों से संबन्धित मामले पर राज्य सरकार से एक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जानकारी चाही थी जो उसे अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त हुई और जो प्राप्त हुई वह अधूरी थी इस कारण समिति वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर नहीं जा सकी।

समिति ने इस संबन्ध में अपना जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत किया है उसमें यह कहा गया है कि वर्तमान सत्र की समाप्ति के पश्चात् वह उन क्षेत्रों के दौरे पर जायेगी और सम्पूर्ण स्थिति का अध्यन करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री विजयसिंह (मकराना): मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह मानवता से

Page No 64

(श्री विजय सिंह)

संबन्धित है । इसमे सवाल यह है जो ए०इ० एन० श्री भूतड़ा है उनकी लापरवाही की वजह से ब्रिज गिरा है । २५-३-६९ को मैं भी वहां था । श्री भूतड़ा ने पब्लिक के किसी आदमी से मिलना बन्द कर दिया । मैने भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी पब्लिक के आदमी से मिलना नहीं चाहता यदि किसी को बात करना हो तो वे मेरे दफ्तर में आयें । मैंने उस ब्रिज के गिरने के बारे में राज्य सरकार के मंत्रियों सहित सुखाड़िया साहब को तार दिये इसमें करीब मेरा २९ रूपया खर्च हो गया लेकिन राज्य सरकार ने उस बारे में कोई परवाह नहीं की । वहां पर जिस प्रकार का मेटेरियल यूज किया गया वह मैं कलेक्ट करके यहां लाया हूं जो मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करूंगा । यह डिब्बा सारा उस मेटेरियल से भरा हुआ है । यह इतना खराब मेटेरियल है जिसके कारण वह ब्रिज टूट गया, उसमें ९ आदमी मरते-मरते बचे हैं । उसके बारे मे न मिनिस्टर ने ध्यान दिया और न सेक्रेटरी साहबान ने ही दिया है, न उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जो इसके दोषी हैं ।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था पीर्लसिंह की माता के बारे में १८ वर्ष बाद भी उसको जमीन के बारे में ध्यान नही दिया ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । इसकी जानकारी आ रही है ।

श्री विजयसिंह; यह डिब्बा मैं लाया हूं जो चार आदमियों की सील लगवाकर लाया हूं वह सदन की मेज पर रख देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह आपके पास ही रखिये । इस पर सील लगी हुई है । वहीं रहने दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मैने १३ तारीख को डिफेन्स की रोड्स के बारे में मोशन दिया था उसकी जानकारी अब तक नहीं आयी है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं आयी है, आने वाली है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस बारे में ढिलाई बरत रहे हैं । इस सड़क पर जिस प्रकार का मेटेरियल लगाया जा रहा है उससे यदि पाकिस्तान हिन्दुस्तान की लड़ाई हो गई तो उस सड़क से सेना के ट्रक भी नहीं निकल पायेंगे×××

श्री अध्यक्ष: भाषण अंकित नहीं किया जाय ।

मैंने निवेदन किया है जानकारी प्राप्त कर रहा हूं । आज और सक्रियता बरतूंगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिये । जो ढिलाई बरती जा रही है यह न्यायसंगत बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितनी तारीख तक वक्तव्य दिला दिया जावेगा इसकी जानकारी आप देंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें स्थान ग्रहण करें । जानकारी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त की जा रही है । इसके अतिरिक्त मेरे पास सूचना नहीं है। जो कुछ सूचना आयगी कल दे दी जायगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, कोटा के पास आणविक शक्ति केन्द्र है जिसके पास एक गुब्बारा मिला है जो तारों से बन्धा हुआ है

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है । क्या मेरे सम्मुख है ?

श्री देविदत्त गाड़िया: मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने काल अन्टेशन नोटिस दिया है यह बड़े महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न अभी सामने नहीं है उसको आप अनावश्यक रूप से ला रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कर्तव्य है कि मैं राज्य सरकार को सचेत करूं । पहले भी आणविक शक्ति केन्द्र में अराष्ट्रीय तत्वों ने तोड़-फोड़ की थी । मुझे शक है कि कहीं इस में भी चीन या पाकिस्तान का हाथ न हो....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जुझारसिंह जी द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया वह असेम्बली सेक्रेटेरिएट से मुझे आज ही मिला है अत: इस संबन्धी जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है, अतः इसको आगे के लिये स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या हमारे सेक्रेटेरिएट से आपको आज मिला है ?

श्री जसराज : १९ को डिस्पेच हुआ है लेकिन हमें आज ही मिला है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देखूंगा डिले कहां हुई है । डिले अगर हमारे यहां से हुई है तो एक्शन लूंगा ।

श्री विजयसिंह : दल बदलू मंत्रियों की इसी तरह की इज्जत होती है ।

श्री अध्यक्ष : नियम ११९ के अन्तर्गत प्रस्ताव ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा से सम्बन्धित मामलों की जांच सम्बन्धी प्रस्ताव व उस पर आपत्ति

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, नियम १११ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा गया है वह प्रस्ताव सदन के सामने आया है वह इस प्रकार है:—

"सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुँचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है, जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय" । मैं यह प्रस्ताव आपके सामने है । मैं समझता हूं ११९ के नियम के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आते हैं उसके लिये १२१ आवश्यक हैं जैसा कि इसमें है --

Page No 66

(श्री मूलचन्द डागा)

"Shall raise substantially one definite issue."

इस प्रस्ताव को देखकर मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि इससे सरकार को क्या घाटा हुआ, कितना हुआ, किन कारणों से हुआ। यह मोशन से मालूम नहीं पड़ता। यह प्रस्ताव बिल्कुल वेग है। इसके लिये जनरल नियम हैं वे साफ हैं। इस प्रस्ताव को देखते हुए माननीय सदय इस बात का अन्दाज नहीं लगा सकते कि किन कारणों से और किस तरह से सरकार को घाटा हुआ है। यह प्रस्ताव इस प्रकार का है जो बिल्कुल वेग है जनरल किसी स्पेसिफिक इश्यू की निश्चित बात को नहीं रखता इससे कोई निश्चित तथ्य हमारे सामने नहीं आये। सदन के सामने, अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से कोई निश्चित तथ्य सामने नहीं आते। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइन्ट हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

मैं आपका ध्यान मोशन के बाबत इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं:—

A motion on matters of general public importance and equitable in two forms and the first form is that the House should take notice of the document placed on the table.

अगर आपको कुछ बातें रखनी हैं, डोक्यूमेन्ट पेश करने हैं वह भी हाउस के सामने आने चाहियें। केवल प्रस्ताव रख देना यह एक प्रकार से वेग है। आखिर हाउस को यह तो पता होना चाहिये किन कारणों से सरकार को नुकसान होने वाला है। आपने कोई कारण नहीं बतलाये, सरकार को कितना नुकसान हुआ है। इस प्रकार का वेग प्रस्ताव जो सदन के सामने लाया गया है मेरी समझ में सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार के वेग प्रस्ताव को उचित नहीं समझते और न इस बारे में किसी प्रकार का उत्तर देने में ही संक्षम होंगे। इसके बारे में सारे डिटेल्स आने चाहियें। स्पेसिफिक इन्स्टान्स कोट की जानी चाहिये। जब तक वे बाते न आयें इस प्रस्ताव को नहीं लिया जा सकता।

श्री मदनसिंह दान्ता: On a point of order sir ....

श्री अध्यक्ष : पहले एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है आप उसके बाद उठा सकते है।

(श्री मदनसिंह बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : इसको अन्कित नहीं किया जाय

श्री मदनसिंह: XXX

श्री अध्यक्ष : मैं पहले इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लेना चाहता हूं उसके बाद व्यवस्था देना चाहता हूं।

श्री रघुनाथसिंह विश्नोई (सांचोर):-- दो मिनट में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। जो यह नियम ११९ के तहत प्रस्ताव आया है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं इसमें जो बातें बतायीं गई हैं उसके अनुसार पब्लिक इम्पोटेन्स की बाते आनी चाहियें। डिफेमेटरी बाते नहीं आनी चाहियें

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अन्कित नहीं किया गया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मेरा ख्याल है कि सिर्फ यह मोशन बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है और उसकी कन्डीशन को फुलफिल नहीं करता है। यह मोशन पिछले सत्र में भी रखा गया था और इसमें यह सूचना आई है कि जो रखने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यदि आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी है तो भी हमें पता नहीं है। दूसरी इस मोशन में कोई स्पेसिफिक बात नहीं है फिर यह कन्डीशन को किस तरह से पूरा करता है? अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पेसिफिक एलीगेशन प्रावधान के अनुसार होने चाहिये। किसी माननीय मन्त्री ने किस तरह से अपने ऑफिस का मिसयूज करके, सरकार को नुकसान पहुँचाया है, इनको फुलफिल करने के लिये यह सारे स्पेसिफिक जो चार्जेज हैं वे हमारे सामने नहीं आते तब तक हम भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। अगर ये चार्जेज हमारे सामने आते तो हम भी विचार व्यक्त करते। इसके अभाव में यह सूचना शॉर्ट है, और इसके अलावा जिनके खिलाफ, माननीय मन्त्री के खिलाफ जो यह मोशन रखा है, उनको खुद को विस्तृत जानकारी दी है तो सदन के हरेक माननीय सदस्य के पास इसकी, इस मोशन की, पूरी डिटेल्स होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मै आपकी आपत्ति को समझ गया हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तब ही हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस जानकारी के अभाव में हम कैसे मोशन को एज इट इज रखा है, मानें है, ? मुझे उस पर डाउट है। वरना इसकी कोई डिटेल्स सामने आती तो उसके बारे में हम विचार व्यक्त कर सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष, जो पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो रेज कर दिया है, जो आधार दे दिये हैं, उसके अलावा और कोई आधार हो तो रखें।

श्री दुर्गालाल बाडवार (हवामहल जयपुर) : कैसे उठाया जा सकता है पॉईन्ट ऑफ आर्डर, नियमों के अनुसार....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें कहा गया है अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर सरकार को घाटा पहुँचाया है, इसमें स्पेसिफिक चार्ज होना चाहिये जैसा कि १२१ में माननीय सदस्य ने कहा है, १२१ में जब तक डेफिनेट चार्ज...

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाल दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो स्पेसिफिक चार्ज इसमें होना चाहिये कि अमुक व्यक्ति ने अमुक पद का दुरुपयोग करके इस प्रकार का कोई काम किया है, जिसकी वजह से सरकार को घाटा पहुँचा है, उसने अपने पद का दुरुपयोग करके कोई नाजायज फायदा प्राप्त किया है। उसके सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में कोई चीज का वर्णन नहीं किया है।

दूसरा निवेदन यह है कि जैसा यहां पर रूल १२१ में यह बताया गया है, बहुत सारी

Page No 68

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बातें जिनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है, उसका क्लेरिफिकेशन हो, परन्तु यह तो प्रस्ताव का प्रारूप ही है। इसमें एक जनरल चार्ज लगाया गया है। इस प्रकार की बातें कोर्ट, ऑफ लॉ में चल रही हों, उसके सम्बन्ध में उसका यहां पर विचार नहीं कर सकते जब तक कि फैसला कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं हो जाता।

दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी रीसेन्ट अकरेंस हो, जिसका सीधा सम्बन्ध चार्ज से हो। दो साल पूर्व की बात है हालांकि जो प्रस्ताव रखा है, उसमें यह बात नहीं बतायी गयी है कि कब की बात है, इसका कोई वर्णन उसमें नहीं है। इस अकरेंस के बारे में कि एक साल, दो साल पुराना है। इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दो है। इस प्रकार के वेग एलीगेशन के सम्बन्ध में, वेग प्रस्ताव, मोशन के सम्बन्ध में मेरा खयाल है, अध्यक्ष महोदय, आपको इसको एडमिट करने के पहले हमसे इसके सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है कि यह एडमिसिबिल के काबिल है या नहीं। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, या जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है, उसकी मुख्य चीज यह है कि यह एडमिसिबिलिटी के लायक नहीं है। इसलिये यह एडमिट नहीं होना चाहिये। रूल १२१ के अन्तर्गत जो बात बतायी गयी है, कि इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिये, वह इसमें, इस प्रस्ताव में किसी रूप में मौजूद नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया है, जो प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रस्ताव के अन्दर एन्क्वायरी मांगी गयी है, एन्क्वायरी कार्य की ? जो एन्क्वायरी मांगी गयी है, उसके लिये खुद मन्त्री महोदय कहते हैं, तब फिर एन्क्वायरी किस बात की ? इसलिये यह प्रस्ताव अधूरा है। मैं तब तक इसको अधूरा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, रूलस देख लें कि जब तक प्रस्तावक की मंशा स्पष्ट न हो, कोई ऐसी चीज न हो कि मन्त्री महोदय ने अमुक चीज की हो और उसके सम्बन्ध में कोई डिटेल्स न दी हो, लीगली इस पर कुछ नहीं हो सकता। अमुक-अमुक बात जब तक स्पष्ट न हो, यह प्रस्ताव इललीगल है।

श्री रामनारायण (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, नियम १२१ की उपधारा (४) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह धारा बताती है कि कोई तात्कालिक घटना हो तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया जा सकेगा। इसमें यह नहीं बताया गया है इसलिये यह प्रस्ताव एडमिसिबिल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी एक प्रस्ताव जिसकी सूचना दी गई थी, उसके सम्बन्ध में पाली से आने वाले माननीय सदस्य, और झुंझूनू जिले से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक ने विशेष रूप से आपत्ति प्रस्तुत की है कि राजस्थान के चिकित्सा मन्त्री श्री बृजसुन्दरजी शर्मा के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो निन्दा का प्रस्ताव रखा जा रहा है वह नियमानुकूल नहीं है। एक बात।

इसमें वह सब सामग्री नहीं हैं जो आपको पूर्ण जानकारी दे सके जैसा कि जालोर से

Page No 69

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। जिससे आपको यह ज्ञान हो सके कि श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने किस प्रकार से बूंदी जिले में या कोटा जिले में भूमि को किसी तरीके से, नाजायज तरीके से हड़पा, अपनी पत्नी के नाम विक्रय-पत्र कराया इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी इससे ज्ञात नहीं होती। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : एक मन्त्री पर वह आरोप हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं भूमि को ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जिस समय विचार प्रकट किये थे तो मैंने आपको सुना, अब आप डिस्टर्ब न करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी एडमिसिबिलिटी के लिए आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यह जो प्रस्ताव श्रीमान् बृजसुन्दरजी शर्मा के खिलाफ प्रस्तुत किया था वह बहुत लम्बा है, इसमें विस्तार से भूमि का रकबा नम्बर, खसरा नम्बर, जमीन का रकबा, उसकी स्थिति इन सबका वर्णन किया गया है और आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव दिया है वह ५ पृष्ठों में है। ५ पृष्ठों में दिया हुआ प्रस्ताव है। विस्तार से सारी बातें दी हुई हैं। इस सम्बन्ध में जितने भी आवश्यक डाकूमेण्ट्स और शहादतें और तहरीरी डॉकूमेन्ट्स हो सकते थे वह सम्पूर्ण जानकारी और सुबूत प्रस्ताव की सूचना करने वालों से अध्यक्ष ने मांगी थी वह भी प्रस्तुत कर दिया गया था, और यह भी माननीय सदस्यों को जानकारी होगी। इसके सम्बन्ध में विधान सभा के ६८ के सितम्बर अधिवेशन में टेप रेकार्डेड स्टेटमेन्ट जो था उसकी भी जानकारी दे दी गई थी। इन सारी बातों की दृष्टि से सेटिसफाइड होने के बाद अध्यक्ष महोदय ने एडमिट किया। एक बात।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में, परम्परा में, नियमों में विश्वास रखते हुए इनके विरुद्ध यह कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में वे हैं उसने इसे पारित किया है, कांग्रेस पार्टी के मन्त्रीगण भी उसमें हैं तो जब बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह प्रश्न रखा, उसको एग्जामिन किया और फिर उससे सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में स्वीकार किया और इसके बाद, इतना ही नहीं विरोधी दल के सदस्यों ने नहीं, गृह-मन्त्री ने खुद ने कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन में इसे सदन में प्रस्तुत किया। "कार्य सलाहकार समिति की बैठक ११ अगस्त को हुई। ११ अगस्त से २२ अगस्त तक के लिये लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह समिति सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न है। १८ अगस्त को श्री बृजसुन्दर शर्मा के विरुद्ध नियम ११६ के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर विचार।" यह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश है जिसको सदन में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कांग्रेस के किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की। सर्व सम्मति से जिसको स्वीकार किया गया।

Page No 70

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : अगर आप बोलने देते हैं तो आपकी मरजी है। मेजोरिटी के बल पर धींगा–मस्ती करना चाहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहिले आपत्ति करने का समय कहां था ?

श्री मूलचन्द डागा : इन दो चीजों को सम्मिलित नहीं किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि एडवाइजरी कमेटी ने इसे कार्य सूची में नहीं रखा ? क्या होम मिनिस्टर ने मोशन नहीं रखा सदन में कि १८ अगस्त को सदन में इसे लिया जावेगा, यूनानिमसली इसे स्वीकार नहीं किया ? और क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में से एक ने भी इस पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की ? और मैं समझता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नो इन्टरप्शन।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : मैं इसके सम्बन्ध में इसके साथ ही साथ १२४ धारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने तो १२१ तक ही पढ़कर छोड़ दिया बारहखड़ी यहीं तक पढ़ी और आगे नहीं चले। उसमें लिखा है :

Rule 124—"Allotment of time and discussion of motions- The Speaker may after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion."

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir,.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बीच में पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, मन्त्रियों की उपस्थिति में, गृह मन्त्री महोदय श्रीमान् दामोदरलालजी व्यास, परसरामजी मदेरणा गिरधारीलालजी व्यास, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, खुद रामनारायणजी जो अब यहां आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं वे इस कमेटी में मौजूद थे वहां पर इन्होंने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। आज यह अन्तरात्मा की आवाज आपकी एकाएक कहां से बदल गई ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कांग्रेसमैन की काँशस की बात नहीं कह सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिंडीकेट कांग्रेस के लिये प्रचार भी आप ही कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, नियम स्पष्ट है। यह सदन जानता है पिछली बार भी आपने इसको स्वीकार कर लिया था। यह तो स्पीकर की ऑथोरिटी को फ्लाउट कर रहे हैं, चैलेन्ज कर रहे हैं। यह आपका कन्टेम्प्ट है।

श्री अध्यक्ष : इस सीमा तक तो मत जाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। हम इस सीमा तक नहीं जावेंगे, पर कांग्रेसवालों को आप पर भरोसा नहीं होगा।

मैं इस सन्दर्भ में सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि संसद का अधिवेशन हुआ था। संसद के सदस्य थे एक श्री मुद्गल। उनके विरुद्ध भी एक मेम्बर का मिसकण्डक्ट का पालियामेन्ट में प्रस्ताव आया था आपको इसकी जानकारी होगी। इसके सम्बन्ध में वहां संसद की एक कमेटी बनी उसमें टी. टी. कृष्णमाचारी, दुर्गाबाई आदि सदस्यों की एक समिति बनी। उन्होंने मुद्गल के आचरण के सम्बन्ध में जांच की।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें तो एडमिसिबिलिटी का ही प्रश्न है। कमेटी का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मुख्य सचेतक क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता, इनसे पान थुकवा दीजिये। तब कहिये। कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति यह भी है कि यह मोशन डिफेक्टिव है। यहां आ नहीं सकता। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

(१.म.प.)

इस प्रकार की चीज पालियामेन्टरी प्रेक्टिस में जहां पर मेम्बर्स के मिसकण्डक्ट के बारे में, फ्राड के बारे में या कोई सिलसिले में ले सकती है या नहीं, अध्यक्ष महोदय……

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह किसी ने नहीं कहा कि……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव अधूरा है, स्पेसिफिक चार्जेज नहीं हैं……

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदनसिंह दांता।

(माननीय श्री मदनसिंह, दांता बोलते रहे)

ऑर्डर प्लीज!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पालियामेन्टरी प्रेक्टिस और पालियामेन्टरी प्रिविलेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और बातों के बारे में बाद में निवेदन करूंगा। जिस प्रस्ताव की सूचना दी है वह ५ पृष्ठों में दी है। सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये। सरकार से जानकारी लेने के बाद अध्यक्ष महोदय ने एडमिट किया है, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव किया है, हाउस ने इसको अप्रूव किया है। अब यह हाउस होता है, इसे १८ तारीख को प्रस्तुत करना है या नहीं, जितनी आपत्तियां हैं वह नियमों के विरुद्ध हैं, कोई तथ्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर ऑर्डर, ऑर्डर! माननीय नेता महोदय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सतीशजी ने जो बात

Page No 72

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कही है उसका स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस प्रश्न को जो तय किया था कि १८ तारीख को लिया जाय तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी इसके एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एडमिसिबिलिटी का निर्णय लिया है, हमने आपत्ति उठाई है वह अलग है क्योंकि कोई स्पेसिफिक चार्जेज नहीं है, इसमें कोई डेट नहीं है। माननीय मंत्री महोदय पर चार्जेज लगाये हैं वह किसी प्रकार के चार्जेज नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वही पुनरावृत्ति। मैं रिपीटिशन नहीं अलाउ करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये यह आवश्यक है, क्योंकि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में वही प्रश्न रखे जाते हैं जो........

श्री अध्यक्ष : वह आप फरमा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बराबर बोलते रहे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्यों की आपत्ति पर........

(बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) विरोधी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। उधर की तरफ से जो आपत्ति उठाई उसमें हवाला रूल ऑफ प्रोसीजर ११९ और १२१ को दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष तो नहीं कहना है लेकिन माननीय सदस्य जो जोहरी बाजार से आये हैं उनकी दलील एक हद तक वकत रखती है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मुझे चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या अनियमिततायें हुई हैं कोई अनुमान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है किन्तु एडमिसिबिलिटी का जो प्रश्न है वह मेरे खयाल से इस सदन के समक्ष उठाना निरर्थक है। रूल ऑफ प्रासीजर १२२ धारा इस बारे में स्पष्ट है, और अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में अधिकार है। मैं इसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं—

"Speaker to decide admissibility of motion. The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि आया यह प्रस्ताव एडमिसिबिलिटी करने के योग्य है या नहीं। अब एडमिसिबिलिटी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद १२४ धारा के ऊपर मैं निवेदन करूं, मैं पढ़ ही दूं—

"Allotment of time and discussion of motions. The Speaker may after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion."

Page No 73

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे ख्याल में इन दोनों धाराओं को पढ़ने के बाद यह मामला बिलकुल स्पष्ट है और जो प्रस्तावक है उसको प्रस्ताव करने की अनुमति के सम्बन्ध में कोई विचार करने की गुंजाइश नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें दो पॉइंट निवेदन करने हैं-एक इसमें जा विवाद उत्पन्न किया गया है वः यह है कि जो मोशन, प्रस्ताव करने के निर्देश हैं उस में डिटेल देने का कोई प्रोविजन है नहीं, स्पीकर को खुश करने का सवाल है, स्पीकर साहब कनविन्स हो गये इसलिये आपने अलाउ किया है और इसी लिये यह हाउस में आ गया। उसके बाद अब रिव्यूज करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जो बिजिनेस सरक्यूलेट हो चुका है अब उसको डिसअलाऊ नहीं किया जा सकता है, किसी भी ऐसे ग्राउंड पर जो नियमों के अंतर्गत नहीं हैं इसलिये मेरा निवेदन है इस बात को ध्यान में रखें। प्रस्ताव में डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। मोशन अपने आप में स्पष्ट है। इसमें केवल स्पीकर को खुश करने की आवश्यकता होती है, और इसमें जो कारण बताये हैं उनमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपने अनुमति दी है, सरक्यूलेट हुआ है, सरक्यूलेट होने के बाद अब आपत्ति करने को आवश्यकता नहीं है......

श्री मदनसिंह: ऑन ए पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय अग्रवाल जी ने एडवाईजरी कमेटी के सम्बन्ध में कहा है और भी कभी-कभी मिनिस्टरों पर आरोप लगे हैं। कोई मालूम हो नहीं पड़ता है क्या डिटेल है न मालूम क्या-क्या कुलड़ी में गुड़ फोड़ लेते हैं। इसलिये मैं समझता हूं आरोप वेग हैं। एक सदस्य जोने ही नहीं वह क्या बहस करेगा? श्री बृजसुन्दरजी मिनिस्टर के सरकारी पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम अनुचित प्रकार को सम्पत्ति हड़पी है-व्हाट इज दैट सम्पत्ति क्या है कैसा है कोई पता नहीं। क्या मालूम क्या-क्या हुआ होगा..

श्री अध्यक्ष: आपने बता दिया। मैं आपका दृष्टिकोण समझ गया। यह संक्षिप्त फार्म में है।

श्री मदनसिंह: मैं मानता हूं इस प्रकार के...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं आपका दृष्टिकोण समझ गया हूं। यह इसमें संक्षिप्त फार्म में है। आप बैठिये।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह प्रस्ताव --अभी जो इसके बारे में चर्चा की गई है। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ५ पेज का प्रस्ताव है। उसमें ऐसा अंकित किया गया है कि श्री बृजसुन्दरजी की पत्नी द्वारा २१-६-६७ को कोई जमीन खरीदी गई उसके सम्बन्ध में यह चर्चा की है। २१-६-६७ इसका मतलब दो साल और तीन महीने हो गये हैं......

श्री अध्यक्ष: रीसेंट ऑकरेन्स का नहीं है?

श्री शंकरलाल: उसमें वह 'डील' है। मैं पढ़ देता हूं--

Page No 74

(श्री शंकरलाल)

"It shall be restricted to a matter of recent occurrence;"

अगर दो साल और तीन महीने की ऑकरेन्स है और अगर इसको आप रीसैन्ट ऑकरेन्स समझते हैं तो मैं समझता हूं इसकी एडमिसिबिलिटी हो सकती है और मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्य के ख्याल के अन्दर दो साल तीन महीने पहले की घटना याद नहीं हो तो वह कोई विवाद नहीं कर सकता है। किसी भी नियमों में इसको रीसेन्ट ऑकरेन्स नहीं कहा जा सकता है। कोई रीसेन्ट आकरेन्स हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। किसी और प्रोसीजर के जरिये इसको उठा सकते हैं, लेकिन ११६ के तहत जो भी प्रस्ताव या मोशन आयेगा वह रीसेन्ट ऑकरेन्स का होना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात।

श्री शंकरलाल : १२४ का जो जिक्र किया है वह तो एलॉटमेंट के बाबत है। एलॉटमेंट—

"Allotment of time and discussion of motions."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में चर्चा का विषय निर्धारित करेंगे। दो आपत्ति और है और वह यह है कि १२१ के क्लॉज दो के अन्दर पूरे प्रस्ताव को जब हम पढ़ते हैं तो इससे मालूम होता है कि यह ज्यादा डिफेमेट्री स्टेटमेंट से भरा हुआ है। आप जांच करें तो उस घटना की जांच करें, जांच के लिये प्रस्ताव रख सकते हैं लेकिन अनुचित प्रकार से प्रस्ताव लायें और कहें कि सरकार को घाटा पहुँचा कर निन्दनीय कार्य किया गया है, मैं समझता हूं कि यह डिफेमेट्री स्टेटमेन्ट है और डिफेमेट्री होने के कारण से यह ११६ के तहत में इस मोशन को नहीं कहा जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर कौन से के तहत आयेगा ?

श्री शंकरलाल : यह आप देखिये कि किस प्रोसीजर से इसका उल्लेख कर सकते हैं। आप दूसरे रास्ते से करें यह आपके ऊपर है लेकिन जो रास्ता आपने अपनाया है इस घटना की चर्चा के लिए ११६ के तहत मैं समझता हुं वह लागू नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए इतना निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों बोल रहे हैं, यह मामला प्रिविलेज कमिटी में भी आ सकता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो कह रहा हूं कि मेटर प्रिविलेज कमेटी में भी रैफर हो सकता है इसलिए आप कुछ न कहें क्यों कि आप चेयरमैन हैं कमेटी के।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आप बाद में भी कह सकते हैं।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिसिबिलिटी ग्रॉफ दी मोशन का क्लाज है—

Speaker to decide admissibility of the motion....

मेरा निवेदन यही है सदन के समक्ष कि यह मोशन सदन के समक्ष है ग्रौर समस्त सदन के सदस्यों के समक्ष ग्राने से पहले माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने इसका एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में निर्णय लेना था ग्रौर वह सदन के समक्ष ग्राना था। यह मोशन रखा गया है मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का ग्रधिकार इस एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में माननीय ग्रध्यक्ष ने इस मोशन पर कुछ बातों को लेकर एक्सपार्टी निर्णय दिया है। वह कुछ बातों से एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, ग्रौर उसके लिये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस १२१ धारा में है:—

"It shall raise substantially one definite issue. it shall not refer to the conduct or character of person except in their public capacity;"

कई बातें ऐसी हैं कि सदन के सामने प्रस्तुत करने से सामने ग्राती हैं, ग्रौर इसलिये मैं सदन का ध्यान १२५ की तरफ ग्राकर्षित करना चाहूंगा : "Speaker to put question at the appointed time. The Speaker shall at the appointed hour on the alloted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the original question."

The original Question, Sir, is whether the question can be discussed or not and I request the Hon'ble Speaker to put certain questions with regard to the admissibility of the question. Ex-parte question has come before the House...

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : It is not the ex-parte.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : Whether it is of a recent occurrence and whether it comes beyond the prescribed limitations certain questions are to be put. I, therefore, request the Hon'ble Speaker to decide and put up the question..

श्री ग्रध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। There are distinction in rule 121 and 122, ग्रौर जो निर्णय व्यवस्था का इस पर करने वाले हैं उससे भविष्य में भी हमारे सदन की कार्यवाहियों में किसी प्रकार का व्यवधान न हो ग्रौर सब बातों को विचार करते हुए श्रीमान् को निर्णय करना है। इसलिये मैं ग्रपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

नियम १२१ के प्रावधान है प्रि-रिक्विजिट का ग्रौर प्रि-रिक्विजिट इस बात के हैं कि स्पीकर महोदय जब मोशन की एडमिसिबिलिटी के ऊपर विचार करेंगे तो उसके पहले हमें यह मानकर चलना होगा। as the language of there two provisions stand and I have to read it before the House. इनके प्रि-रिक्विजिट्स को कन्सीडर करने के बाद ही

Page No 76

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

डिसकशन की अनुमति स्पीकर महोदय दे देते हैं।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि सदन के सामने जब समय निश्चित हो गया और विचार के लिये मोशन रख दिया गया तो क्या सदन के माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि जो अनुमति प्रदान कर दी गयी उस पर आलोचना करें। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि १२१ में प्रि-रिक्विजिट्स को कन्सीडर करने के बाद १२० के प्रावधान आये। स्पीकर महोदय ने अपना निर्णय दे दिया और १२२ के प्रॉवीजन्स भी समाप्त हो गए और इसके पश्चात् समय भी निश्चित कर दिया गया। समय निश्चित करने के बाद जो अभी प्रावधान १२५ का आपके सामने प्रस्तुत किया गया उसका आशय यह कभी नहीं होता कि १२१, १२२ और १२४ के प्रावधान को नलीफाई कर दिया गया, और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आसन के सामने उपस्थित होंगे। उन मुद्दों के ऊपर यदि आसन चाहे तो माननीय सदस्यों से या किसी से भी कोई जानकारी करे या ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनका निराकरण कर सकते हैं। हो सकता है, मैं तो यह कहूंगा कि हाउस की ऑथोरिटी को सुप्रीम मानते हुए भी हमें नियमों की अनुपालना करनी होगी और आसन ने कोई व्यवस्था दे दी तो यह कहना कि जो व्यवस्था १२२ के तहत आसन ने दी है मोशन को एडमिट कर लिया है, अब उसकी एडमिसिबिलिटी को चेलेन्ज नहीं कर सकते। यह चाहें तो दूसरे नियमों में प्रावधान है। कोई निर्णय हो जाता है और उसके प्रतिकूल आप दूसरा मोशन ला सकते हैं कि इस पर विचार किया जायेगा। जो आसन ने निर्णय लिया है वह हो चुका है और उसके प्रतिकूल आज अधिकार किसी भी नियम के तहत प्राप्त नहीं होते कि हम यह कहें कि जो आसन ने निर्णय लिया है वह बिलकुल गलत निर्णय लिया है। अगर इन परम्पराओं को निभाने की कोशिश करेंगे या नयी परम्परायें कायम करने की कोशिश करेंगे तो जो भी व्यवस्था आसन देगा वह प्रिसिडेन्स के रूप में हमारे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये ठीक नहीं होगी, और हम विशेष प्रकार की आपत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सदन की कार्यवाही को ठीक चलाने की दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार निर्णय होने के बाद उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता और उसकी डील करने के लिए यह चेप्टर १३ है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। स्थान ग्रहण करें।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोशन की एडमिसिबिलिटी के मुताल्लिक चैप्टर १३ है और इसमें धारायें ११९ से लेकर १२८ तक हैं। धारा ११९ हमें यह बतलाती है कि जो मेटर हो वह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का होना जरूरी है। इसके मुताल्लिक कोई एतराज नहीं है। जब मेटर पब्लिक इम्पोर्टेन्स का होता है तो कन्डीशन्स ऑफ एडमिसिबिलिटी का प्रश्न पैदा होता है और कन्डीशन्स क्या है वह रूल १२२ में ले डाउन की गयी है। जब आनरेबल स्पीकर ने इस मोशन को मेटर ऑफ पब्लिक इम्पार्टेन्स मानते

Page No 77

(राजवी श्री रूपसिंह)

हुए व कन्डीशन्स जो रूल १२२ में ले डाउन की गयी हैं उसको देखते हुए एडमिट किया गया है। ऐसी सूरत में अब यह कहने का हक नहीं है कि यह गलत तौर से एडमिट हुआ है। इसके अलावा यह मेटर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास गया और वहां से तय होकर ऑफिस में आगया। वहां उसमें डिस्कस करने को रख दिया गया है ऐसी सूरत में हाउस में यह आब्जेक्शन उठाया ही नहीं जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह मेटर रीसेन्ट ऑकरेन्स का नहीं है इसके लिए मैं कहूंगा कि यह पहले भी असेम्बली के पिछले सेशन में रेज किया गया था और उस समय किसी कारण से नहीं आ सका था। जब एक बार आनरेबल स्पीकर ने मोशन को एडमिट कर लिया तो फिर इन रूल्स के अनुसार हाउस को कोई राइट नहीं होता है कि उसको चैलेन्ज कर सके। यह मानना होगा कि हाउस सुप्रीम है लेकिन जो फैसला आनरेबल स्पीकर ने किया है वो अपने अख्तियारात के मुताबिक किया है तो ऐसी सूरत में हाउस को उसे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है।

लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना चाहिए। जब कि भ्रष्टाचार के आरोप में जब कि कई मंत्रियों के नाम हैं। सो उनके खिलाफ भी एन्क्वायरी होना चाहिये ताकि मालूम हो सके कि कौन-कौन भ्रष्टाचारी हैं। कुछ चन्द मिनिस्टरों को छोड़ कर बाकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जामात हैं।

श्री मदनसिंह : आपने पहले आरोप लगाया था शिवचरण माथुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का। यह चले गये और फिर आकर बैठ गये। उस एन्क्वायरी का क्या हुआ? मिनिस्टरों के खिलाफ यहां पर आवाज उठाते हैं और घर पर जाकर दब जाते हैं। शिवचरण माथुर का क्या हुआ? जब तक उसकी एन्क्वायरी नहीं होगी तब तक यह नहीं होगा।

राजवी श्री रूपसिंह : भ्रष्टाचार की एन्क्वायरी होनी चाहिए और ऐसे आदमी द्वारा एन्क्वायरी होना चाहिए जो की इन्डिपेन्डेन्ट ख्यालात का हो व ईमानदार हो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है वह एक बुनियादी सवाल है। प्रश्न यह है कि आसन जब यह तय करता है कि कौनसा मसला हाउस के सामने आये और कौनसा नहीं आये उसके बाद सदन क्या यह तय कर सकता है कि वह मसला सामने आये ही नहीं। जहां तक हाउस में किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रश्न है स्पीकर जो सब सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको अधिकार है यह तय करने का कि यह मसला सदन के अन्दर आयेगा। उनको विनिश्चय करने का, सदन में एडमिट करने का अधिकार है। अगर इस तरह से सदन तय करने लग जाय कि सदन में कोई चीज आये या न आये और बहुमत से किसी बात के लिये यह करते हैं कि सदन में नहीं आये तो ठीक नहीं। डेमोक्रेसी का फण्डामेण्टल प्रिन्सीपल है कि लोकसभा के स्पीकर का या संसद के स्पीकर का अधिकार है कि कौनसा मसला सामने आये और कौनसा मसला सामने नहीं आये और उसके बाद हाउस में चर्चा करें और

Page No 78

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा करके निर्णय करें जिससे यदि वह बेकार होता है तो मैं समझता हूं कि कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके अनुसार जो आसन ने निर्णय दे दिया हाउस में प्रस्तुत करने का उसको चैलेन्ज किया जा सके (विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर) पॉइंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा। पाइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ नहीं उठाया जा सकता है। मेरा इसमें यही निवेदन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब मैं कोई समय इस पर नहीं दूंगा। मैं व्यवस्था देता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें उसके पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरी बात पहले सुन लें मैंने आधा मिनट मांगा है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी आधा मिनट दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि अगर सबकी मन्शा यह हो रही है कि सरकारी पक्ष यदि यह चाहता है कि इस प्रस्ताव को नहीं रखा जाय और लेने में जितने रोड़े अटकाये जा सकते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेने का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : रोड़े अटकायें। अगर इस प्रकार से इसको टालने की इच्छा है तो स्पष्ट कह दें और रूल्स का बहाना नहीं लें। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि इस प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है और रूल्स के अन्तर्गत स्वीकार किया है। जो कुछ मैंने चार्जेज लगाये थे उन चार्जेज को कन्सोलिडेट फार्म में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने हाउस में सर्क्यूलेट किया है। अगर आप यह समझते हैं कि इस प्रकार से रोड़े अटकाने से विधान सभा में नहीं रखा जायगा तो आप लोगों को भ्रम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें कि इस पर बहस करें या नहीं इस प्रश्न पर डिबेट अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बेकार समय जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको बहुत संक्षेप में रख रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पॉइंट, पॉइंट आउट करना चाहता हूं।—Rule 122 lays down that the Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

श्री अध्यक्ष : कौन सा रूल है ?

Page No 79

श्री पी० के० चौधरी : रूल १२०, १२२ तो मेरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, कि स्पीकर के करने के बाद भी सदन के सदस्यों को अधिकार है पाइंट आउट करने का, वेदर दी मोशन सेटिस्फाइज दी कन्डीशन ऑफ १२१। १२१ के अन्दर सदन के माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं और माननीय सदस्य श्री शंकरलाल ने यह पॉइंट आउट किया है कि १२१ की एडमिसिबिलिटी की कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं किया है इसलिए स्पीकर को पाइंट आउट किया है कि इट डिडन्ट सेटिस्फाई दी कन्डीशन ऑफ आर्टिकल १२२।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न आ चुका है।

श्री पी० के० चौधरी : इट सेटिस्फाइज....

श्री अध्यक्ष : मैंने समझ लिया है। श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, सरकार पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के जीवन-मरण का सवाल है और आप भ्रष्टाचार के मामले पर बहस नहीं करने दे रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या आश्चर्य हुआ ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जितनी ही कांग्रेस में सच्चाई प्रकट होगी उतनी ही वह संस्था जीवित रहेगी और सच्चाई को जितना ज्यादा दबायेंगे उतनी ही संस्था मरेगी। अग्नि-परीक्षा का सवाल है जैसे कि राम सीता के विषय में जानते थे कि सीता शुद्ध है फिर भी उनकी अग्नि-परीक्षा ली। उस अग्नि-परीक्षा से गुजरते हैं तो उस अग्नि-परीक्षा से उनको क्यों रोकते हैं ? वे चमकते हुए बाहर निकलेंगे और दुनिया जानेगी कि हमारे राजस्थान के मंत्री श्री बृजसुन्दरजी शुद्ध और सच्चे थे लेकिन उन पर दोष लगाया गया तो वे दोष से बरी हुए। उन्हें दोष से बरी होने का मौका दिया जाय और अग्नि-परिक्षा में से निकलने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न वे सीता हैं और न ये राम हैं।

श्री अध्यक्ष : पाली से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय श्री शंकरलाल, माननीय श्री चौधरी एवं अन्य सदस्यों ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो स्वीकृति इस प्रस्ताव पर दी गई है वह स्वीकृति नियमों के अन्तर्गत उचित नहीं है। एवं साथ ही माननीय सदस्यों ने नियम ११९, १२१, १२२ और १२५ और अन्त में चलते हुए एक दो और दूसरे नियमों की ओर संकेत किया है। मैं पहले इस सम्बन्ध में उठाये गये एक छोटे कानूनी मुद्दे का निराकरण कर देना उपयुक्त समझता हूं। १२२ और १२५ के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य श्री नाहर ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, प्रश्न ऐसा नहीं था शायद माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कुछ कन्फ्यूजन हुआ है इन दोनों के विश्लेषण में "The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be forthwith put every quest on necessary to determine the decision of the House on the original question." ज्योंही विवाद एवं प्रश्न, इस आसन के सम्मुख सदन से निर्णय प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत

(श्री अध्यक्ष)

होते हैं उन्हें १२५ के अन्तर्गत The question is always put to the House. इसलिये १२२ और १२५ का प्रश्न नहीं है। १२२ सिर्फ एडमिसिबिलिटी से सम्बन्ध रखता है। अगर आपकी मान्यता को मान लिया जाय तो सब प्रश्न जो एडमिट किये जायें, वे हाउस के सामने रख कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने पर ही किये जा सकेंगे फिर स्पीकर की आवश्यकता नहीं रहती है यदि १२५ का लिबरल इन्टरप्रिटेशन कर दिया जाय।

दूसरा प्रश्न है १२२ में एडमिसिबिलिटी का "The speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules."

जहां तक एडमिसिबिलिटी का प्रश्न है यह एक संवैधानिक और विधि का प्रश्न है। एडमिसिबल होने के बाद, स्वीकृति देने के बाद भी यदि कोई ऐसा कानूनी प्रश्न अगर उपस्थित कर दिया जाय माननीय सदस्यों द्वारा, जो कि स्पीकर के एडमिसिबिलिटी का प्रश्न डिसाइड करते वक्त सामने नहीं आया हो तो उस पर पुनः विचार करने में कोई अनुचित बात नहीं है। आपका कोई विशेष प्रश्न संविधान का है, कानून का है, जो उस स्वीकृति देने के समय अध्यक्ष के सम्मुख न आ सका तो यह सदन जो सुप्रीम है इस प्रश्न को उठा सकता है, उठाने के प्रश्न पर यह नहीं कहता कि अध्यक्ष के सम्बन्ध में कोई विपरीत प्रभाव हो, ऐसा नहीं मानता। और न मैं यह मानता हूं कि ऐसे प्रश्न को पुनः उठाने पर अध्यक्ष के अधिकारों का कोई हनन है। ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह प्रश्न जो यहां पर उठाया गया है, उसके संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रजातान्त्रिक परम्पराओं, जनतांत्रिक प्रणाली एवं प्रशासनिक मशीनरी आदि प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रणाली यह रही है कि सत्ताधारी दल एवं उसके नेता, जो सदन के नेता कहे जाते हैं और इसी तरह से विरोधी दल में भी विरोधी दल के नेता अथवा विरोधी दलों के नेता जो विभिन्न पार्टियों को रिप्रेजेण्ट करते हैं इस प्रणाली के सन्दर्भ में ऐसे प्रस्तावों की सूचना उनको दी जाना पर्याप्त रहती है। माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस प्रस्ताव में भाषा सीमित है, तथ्य सिमित हैं। मैं इस प्रणाली के सन्दर्भ में, माननीय सदस्यों के सम्मुख अपने विचार रखना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न आने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। सदन के नेता के सम्मुख एवं सम्बन्धित मंत्री को प्रस्ताव की मूल प्रतिलिपि भेज दी गई। उसके बाद नेता महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त हो गया। उस उत्तर को देख कर जो तथ्य इस प्रस्ताव में थे उसका संक्षेप में उद्धरण दे दिया जाता है। प्रायः ऐसे संकल्पों में प्रस्ताव की मूल प्रति सदन के नेता के पास निराकरण प्राप्त करने को भेज दी जाती है उसका उत्तर पाने के बाद यह प्रश्न, एडमिसिबिलिटी का तय किया गया है। अतः प्रस्ताव के आरोप और माननीय नेता महोदय के द्वारा किया गया स्पष्टीकरण इन दोनों को एडमिसिबिलीटी पर विचार करते समय दृष्टिगत रखा गया। प्रश्न यह पैदा होता है कि नेता महोदय के निराकरण के बाद स्वतन्त्र दल के माननीय सदस्य यह प्रश्न उठायें कि यह हमारे सामने

Page No 81

(श्री अध्यक्ष)

क्यों नहीं आया ? यह प्रश्न ऐसा है कि जो सभी पार्टियों से सम्बन्ध रखता है। अतः यदि नेता को प्रश्न की जानकारी दे दी गई तो अलग-अलग जानकारी देने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने १२१ के अन्तर्गत उठाया है, जिसके अन्तर्गत तथ्य अपमानजनक होने पर संकल्प को स्वीकार न किये जाने का उल्लेख है डिफेमेशन की परिभाषा की जाय तो बड़ी लम्बी है। संक्षिप्त में यह कि वह आरोप जो किसी के सम्मान पर आघात पहुँचाता हो, तो उसे साधारणतया डिफेमेशन कहा है। किन्तु यह प्रश्न सारा तथ्यों के आधार पर है। तथ्यों से क्या भावना निकलती है ...

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मुझे.......

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य ! आसन अपने पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिंह दांता : आर्डर आप दे रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : इस लिये इस स्थिति में जब १२१ की भाषा से जो ध्वनि निकलती है वह इसमें नहीं निकलती है। जो रीसेन्ट अकरेंस के सम्बन्ध में कहा गया है, उसका उदाहरण न देते हुए गये सत्र में भी यह था। फिर भी आरोप है। इसलिये रीसेन्ट अकरेंस को इतना सीमित करना इस सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं है।

दूसरा प्रश्न डेफीनेट भाषा का है। डेफीनेट भाषा को इस सीमा में बांध दिया जाये कि वह एक ही तथ्य में होनी चाहिये। यदि एक बात का दूसरे म लिंक है तो वह इन-डेफीनेट ही समझा जायगा। मैं इन सारे प्रश्नों पर अधिक विवेचन नहीं करना चाहता। चूंकि यह प्रश्न मैंने एडमिट कर लिया है और एडमीशन के बाद ऐसे कुछ नियम माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि मैं अपने पूर्व निर्णय को बदलूं। इस आधार पर मैं माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है, उसको स्वीकार नहीं करता।

तो मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न को रखने का अनुमति देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : पॉइंट आफ आर्डर १२१ के अन्दर ...

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने जो पॉइंट आफ आर्डर उठाया है वह यह है कि........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : (श्री व्यास से) मैं उसे रूल आउट करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय यह मामला सब-जूडिस है।

श्री अध्यक्ष : मैं रूल आउट करता हूं, इस सन्दर्भ में।

आर्डर ! आर्डर !

श्री भैरो सिंह : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी........

Page No 82

श्री मदनसिंह दांता : बृजसुन्दर जी के पास जितनी जमीन है उससे ज्यादा जमीन.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। आर्डर ! आर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मदनसिंह जी की इच्छा हो उधर ही सीट एलॉट कर दें।

श्री मदनसिंह दांता : उनके सामने घुटने टेकना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने पांइट ऑफ आर्डर के जरिये इस बात की आपत्ति उठाई थी, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका विस्तार से उल्लेख नहीं है। इस कारण सदन के सदस्य वास्तविकता की जानकारी से महरूम रहते हैं; प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।"

श्री मूलचन्द डागा : यह चीज दो दिन पहले करनी चाहिए थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसके साथ-साथ निम्नांकित जो प्रस्ताव, मैंने माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है, उसे सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

राज्य विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम ११६ के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—यह सदन राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा को निम्नलिखित विषय में उनके अनुचित आचरण के लिए निन्दा करता है:—

(१) जयपुर के दैनिक राष्ट्रदूत के ६ मई के अंक में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार बृजसुन्दर शर्मा ने पत्नी को नाजायज तौर पर जमीन दिलवाई– अदालतों में हेरफेर का षडयन्त्र का श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दिनांक २१-६-६७ को श्री शर्मा ने अपनी पत्नी श्रीमती रक्षा देवी के नाम से ग्राम नान्दना (बड़गांव) तहसील लाडपुरा जिला कोटा में २८ बीघा कृषि भूमि के क्रय का रजिस्ट्रेशन कराया है।

(२) श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि उनकी पत्नी ने २५० रु० प्रति बीघा की दर से ६,२५०) रुपये में श्रीमती ईदथ जैकब से उक्त भूमि खरीदी है।

(३) श्री बृजसुन्दर शर्मा के बयान से यह भी स्पष्ट है कि इस भू-खण्ड पर श्रीमती इदिथ जैकब व श्री जगन्नाथ का परस्पर विवाद था।

(४) श्री शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात को भी लिखा है कि श्रीमती जैकब के पास जो स्वयं शिक्षित महिला है और कानून की जानकार है, ५८ बीघा जमीन थी और उसी में से २५ बीघा जमीन मेरी पत्नी के नाम खातेदारी हक बेचे गये हैं। क्योंकि

Page No 83

(श्री भैरोंसिंह)

श्रीमती जैकब इसकी खातेदार रही है, इसलिए उन्हें ही उसे बेचने का हक था।

(५) खसरा नं० २६ की यह भूमि चम्बल कमाण्ड एरिया में आती है जिस पर राजस्थान टैनेन्सी एक्ट ५५ की धारा १५ (ए) के अनुसार किसी को भी खातेदारी हक नहीं मिल सकते और इस कारण श्रीमती जैकब इस भूमि की खातेदार नहीं बन सकती। इसके अतिरिक्त यह भूमि सरकारी है जिस पर सरकारी नियमों के अतिरिक्त किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं हो सकते।

(६) तहसील लाडपुरा के उक्त ग्राम की खतौनी सं० ११४ जमा बन्दी सं० १०८ खसरा नं० २६ की ५८ बीघा जमीन-खालसा दर्ज है जिसमें जगन्नाथ को गैर खातेदार बताया गया है। यह भूमि मन्दिर मथुरेश जी की माफी की थी जो जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत दिनांक १-१-५९ को खालसा हो चुकी थी।

(७) श्रीमती जैकब, जो जाति से इसाई है, इस समय कोटा के ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र छत्रपुरा, कोटा में इन्सट्रक्टर के पद पर नियुक्त हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वह झालावाड़ जिले के पिड़ावा स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त थी। राज्य सेवा नियमों के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी को अपनी सम्पत्ति की जानकारी राज्य सरकार को देना अनिवार्य है, परन्तु श्रीमती जैकब ने आज तक ऐसी जानकारी नहीं दी।

(८) एस. डी. ओ., कोटा की अदालत में इस विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करने तक श्रीमती जैकब का राजस्व विभाग के किसी भी लैण्ड रिकार्ड में किसी भी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं था जिससे यह प्रकट होता है कि श्रीमती जैकब इस विवादास्पद भूमि पर कभी काबिज व काश्तकार नहीं रही।

(९) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, ५५ के अनुसार, अनुसूचित जन-जाति के किसी काश्तकार की भूमि कोई सवर्ण नहीं खरीद सकता। अतः इस बन्धन से बचने हेतु श्रीमती जैकब का उपयोग किया गया है।

(१०) श्रीमती जैकब शिक्षा विभाग की सेवा में होने के कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री शर्मा के प्रभाव में थी और यह दावा श्री शर्मा की सलाह से प्रस्तुत कराया गया। यह इससे भी और पुष्ट होता है कि जिस दिन श्रीमती जैकब के पक्ष में इस दावे का निर्णय हुआ उसके दो दिन पश्चात् ही इस भूमि का श्रीमती रक्षीदेवी को विक्रय कर दिया गया।

(११) इस दावे में जगन्नाथ को प्रतिवादी बनाया गया जिसने बिना सम्मन्स मिले ही अदालत में आकर श्रीमती जैकब के पक्ष में पहली तारीख यानी १५-९-१९६६ को ही अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर दिया। इस पर अदालत ने उस ही दिन बहस सुन कर दिनांक १६-९-१९६६ को निर्णय देने की तारीख निश्चित कर दी।

(१२) उपरोक्त दावे में श्रीमती जैकब ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की थी परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा १५ (ए) के अनुसार चम्बल कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

दिये जा सकते थे। अतः इस दावे का निर्णय दिनांक १६-६-१६६६ को नहीं हो सका।

(१३) दिनांक १६-६-१६६६ के पश्चात् इस दावे का निर्णय करने हेतु २२-६-१६६६ ३०-६-१६६६, ७-१०-६६, १८-१०-६६, २५-१०-६६, ४-११-६६, २६-११-६६, ३-१२-६६, २०-१२-६६, १८-१-६७, २-५-६७, ३-५-६७' २०-५-६७ की तारीखें डालना बताया गया और अन्त में जाकर यह निर्णय १७-६-६७ को किया जाना बताया गया जिसमें श्रीमती जैकब को इस भूमि पर काबिज मान कर उसको खातेदारी अधिकार दिये गये।

(१४) इस विवाद की फाइल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि—

(१) ३०-६-६६ से १७-६-६७ तक के फर्द अहकामात एक ही दिन में लिखे हुए प्रतीत होते हैं।

(२) १७-६-६७ का दिन जो निर्णय के लिए निश्चित था उस दिन बिना सम्मन दो गवाहान के बयान लिये गये हैं तथा उस ही समय बहस सुन कर निर्णय सुनाया गया। उस ही समय डिक्री तैयार की गई और उस ही दिन तहसील लाडपुरा को तामील के लिए तहरीर लिखी गई।

(१५) आम चुनाव के पश्चात् श्री बृजसुन्दर शर्मा ने दिनांक २६-४-६७ को राजस्व मंत्री का पद ग्रहण किया जिससे श्री खेतपालसिंह, एस. डी. ओ. राजस्व मंत्री के अधीन हो गये। परिणामस्वरूप श्री खेतपालसिंह ने, जिस विवादास्पद भूमि के मामले में २६-८-१६६६ से २०-५-६७ तक श्रीमती जैकब के पक्ष में कानून के विरुद्ध खातेदारी हक देने का निर्णय करने का साहस नहीं किया, दिनांक १७-६-६७ को एक ही तारीख पर निर्णय आदि की उपरोक्त कार्यवाही को बृजसुन्दर शर्मा के प्रभाव के कारण सम्पन्न कर दी।

(१६) श्री खेतपालसिंह इस हो माह की दिनांक १६-६-६७ को राज्य सेवा से निवृत्त हुए हैं। श्री शर्मा ने उनको राज्य सेवा में पुनर्नियुक्ति का प्रलोभन दिया और इस प्रलोभन और अन्य दबाव के कारण निवृत्ति के एक दिन पूर्व फैसला जैकब के पक्ष में करवा लिया।

(१६) श्री शर्मा फैसले के दिन से रजिस्ट्री के दिन तक कोटा में ही रहे। दिनांक १८-७-६७ को रविवार था परन्तु उस दिन स्टैम्प विक्रेता से अधिक कीमत के स्टाम्प्स नियमों के विपरीत खरीदे गये और २०-६-६७ को इस भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, कोटा, में आवेदन-पत्र दिया गया जिस पर दिनांक २१-६-६७ को सर्किट हाउस, कोटा में जहां श्री बृजसुन्दर शर्मा ठहरे हुए थे, रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हो गई। श्री बृजसुन्दर शर्मा ने, जो राजस्व मंत्री तथा एक एडवोकेट होने के नाते सब बात से भली भांति परिचित हैं कि चम्बल कमाण्ड एरिया में भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, अदालत के इस गलत फैसले की आड़ में यह भूमि अपनी पत्नी के नाम से क्रय की है।

(श्री भैरोंसिंह)

(१८) उपरोक्त विवादास्पद भूमि कोटा के मास्टर प्लान में सम्मिलित है और इस कारण यह भूमि काफी मूल्य की है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर अधिकार प्राप्त करने में मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी उल्लंघन किया है।

(१९) उपरोक्त तथ्यों से यह प्रकट है कि श्री शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर कानून एवं नियमों के विपरीत अपनी पत्नी श्रीमती रक्षा देवी के नाम से कोटा में चम्बल कमाण्ड की २५ बीघा जमीन जो कोटा के मास्टर प्लान में सम्मिलित है को क्रय करके अनुचित लाभ उठाया है।

(२०) श्री बृजसुन्दर शर्मा ने कोटा-झालावाड़ सड़क पर हवाई अड्डे के सामने की सड़क पर अपनी पत्नी श्रीमती रक्षादेवी के नाम सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से एक पेट्रोल पम्प का निर्माण कराया है। इस कृषि भूमि को आबादी में आज तक परिणत नहीं कराया गया है। यह भूमि सन् १९६१ में राज्य सरकार द्वारा मोटर रिपेयर वर्कशॉप बनाने हेतु अवाप्त की गई थी। मण्डी कमेटी, कोटा द्वारा सार्वजनिक नीलामी के द्वारा इस भूमि के प्लॉट बनाकर इसे कारखाने आदि के लिए विक्रय किया गया है परन्तु इस भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(२१) उपरोक्त पेट्रोल पम्प के पीछे की १२ बीघा १४ बिस्वा भूमि, जो सन् १९६१ में सरकार द्वारा अवाप्त की गई थी आज तक उक्त पेट्रोल पम्प में रक्षादेवी के साझेदार श्री लक्ष्मीनारायण बूंदी द्वारा अनधिकृत रूप से काश्त की जा रही है। इस भूमि को श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपने प्रभाव के कारण कानून के अनुसार अवाप्त होने के पश्चात् भी सरकार के अधिकार में नहीं आने दिया जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की अवाप्त की गई शेष भूमि में तो प्लॉट काट कर उनका विक्रय कर दिया गया है परन्तु यह भूमि अभी भी श्री लक्ष्मीनारायण के अधिकार में है। इस भूमि को आबादी में परिणत कराने की कार्यवाही चल रही है ताकि इसकी बिक्री से श्री बृजसुन्दर शर्मा तथा उनके मित्र श्री लक्ष्मीनारायण दोनों लाभ उठा सकें।

(२२) श्री बृजसुन्दर शर्मा ने कोटा बूंदी रोड पर बनाये गये कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया है। कृषि भूमि को आबादी में परिणत कराये बिना इस पर निर्माण का कार्य नहीं हो सकता था परन्तु आम चर्चा के अनुसार इस कोल्ड स्टोरेज में श्री शर्मा का बेनामी हिस्सा है। अतः इस अनियमित कार्यवाही को रोकने के स्थान पर उसका उद्घाटन कर श्री शर्मा ने प्रोत्साहित किया है।

(२३) श्री बृजसुन्दर शर्मा ने उपरोक्त अनियमित कार्यवाहियां अपनी पत्नी श्रीमती रक्षादेवी के नाम से की हैं। यह भी इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि श्री शर्मा इन अनियमित कार्यवाहियों से अपनी पत्नी की आड़ में बच सके।

(२४) मोहीपुरा तहसील बून्दी में सुधाकर आत्मज श्री बृजसुन्दर व श्री चन्द्रधर आत्मज विद्यासागर (श्री बृजसुन्दर शर्मा के सम्बन्धी) के नाम मोहीपुरा में भैरूजी की मूंडा की भूमि मिसल नं० १५८ व १५९ पर

Page No 86

(श्री भैरोंसिंह)

१९३९ रु० में नीलाम को गई बताते हैं जो कुल रकबा ७८ बीघा ३ बिस्वा का है। इसकी नीलामी दिनांक १७-३-६८ को बून्दी तहसील में करवाई गई है जिसमें तालेड़ा के दो कांग्रेसी श्री बजरंगलाल व नन्दलाल मिस्त्री की साक्षी कराई गई है। ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया है। ग्राम नीलामी नहीं की गई वरना ग्रामवासी ५०० रु० बीघा देकर भी इसे रखने को तैयार हैं।

(२५) गोविन्दपुर बावड़ी, तहसील बून्दी में श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रक्षादेवी के नाम समीपवर्ती भूमि के नाम से बिना किसी नीलामी के १ बीघा ७ बिस्वा भूमि २२१ रु० में खरीद की है जिसकी मिसल नं० ११६ कायम है और भूमि का खसरा नं० ३८ मि. १५८/६४/२ व ३८ मी. जबकि स्वयं की कोई भूमि इस तहसील में इस स्थान पर श्रीमती रक्षादेवी के खाते में नहीं है।

(२६) रघुनाथपुरा में ४ बीघा १५ बिस्वा भूमि श्री रणजीतसिंह आत्मज श्री बनेसिंह निवासी खण्डेला से पण्डित बृजसुन्दर ने स्वयं के लड़के के नाम पर खरीदवायी जिसका खसरा नं० १२/११ है जिसकी रजिस्ट्री ५ माह पूर्व हुई है। यह भूमि प्रस्तावित मण्डी योजना में है।

(२७) श्री बद्रीनारायण, एस. डी. एम, बून्दी ने श्री बृजसुन्दर शर्मा के सहयोग से अपने लड़के के ससुर माटुन्दा ग्राम में ५० बीघा भूमि ८५.०० रु० बीघा की दर पर एलॉटमेंट कर दी। किसी प्रकार की बोली नहीं लगाई। नीलामी की फर्जी कार्यवाही बताई गई है।

(२८) देवपुरा चरागाह की भूमि खसरा नं० ४ व २ पर ६० बीघा भूमि पर श्री विद्याशंकर कांग्रेस के जिला मन्त्री व केदारमल ओझा मण्डल मन्त्री ने कब्जा कर लिया और करीब २०००) रु० की लकड़ियां कटवा कर ले गये। अधिकारियों ने श्री बृजसुन्दर शर्मा के इशारे पर इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की।

(२९) मोटुन्दा पंचायत के शिवपुरिया ग्राम में चरागाह की भूमि रकबा नं० १६ व ८० बीघा जमीन पर भैंरूप्रकाश, जिला प्रमुख ने उनके भाई शक्ति ने कब्जा करके फसल बोदी और जंगल साफ कर दिया। इसी के पास २०० बीघा चरागाह की भूमि पर शहर बून्दी के पास कांग्रेसी नेता श्री रंगलाल, पूरनचन्द, सबीर अहमद, मोलाबक्श लुहार ने इसी वर्ष कब्जा कर लिया जब कि श्योपुरिया ग्राम के पास काश्तकार श्री गोपी, हरजी, महादेव, मांगीलाल, लादूराम, माधो, देवा, नहर, रामकिशन, जे० पी०, कालू, पम्प, मांगीलाल ने काश्त की और २०२१ में कुल ५३ बीघा ८ बिस्वा पर यह १२ परिवार ट्रैसपासर माने गए। तहसीलदार ने फसलों को बरबाद करवा दिया व बेदखली के मुकदमे चला कर बेदखल करने की आज्ञा सुना दी व जुर्माना कर दिया। इसमें श्री बृजसुन्दर शर्मा ने किसानों का हक मार कर अपने मित्रों को यह भूमि दिला दी।

(३०) बूंदी के मशहूर कांग्रेसी नेता व बृजसुन्दरजी के मित्र श्री जागीरसिंह ने माटुन्दा में दयालपुरा का तालाब की भूमि पेटा काश्त १५० बीघा पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। किसी प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह)

कार्यवाही नहीं की गई। यह भूमि २५,००० रु० से कम की लागत की नहीं है।

(३१) मशहूर कांग्रेसी नेता चमन कादरी ने वन विभाग की भूमि बरड़ा नया गांव में सरकारी भूमि बीड़ नं० २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ४४, ४९/२ कुल रकबा ५५० बीघा १० बिस्वा १० हजार रुपये में श्री उजागरसिंह आदि को बेच कर रजिस्ट्री करवा दी। डी. एफ. ओ., बूंदी ने इस पर केस चलाना चाहा किन्तु श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपने प्रभाव से इस कार्यवाही को शिथिल कर दिया।

(३२) लाखेरी में २०० वर्ष से पानों की खेती करने वाले किसानों को बेदखल कर कांग्रेस के ५ व्यक्तियों के परिवार की एक सहकारी समिति के नाम पर तमाम भूमि एलॉटमेंट कर दी जब कि उक्त भूमि पर ५० परिवार पानों की खेती करते आ रहे हैं। श्री बृजसुन्दर शर्मा ने कलेक्टर, बूंदी की रिपोर्ट के विपरीत राजस्व विभाग से यह एलॉटमेन्ट करवा दिया और अब इस भूमि पर पान की खेती की बजाय ज्वार खड़ी है। इस प्रकार की लूट-खसौट व मनमानी कार्यवाही इस जिले में श्री बृजसुन्दर ने बहुत करवाई है जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये की हानि हुई है।

(३३) श्री बृजसुन्दर शर्मा ने जब वे राजस्व मंत्री थे तो अपने प्रभाव से तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के आलनिया प्रोजेक्ट में स्थित ३५ बीघा भूमि को कानून के विरुद्ध नीलाम न करा कर अपने रिश्तेदारों के नाम एलॉट करवाई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम पर एवम् मित्रों के नाम पर अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुँचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।"

यह प्रस्ताव सदन के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था और उस प्रस्ताव के साथ इससे सम्बन्धित पत्रावली एवम् टेप-रिकार्ड स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जा चुका है। यह मूल प्रस्ताव है जिस प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में अभी चर्चा करनी है। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न विधान सभा में लाए जाते हैं, इससे न तो लाने वाले की शोभा होती है और न जिनके विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल रहता है। मैं स्वयं चाहता हूं कि विधान सभा के प्रांगण में ऐसी कन्सट्रक्टिव बातें रखी जायं जिनसे जन साधारण का सीधा संबंध है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रयत्न करने के बावजूद कि हम इस प्रकार के मसले नहीं उठाएं, सरकार की ओर से किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता और उस व्यवस्था के कारण ये प्रश्न विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न आज से एक साल पहले विधान सभा के सत्र में प्रस्तुत किया गया था, जिस समय विधान सभा अचानक स्थगित हो गई। फिर दुबारा विधान सभा का अधिवेशन आया यह प्रश्न दुबारा उसी रूप में रखा गया, फिर दुर्भाग्य

(श्री भैरोंसिंह)

से विधान सभा स्थगित हो गई और दो बार कोशिश करने के बावजूद यह तीसरी बार अवसर मिला है। इस बीच में लगभग सवा साल का समय हो गया इसलिये चाहे मुख्य-मंत्री हों चाहे राजस्व मंत्री हों या और भी जिन पर शासन का दायित्व हों, कोई भी इन बातों से अपरिचित नहीं हो सकता, जो प्रश्न मैंने अपने प्रस्ताव में उठाए हैं, कि उनमें कहां तक असत्यता है या सत्यता है। हो सकता था कि इसमें कुछ बातें गलत होतीं तो माननीय मुख्य मंत्री या राजस्व मंत्री मुझे इस बात की लिखित सूचना देते कि इस प्रस्ताव में जिन प्रश्नों को उठाया गया है उनमें अमुक प्रश्न गलत हैं, अमुक सही हैं, अमुक प्रश्नों के सम्बन्ध में भ्रम है, यह बात डेढ़ वर्ष से नहीं की गई। आज आप कह सकते हैं कि मंत्री अपने इनिशिएटिव पर इस प्रकार की सूचना क्यों दे, खासतौर से जब प्रश्न विधान सभा के अध्यक्ष के सामने विचाराधीन है या यही प्रश्न विधान सभा के सामने लिए जाने वाले हैं उन पर मंत्री जबरदस्ती इस प्रकार सूचना क्यों दें? जब मैंने इस प्रश्न को विधान सभा में लाने की चेष्टा की है तो दूसरे रास्ते को क्यों नहीं बन्द रखें। क्योंकि इस सदन में मुख्य मंत्री ने एक बार नहीं कई बार आश्वासन इस बात का दिया था कि मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में चर्चा करने से पूर्व यदि मुझे इस बात की कोई जानकारी मिलती तो निश्चित रूप से इस संबंध में कार्यवाही करता। प्रिवेन्शन आॅफ करप्शन एक्ट के तहत कमेटी ने बारबार सरकार को सुझाव दिया है कि मंत्रियों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो मुख्य मंत्री इस प्रश्न पर जांच करके और उसके बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायगी। मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कई बार कहा है कि मंत्रियों के संबंध में जांच करने का अधिकार मुझे है। इसलिए मुख्य मंत्री यह कभी नहीं कह सकते कि मुझे अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया। वे यह नहीं कह सकते कि अधिकार का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री को २१ सितम्बर, १९६८ को चिट्ठी लिखी, वह पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि सदन इस भ्रम में न रहे कि विधान सभा में खड़े रहो कर भ्रष्टाचा की चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कन्सट्रक्टिव प्रश्नों पर विधान सभा में चर्चा हो लेकिन यह नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार के मसलों पर सरकार सुनवाई नहीं करे और हम सुप्रीम बॉडी के सामने आकर खड़े हो कर कुछ न कहें। मैंने २१ सितम्बर, १९६८ को जो पत्र लिखा था, वह रिलेवेन्ट है, वह इस प्रकार है:—

"प्रिय श्री सुखाड़िया साहब,

विधान सभा के गत सत्र की कार्यवाही अचानक ही स्थगित होने के संबंध में आपका वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। मैं परिस्थिति के उस वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता, परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने भी इस कार्यवाही पर अपनी वेदना प्रकट की है। विधान सभा के इस सत्र में श्री बृजसुन्दरजी शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अनियमित रूप से भूमि प्राप्त करने का एक गंभीर मामला विधान सभा की कार्यवाही अचानक स्थगित होने के कारण अविर्णीत ही रह गया। आपने अपने वक्तव्य में इस बात का भी उल्लेख किया है कि जिससे मुझे इस बात का संकेत अवश्य ही मिलता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के उपरांत भी आप इस संबंध में अपने प्रशासनिक

Page No 89

(श्री भैरोंसिंह)

दायित्व के प्रति सजग हैं और इसी प्रेरणा से यह पत्र मैं आपको लिख रहा हूं।

राज्य के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री शिवचरण माथुर का त्यागपत्र इस सत्र की एक महत्वपूर्ण घटना है। श्री माथुर के स्पष्टीकरण से यद्यपि मैं तनिक भी संतुष्ट नहीं हूं और आज भी मेरी यह मान्यता है कि वह दोषी हैं परन्तु उनके त्यागपत्र देने पर मैंने उन्हें बधाई दी है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने श्री माथुर का त्यागपत्र स्वीकार कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः उस सीमा तक इस कार्य की प्रशंसा करना मैंने उचित समझा और किया। सत्ता के माध्यम से भ्रष्ट आचरण की रोकथाम की दिशा में हमारी विधान सभा ने यह एक आदर्श उपस्थित किया है और साथ ही इस विश्वास को भी बल प्रदान किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से भी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा १९६७ के आम चुनाव के पश्चात् राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। यह एक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण काम था जिसके माध्यम से श्री शर्मा जनता की बहुत सेवा कर सकते थे परन्तु खेद है कि उन्होंने इस सेवा के कार्यक्रम को अपने-अपने परिवार तथा मित्रों तक ही सीमित रखा। उन्होंने इस कार्य में मान-अपमान, पद की गरिमा एवं राज्य कोष की तनिक भी चिंता नहीं की। यही कारण हो सकता है कि जब श्री शर्मा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करने हेतु विदेश गए हुए थे आपने उनकी इस अनुपस्थिति में भी उनसे यह विभाग छीन लिया। यह कहा जा सकता है कि यह आपका आंतरिक मामला था परन्तु जनमानस में यही प्रतिक्रिया हुई है कि उनके दुराचरण के कारण ये परिवर्तन हुए हैं। यह खेद के साथ लिखना पड़ता है कि आपकी इस सांकेतिक चेतावनी का श्री शर्मा के मानस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इतना ही नहीं विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होने पर उन्होंने जो यह बातें कही "मैं शिवचरण माथुर नहीं हूं—मैं मोटी खाल का राजनीतिज्ञ हूं, विधान सभा स्थगित हो गई अब कुछ नहीं होना मैं सब ठीक कर लूंगा—श्री माथुर भ्रष्टाचार के कारण से नहीं बल्कि सत्तारूढ दल के आंतरिक द्वेष के कारण हटे हैं, आदि २ से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि श्री शर्मा के निकट सदाचार और शिष्टता का कोई मूल्य नहीं है। अतः उनसे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वह अपने दुराचरण के कारण किसी भी प्रकार का पश्चाताप करेंगे।

आपने अब तक तो यह देख ही लिया होगा कि श्री शर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव में जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है वह पूर्णतया स्पष्ट है। इतना ही नहीं अपने सीमित साधनों के उपरांत भी उन्होंने जो प्रमाण इन आरोपों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए हैं वह इनकी सत्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री शर्मा ने अपने स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग कर किस प्रकार की अनियमित कार्यवाही की है उसकी जानकारी तो आपने अब तक अवश्य ही कर ली है। दिनांक १४-९-६८ को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को जो यह सूचना दी गई कि उन्होंने इस प्रस्ताव के संबंध में मुख्य मंत्रीजी से टिप्पणी मांगी है और वह शीघ्र ही प्राप्त

(श्री भैरोंसिंह)

होने वाली है। इस ही आधार पर अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह बताया था कि इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व ही निर्णय ले लिया जायगा। अध्यक्ष महोदय की उपरोक्त सूचना से भी मेरी यह मान्यता बनती है कि आपने इस संबंध में अब तक संपूर्ण जानकारी कर ली है। इतना ही नहीं मेरी यह भी जानकारी है कि प्रस्ताव प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात् ही आरोपित तथ्यों से संबंधित सभी पत्रावली भिन्न २ विभागों से यहां मंगवाली गई और आपने स्वयं ने उनका अवलोकन भी कर लिया तथा अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से भी उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली। इस प्रसंग में यहां यह लिखना तो मैं आवश्यक समझता हूं कि इस कार्यवाही से श्री शर्मा को पत्रावली में आवश्यक हेरफेर करने का अवसर तो अवश्य मिला ही है। परन्तु मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि प्रस्ताव की जो आधारभूत बातें हैं उनका इस प्रकार के हेर फेर से कोई निराकरण नहीं हो सकता।

यह तो आप जानते ही हैं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में मेरे पक्ष में ही निर्णय होता और यह प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता। मैं यह बात इस विश्वास पर लिख रहा हूं कि प्रस्ताव के एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्राइमाफेसी मानने को विवश होगा कि प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने योग्य है।

(२ मं० १०)

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम एवं अब तक की परम्पराओं के अनुसार इस प्रकार का निन्दा प्रस्ताव सदन के नेता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। उस स्थति में इसका तो तनिक मात्र भी संदेह नहीं रहता कि यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जायगा। परिणामस्वरूप श्री शर्मा के आचरण की सदन द्वारा निन्दा की जाती और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता। मेरी यह मान्यता नहीं है कि आप भ्रष्टाचार के इस गम्भीर मामले का निर्णय मतों के आधार पर करवाते यह कोई नई परम्परा के निर्माण का प्रश्न नहीं, अपितु अब तक की मान्यता प्राप्त परम्पराओं पर चलने का ही केवल मात्र प्रश्न था। अतः मेरा यह विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को ठुकराने का जघन्य अपराध नहीं करता भ्रष्टाचार का मामला मतों का नहीं परन्तु प्रमाणिकता का है अन्यथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास तो किया उसके विरोध में बोलना भी अपराध बन जाता।

आपको सदन की गतिविधियों से तो सहज ही पता लगा होगा कि विरोधी दल के सदस्यों की ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के भी कई निष्ठावान सदस्यों की इस प्रश्न के सम्बन्ध में बड़ी उद्विग्नता रही है। वह बहुत ही बैचेनी से इस बात की प्रतीक्षा करते रहे हैं कि इस विषय का तुरन्त निराकरण होना चाहिये ताकि जनमानस में व्याप्त भयंकर आक्रोश को समाप्त किया जा सके। विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होने के कारण इस प्रश्न का अब तत्काल निपटारा उस स्तर पर होना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में अब यह विषय आपके निर्णय के लिये ही

(श्री भैरोंसिंह)

सुरक्षित है । मंत्रियों के दुराचरण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का दायित्व आप पर है इस प्रकार की घोषणायें समय-समय पर होती रही हैं । ऐसी स्थिति में मैं आप से इस विषय में निर्णय चाहूंगा श्री बृजसुन्दर शर्मा के विरुद्ध मेरे द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया स्पष्ट एवं प्रमाणित हैं जिनमे अब कोई विशेष जानकारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । केवलमात्र आपका निर्णय शेष रहता है । मैं इस सम्बन्ध में अपनी उद्विग्नता इस पत्र में प्रकट करने में असमर्थ हूं परन्तु इस विश्वास के साथ यह पत्र लिख रहा हूं कि आप इसमें अपने पद की गरिमा के अनुरूप निर्णय देकर मेरा तथा जनमानस का संतोषजनक समाधान कर सकेंगे ।

भवदीय
भैरोंसिंह शेखावत''

यह पत्र मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा था । इस पत्र का जवाब मुझे २२ सितम्बर, १९६८ को मुख्य मंत्रीजी से प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है :—

"प्रिय श्री भैरोंसिंहजी,

आपका पत्र दिनांक २१ सितम्बर, १९६८ प्राप्त हुआ । सद्भावनाओं के लिये आभारी हूं ।

आपने श्री शर्मा के विरुद्ध आप द्वारा विधान सभा के गत सत्र में प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव के विषय मे जो लिखा है उसका मैंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है । आपने श्री शर्मा के विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं उनका उत्तर उनसे प्राप्त कर लिया गया है । आप मुझ से सहमत होंगे कि इस प्रकार के प्रकरण में सम्बन्धित रेकार्ड को देखकर तथ्यों की जानकरी करना और इसके बाद यदि कोई कानूनी पहलू हो तो उसके सम्बन्ध में कानूनी राय लेना बहुत आवश्यक है । यह सब कार्यवाही की जा रही है और यह सब हो चुकने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा । इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है ।

आपने जो टेप रेकार्ड अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत किया है उसमें वास्तव में क्या बात है इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इसलिये तथ्यों की जांच करते समय मेरे लिये इस बात को ध्यान में रखना संभव नहीं होगा । लेकिन आप यदि इस टेप को स्क्रिप्ट मुझे भिजवा सकें तो मुझे इस प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने मे सुविधा होगी ।

आपका
मोहनलाल सुखाड़िया''

यहां मैं यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये स्पष्ट कर दूं कि टेप रिकार्ड है, उसकी एक रील है । जिस रोज स्टेटमेन्ट टेप रिकार्ड किया वह मैंने अध्यक्ष महोदय को दे दिया और उसको मैं वापिस लेकर मंत्रीजी को भेज सकता था इसकी मेरे पास किसी प्रकार की गुन्जाइश नहीं थी ।

मैंने फिर चाहा कि यह प्रश्न विधान सभा में नहीं उठे । १५ मार्च, १९६९ को मैंने फिर मुख्य मंत्रीजी को एक चिट्ठी दी । मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जिससे सदन के माननीय सदस्य कह सकें कि एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिये यह प्रश्न उठाया गया है । विधान सभा में यह प्रश्न बार-बार उठता था और समय-समय पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखता रहा और इस पत्र में यहां तक लिख दिया कि जो भी निर्णय आप देंगे

Page No 92

(श्री भैरोंसिंह)

मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। दुर्भाग्य से दूसरे पत्र का उत्तर भी मुख्य मंत्रीजी ने नहीं दिया। यह दूसरा पत्र भी बड़ा इम्पोरटेन्ट है। इसको सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा:—

"आप को स्मरण होगा कि विधान सभा के गत सत्र के अवसान के तुरन्त पश्चात् मैंने आपको एक पत्र लिखकर मांग की थी कि श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनियमित रूप से अपने, अपनी पत्नी तथा अन्य सम्बन्धियों के नाम पर सरकारी भूमि पर अधिकार कर लिया, अतः उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

आपका मुझे उत्तर प्राप्त हुआ जिससे मुझे यह आभास हुआ कि आप इस सम्बन्ध में तुरन्त ही उचित कार्यवाही करने वाले हैं। मैं विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रारम्भ होने तक प्रतीक्षा करता रहा कि आपके द्वारा किसी कार्यवाही की सूचना मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने इस प्रश्न को उठाया जिस पर आपने कहा कि आप वाद-विवाद के अन्त में इसका उत्तर देंगे। मुझे वहां पर निराश होना पड़ा। आपकी तरफ से इस सम्बन्ध में उस समय कुछ भी नहीं कहा गया। उपरोक्त स्थिति में मुझे विवश होकर श्री शर्मा के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत करना पड़ा। आपको जानकारी मिली होगी कि इस निन्दा-प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है और चर्चा के लिये शीघ्र ही समय निश्चित किया जायगा। मेरा यह विश्वास है कि आपने इन आरोपों की प्रमाणिकता पर पूरा संतोष कर लिया है। ऐसी स्थिति में अपेक्षा यह है कि आप स्वयं ही इस पर कार्यवाही की घोषणा करें। यदि आप ऐसी घोषणा करने में असमर्थ हों तो कृपया इतना तो अवश्य ही करने की कृपा करें जिससे मुझे यह जानकारी मिल जाय कि ये आरोप सही नहीं हैं।"

मैंने यहां तक कहा कि इसको विधान सभा में नहीं उठाना चाहता, केवल इतना सा ही लिख कर दे दें कि आरोप सही नहीं हैं जिससे मुझे जानकारी मिल जाय कि आरोप सही नहीं हैं। मैं आपको यह विश्वास से कहता हूं कि भ्रष्टाचार के विषय की चर्चा में विवशता की स्थिति में ही सदन में उठाता हूं और इस कारण आप मुझे यह सन्तोष करा देंगे कि यह मामला सही नहीं है तो मैं इसको विधान सभा में नहीं उठाऊंगा।

माननीय सदस्यों के सामने इसलिये यह पत्र रखा है कि माननीय सदस्यों को विश्वास हो जाय कि इस प्रश्न को न तो राजनैनिक और न ही व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण रखा गया है। बृजसुन्दरजी शर्मा इस विधान सभा के वर्षों से सदस्य हैं और मैं भी वर्षों से इस विधान सभा का सदस्य हूं। आपस में मित्र हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। कोई राजनैतिक या व्यक्तिगत वैमनस्यता थी इसलिये विधान सभा में ला रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है। यह भ्रम मैं दूर कर देना चाहूंगा। मैंने इस प्रश्न को जितनी भी रोकने की कार्यवाही हो सकती थी कि किन्तु एक स्टेटुटरी उत्तरदायित्व के कारण और मुख्य मन्त्रीजी के सामने इस आशा के साथ प्रस्तुत किया था कि यह मामला है मुख्य मन्त्रीजी बार-बार घोषणा किया करते हैं और लोक

Page No 93

(श्री भैरोंसिंह)

सभा में प्रधानमन्त्री घोषणा करती है कि मन्त्री के दुराचरण के विरुद्ध शिकायतें मुख्य मन्त्रीजी के पास जायं, मुख्य मन्त्रीजी जांच करने के लिये सक्षम हैं और वे जांच करके सदन को सूचना देंगे। यह दुर्भाग्य है कि इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी का जो उत्तरदायित्व है उसको उन्होंने पूरा नहीं किया बल्कि लगता ऐसा है कि इस प्रकार की चेष्टा की कि विधान सभा स्थगित होती जाय और यह मामला विधान सभा में न आये।

अब मैं उस प्रश्न पर जाना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। सदन के माननीय सदस्य कोटा गये हैं। कोटा और बून्दी के बीच में ६ मील की दूरी पर कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है म्युनिसिपैलिटी की सीमा पर। कोल्ड स्टोरेज के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रमाण नहीं हैं कि इसमें श्री शर्मा को पूर्णरूप से जिम्मेदार ठहराया जा सके। लेकिन इस विधान सभा में श्री शर्मा ने स्वीकार किया है कि कोल्ड स्टोरेज का मैंने उद्घाटन किया। सरकार ने स्वीकार किया है कि कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर लैण्ड पर बना है, अनियमित रूप से बना हुआ है कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। कोल्ड स्टोरेज की एग्रीकल्चर लैण्ड का परिवर्तन आबादी लैण्ड में आज तक नहीं हुआ है। श्री शर्मा एक वकील हैं कोई भी साधारण सदस्य हो हर व्यक्ति जानता है कि एग्रीकल्चर लैण्ड को एग्रीकल्चर परपजेज के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं मैं अपने साथ वे सरकूलर भी लाया हूं जब श्री शर्मा राजस्व मन्त्री थे तब उन्होंने निकाले थे। उन्होंने उनकी तहसील में और सब को वितरित किया था। उन्होंने स्वयं ने सरकूलर निकाले थे, उनसे यह आशा करके चलते थे कि उनके सामने प्रश्न आया है कि एग्रीकल्चर लैंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया है तो वे उसको डिमोलिश करेंगे लेकिन उन्होंने उसको डिमोलिश कराने के बजाय उसका उद्घाटन करके पब्लिसिटी दी।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला यहां से शुरु होता है।

ऐसी हालत में मेरी जानकारी के अनुसार एक पार्टनर उनका होने के नाते यह सौदा किया। जगन्नाथ मीणा, इस मीणा से उन्होंने जमीन लेने का सौदा किया है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जगन्नाथ मीणा के पास १८ बीघा जमीन सीलिंग कानून के अनुसार, वह कोई भी जमीन जो अतिरिक्त हो, वह बेच नहीं सकता और दूसरी बात यह है कि राजस्थान काश्तकारी नियमों के अनुसार शिड्यूल ट्राइब्स का कोई व्यक्ति सवर्ण हिन्दू को अपनी जमीन नहीं बेच सकता यदि कानून में बाधा है, बन्धन है तो वह जमीन श्री शर्मा को किस प्रकार से बेची जा सकती है। जब श्री शर्मा शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षा विभाग उनके पास था, उन्होंने प्रधान अध्यापिका श्रीमती जैकब का पिड़ावा में स्थानान्तरण....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मिसेज जैकब का मामला धारा २३२ के तहत कोर्ट में है। कोर्ट में होने से यह सब-जुडिस है। इनक्वायरी में है। इस दौरान की जो इन्क्वायरी कलेक्टर के यहां चल रही है इस मामले पर बहस नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में मैं श्री शर्मा का बहुत आभारी हूं कि यह नहीं उठना

(श्री भैरोंसिंह) [illegible]

[illegible] चाहिये। उन्होंने स्वयं ने तो यह मान लिया इसमें कुछ तथ्य है, मैं समझता हूं कि यह कु-सेवा होगी यदि इस प्रस्ताव को मैं यहां न उठाता हूं। जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसका कलेक्टर का पत्र मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। मैं तो आप पर आरोप लगा रहा हूं। आपने प्रारंभिक रूप में यह स्वीकार किया है, यह माना है कि उसमें कुछ तथ्य हैं। आप कैसे कलेक्टर के ऑर्डर को सब-जुडिस कहेंगे। मुझे और इस सदन को विश्वास है कि गलती किस ओर से है। किसने जमीन हड़प की है।

श्री अध्यक्ष : इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : नोटिस बहुक्म श्री वी० आई० राजगोपाल, जिलाधीश, कोटा दि. २२-२-६९ बनाम श्री जगन्नाथ व श्रीमती ईदिथ जैकब व मुकदमे ईदिथ जैकब पत्नी जे० जैकब इसाई हैडमिस्ट्रैस गर्ल्स मिडिल स्कूल, पिड़ावा बनाम जगन्नाथ (२) राजस्थान सरकार जरिये तहसील बाद अन्तर्गत धारा ८८ व ८९ टैनेन्सी एक्ट।

अब मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसको गंभीरता के साथ सुनें। आगे लिखा है ...

"उपरोक्त विषय में जरिये नोटिस आपको सूचना दी जाती है कि ग्राम नान्दना, तहसील लाड़पुरा, खसरा नं० २६-५८ बीघा भूमि जो न्यायालय परगना अधिकारी कोटा द्वारा दि. १७-६-६७ को इदिथ जैकब के खाते बांधी गई थी से संबंधित केस फाइल नं० २५९/६९ के आधार पर प्राइमा फैसी कानूनी व अन्य कमजोरियां पाई गई हैं। यहां तक कि राजस्थान सरकार को भी जरिये तहसील लाडपुरा पक्षकार नहीं बनाया गया है।"

एक बात जो आरोप लगाया गया है, सरकार ने माना है और कलेक्टर ने भी माना है।

श्री मूलचंद डागा : यह नोटिस का जो आपने यहां रीडिंग किया है, उसको फाइनल करके, डिसीजन करके रेवेन्यू बोर्ड को रेफर किया गया, इट इज नाट जजमेन्ट। आप इसको पूरा पढ़ें तो मालूम होगा कि यह नोटिस है। यानी अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का नाम लेकर...

श्री भैरोंसिंह : यह सब-जुडिस है, यह आप कहना चाहते हैं। आप के कहने से यह नहीं होता।

श्री मूलचंद डागा : मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : सब्जेक्ट मेटर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पूरी तरह से तैयार होकर आया हूं। माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि किस प्रकार से यह प्रस्ताव रखा जाय, यह सारी तैयारियां करके मैं आया हूं। जो प्रश्न पूछेंगे उसका पूरा उत्तर दिया जायेगा। अब यह प्रश्न कलेक्टर ने उठाया है। नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। आगे जो लिखा है, वह पढ़कर सुनाता हूं। आगे लिखा है....

"इसलिये उक्त वाद की धारा २३२ राजस्थान टैनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत मेरे द्वारा कोगनीजेन्स ले लिया गया है"।

Page No 95

(श्री भैरोंसिंह)

नोट:—इसमें १२ मई, २३ जून, ७ जुलाई, २१ जुलाई, ४ अगस्त की तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं जिसमें जगन्नाथ इदिय जैकव जरिये वकील हाजिर हो चुके हैं मगर किसी ने जबाब पेश नही किया है। दि. २३-६-६९ को श्रीमती रक्षादेवी ने जरिये वकील चन्द्रभान श्रीवास्तव पक्षकार बनने के लिये कलेक्टर, के सामने प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जो निम्न प्रकार है:—

यह कि दिनांक २२-८-६६ को इदिय ने एक वाद स्वत्व घोषणा का और रेवेन्यू रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने के सम्बन्ध में धारा ८८ व ८९ टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत एस. डी. ओ. कोटा में प्रस्तुत किया था उक्त वाद दिनांक १७-६-६७ को इदिय के हक में डिग्री होकर इस प्रकार निर्णीत हुआ कि द्वितीय पक्ष इदिय भूमि खसरा नं० २६, रकबा ५८ बीघा की खातेदारी है और उसका नाम उक्त भूमि पर रेवेन्यू रेकार्ड में तदनुसार अंकित किया जावे। इस डिग्री के आधार पर इदिय का नाम खातेदारी में जरिये इन्तकाल नं० ८, तारीख २१-७-६७ को दर्ज हो गया।

यह कि इसके पश्चात् इदिय ने उक्त ५८ बीघा आराजी में से २५ बीघा ९,२५०) में प्राथिनी के हक में बेचान करके जरिये इन्तकाल नं० ३२ प्राथिनी के खाते में दर्ज करा दी। इस प्रकार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी २५ बीघा की खातेदार हो गई। अतः प्राथिनी को पक्षकार बनाया जावे।

अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन है। इसमें दो प्रश्न उठाये गये हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी का जो पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, मेरी जानकारी है। मेरी जानकारी को कोई चुनौती देंगे। कलेक्टर को आपने एक चिट्ठी लिखी कि इस कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच कर आप राज्य सरकार को रिपोर्ट दें। कलेक्टर, श्री कुरूपने, उन्होंने इस मिसल की जो जांच की, राजस्थान सरकार को जो रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री इन्कार नहीं कर सकते, अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह तथ्य कलेक्टर ने जो अपनी जांच की रिपोर्ट में अंकित किये हैं। दूसरा कारण यह है कि कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर स्वयं मुख्य मन्त्री इस बात से कन्वीन्स हो गये कि जमीन के ऊपर नाजायज ढंग से, कानून की अवहेलना करके, कार्यवाही करके, किया गया है। आवश्यकता तो यह थी कि श्री बृजसुन्दरजी, जो स्वयं रेवेन्यू मिनिस्टर थे २१-६-६७ को जो डिग्री हुई, पजेशन लिया गया, यह कानूनी खामी में हस्तक्षेप किया जाता। इस कानूनी खामी के खिलाफ; एस. डी. एम. के फैसले पर जो कम्पीटेंट कोर्ट है, अपील की जाती। कम्पीटेंट कोर्ट में न कोई अपील है। आज यह सरकार कानूनन नोटिस देकर, इस मामले को सब-जुडिस दिखाकर विधान सभा में इसको उठाने में रोक लगाना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित नही है।

कुछ दिनों पहले बिल नेशनेलाइजेशन ऑफ बैंक का प्रस्तुत हुआ था। आपको ध्यान होगा कि इस प्रश्न के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया गया था। परन्तु विधान सभा, लोकसभा के अधिकार सुप्रीम हैं। लोकसभा में जो बिल पेश किया गया इस बिल को पेश करने में किसी प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। वह किसी

(श्री भैरोंसिंह)

भी प्रकार सब-जुडिस नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, यह वहां की रूलिंग है। माननीय श्री बृजसुन्दरजी के मामले में मैं डागाजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बृजसुन्दरजी को यह आपत्ति यह इस बात का संकेत है कि मामले में कुछ गड़बड़ है और श्री शर्मा उसको पेश करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जो पार्टी है, उसको भी मालूम है। सब-जुडिस का मामला पार्टी कन्सर्न है। यह मालूम है...

श्री भैरोंसिंह : यह मामला किसी प्रकार से सब-जुडिस नहीं है। यह श्री शर्मा, उनके परिवार और उनके स्वयं के सम्बन्ध में प्रश्न है। इस प्रकार के मोशन को साइट ट्रैक करने की चेष्टा नहीं की जाय। यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस नहीं है। इस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाये ताकि दुनियां के अन्दर जो भ्रम और सन्देह पैदा हो रहा है, उसका निराकरण हो। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में मैं सदन का ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, यह जमीन, जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है...

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पॉइंट पर, जो मुझे मालूम हुआ है, इनके कहने से कि मुकदमा किसी अदालत में, कलेक्टर की कोर्ट में जेर तजवीज है, जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने यहां कहा है और इस बाबत उन्होंने यह बताया है कि अब नोटिस कलेक्टर कोर्ट में मुकदमा जेर तजवीज है और २३२ के तहत, टिनेन्सी एक्ट के तहत, मेरे ख्याल से आरगुमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यह कोर्ट में है और सब जानते हैं कि यह सब-जुडिस है.... श्री कृष्णकुमारजी गोयल, यह जानते हैं... यह सब-जुडिस है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नो

श्री मूलचन्द डागा : यह धारा २३२ के तहत चल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जो पूछना चाहते हैं, आपके लिये आरगुमेंट एडवांस में पेश कर दूं। कलेक्टर ने जैसा कोगनीजेंस लिया है, पॉइंट किया है, कोगनीजेंस लेने के बाद फाइनल ऑथोरिटी है। वे अपनी सेटिसफेक्शन के लिये इन्क्वायरी करने के बाद, केवल अपनी जानकारी के बाद, अपनी ओपिनियन रेवेन्यू बोर्ड को भेजेंगे और रेवेन्यू बोर्ड ही कम्पीटेंट आथोरिटी है जो फाइनल डिसीजन लेगी। इसलिये कलेक्टर, एस. डी. ओ. को धारा ८८, ८९ के अन्तर्गत जो दावा पेश किया गया था, उसके बाद उसकी अपील कोर्ट को नहीं हो सकती। फर्स्ट अपील रेवेन्यू बोर्ड को होगी और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड तय करेगा। कलेक्टर ने कोगनीजेंस लिया है और वह अपनी सेटिसफेक्शन के लिये इन्क्वायरी कर रहा है। उसकी एक स्टेट रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत है। वह उसके बाद अपनी ओपिनियन रेवेन्यू बोर्ड को देगा और रेवेन्यू बोर्ड नोटिस देकर डिसीजन लेगा तब ही वह सब-जुडिस होगा।

श्री अध्यक्ष : किस सेक्शन के अन्दर इन्क्वायरी हो रही है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : २३२ के अन्दर। इसके तहत किसी प्रकार से यह नहीं कह सकते कि मेटर सब-जुडिस है। सब-जुडिस तब कहलायगा जब इसे कोर्ट ने, कोर्ट की हैसियत से कोगनीजेंस वह ले रही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हो। इसकी जानकारी हो तब मेटर सब-जुडिस कहलायेगा।

श्री मूलचंद डागा : जो प्रश्न आपने उठाया है, उसका मैं उत्तर देने के लिये धारा २३२, जो धारा है वह पढ रहा हूं :

"The Collector may call for and examine the record of any case or proceeding decided by or pending before any revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of the proceeding and, if he is of opinion that the order passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed he shall refer the case......"

जो कम्पीटेंट कोर्ट, कलेक्टर, एस. डी. ओ असिस्टेंट कलेक्टर ने जो जजमेंट दिया था, जो सेक्शन ८८, ८९ में दिया था, जजमेंट देने के बाद कलेक्टर ने इस फाइल को अपने पास मंगा ली जांच कराने के लिये। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं उन्हें इसकी लीगेलटी पर जांच करना है, लीगेलिटी और प्रोप्राइटरी पर जांच करने के लिये उन्होंने नोटिस सरकार को दिये हैं। अब प्रश्न रहता है कि क्या वह असिस्टेंट कलेक्टर, कोटा ने जो फैसला दिया है, वह फैसला लीगल था या नहीं था या वह जो स्पिरिट थी, वह सही थी ? जो प्रश्न उठता है उस रिपोर्ट में मेटेरियल एवीडेंस उठता है। जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि जो जमीन ३५ बीघा खसरा नम्बर २६ की है वे उस जमीन के खातेदार थे या नहीं ? इन सारे प्रश्नों की जांच करना, इस कलेक्टर के अधीन अधिकार में है, कलेक्टर केवल तथ्यों की जांच करा देता है नियमों के आधार पर, रूल के आधार पर, सेक्शन के आधार पर। इसके आधार पर जब आप राय रेवेन्यू बोर्ड को देते है, रेवेन्यू बोर्ड इस बाबत इस बात को स्वीकार करता है कि यह अलग प्रश्न है। मैं यह कहता हूं कि जो

"question relates to a matter pending before a court of law or parliamentary committee or any statutory committee for finding in judicial or quasi-judicial matter, it is inadmissible".

यह मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो मेटर आप कहते हैं, वह गलत हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : अभी पहले का पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है

श्री मदनसिंह दांता : इस सम्बन्ध में आप को रूलिंग आचुकी है। यह क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से आचुका था कि यह मामला सब-जुडिस है, इस पर आपने रूलिंग दे दी है "I rule this out". You have given this ruling', You see the proceedings.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही प्रश्न कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने उठाया था।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने इस पर अपना रूलिंग दे दिया था।

Page No 98

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह प्रश्न दूसरा था।

श्री अध्यक्ष (श्री गिरधारीलाल से) : आप माननीय सदस्यों को कह दीजिये कि वह प्रश्न दूसरा था, डिफरेन्ट प्रश्न था जिसको रूल आउट किया गया था।

मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं यह पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर कैसे है? जबकि एक पहले पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न वही चल रहा था लेकिन व्यवस्था नहीं दी गई थी इसलिये जब तक पहले पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक दूसरा पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक नये तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पॉइण्ट डिसकशन में था कि यह नोटिस कलेक्टर द्वारा इन पार्टीज़ को दिया जा चुका है और कलेक्टर को इस बारे में अपना निर्णय लेना है। ऐसी हालत में यह सब-जुडिस है हाउस की परम्परायें रही हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये गये हैं क्वेश्चनों के मामलों में, मोशन के मामलों में जब कभी भी इस प्रकार का मोशन आया जो सब-जुडिस है तो उसको नहीं लिया गया।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इस मेटर को थोड़ी देर के लिये सब-जुडिस मान लें तो जब मेटर किसी कोर्ट में चल रहा है कलेक्टर के पास चल रहा है उस पर कलेक्टर जजमेन्ट दे देता है, अपनी राय भेज देता है उसके बाद ही निर्णय लेना उचित होगा, इस प्रकार के मोशन जो सब-जुडिस हों डिसकशन में नहीं लिये जाने चाहियें।

माननीय सदस्य ने एक लम्बा पत्र रखा है उसमें से एक पॉइण्ट पहला जो है उसी को आपने सब-जुडिस बताया है। माननीय सदस्य की खुद की मान्यता है यह बात हो रही है श्री कृष्णकुमारजी गोयल, सतीशचन्द्रजी अग्रवाल दोनों अच्छे वकील। वे समझा सकते हैं अपने साथी को।

श्री मदनसिंह दांता : We don't want to discuss that in the House.

श्री मूलचन्द डागा : वे दोनों अच्छे वकील, काबिल वकील हैं। वे उनको समझा सकते हैं यह मामला सब-जुडिस है। अतः इन कारणों से इस मामले को नहीं लिया जाय। यह जो परम्परायें बनायी हैं कि सब-जुडिस मामले को नहीं लिया जाय, मैं समझता हूं उसका पालन इसमें भी होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आप इस तरह से कर शर्माजी पर मेहरबानी कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह किसी पर मेहरबानी का सवाल नहीं है, हाउस की परम्परा का सवाल है। इसमें मेहरबानी का सवाल है कहां?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्ताव के एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर का डिसीजन एक बार हो गया। एक-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक करके १५ मिनिट के बाद पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर उठाये जा रहे हैं। इसकी एडमिसिबिलिटी के संबंध में जितने भी ऐतराजात थे, विजीलेन्ट रहते तो उनको पता चलता जितने भी ऑब्जेक्शन एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन के बारे में उनको फर्स्ट इन्स्टान्स में रूल आउट कर दिया था। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस लेट स्टेज पर जो ऐतराज उठाया गया है यह केवल प्रोसीडिंग्स को ओब्स्ट्रक्ट करने के लिये उठाया गया है और इसके सिवाय मंशा नहीं है। इसलिये इसे रिजेक्ट आउट करें। नम्बर एक।

नम्बर दो, बात यह है कि माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पिटीशन पेश कर दी गई। रिट कोर्ट के सामने पेन्डिग थी। इस पर भी संसद में इस पर पूरी बहस हुई। जो मुद्दे वहां पर डिसकशन के लिये आये तो क्या उनसे रिट इनफेक्चुअस हो गई। तो लेजिस्लेचर जूडीशियरी के सबोर्डिनेट नहीं है। कलेक्टर ने ऑर्डर जारी कर दिया तो मेटर सब-जुडिस हो गया और हम उसे यहां डिसकस नहीं कर सकते तो क्या हम कलेक्टर के सबोर्डिनेट हो गये। फिर तो इतने मामले हो जावेंगे कि आप यहां किसी ऐसे मेटर को कभी डिसकस ही नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में हैबियस-कार्पस का एक मामला अण्डर डिसीजन था। यू. पी. विधान सभा में इसके बावजूद भी उस पर बहस हुई। तो लेजिस्लेचर जूडीशियरी के सबोर्डिनेट नहीं हैं। राजस्थान की विधान सभा संविधान के अनुसार किसी मुद्दे पर निर्णय लेती है तो जस्टिफीएबल है। पर सदन की डिबेट और डिसकशन के अधिकार पर किसी प्रकार की पाबन्दी न कहीं कान्स्टीट्यूशन ने लगाई है न रूल्स ने लगाई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहना अपने ही अधिकारों पर कुठाराघात करना होगा। केवल इसलिये कि श्री बृजसुन्दरजी शर्मा को बचाया जाय इसलिये आप यह सब कुछ करना चाहते हैं तो बात दूसरी है।

यह सब-जुडिस कैसे हो गया? कलेक्टर ने चूंकि नोटिस जारी कर दिया। इस तरह के तो आये दिन प्रश्न हम पूछते रहते हैं कि फलां जमीन का अलॉटमेन्ट कैसे कर दिया, चरागाह के मामले रोजाना आते हैं। अगर उन पर आपने कहना शुरू कर दिया कि चूंकि कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया है कलेक्टर के पास मामला है इसलिये सब-जुडिस हो गया तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं आ पावेगा ऐसा सदन के सामने। पर तथ्य यह है कि ऐसे मसलों पर हम आये दिन चर्चा करते आये हैं। जो मसला हाईकोर्ट के सामने है, उस पर वेलिडेटिंग बिल यहां लेकर आते हैं कि अमुक मसला कोर्ट में चैलेन्ज हो गया है और चूंकि इससे पब्लिक एक्सचेकर पर इतना असर पड़ेगा तो इसलिये यह वेलिडेटिंग बिल सदन में लाया जा रहा है। तो जो कोर्ट के सामने मामला पेन्डिंग है उस पर हाउस में बिल पर चर्चा नहीं करते, पर आप करते हैं। कोई मेटर रेवेन्यू बोर्ड के सामने पेश है पर फिर भी उस पर चर्चा यहां होती है। इन मामलों पर सदस्यों को बोलने का अधिकार संविधान के अन्तर्गत दिया हुआ है उससे ये मसले रेगुलेटेड हैं। फिर यहां तो केवल फेक्ट्स रखे जा रहे हैं। विधान सभा कोई फैसला नहीं कर रही है। वह प्रस्ताव यह रख रहे हैं कि श्रीमान् बृजसुन्दरजी शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है उनके सम्बन्ध में तीन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जावे। क्या आपका यह कहना है कि ऐसा कहने का सदन को अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो आपकी भावना गलत है। आप डेमोक्रेटिक कन्सेप्ट को समझ नहीं पाये हैं। लेजिस्लेचर के अधिकारों को अण्डरमाइन करना चाहते हैं। कलेक्टर का नोटिस, एस. डी. एम. का नोटिस, तहसीलदार का ९१ के तहत नोटिस, इसमें कौनसा काग्नीजेन्स है ऐसा कि विधान सभा में उस पर डिबेट नहीं आ सकती। यह गलत एप्रोच है। केवल प्रोसीडिंग्स में ओब्स्ट्रक्शन लाने के लिये यह सब किया जा रहा है। यह गलत है। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल आउट कर दिया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर था उस पर तो नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ऐसे कहा कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सदन की कार्यवाही को ओबस्ट्रक्ट करने के लिये उठाया गया है और इसलिये इसे रिजेक्ट किया जाना चाहिये, यह उनका कहना उचित नहीं है।

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की २३२ धारा है। इस बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी भलीभांति जानते हैं कि यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की एक धारा है। और इसके तहत कलेक्टर को पावर है कि अगर कोई तरह का कोर्ट के सामने जेर तजवीज मामला है या ऐसा कोई मेटर है कि जिस पर कोई डिसीजन हो गया हो पर कलेक्टर को ऐसा महसूस हो कि यह प्रोसीडिंग ऐसी है ऐसा फैसला है कि आगे रेवेन्यू बोर्ड में रेफर करने की आवश्यकता है और इसके जरिये जो डिसीजन हुआ है आइदर वह एल्टर होगा, कैंसिल होगा, या रिवर्स होगा। इस तरह की हालत कलेक्टर के नोटिस में आई सु मो मोटो आई या एप्लीकेशन फ्रोम एनी पार्टी आई तो उस मामले में जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में कह रहे थे यह मामला सब-जुडिस है या नहीं। इस बारे में तो बिल्कुल साफ है कि जब कलेक्टर काग्नीजेन्स ले लेता है किसी मामले में कि जिसको रेफरेन्स करना आवश्यक है तो वह सब-जुडिस हो जाता है।

अब सवाल यह उपस्थित होता है कि जो रेफरेन्स के लिये मेटर हो उसे सब-जुडिस कहा जावेगा कि नहीं। क्योंकि यह रेफरेन्स रिवीजन ऑफ अपील नहीं हो सकता उसके बारे में अगर यह रेफरेन्स किया जाता है तो यह सब-जुडिस है। इसके अलावा इसे करेक्ट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ऐसे मामलों में कलेक्टर ने यह मामला रेवेन्यू बोर्ड को रेफर करने के लिये नोटिस दिया है और नोटिस २३२ में यहां आता है और २३२ की धारा में रेफरेन्स जो होता है किसी डिसाइड मेटर में या पेण्डिग मेटर में यह सब-जुडिस कहा जावेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कलेक्टर का नोटिस रेवेन्यू बोर्ड का आधार रहेगा। मेटर कैंसिल और रिवाइज्ड

Page No 101

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भी किया जा सकता है या एल्टर किया जा सकता है। जब मामला रेवेन्यू बोर्ड के समाग्रत में आवेगा तो जो भी मेटर उससे कन्सर्निग है सब्जेक्ट ऑफ डिसप्यूट है इस मामले में, तो जब तक रेवेन्यू बोर्ड उस पर फैसला न दे दे तब तक वह मेटर सब-जुडिस होगा। इस पर फैसला होने के बाद भी डिस्कस किया जा सकता है। इसलिये सेफ साइड में ऐसे मेटर सब-जुडिस हो जाते हैं तो बाद में भी मेटर सदन में फैसला होने पर उठाया जा सकता है।

(समय-समप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिये जो आपत्ति उठाई गई है एज ए पौइन्ट ऑफ ऑर्डर मामला सब-जुडिस है सदन की कार्यवाही को ओबस्ट्रक्ट करने के लिये उठाया है ऐसी बात नहीं है। इसे पेन्डिग बिफोर दी कोर्ट माना जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्री।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में सब-जुडिस है यह आया कि नहीं, इस पर मेरा इरादा बोलने का नहीं था। पर यह प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण है और इसके निर्णय का प्रभाव चूंकि बहुत व्यापक पड़ने वाला है हमारे रोजमर्रा के काम काज पर भी इसका असर पड़ने वाला है इसलिये मैंने भी कुछ निवेदन करने का विचार किया।

सवाल यह है कि २३२ टीनेन्सी एक्ट में अगर कोई रेफरेन्स कलेक्टर के सामने है तो उसे सब-जुडिस माना जावे या नहीं।

सब-जुडिस क्या चीज है यह हमको पहले देखना है। सब-जुडिस वह मेटर होता है कि जो जूडिशियल और क्वैसी जूडिशियल मेटर से सम्बन्धित हो। अब प्रश्न यह है कि यह जो इश्यू कलेक्टर के सामने है वह जूडिशियल या क्वैसी जूडिशियल है या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि टीनेन्सी एक्ट में जो धारा है जो उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और उसमें जो कार्यवाही होती है वह जुडिशियल है और कलेक्टर और एस. डी. ओ. उसे जूडिशियल वे में तय करते हैं इसलिये इसको सब-जुडिस मानना चाहिये।

दूसरी बात एक और गौर करने की है। कलेक्टर ने रिकार्ड मंगाया, एस. डी. ओ. के यहां स्यूट फाइल हुआ ८०/८१ टीनेन्सी एक्ट में। इसमें डिक्लेरेशन चाहा गया। मिसेज जैकब ने दावा किया। इस बात का डिक्लेरेशन दिया जावे कि वह खातेदार टिनेन्ट है। यह जूडिशियल मेटर है इसमें दो राय नहीं हो सकती है। एक फैसला लिया उसी फैसले की लीगेलिटी और प्रोपाइटी एग्जामिन करने के लिये कलेक्टर ने २३२ दफा में बुलाया और एग्जामिन करना चाहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं एस० डी० ओ० कोर्ट में सैक्शन ८८, ८९ के अन्दर सब-जुडिस है। दफा २३२ में रिकार्ड काल किया गया है। यह नेचर ऑफ राईट का डिसप्यूट है। यह जूडिशियली इन्वालव हैं। जो रूलिंग यहां पर होगी उसका व्यापक प्रभाव होगा। कलेक्टर के यहां जूडिशियल मामला पेन्डिग है, एस० डी० ओ० के यहां जूडिशियल मामला पेन्डिग है। मैं कोई पर्टीक्यूलर केस के लिहाज से नहीं कहना चाहता हूं। इसमें जो निर्णय होगा उसका दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ने वाला है। मेरी खुद की जहां तक बात है टीनेन्सी एक्ट २३२ के अन्दर सीज करते हैं और रेवेन्यू बोर्ड को भेजते हैं। जिस वक्त कलेक्टर सीज करता है और जिस

(श्री रामकिशोर व्यास)

समय रेवेन्यू बोर्ड निर्णय देता है उस वक्त सब-जुडिस कलेक्टर के पास नहीं रहता है लेकिन रेवेन्यू बोर्ड में जायेगा तो सब-जुडिस हो जायगा इतना माना जाय कि रेवेन्यू बोर्ड में जायगा तो सब-जुडिस हो जायगा और एस० डी० ओ० के यहां जूडिशियल नेचर का है तो मेरे कहने का मतलब है चूंकि इस केस में राइट इन्वोल्व है। स्यूट राइट का है। लीगेलिटी और प्रोप्राइट्री एग्जामिन करने के लिये कलेक्टर ने लिया है। कलेक्टर के यहां पर जूडिशियल नेचर का है, रेवेन्यू बोर्ड में जूडिशियल नेचर का है इसलिये जो कलेक्टर फंक्शन कर रहा है— एज कोर्ट ऑफ लॉ फंक्शन कर रहा है और जूडिशियल मेटर को फंक्शन कर रहा है। इसको सब-जुडिस माना जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं इसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है। कब एप्लीकेशन दी? ४ साल बाद, ५ साल बाद भी दे सकते हैं?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लिमिटेशन की नहीं है रिविजन में हो सकती है। यह तो रेफरेंस है।

Suo-moto or on the application of any party. There is no restriction.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपके सामने सब-जुडिस का मामला बम्बई असेम्बली का रखता हूं। यह पार्लियामेन्टरी प्रिविलेज है इन इन्डिया—

"Contempt of court-Sub-judice matters...."

यह सब-जुडिस मामला है–बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेम्बली में—

श्री मूलचन्द डागा: साइटेशन क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Bomby Legislative Assembly, "Selection of Decisions from the Chair" Feb., 1955 April, 1957, page 52, Ruling No. 68, Vol. 28, part II-A, page 30, dated 15th February, 1955.

बस पढ़ोगे तो हो नहीं

"While an adjournment motion regarding police firing on Adivasi people of Valod in Surat district was being discussed on 26th December, 1954, the Chair observed:—

> 'The matter has gone to court, not of the firing but of the incident. Therefore, hon. members, while making their speeches will be very careful in making observations. Though hon. members of this House are protected. in other matters, as far as matters which are sub-judice are concerned, if any contempt of court is committed, nobody in the House will be protected."

अगर कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट है उसका तो प्रोटेक्शन मिलता नहीं। इन्सीडेन्स पर जो फायरिंग हुआ था उसकी इजाजत दी गई though the matter has gone to the court of law.

वह मेटर डिस्कस किया गया एक बात यह मैंने डायरेक्ट रूलिंग और डायरेक्ट ऑथोरिटी बताई है इसके बाद अध्यक्ष महोदय मैं नियम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१२१ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ

"(viii) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India."

यह मेटर आया श्री बृजसुन्दरजी की अपनी पत्नी के नाम पर हो, अपने बच्चों के नाम पर हो, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, यह कलेक्टर कोटा के यहां सब-जुडिस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है श्री बृजसुन्दरजी शर्मा का केस कलेक्टर, कोटा की कोर्ट में चल रहा है उसमें एड-जूडिकेशन की बात नहीं है। यह फैसला जो दिया है वह वाजिब है या नहीं। कलेक्टर उसकी लीगेलिटी को एग्जामिन करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि श्री बृजसुन्दरजी शर्मा सरकारी धन का दुरुपयोग करके बच जायेंगे। कलेक्टर को तो इसकी लीगेलिटी है या नहीं इसको देखना है लेकिन यह हाउस यह तय करेगा कि श्री बृजसुन्दरजी का मिसकन्डक्ट था या नहीं, उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। मैं तो यहां तक कहता हूं कलेक्टर, कोटा अपना नोटिस वापिस लें और यह हाउस तीन आदमियों की कमेटी बनाकर इनके कन्डक्ट के बारे में जांच की जाय। रेवेन्यू बोर्ड में मसला जायगा। उसी प्रकार एस० डी० ओ० का जजमेंट लीगल है या नहीं उसको सैट असाईड किया जायगा या नहीं।

बृजसुन्दरजी शर्मा ने कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया, पेट्रोल पम्प लिया। जमीन के बारे में सब-रजिस्ट्रार को बुलाकर रजिस्ट्री करा ली उसका कागनिजेन्स कोटा का कलेक्टर नहीं ले सकता है। कोटा के कलेक्टर को जून, ६७ में दिया है वह उसको देखेगा कि उसकी लीगेलिटी है या नहीं। उसके आगे पीछे के जो फेक्ट्स हैं, जो साजिश करते हैं उसकी कलेक्टर, कोटा जांच नहीं करेगा। हाउस इस काम का वेल्यूएशन करेगा कि किस तरह लोगों को दबाया गया, किसी को क्या लोभ दिया, किसी को क्या लालच दिया गया। कलेक्टर, कोटा जांच करें और कहे ...यूं क्या गर्दन हिलाते हैं... जांच करेगा क्या बोलते क्यों नहीं हो। गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता है ... (विराम) वह जांच नहीं करेगा। इस बात के लिए श्री बृजसुन्दरजी का मामला यहां डिस्कस हो रहा है श्री बृजसुन्दरजी को कोटा में डिस्कस नहीं करेंगे। बृजसुन्दरजी को तो यहां ही डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग सुनी सुनाई बात को कहते हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं इसलिये उनको कैसे बचाया जाय, इसकी उनको सहानुभूति है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सतीश जी ने जो चार्जेज लगाये हैं वह उनके कंडक्ट से ताल्लुक नहीं रखता है। जहां तक इस केस का मामला है यह सब-जूडिस है। यह मामला विचाराधीन है। उसका नतीजा चाहे इस तरफ निकले या उस तरफ निकले वह इनके कन्डक्ट से ताल्लुक रखता है। जब तक उस केस के बारे में डिस्कस करते है जो पोइन्ट सब-जुडिस है उसके बारे में जो बात कही जाय उसका असर इस केस पर पड़ेगा। उस केस के निर्णय लेने में उनको इस प्रश्न पर और तरीके से विचार करना पड़ेगा। जहां तक फायरिंग की बात की अभी बम्बई की रूलिंग पेश की–फायरिंग के मामले में डिस्कस किया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जा सकता है। उससे लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों को वंचित नहीं किया जा सकता है। वहां पर फायरिंग का डिस्कस नहीं कर सकते उसका एक दूसरा इनसिडेन्स है कि किन कारणों से और किस प्रकार फायरिंग हुआ इस पर डिस्कस किया जा सकता है न कि ओरीजीनल पर। ओरीजीनल पर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की आपने नजीरें दी हैं जैसे हम लोग समझते ही नहीं हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब-जुडिस है। माननीय सदस्यों ने निवेदन किया २३२ के तहत कलेक्टर जिन केसेज को रेफरेन्स के लिये रेवेन्यू बोर्ड को भेजना चाहता है और नीचे की कोर्ट्स ने जो निर्णय लिया वह मेटर सब-जुडिस है और जब तक सब-जुडिस है इस असेम्बली में डिस्कस नहीं होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कान्ता कथूरिया का मामला सब-जुडिस था और उसका मामला यहां लिया गया या नहीं जरा बतायें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है, वह पर्याप्त है। मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जस्ट ए मिनिट सर। यह रिप्रेजेन्टेशन कब पेश किया कलेक्टर के सामने आप फेक्ट्स दे सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : (राजस्व मंत्री) : फरवरी, ६७ में। एस० डी० ओ० के यहां १७ जून, ६७ से है।

श्री अध्यक्ष : रिप्रेजेन्टेशन जो कलेक्टर को किया हुआ है उसकी तारीख क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : काग्निजेन्स तो किसी रिप्रेजेन्टेशन पर हुआ !

श्री अध्यक्ष : उस पर से काग्नीजेन्स लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुओ-मोटो लिया है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और पूछ ली जाये कि क्या राज्य सरकार से कलेक्टर को इन्सट्रक्शन्स नहीं दी गयी थीं कि यह कार्यवाही की जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत आई थी।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता था कि कलेक्टर ने लिखा कि सुओ-मोटो असेम्बली के डिस्कशन से लिया है ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : या गवर्नमेन्ट के लिखने से ?

श्री रामकिशोर व्यास : असेम्बली में निन्दा प्रस्ताव आपने भेजा, इसमें कुछ पाइन्ट्स लिखे ५,७,१० जो भी आपने लिखा उसके लिए हमने कलेक्टर को लिखा कि यह शिकायतें इस प्रकार की आई हैं इसकी तहकीकात करो। उसका जवाब उन्होंने यह दिया कि मिसल वाली मामलात का सेक्शन ३२ में नोटिस लिया है और बाकी मामलों की इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके पहले राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर को नहीं लिखा गया था और कलेक्टर ने अपनी रीपोर्ट नहीं भेजी

(श्री भैरोंसिंह)

थी ? मुख्य मंत्रीजी बता दें नहीं आई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसे कलेक्टर से ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रिपोर्ट कहां है सदन की मेज पर रखो।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने देखा है उसमें कुछ साहब की रिपोर्ट पेंट्रोल पम्प के बारे में है शायद एज फॉर एज आई नो।

श्री भैरोंसिंह : एज फार एज आई नो नहीं As far as Chief Minister knows.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मुझे इस समय याद नहीं है। बिना देखे हुए कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह कैसे हो सकता है उनको याद नहीं है। याद है तो भूल रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : एकेडेमिक पॉइन्ट है जो चाहे फैसला करवा लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो सब-जुडिस का पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है कलेक्टर ने जो भी इसका नोटिस दिया है इस सदन में इस प्रश्न के उपस्थित करने के पश्चात् और इस सदन की कार्यवाही से प्रभावित होकर इस प्रश्न का काग्नीजेन्स लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने इस प्रश्न का पहले काग्नीजेन्स ले लिया और आपके सामने यह प्रश्न एडमिसिबिलिटी के लिए पहले उपस्थित हो गया और उस समय यदि कलेक्टर की कार्यवाही को सब-जुडिस माना भी जाये तो यह प्रायर टू दिस हाउस नहीं था। यदि अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रिसिडेन्स हो गया कि इसी सदन में कोई प्रश्न उठाने के बाद कोई कलेक्टर इस प्रकार नोटिस देकर उसकी इन्क्वायरी द्वारा इस सदन के अधिकारों को रोक दिया जा सके तो मैं कहूंगा कि यह बहुत खराब प्रिसीडेन्स होगा और हमारा जो अधिकार है इस सदन में बहस करने का, स्वतंत्रतापूर्वक विचार रखने का उसको रोक दिया जाना होगा, मैं सदस्यों से कहूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें। यह सारे सदन के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी और किसी भी प्रश्न को उठायें एक आसान सा तरीका है कि कोई भी तहसीलदार या जुडिशियल अथोरिटी इस प्रकार की कार्यवाही शुरू कर दे और हमारे यहां पर कोई बहस या सवाल नहीं उठ सकें। इसलिए यह प्रश्न इस सदन में उपस्थित हो चुका उसके बाद अगर कोई जुडिशियल अथोरिटी के द्वारा विचार किया जाय तो वह सब-जुडिस इस सदन में आने से पहले नहीं हुआ। इसलिए इस बिना पर और बहस नहीं हो सकती ....

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि सब-जुडिस वाला पॉइन्ट जो है खाली एक एलीगेशन के बारे में है बाकी और जो दस ग्यारह एलीगेशन हैं वह आप डिसकस कर सकते हैं।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर!

हमारे रूल्स हैं :

"123. Motion for raising discussion on matters before tribunals, commissions etc.—No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any Judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter, shall ordinarily be permitted to be moved :"

दूसरा है।

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry."

सबजुडिस का प्रश्न उठाने का अर्थ सदन को इस प्रश्न पर विवाद करने के खतरे से सचेत करना है। वास्तव में इसके दो खतरे हैं। एक तो यह कि ट्रिब्यूनल आपकी बहस से या आपके निर्णयों से कहीं प्रिजुडिस न हो जाये और दूसरा खतरा यह है कि ट्रिब्यूनल के सामने जो विवादग्रस्त प्रश्न हैं उसकी आलोचना करके आप, भाषणों की स्वतन्त्रता रखते हुए भी कहीं Contempt of the court के आरोप में न आ जावें इसलिए सबजुडिस के प्रश्न पर हमारे नियमों में बड़ा आगाह किया गया है। यह प्रश्न २३२ के अन्तर्गत सुओ-मोटो कलेक्टर ने इन्क्वायरी के लिये लिया और यह जाहिर किया गया है, कि हमारी प्रोसीडिंग्स के आधार पर कलेक्टर महोदय ने सजग होकर इस पर कार्यवाही आरम्भ की....

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी इजाजत हो तो बीच में करेक्ट कर दूं। मैंने कहा है कि कलेक्टर को जो शिकायत यहां आई थी उसके लिये उनको लिखा है कि उसकी तहकीकात की जाये और उनका जवाब आया है कि मैं इसको कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : " मापटर दी मोशन वाज़ सब्मीटेड"। बहरहाल मोशन आ जाने के बाद या इस कार्यवाही का संकेत कलेक्टर को मिल जाने के बाद या कुछ आपकी ओर से संकेत दिये जाने के बाद कलेक्टर महोदय ने जिसको हम सुओ-मोटो कहते हैं उन्होंने २३२ के अन्तर्गत कार्यवाही करना आरम्भ किया, जिसका अन्तिम निर्णय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा होगा। ऐसी स्थिति में यद्यपि मैं यह मानता हूं कि सब-जुडिस है यह मामला किन्तु मैं माननीय सदस्यों को जो सब-जुडिस होने के जो खतरे हैं उसकी ओर आगाह कर देना चाहता हूं। जब इस प्रश्न पर विचार किया जाये तो ऐसी स्थिति न पैदा की जाये जिससे यह ट्रिब्यूनल प्रिजुडिस हो और मैं इस सदन के माध्यम से ट्रिब्यूनल को भी कह देना चाहता हूं कि यहां के विवाद से, यहां की चर्चा से वह प्रिजुडिस न हो। इसके साथ ही माननीय सदस्य जब कोई यहां चर्चा करें तो उनके द्वारा अदालत की कोई कन्टेम्प्ट न हो। इन सन्दर्भों में माननीय सदस्य इसके तथ्यों को रख सकें और तथ्यों पर विचार कर सकें। लेकिन तथ्यों के प्रश्न पर

Page No 107

(श्री अध्यक्ष)

पर कोई निर्णय लिया जाकर, ऐसे निर्णय और ऐसे विवाद न खड़े करें जो कि ट्रिब्यूनल के सम्मुख विचाराधीन प्रश्न पर विपरीत प्रभाव डाले यही मेरी इस व्यवस्था के प्रश्न पर मान्यता है। माननीय सदस्य आगे बढ़ेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है उस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुन: थोड़ा विचार करें क्योंकि यह सारा...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, मानीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तथ्य अब तक सदन के सामने प्रस्तुत किये उन तथ्यों में जो रिलेवेन्ट बातें हैं और सदन को जिसके कारण से गंभीरता का अनुमान लग जायेगा वह तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह जमीन, अध्यक्ष महोदय, मन्दिर मथुरेश विहारीजी की है, माफी की जमीन है और उसके दो रिसीवर नियुक्त किये गये। एक तो सज्जनदास मोहता और दूसरे सन्तोषपाल

(३ म. प.)

त्यागी, एडवोकेट। यह दोनों ही एडवोकेट हैं। इस जागीर का पुनर्ग्रहण सन् १९५९ में हुआ। १९५९ के बाद ज्योंही जागीर का रेकार्ड सरकार के अधिकार में गया उस समय सरकारी रेकार्ड जो मुर्रात्तब किया गया या जो रेकार्ड ट्रान्सफर होकर आया है उसकी रेकार्ड की जमाबन्दी १०८, उसकी खतौर ११४ में वर्ग में लिखा है खातेदार जगन्नाथ, खाता नम्बर २९, ५८ बीघा। बाद में जो रेकार्ड जागीर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आया उसमें यह किया है कि इदिथ काश्तकार थी। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इदिथ का भी जमीन पर किसीप्रकार का अधिकार था। यह तो है, अध्यक्ष महोदय, सरकारी रेकार्ड को स्थिति। माननोय मन्त्री महोदय उत्तर देते हुए इसका ध्यान रखेंगे।

जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में पार्टी बनाकर जगन्नाथ को किस प्रकार से लाया गया। तो इसकी योजना बनाइ गई क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक कि इदिथ के नाम पर रेकार्ड ऑफ राइट्स न हो, उसका नाम रेकार्ड में नहीं लिखा जाय। तो नाम किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसके लिये इदिथ की तरफ से एस. डी. एम. कोटा की अदालत में १९-८-६९ को एक दावा पेश कराया गया। दावा पेश हो गया। उसमें उसने एक बात कही कि संवत् २०१३ से इस जमीन पर काश्त करती आ रही हूं और जगन्नाथ मेरा हाली था। मैं सरकारी नौकरी पर थी तो जगन्नाथ ने बेईमानी करके सेटलमेंट के अन्दर अपना नाम लिखा लिया और मेरा नाम नहीं लिखा गया है इसलिए मेरा नाम लिखा जाय और जमीन पर मुझे कब्जा दिया जाय और जमीन पर मुझे खातेदार बनाया जाय। यह उसने आवेदन-पत्र दिया। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो रेवेन्यू की वकालत करते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेज की वकालत करते हैं उसमें किसी जगह भी आज तक ऐसा केस नहीं आया होगा जब तक कि म्युचुअल आपस में एग्रीमेन्ट नहीं हो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दावा करे कि उस व्यक्ति ने मेरी जमीन अनधिकृत रूप से कब्जे में कर ली है या अपने नाम लिखा ली है और वह जाकर कोर्ट में जवाब

(श्री भैरोंसिंह)
दावा पेश करे कि मैंने गलती की है। मैंने नाम में गलती से अपना लिखा लिया, नाम वास्तव में इदिय का होना चाहिये। (श्री मूलचन्द डागा के बोलने पर) मैं समझता हूं कि मूलचन्दजी डागा बहुत होशियार हैं वे मुझे इस तरह से इन्टरप्ट न करें, मैं किसी को इन्टरप्ट नहीं करता हूं।

मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं और इस चुनौती के साथ रख रहा हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी या कोई भी माननीय सदस्य इस बात को गलत साबित करें तो वे त्याग-पत्र दें या न दें लेकिन मैं इस सदन के बाहर चला जाऊंगा।

दावा पेश किया गया। उस दावे में अब आप एक बात मानते हैं कि कोई दावा पेश किया जाता है तो जो सम्मन इश्यू होता है और सम्मन इश्यू होने पर दूसरी पार्टी को पता लगता है कि मेरे खिलाफ दावा पेश किया गया है। २९-८-६६ को दावा पेश किया गया और कोई सम्मन जारी नहीं किया गया और २९-८-६६ को ही जगन्नाथ की तरफ से कबूली दावा पेश किया जाता है। इससे अन्दाजा लगाइये कि जगन्नाथ जो प्रतिवादी है वह कोई कन्टेस्ट नहीं करता है तो इसका साफ मतलब यह है कि इदिय और जगन्नाथ दोनों के बीच में समझौता था और समझौता इस तरह का था कि वह जमीन इदिय के नाम ट्रांसफर करवाई जाय। वह ट्रान्सफर क्यों करवाई जा रही थी वह तथ्य मैं आगे लेना चाहता हूं।

इस मामले में २९-८-६६ से लेकर १७-९-६७ तक जितनी पेशियां पड़ी हैं तो किसी भी पेशी में कोई भी सम्मन इश्यू नहीं किया गया। कोई मुकदमा हिन्दुस्तान के रेकार्ड में ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने वर्ष के बाद भी गवाह और एडवोकेट्स होने के बाद भी कोई ऐसा सम्मन किसी प्रकार का इश्यू नहीं किया जाय। इससे यह पता लगता है कि कोर्ट और दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई थीं।

अब आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि २९-८-६६ को जो फर्द महकाम दर्ज किया गया था वह रेकार्ड सदन के सामने रखना चाहता हूं—

"वकील वादिनी एवं प्रतिवादी मय वकील उपस्थित हैं। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

(३.०५ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"उभय पक्ष की बहस सुनी गई। निर्णय हेतु कल पेश हो। फरीकेन मुकदमा दस्तावेजी सबूत पेश करना नहीं चाहते।

"हर आदमी बेजा कार्यवाही कर रहा है। दूसरी तारीख को फैसला दिया-

"वकील वादिनी उपस्थित है। आज हमें अन्य आवश्यक कार्य से अवकाश नहीं है। अतः मुकदमा वास्ते निर्णय २२-९-६६ को पेश हो।

"२२-९-६६ को कहा गया।

"वकुलाये फरीकेन उपस्थित हैं। आज हम दौरे पर जा रहे हैं। अतः वास्ते निर्णय ३०-९-६६ को पेश हो। हुकुम सुनाया गया।"

३०-९-६६ को पेशी हुई-

(श्री भैरोंसिंह)

"वादी के वकील उपस्थित हैं। प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी मोहल्लत दस्तावेज पेश करने को चाहते हैं। मिसल तारीख ७-१०-६६ को वास्ते पेश करने डाक्यूमेन्ट्स पेश हो।"

१५-९-६६ को डाक्यूमेंट्स पेश करने से इन्कार कर दिया। बहस कर ली गई और फैसले की तारीख निश्चित कर दी गई और ३०-९-६६ को मोहल्लत दी जाती है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। मोहलत दी जा रही है यह समझना चाहिये उन माननीय सदस्यों को जो कि वकील हैं और इस सदन में बैठे हुए हैं। इसका परिणाम क्या हो सकता है समझ सकते हैं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, आगे और तारीख दी गई। यह आगे की तारीख ७-१०-६६ को दी गई। उसमें कहा गया—

'वादी मय वकील उपस्थित हैं। दस्तावेज पेश करने की अवधि चाहते हैं। अतः मुकदमा १८-१०-६६ को पेश हो। सूचना दी गई।'

१८-१०-६६ को फिर

"वकील वादिनी उपस्थित हैं। दास्तावेजात पेश किये गये। मिसल वास्ते निर्णय ता० २५-१०-६६ को पेश हो।"

मैं बता रहा हूं कि १९-१०-६६ की फर्द अहकाम ही गायब है।

फिर २५-१०-६६ को—

"वकील वादी उपस्थित हैं। बहस की अवधि चाहते हैं। अतः मुकदमा वास्ते बहस दिनांक ८-११-६६ को पेश हो। हाजरीन को सूचना दी गई।"

दो बार तारीख दे दी। बहस सुन ली। दो बार कह दिया कि डाक्यूमेन्ट्स नहीं पेश करना चाहते हैं। फिर आगे ८-११-६६ को लिखा गया—

"वकील वादी उपस्थित हैं। बहस की अवधि चाहते हैं। अतः मुकदमा वास्ते बहस दिनांक ३-१२-६६ को पेश हो। सूचना दी गई।"

अध्यक्ष महोदय, २९-११-६६ को फर्द अहकाम पर कुछ नहीं लिखा है। फिर ३-१२-६६ को कहा गया—

"वकील वादी उपस्थिति हैं बहस की अवधि चाहते हैं।"....

२९-११-६६ को बहस नहीं हुई और फिर ३-१२-६६ को बहस नहीं हुई। उसमें कहा गया—

"अतः मुकदमा वास्ते बहस २०-१२-६६ को पेश हो। हाजरीन को सूचना दी गई।"

फिर २०-१२-६६ को पेशी हुई। उसमें बताया गया—

"वकील वादी उपस्थित हैं। बहस की अवधि चाहते हैं। अतः मुकदमा २८-१-६७ को पेश हो। सूचना दी गई।"

फिर २८-१-६७ को कहा गया—

"वकील वादी पेश है। बहस की अवधि चाहते हैं। अत- मुकदमा वास्ते बहस दिनांक २-५-६७ को पेश हो। हुकम सुनाया गया।'

(श्री भैरोंसिंह)

फिर २-५-६७ को कहा गया—

"वकील वादिनी उपस्थित। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक ३-५-६७ को पेश हो।"

फिर ३-५-६७ को लिखा—

"वकील वादी उपस्थित हैं। फैसला आज अन्य आवश्यक कार्य से नहीं लिखा जा सका। अतः मुकदमा वास्ते फैसला २०-५-६७ को पेश हो। सूचना दी गई ....

दूसरी बार निर्णय की तारीख बदली। २०-५-६७ को कहा—

"वकील वादी उपस्थित है। तहरीरी प्रमाण निर्णय के पूर्व पेश करने की अवधि चाहते हैं। अतः मुकदमा वास्ते पेश होने तहरीरी प्रमाण दिनांक १७-६-६७ को पेश हो, हाजरीन को सूचना दी गई।"

फिर डाक्यूमेंट्स का क्वेश्चन लाया गया। निर्णय की तारीख को फिर डोक्यूमेंट्स पेश करने का प्रश्न खड़ा किया गया है। अतः मुकदमा वास्ते फिर तहरीरी प्रमाण पेश करने हेतु दिनांक १७-६-६७ को पेश हो इसकी हाजरीन को सूचना दी गई। हाजरीन कौन थे? "वकील वादी उपस्थित है।" प्रतिवादी नहीं। प्रतिवादी का वकील नहीं। २०-५-६७ को न वादी हाजिर न प्रतिवादी और दोनों की अनुपस्थितियों में पार्टी को इत्तला दी गई। लेकिन १७-६-६७ को क्या होता है?

वकील वादी उपस्थित। शहादत जगन्नाथ का रेकार्ड किया गया। शहादत में जगन्नाथ को बुलाया गया। उसका वकील वहां पर उपस्थित नहीं था तो उसको कैसे सूचना मिल गई? बहस सुन ली गई और बाद में जगन्नाथ को गवाह के रूप में कहां से खड़ा किया? कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जिस आदमी ने जवाब-दावा पेश किया तो दावा पेश करने के बाद में उसके नाम सम्मन इश्यू हो तब कोर्ट में जाकर जवाब दे लेकिन बगैर किसी सम्मन के कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दे उस वक्त किसी वकील की उपस्थिति में स्टेटमेंट दिया नहीं, और जगन्नाथ के जवाब दावे के आधार पर फैसला किया गया तो फैसला गलत हो जायगा और किसी के भी द्वारा चैलेन्ज किया जा सकता है। इसलिये जगन्नाथ को खड़ा करके लाया जाय और जगन्नाथ का स्टेटमेंट कराया गया। अब क्या हुआ—

"बहस वकील वादी सुनी गई। प्रतिवादी नहीं है। वादी का वाद स्वीकार किया गया ......"

प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। उसकी एवज में सब कुछ कार्यवाही करके यह फैसला दिया है।

अब इससे तो यह समझेंगे कि एस० डी० एम०, जगन्नाथ, जेकब और जिनके पक्ष में यह फैसला लिखा गया, वह चारों मिल कर श्री बृजसुन्दर शर्मा को जमीन दिलाना चाहते हैं। १७-६-६७ को बृजसुन्दर शर्मा की पत्नी को जमीन दिलाने के लिए यह फैसला १७-६-६७ को किया गया। इससे पहले खातेदार जगन्नाथ को काश्त करने का हक था। जगन्नाथ जब था, न उसके वक्त में किसी प्रकार की डिक्री हुई है।

यह दस्तावेज राजकीय सरकिट हाउस, कोटा में पेश किया गया है। जहां पर बृजसुन्दरजी की पत्नी श्रीमती रक्षादेवी को भी उपस्थित किया गया। उसी दम २१-५-६७

(श्री भैरोंसिंह)

को दस्तखत हो गये हैं। आगे मैं बताना चाहता हूं......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या तारीख २१-५-६७ है ?

श्री भैरोंसिंह : २१-५-६७ है। आगे सुनिये, श्रीमतीजी ने इस दस्तावेज के सम्पादन कर्त्ताओं को ६,२५० रु० दिया। यह तो वह स्वयं बतावें कि दिया या नहीं दिया। गवाही विष्णुदत्त पुत्र ब्रह्मदत्त पंचोली, कोटा ने की है। अब आप यह पूछिये, २१-५-६७ को यह डाकूमेंट लिखा गया। जमीने उसको कब्जे में दे दी। रकम ६,२५० रु० जैकब को दे दिये गये। आप यह बतायें जिसके नाम कोई जमीन नहीं है। कोई आदमी को जमीन करांकर, कोई पैसा दे सकता है क्या ? जमीन पर अधिकार कर सकता है। न ही आपका अधिकार था न उसका अधिकार। न वह पैसा ले सकता था। जमीन कब्जे में नहीं ली उससे पहले यह लिखा गया। क्योंकि बृजसुन्दरजी को यह वहम था जिस समय में यह रेवेन्यू मिनिस्टर थे कि हमारे अधिकार से निकल नहीं जाये। इसलिए डाकूमेंट १७-५ को लिखा लिया। फिर एस० डी० एम० पर दबाव डाला। ताकि हमारा अधिकार हो जाये। अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले रजिस्ट्री कराकर फिर मुहर लगाई गई है। यह सारा रजिस्ट्रेशन हुआ। बीच में एस० डी० एम० कोर्ट में फैसला दिया है। यह डाकूमेंट अपने आप दबाव से लिखवाये। जहां एस० डी० एम० डर सकता है तो रजिस्ट्रार की क्या हिम्मत हो सकती है। कोई शंका नहीं हो सकती है। १७-६ को फैसला हो गया है। इस सदन में माननीय सदस्य मूलचन्द डागा भी सम्मिलित हैं। शंकरलाल भी सम्मिलित है। वे हमेशा यह शिकायत करते हैं कि जमीन पर कब्जा होकर रिकार्ड नहीं होता है। नामांकन नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, उसी दिन जजमेंट हुआ है उसी दिन तहसीलदार को लिख दिया। इदिथ के नाम नामांकन हुआ है। जमीन के अलाटमेंट का आर्डर इश्यू हुआ। रिकार्ड आफ राइट्स में एण्ट्री नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, डिक्री तैयार हुई १७-६-६७ को। फैसला हुआ १७-६-६७ को। यह तो आप मानते हैं कि कोई प्रभावशाली आदमी ही दबा कर इतना करवा सकता है। कोई ऐरा-गैरा नहीं हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैसले के बाद बृजसुन्दरजी वादी हो गये ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो बाद की चीज है।

मैं आपको और बातें बताता हूं। दावे में यह कहा गया है कि जैकब सम्वत् २०१३ से इस भूमि पर काश्त करती आई है। इस मन्दिर के रिसीवर श्री सन्तोषलाल त्यागी जो स्वयं चाहते हैं, बृजसुन्दरजी के पास चले जाते हैं। वह कहते हैं हम १३ से काबिज हैं। रजिस्ट्री में कहा है कि २० साल से काश्त करते चले आ रहे हैं। २०११ से कब्जा नहीं है। लेकिन रसीद सम्वत् ११ से १४ तक की पेश की गई है। पटवारी से एक रसीद पेश कराई गई कि यह लगान जमा कराया गया है। यह जगन्नाथ की तरफ से ईदिथ के मुख्तयार ने ६६ में जमा कराया। सम्वत् २०११ से १४ तक की रसीद पेश कर दी मन्दिर के रिसीवर ने, पटवारी ने कर दी। १४ से लेकर बाकी रसीदें कहां गई। चूंकि सन् १९५९ में रिजम्पशन हो गया है। वह जागीर डिपार्टमेन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

रसीद देगा। इसलिए वहां पर नहीं दी गई है पहले की रसीद पेश कर दी गई है और बाद की रसीद पेश कर दी गई है। यह मैं आज कहता हूं कि फोर्जड इस आधार पर है कि न तो त्यागी ने, जिसने रसीदें पेश की है, कोर्ट में उस रसीद को एक्जीबिट कराया हैं और न पटवारी ने, जिसने रसीदें पेश की हैं, उसने उन डोकूमेंट्स को एक्जीबिट कराया है। यह आप जानते हैं कि कोर्ट में कोई डाकूमेंट काग्नीजेंस में नहीं आ सकता जब तक कि कोई उसे एक्जीबिट नहीं कराये। उन डाकूमेंट के सपोर्ट में न तो उसने किसी प्रकार की एवीडेन्स दी और न उसने किसी प्रकार की एविडेन्स दी। वह एवीडेंस नहीं दी तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई, जब जागीर डिपार्टमेंट की जमीन थी तो क्यों नहीं जागीर डिपार्टमेंट को एवीडेंस के लिये बुलाया गया? क्यों नहीं, जागीर डिपार्टमेंट से इस बात की इन्क्वायरी कराई गई? मंदिर मथुरेश की जमीन जागीर डिपार्टमेंट में आ गई तो उससे दो बातों का पता लगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह आप भी जानते हैं, जिनकी जमीन रिज्यूम हुई है वह भी जानते हैं। और जिन्होंने जमीन रिज्यूम की है वह भी जानते हैं। जागीर रिजम्प्शन में दो प्रकार के मामले बनते हैं एक तो खुदकाश्त जागीर और दूसरे खुदकाश्त किसान, एक को एक प्रकार का मुआवजा मिलता है और दूसरे को दूसरे ढंग का मुआवजा मिलता है. मकबूजा ठिकाने को दूसरे प्रकार का मुआवजा मिलता हैं। यह जागीर डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि एट दी टाइम आफ रिजम्प्शन इस जमीन पर किसका कब्जा था? मैंने जागीर डिपार्टमेंट का रिकार्ड देखा है, उसके अन्दर जगन्नाथ का नाम लिखा हुआ है, गैर खातेदार लिखा हुआ है, उसको खातेदारी हक नहीं मिला था। ईदिय का नाम किस प्रकार भी नहीं है, उसको न किसी प्रकार से बुलाया गया और न किसी प्रकार से रिकार्ड को दिखवाया गया। तो यह सब प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं? यह इसमें सबसे ज्यादा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। जागीर डिपार्टमेंट के साथ-साथ, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ के साथ-साथ चम्बल का प्रश्न आता है कि कमाण्ड एरिया में किसी को खातेदारी हक नहीं मिल सकते हैं। मैं कोटा स्टेट के एक आॅर्डर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें यह है कि मंदिर की जमीन पर किसी को खातेदारी हक नहीं मिल सकते और जागीर रिजम्प्शन के बाद में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद में जब किसी को चम्बल कमाण्ड एरिया में खातेदारी हक नहीं मिल सकते, तो इन श्रीमान्जी ने कोशिश की कि बजाय खातेदारी हक प्राप्त करने के विवाद को खड़ा करने के खातेदार काश्तकारों के रिकार्ड में एन्ट्री करायें और एन्ट्री करा कर उसको दुरुस्त करायें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न था कि तहसीलदार की जमीन थी, जो गैर खातेदार हैं, उस पर किसी को खातेदारी हक नहीं मिल सकता, चम्बल के कमाण्ड एरिया में खातेदारी हक नही मिल सकता, मन्दिर मथुरेश की जमीन पर खातेदारी हक नहीं मिल सकता, तो मन्दिर के जो रिसीवर थे, संतोषपाल, जो कि जगन्नाथ के वकील थे, वह इस केस में मिले और रिसीवर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि ईदिय को वह काश्तकार मानते हैं। कानून के अन्तर्गत रिसीवर को किसी को काश्तकार स्वीकार करने का हक नहीं है, यह प्राफेशनल मिस

Page No 113

(श्री भैरोंसिह)

कन्डक्ट तो है ही, इसके अलावा हमने यह कानून बनाया है कि कोई रिसीवर काश्तकार और मालिक से मिलजुल कर यह न मान लें लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया उसका स्टेटमेन्ट हो गया लेकिन जागीर डिपार्टमेंट से कन्सल्ट नहीं किया गया और जो खातेदारी हक नहीं मिल सकते, वह प्राप्त कर लिये गये और चम्बल कमाण्ड एरिया में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के जो प्रावधान हैं, उसके विपरीत जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। यह हुआ क्यों ? क्योंकि श्री बृजसुन्दर शर्मा को उस कोल्ड स्टोरेज के पास में जमीन प्राप्त करनी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह एस. डी. ओ. इतना क्यों दबा कि लगातार एक साल तक तारीख देता रहा और उसने फैसला नहीं किया। वह इसलिए दबा क्योंकि १९ जून, १९६९ को वह एस. डी. ओ. रिटायर होने वाला था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६७।

श्री भैरोंसिह : ६७, सोरी, वह १९ जून, १९६७ में रिटायर होने वाला था और श्री बृजसुन्दर शर्मा थे रेवेन्यू मिनिस्टर, तो इन्होंने उसको आश्वासन दिया कि तुम फैसला कर दो, तो तुम्हें एक्सटेंशन मिल जायगा। उसने फैसला कर दिया। उसको १९ तारीख को रिलीव होना चाहिए था, वह १९ तारीख को रिलीव हो गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने वायदा किया था, इसलिए उसका मण्डी कमेटी का सेक्रेटरी बना दिया। उस समय मंडी कमेटी का सेक्रेटरी छुट्टी पर गया हुआ था, जब वह लौट कर आया तो उसने कहा कि मैं मरा तो फिर उसको लगाया कहां पर, उसको बी० डी० ओ० लगा दिया। लेकिन तब ही विधान सभा के अन्दर फैसला हो गया कि जिन लोगों को ५५ साल की उम्र हो गई है, वह एक जुलाई को रिटायर होंगे। उसमें वह चला गया। तो इस तरह दबाव के अन्दर उसने फैसला किया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में अदालतों की हालत क्या है, राजस्थान में किस प्रकार के अधिकारी हैं। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं, प्रमाण सहित कहता हूं इस सदन में कि श्री बृजसुन्दर शर्मा ने न केवल एस. डी. ओ. को दबाया बल्कि जो अपीलेट ऑथोरिटी का चैयरमेन है, श्री इन्दरसिंह, श्री चतुर्वेदी, इन दोनों को वह उसके पास ले गये और उसके पास ले जाकर उसको धमकाया और उसको कहा कि यह अपील हमारे पास आयेगी। इस केस में कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं है और जब एग्रीव्ड पार्टी नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, तुम इसके पक्ष में फैसला कर दो, जब कि वह कह रहा था कि मैं खातेदारी हक नहीं देना चाहता।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आर्गुमेण्ट हुए अभी तक, उनके सम्बन्ध में जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था, वह रूल्स ऑफ प्रासीजर के रूल १२३ के तहत निर्णय दिया था, मैं उसके सम्बन्ध में कहने के पहले सदन का दूसरी एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विरोधी दल के माननीय

Page No 114

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सदस्य इस प्रकार की बात सदन में रखते हैं तो उनको इस बात का अभिमान है और उनकी इस प्रकार की महत्वाकांक्षा है कि वह सदन में ऐसे विषय को लेकर आये हैं जिसके द्वारा कोई बहुत बड़ी बात इस सदन के सामने रख देना चाहते हैं। यह सदन संविधान के द्वारा निर्मित है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर से यह हाउस बाइन्ड करता है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस बात का निदेश देते हैं कि रूल्स आफ प्रोसीजर के तहत हम कुछ बातों का निर्णय करें। अगर हम उनकी बात पर एतराज करते हैं तो उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम लोग उनकी बात को रोकना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार ही चले और उसके आधार पर ही हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। उनके इसे महत्वाकांक्षी कार्य की कद्र करते हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह न भूल जायं कि हम संविधान के तहत ही इस विधान सभा में संविधान की शपथ लेकर आये हैं और हमें उसकी रक्षा करनी है, यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

श्री विजयसिंह : भ्रष्टाचार का दबाना भी संविधान के अन्तर्गत है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप बात मत करिये। आप और हम कैसे हैं—यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बोलिये। बोलिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : Where the case is sub-judice.

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल १२३ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि २३२ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत यह यह मुकदमा जहां पेंडिंग है, यह सबजुडिस है। यह निर्णय दे दिया था, उसके बाद उन्होंने इन प्रावीजो के अन्दर—

"Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or..."

एक तो मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो है उसमें यह है : "...If the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enqiry."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत देरी से बोल रहे थे तो फेक्ट्स को रिलेट करने का सवाल था। मैं समझता हूं कि फेक्ट्स को रिलेट करने का सवाल था, वह फेक्ट्स आपने रखे, अब आप उसको इसमें परिणित कर रहे हैं कि यह ऐसा हुआ, यह ऐसा हुआ, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सब सबूत यहां पर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, मैं एक बात बता दूं कि आप सबूत की बात कह रहे हैं तो मेरे पास सब सबूत मौजूद हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपके पास फेक्ट मय सबूत के हैं तो आप सबूत पेश

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

करें। रूल्स के द्वारा जो आपको अनुमति मिली है, वह सीमित है। आपको इतनी इजाजत हुई है कि आप सब्जेक्ट मेटर रख दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के अन्दर जो डिस्कशन हो रहा है उसमें आप यह बात कहते हैं कि यह जितनी कार्यवाही हुई है, यह २३२ के तहत रेफर है कलेक्टर के यहां पर, it is pending decision before a court.

जहां तक इसका सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेटर आप रख रहे हैं सदन में, वह सबजुडिस है, और यह सारी बातें उसे प्रिजुडिस करेंगी, उस केस को जो कि २३२ के तहत में है। तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप बोलें, लेकिन आप सीमा में बोलें। और कानून और रूल्स जितने परमिट करते हैं, उनका आदर आपको करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इच्छानुसार बोलूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने तो आपको आराम दिया है, थोड़ी देर के लिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं २७२ की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल २७२ है ..

श्री रामचन्द्र आर्य : इनसे मिल कर ही तो रखा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : "A member while speaking shall not—

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;"

यह माननीय अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया है, जुडिशियरी के डिसीजन के लिए कलेक्टर के यहां यह पैंडिंग है। मैं एक बात इस केस के लिए निवेदन करना चाहता हूं, वह आर्डर जो एस. डी. ओ. ने दिया है, जगन्नाथ वर्सेज जैकब के बीच में के केस में, यह जमीन जैकब की थी या नहीं थी, यह जमीन जगन्नाथ के कब्जे में आ गई थी या नहीं, जैकब को प्रोपर्टी मिली या नहीं, आर्डर पैंडिंग होगा या नहीं इसके ऊपर जजमेंट दें। जजमेंट हो उसके पहले ही आप कोई बात इस पर कहें, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सीमा में ही रहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक मिनिट में स्पष्टीकरण कर दूं, आप जो बात कह रहे हैं उन सबकी सर्टीफाइड कॉपी मेरे पास है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं समय की बचत की दृष्टि से ही सारी चीजें रेफर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी सर्टीफाइड कॉपी मेरे पास नहीं है और जिसकी सर्टीफाइड कॉपी नहीं है, वह मेरी जबानी नहीं है, वह टेप रिकार्ड करके मैंने अध्यक्ष महोदय के रिकार्ड में रखी हैं। वह आप सुन लें तो आपकी सबकांशियस इतनी प्रिक करेगी कि आप हाउस से उठ बाहर जायेंगे और बृजसुन्दरजी को भी ले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मसले को जिस प्रकार रख लिया, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा था, ईदिथ के बयान नहीं हुए थे, इस नाम से सम्मन्स इश्यू नहीं हुए थे, संतोष

(श्री भैरोंसिंह)

त्यागी ने उनके सर्टिफिकेट्स के आधार पर फैसला किया। वह तो जितने वकील हैं, वे सब उसको मानेंगे कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। मैं खास विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई बार कांग्रेस के सदस्य और विरोधी दल के सदस्य आरोप लगाते हैं कि केस पर असर डाला गया और सरकारी पक्ष की ओर से कहा जाता है कि नहीं डाला गया है। मैंने कहा एस० डी० एम० को एक्सटेन्शन या रीएम्प्लायमेंट का टेम्टेशन यह भी एक प्रकार का असर है, फिर रेवेन्यू अपीलेट अधिकारी इंदरसिंह मेहता, मिनिस्टर कन्सर्न्ड, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन, ये सब एस० डी० ओ० पर दबाव डालें...

एक माननीय सदस्य : क्या आधार है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं बता रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि मैंने जो टेप रेकार्ड राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को इस मोशन के साथ प्रस्तुत किया था वह यदि सदन में चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा है उसके कहने की आवश्यकता नहीं होगी। एस० डी० एम० और मेरी वार्ता है, सदन सुनले उसके बाद सदन स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं, राज्य विधान सभा में लोग कई प्रकार के आरोप लगाते होंगे लेकिन माननीय सदस्यों का यदि कॉन्शस क्लीयर है तो टेप रेकार्ड का स्टेटमेंट सुनने के बाद पार्टी बैरियर्स से ऊपर उठकर बृजसुन्दर शर्मा को बरखास्त करने की मांग करेंगे। टेप रेकार्ड बता देगा...

श्री मदनसिंह दांता : तब एस० डी० एम० नौकरी में था ?

श्री भैरोंसिंह : रिटायर होने के बाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसलिए कहा होगा कि उसका एक्सटेन्शन नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : यदि सुन लिया जाय तो मुख्य मन्त्री पहले से कन्वीन्सड हैं और फिर मोहर लग जाय तो पता लगेगा कि किस प्रकार से मंत्री आचरण कर रहे हैं और स्वयं बृजसुन्दर शर्मा को फैसला करने में दिक्कत नहीं होगी कि मंत्रिमण्डल में बैठकर, सरकारी अधिकारियों पर अधिकार नहीं जमा सकते। दोनों के हित में अच्छा होगा कि टेप रेकार्ड को सुना जाय और जब तक व्यवस्था करें, मैं दूसरे इश्यूज को लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार किसी बात की सत्यता के लिए डाक्यूमेंट का जिक्र किया जाता है, उस डाक्यूमेंट को पेश करवाने का अधिकार है, उसी प्रकार जो बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं, काफी गंभीर हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष या श्री बृजसुन्दर शर्मा या रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों ने जाकर एस० डी० एम० पर खुद दबाव डाला कि अमुक तरीके से फैसला कर दो। इसके बाद उसकी सत्यता के लिए यदि माननीय सदस्य के पास टेप रेकार्ड है, जिस बात का एस० डी० एम० कह रहे हैं तो उसके सबूत के लिए बहुत आवश्यक है कि इस सदन में उसको सुनवाया जाय ताकि उसकी सत्यता, जो एस० डी० एम० ने बात कही है, का पता लगे कि जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, वास्तव में उन्होंने कही। इसलिए उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए बिल्कुल वाजिब है और जिस प्रकार से हम फोटोज प्रस्तुत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करते हैं, जिस प्रकार से डाक्यूमेंटस प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से यह टेप रेकार्डर भी बजाया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक एस० डी० एम० ने रिटायर होने के बाद बात कही है। मंत्री या पोलिटिकल वर्कर से वह नाराज हो जाय, उनकी और जनसंघ के नेता की आपस में बातचीत हुई और उसको सत्य मानकर सारा किस्सा लाया जाय कि चतुर्वेदी ने यह किया और सारे नाम लिए। वह इसलिए रिटायर हो गया वह चाहते थे कि एक्सटेन्शन मिल जाय, वह नहीं मिला और गुस्से में संतुलन खोकर ऐसा कहा है। तो मैं समझता हूं, इस सदन में सुनना, कहीं दो आदमी सड़क पर बातचीत करते हैं या अपने घर पर बातचीत करें और आप कहें कि सदन सुने और फैसला दे, क्या वही निर्णायक होगा। यदि एस० डी० एम० ईमानदार होता, तो रिटायर होने से पहले कह सकता था। मंत्रीजी ने यह वायदा किया था। मंत्रीजी ने कब कहां वायदा किया था और कोई डाक्यूमेंट हो उसकी बात करें।

श्री मदनसिंह : मोटा पाइंट है। जो डाक्यूमेंट्स माननीय भैरोंसिहजी ने पेश किए हैं, ये सही हैं यह हम मानने के लिए तैयार हैं। टेप हमेशा उस समय लेते जिस समय बात चल रही हो। कई डाक्यूमेंट्स, जैसे पहले भी यहां मर्डर के केस में या जागीर कमिश्नर था उसने पोकरन के ठाकुर से कहा था कि इतना रुपया दो मुआवजा बढ़ा दिया जायगा, उस समय टेप रेकार्ड माइना रखता है। शायद वह सदस्य जनसंघ का या कांग्रेस का हो सकता है कि वे टेप को न मानें। रिटायरमेंट के बाद, डाक्यूमेंट्स जिनकी नकलें लाए हैं, रिटिन में चार्जेज हैं कि इस केस पर हरकतें हुई हैं, काफी सबूत है। बाकी टेप रखा तो रिटायरमेंट के बाद राजगोपालाचारी का टेप ले सकते हैं कि नेहरूजी ने क्या किया। जितना रेकार्ड पर उसकी इन्क्वायरी हो सकती है। बाकी टेप का क्या मालूम? आज एक सदस्य टेप में क्या बोलता है परसों क्या बोलता था।

(३.३६ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रमाण प्रस्तुत किये जाने थे वह कर दिये। मैं समझता हूं टेप रेकार्ड इसलिये आवश्यक है कि एस० डी० ओ० ने यह फैसला यदि ईमानदारी से निष्पक्षता से दिया होता तो शायद इस बात की शिकायत नहीं होती। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इस जमीन को लेने की योजना बृजसुन्दर के पक्ष में बनी है, एस० डी० ओ० पार्टी बनी है, ४ पार्टियां बनी हैं। तीन पार्टीज बताई गई हैं, प्रमाण मिल गया। एस० डी० ओ० ने कार्यवाही की उसका प्रमाण बताया गया लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी इन्दरसिंह मेहता और बृजसुन्दर स्वयं किसी प्रकार एस० डी० ओ० से कह रहे हैं, वह बात सदन में नहीं आई। एस० डी० ओ० के लिये कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, इन्दरसिंह से मैंने नहीं कहा। आज कानून के अन्दर पति और पत्नी अलग हो सकते हैं। मेरी पत्नी ने लिया है, मेरा क्या वास्ता? इन सारे रिलेशन्स को एस्टेब्लिश करने के लिये तथ्य मिलने की आवश्यकता है। टेप रेकार्ड सदन में सुनाया

(श्री भैरोंसिंह)

जाय। जहां तक टेप रेकार्ड की एवीडेन्शियरी वैल्यू है अब तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग हो चुकी कि टेप रेकार्ड की स्टेटमेंट को मान लिया जाय। उसके रेलेवन्स पर उस समय तक शक न किया जाय जब तक आवाज के अन्दर कोर्ट डाउट कर रही है। आवाज मेरी है और खेतपालसिंह एस० डी० ओ० की है। बृजसुन्दरजी खेतपालसिंह की आवाज को और मेरी आवाज को सदन जानता है। हम इन्कार करेंगे कि खेतपालसिंह की आवाज नहीं है। मैं समझता हूं सदन में रखना चाहिये और उसके बाद बृजसुन्दरजी से इस मामले का सम्बन्ध है। खेतपालसिंह का किस प्रकार दबाव आया, इन्दरसिंह कैसे आया और जोइन्ट एफर्ट की जमीन को प्राप्त करने की। इसलिये आवश्यक है कि टेप रेकार्ड को सदन में सुना जाय।

श्री मदनसिंह : भैरोंसिंहजी की आवाज पहचानी जाय लेकिन एस० डी० एम० की आवाज नहीं पहचानी जाय। रेवेन्यू सेक्रेटरी फालतू शिकार हो रहा है, यह गलत बात है। बृजसुन्दरजी के सम्बन्ध में जितने एलीगेशन्स हैं आज भी हो सकते हैं लेकिन एस० डी० ओ० जिसकी शकल नहीं देखी, उसके लिये हम से हां करवाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं माननीय गोकुलप्रसादजी ने बात कही उसके सम्बन्ध में कोई भ्रम है। यहां पर फेक्ट्स के लिये कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। जो प्राइमाफेसी मेटर आया है उसके आधार पर हाउस की एक कमेटी बनेगी, फिर टेप रेकार्ड को एडमिट करेगी, वह उसके लिये स्टेटमेंट लेगी, चतुर्वेदी, इन्दरसिंहजी मेहता को एविडेन्स में बुलायेगी, उनकी शहादतें लेगी, इसके सम्बन्ध में कागजात और फाइलें मंगायेगी। जब मुद्गल कमेटी बनी थी तो उसने सारे इस प्रकार के एविडेन्स लिये थे। दिल्ली गये, एविडेन्स लिये पूरे रेकार्ड को देखा। अभी हाउस इसके बारे में निर्णय पर नहीं पहुंच रहा है उसके लिये तो एक कमेटी बना दी जाय। वह कमेटी निर्णय देगी कि क्षेत्रपालसिंह के बयान हैं या नहीं, शराब पीकर दिये हैं या बिना शराब पीकर दिये हैं। भैरोंसिंहजी अपनी आवाज पहिचानते हैं, आप हम सब पहिचानते हैं। अभी तो मसला केवल इतना सा ही है कि हाउस की तीन आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : जो मोशन की बात हो तो फुल्ली चेक्ड हो और सटिफाइड हो। जब तक उसका अच्छी तरह से एग्जामिनेशन नहीं हो जाय, उसका टेस्ट चेक न करलें उस एविडेन्स की क्या वेल्यू होगी ? इट हेज नो एविडेन्स वेल्यू।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्वीकार कर लें कि एस० डी० ओ० और बृजसुन्दरजी ने मिलकर श्री जेकब के नाम करा कर, अपनी पत्नी के नाम करायी उससे बेचान करा कर। यदि उन्हें भ्रम है तो टेप रेकार्ड सुन लें।

श्री मदनसिंह दांता : सारा चीफ मिनिस्टर को मालूम है। उधर से न कहलवा कर इधर से कहलवा रहे हैं।

(शोर-गुल)

श्री भैरोंसिंह : यह गलत बात है। आप जिम्मेदारी से बोलिये। कोई अधिकार

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं है आपको इस तरह से कहने का। लीडर ऑफ दी हाउस है ......

(आपसी वाक्युद्ध, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!

श्री मदनसिंह दांता : उनको फांसी देने की बात है। हाउस ऑफ दी लीडर है .. किसी को.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लीडर ऑफ दी हाउस कहिये। हाउस ऑफ दी लीडर नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!

श्री मदनसिंह दांता : भैरोंसिंहजी, आई नेवर मेन्ट दैट।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, दांता!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं तो इतना ही उसके ऊपर कहने वाला था कि माननीय श्री मदनसिंहजी दांता ने कहा कि उधर से न कहलवा कर इधर से कहलवा रहे हैं। सब ही माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मेरी आदत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये आप क्या कहते हैं? कन्वीन्स नहीं हुए हैं। टेप रेकार्ड सुन लें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यदि मैं कन्वीन्स होता तो इतनी बहस की आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : सुनाइये साहब, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं टेप रेकार्ड सुनाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कब कहा।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज!

माननीय उपाध्यक्ष महोदय!

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है टेप रेकार्ड का रोल प्राप्त हुई है तो आपने यह सेटिस्फाई कर लिया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज बिलकुल नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें मुझे जैसा मालूम हुआ है कि दो व्यक्तियों की बोली रेकार्डेड है। एक भैरोंसिंहजी, उनकी बोली हम पहिचान सकते हैं। लेकिन क्षेत्रपालसिंहजी की बोली को हम पहिचानने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सब पहिचानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, पहले यह सर्टिफाई करा लें कि दूसरा व्यक्ति क्षेत्रपालसिंह है या नहीं। हाउस पर बड़ा असर पड़ेगा। टेप रेकार्ड यहां सुनाया नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह टेप रिकार्ड सुनाने का प्रश्न मेरा विश्वास है कि विधान सभा और संसद में बाइ लॉज का प्रश्न यहां उत्पन्न हुआ है। इस सम्बन्ध में किसी भी विधान सभा अथवा संसद की कोई भी व्यवस्था इस सदन को सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। इसलिये यह प्रश्न मेरे लिये बड़े महत्व का हो जाता है जिस पर मुझे सलाह करना आवश्यक है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उठाया है टेप रेकार्ड की आवाज की स्वीकृति यह महत्त्वपूर्ण है। यदि यह कहा जाय कि अन्दर की आवाज चाहे वह माननीय भैरोंसिहजी की हो या उस एस. डी. ओ. की, टेप में आवाज का परिवर्तन होता है कुछ अंशों में। यदि मैं टेप रेकार्ड की यहां इजाजत देता हूं सुनाने की और उसकी आवाज का प्रश्न विवादग्रस्त रहता है तो भी एक विचारणीय प्रश्न रह जाता है। हर सूरत से मैं यह समझता हूं कि इसकी आवाज को शनाख्तगी आवश्यक है और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम उसकी आवाज को शनाख्त करते हैं, वह प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि जिसकी आवाज है वह शनाख्त करता है या नहीं।

श्री भैरोंसिह : यह कहीं नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : टेप होने के बाद व्यक्ति द्वारा स्वीकृत करना मुश्किल हो जाता है। मैं इसकी अभी व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं। यह नया सा प्रश्न है मेरे सामने। इसके बीच में मैं यह चाहूंगा कि यहां इसको प्रस्तुत करने की इजाजत देने से पहले क्षेत्रपालसिह को बुला लिया जाय, उसको मौका दे दिया जाय.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूर बुला लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको एविडेन्शियली सदन के सामने रखा जाय तब होगा। उसकी अनुपस्थिति में इसका क्या होगा यह प्रश्न विवादग्रस्त होता है। इसकी व्यवस्था अभी नहीं दूंगा।

दूसरे प्रश्न विवाद में हैं। आप अपना भाषण अब समाप्त कर दें। यह व्यवस्था मैं स्थगित करता हूं। उनकी उपस्थिति आवश्यक हो और बुलाया जा सकता हो तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बुलाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब का प्रश्न है वह रैलेवेन्ट है या तो ना करें या स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : अपना भाषण समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह होता है कि डिबेट को पोस्टपोन किया जाय। किसी प्रश्न को सदन ले लेता है तो किसी व्यक्ति के लिये वह ठहरता नहीं है। माननीय सदस्य एविडेन्स प्रस्तुत करना चाहते थे उसकी जिम्मेदारी थी कि आपको नोटिस में लाते...

श्री अध्यक्ष : यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई टेप रख दे तो चेम्बर में शनाख्त करता फिरे। इन दोनों प्रश्नों पर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फोटो पेश किये जाते हैं, टेप रेकार्ड पेश किये जाते हैं। क्षेत्रपालसिह को बुला लिया जाय और उसकी एविडेन्स ले ली जाय। एविडेन्स एक्ट में दूसरे व्यक्ति भी कह सकते हैं कि यह उसकी आवाज है।

श्री अध्यक्ष : जब तक वह जिन्दा नहीं है सेकेन्डरी हो जाता है और जब तक वह जिन्दा है सेकन्डरी नहीं रहता है।

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विजयसिह : जिम्मेदारी से यह पेश कर रहे हैं।

Page No 121

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरा प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, बूंदी के पास मोहीपुरा गांव है। मोहीपुरा में भैरोंजी का सुंडा इस प्रकार का स्थान है। और उसके आस-पास जमीन है। मोहीपुरा गांव की आबादी नीची भूमि पर बसी है और जब कभी भी बरसात आती है तो उसमें पानी भर जाता है। वह भैरोंजी सुंडा का ही स्थान ऐसा है जहां बरसात में लोग घर छोड़ कर मवेशियों को लेकर चले जाते हैं। यहां के लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, लगातार दस वर्षों से, दस वर्षों तक कोशिश की कि इस भूमि का अलॉटमेंट गांव के नाम पर हो जाय और यदि सरकार सार्वजनिक रूप के इसका अलॉटमेंट नहीं करना चाहती है तो फिर व्यक्तिगत तौर पर इसको अलॉटमेंट कर दिया जाये और फिर गांव वाले आपस में इसकी व्यवस्था करें और उस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा, वह सार्वजनिक होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस जमीन के बारे में, सन् ६५ में कलेक्टर ने मोहीपुरा गांव वालों को जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वह चिट्ठी इस प्रकार है:—

"कार्यालय, जिलाधीश, बूंदी। वास्ते ग्रामवासियान मोहीपुरा जरिये मोहनसिंह हीरालाल आदि ग्राम मोहीपुरा, पोस्ट बरूंधन, जिला बूंदी। बाबत : प्रार्थना-पत्र बाबत न करके अलॉट, न खाली करने भैरूजी का बाग वाके मोहीपुरा, तहसील बूंदी।

उपरोक्त विषय में आपको सूचना दी जाती है कि आज तक उपरोक्त भूमि का नीलाम नहीं किया गया है, यदि नीलाम होगा तो उसकी सूचना नियमों के अनुसार जारी होगी। उस समय यदि आपको कोई आपत्ति हो तो नियमानुसार उज्रदारी करें।"

यह इसलिये पढ़कर सुनाया है कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी हो कि मोहीपुरा गांव के लोग इस जमीन को लेने में कितने आतुर थे। कितने वर्षों से कोशिश कर रहे थे। कई दरख्वास्तें उन्होंने दी। इसमें समय नहीं लूंगा। सर्टीफाइड कॉपी इन्होंने दी है। कई एक दरख्वास्तों पर कलेक्टर ने यह कहा है कि नीलामी होगी, सार्वजनिक रूप से होगी और नीलामी में जो जमीन लेना चाहते हैं, तो वे ले सकते हैं। बाजाब्ता ३१.२५ बीघा जमीन लेने पर भी बृजसुन्दरजी को सन्तोष नहीं हुआ। लड़के के नाम पर इस मोहीपुरा में, यह भैरूजी के सुण्डा की जमीन ३७॥ बीघा १४ बीस्वा जमीन ली और यही नहीं अपने भाई चन्द्रधर के नाम से, भाई के नाम से ३६ बीघा १४ बिस्वा अपने पुत्र सुधाकर के नाम से, ये दोनों जमीनें लीं। दोनों का जोड़ आप लें तो करीब ८० बीघा आयेगा जो एक तो अपने भाई के नाम और एक पुत्र के नाम है। ये दोनों जमीनें यह कह सकते हैं कि क्या हर्ज और भी लोग लेते हैं। यह कहा जा सकता है कि कानूनी इसमें खामी नहीं है। यह भी कोई कह सकता है कि रूल्स के खिलाफ नहीं है, परन्तु यह जमीन चम्बल कमाण्ड एरिया में Chambal Project Land Allotment and Rale Sules प्रकाशित है। इन नियमों के प्रावधान में यह आता है। उसमें दो गांव आते हैं। एक गांव मोहीपुरा, चक मोहीपुरा। मोहीपुरा की जमीन इन नियमों के अन्तर्गत आती है।

(श्री भैरोंसिंह)

(३ ५४ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

कलेक्टर ने यह कहा है कि अलॉटमेंट होगा तो नियमों के अनुसार होगा। अब सभापतिजी, इन नियमों में प्रावधान है कि सार्वजनिक नीलामी किस प्रकार से की जायेगी इसके लिये सरकार की तरफ से व्यवस्था है। पहले ही सरकार की तरफ से प्राइस रिजर्व थी। नीलामी का समय निश्चित किया जाये और नीलामी की कार्यवाही गजट के अन्दर छापा की जाये, गांव में ढोल पिटवाया जाये और जो लोग इकट्ठे हों उनमें बोली की व्यवस्था करायी जाये। इसके पहले, सभापतिजी, इसमें शर्तें हैं कि किन-किन शर्तों के ऊपर, जो लिखा है, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"The following shall be the conditions of sale under these rules:—

(a) All land sold under these rules shall be subject to the provisions of the Act and of the Rajasthan Colonisation (General Colony) Conditions, 1955 and all these rules:-

(b) Land may be put up for sale in one lot or in several lots or in lots other than those shown in the notice, and the allotting authority shall be competent to withdraw any lot or lots from sale without assigning any reason.

(c) No land shall be put up for sale until the State Government has fixed a reserved price therefor. The sale price shall be the reserved price determined by the State Government the price offered in the open aucion whichever is higher.

(d) No person shall be allowed to bid unless he—

(i) deposits an earnest money amounting to 5% of the total reserved price of each plot of land in cash. This earnest money shall be refunded on the spot to the unsuccessful bidders at the conclusion of the auction.

(ii) signs a declaration before the officer conducting the auction that he does not hold any land in his own name or in the name of any member of the joint family or, if he holds land, the total area of the land already held and of the land that he wishes to purchase at the auction, shall not exceed the area prescribed for the tehsil concerned for the purpose of clause (a) of Section 180 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No. 3 of 1955) and that he undertakes to cultivate the land personally.

(e) No person shall at any auction retract his bid, and if any dispute arises, the land shall be put

(श्री भैरोंसिंह) to auction again at the last undisputed bid."

मैं आगे के रीजन्स में नहीं जाता हूं। इन दो प्रश्नों पर ही कहना चाहता हूं। एक यह है कि जो कुछ भी रिजर्व प्राइस थी, उस रिजर्व प्राइस का एक फिक्स्ड ५ पर्सेन्ट, उसका ५ पर्सेन्ट इन एडवान्स जमा कराना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह न तो सुधाकर ने जमा कराया है और न चन्द्रधर ने ५ पर्सेन्ट जमा कराया है। दूसरा यह है कि एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तुम्हारे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्तेदारों के किस-किस के नाम कितनी-कितनी जमीन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का डिक्लेरेशन जिस समय फाइल को देखा है, उस फाइल में यह डिक्लेरेशन नहीं था। यह डिक्लेरेशन है और जमा कराया जाय, सभापतिजी, जो आक्शन का आर्डर है, जो रिकार्ड की जाती है, नियमानुसार वह रुक जाती है। अमुक-अमुक सर्टीफिकेट पेश किया जाय और उसका १/८ अर्नेस्ट मनी जमा कराया जाय। अगर यह सुनना चाहते हैं तो वह मेरे पास है। वह नीलामी का आर्डर मेरे पास है। उस पर जिन लोगों के दस्तखत हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। उसमें कहीं पर भी १/४ रुपया जमा कराने का उल्लेख नहीं है। यह नोटिस है २७-३-६८ का।

"दिनांक २७-३-६८ आज मु० तालेड़ा पर चम्बल सिंचाई योजना क्षेत्र की सरकारी भूमि के नीलामी के प्रोग्राम के अनुसार ग्राम मोहीपुरा की आराजी सरकारी भूमि अनकमाण्ड नम्बर इतना-इतना...किस्म जमीन उपनिवेशन मा० ।।। को नीलाम करने हेतु मिसल नीलाम खोली गई। उक्त आराजी का आरक्षित मूल्य रु० २७११)५० फर्द नीलाम पर अंकित कर मजमे आम में नीलामी बोली, पुकराई गई। सबसे अधिक उच्चतम नीलामी बोली पुकराई गई तो सबसे अधिक ३६५१) रुपये की श्री सुधाकर आत्मज श्री बृजसुन्दर शर्मा कौम ब्राह्मण, साकिन बूंदी की कायम रही। इससे अधिक और कोई नीलामी बोली बढ़ाने को तैयार नहीं रहा। अतएव उपरोक्त आराजी किस्म इतना-इतना कुल रकबा ३६।)४ अन्तिम नीलामी ३६५१) रुपयों में श्री सुधाकर आत्मज श्रीबृजसुन्दर शर्मा ब्राह्मण, साकिन बूंदी के नाम पर समाप्त किया गया। नीलामी खत्म होने की सूचना उपस्थित लोगों में से कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर फर्द नीलाम पर बतौर गवाह कराये गये। क्रेता ने अन्तिम नीलामी की रकम चौथान पेटे रु० ५०) बुक नं० इतना-इतना रसीद नं० ३६ पर जमा करा दिये। शेष रकम १५ दिन के अन्दर जमा कराने की मोहलत चाही। धन बकाया रकम जमा कराने की मोहलत दी गई। अगर रकम चौथान जमा नहीं की गई तो नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा"।

इसका यह मतलब है कि रूल्स का पालन नहीं किया गया। यही हालत श्री चन्द्रधर के बाके की है। आप चाहें तो उसे भी यहां पर पढ़कर सुना दूं। यह जमीन की नीलामी फर्जी है। सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। लोगों के जो दस्तखत हैं, जो दस्तखत कराये गये हैं। वे कौन हैं? उसमें एक जागीरसिंह के नाम का उल्लेख था। जिसके नाम बोली खत्म की गई, उसकी जगह विद्याधरजी के दस्तखत हैं। सुधाकर के दस्तखत नहीं है जबकि

Page No 124

(श्री भैरोंसिंह)

सुधाकर के नाम बोली, नीलामी खत्म हुई है। ये विद्याधरजी बृजसुन्दरजी के पिताजी हैं। दूसरा व्यक्ति जो राजपालसिंह है, उसने जागीरसिंह के नाम से दस्तखत किये हैं। तीसरे दस्तखत रतनाराम के है और चौथे श्री मदनगोपाल के हैं। इसके अलावा पांचवा नाम किसी का नहीं है। इसमें ग्राम मोहीपुरा का कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह सार्वजनिक नीलामी नहीं की गई थी। इसका सबूत यह देना चाहूंगा कि इस गांव के जितने भी लोग हैं, उन सारों ने, उन सारे लोगों ने अपने हस्ताक्षरों से इस बात की शिकायत राजस्थान सरकार को भी बहुत पहले की थी कि इस गांव के सरकारी जमीन की नीलामी की सूचना हमें नहीं मिली। सारे गांव के लोग, पंच, सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उनकी एप्लीकेशन मेरे पास है। आप चाहें तो मैं आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। यह जमीन मोहीपुरा में नीलाम होती, मोहीपुरा के लोग सन् ६५ से कोशिश कर रहे थे, उनको नीलामी की सूचना नहीं मिली। अगर उनको सूचित किया जाता जैसा कि उन लोगों ने कलेक्टर से कहा है, हम इस जमीन के ५०० रुपया बीघा दे देते। ५०० रु० बीघे के हिसाब से खरीद लेते क्योंकि उन लोगों को आवश्यकता थी वे जरूर ले लेते। मैंने उन लोगों से बातचीत की है, जिनके हस्ताक्षर हैं उनमें एक सज्जन मदनगोपाल पटेल हैं, मोहनलालजी कौम ब्राह्मण हैं कहते हैं कि इसकी नीलामी तालेड़ा में हुई है। उनके और मदनगोपाल के दस्तखत तालेड़ा और बून्दी के कार्यालय में करवाये गये तहसीलदार द्वारा। यह सब कार्यवाही तहसीलदार बून्दी के कार्यालय में हुई। उसका जो शपथ-पत्र है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं:

"मैं कि मदनगोपाल ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा पूर्वक निवेदन करता हूं कि दिनांक २०-३-६८ को तहसीलदार सा० श्री देवीनारायणजी, ग्राम मोतीपुरा, तहसील बून्दी की जमीन की नीलामी के कागजात पर तहसीलदार सा० ने मुझ से भी दस्तखत करने को कहा था और मैंने भी इस पर करीब ११–२ बजे दिन के दस्तखत किये हैं। उस वक्त जहां पर मेरे दस्तखत हुए उस कागज पर बजरंगलाल महाजन, तालेड़ा, नन्दलाल महाजन, मंत्री रतनाराम जाट, तालेड़ा आदि के हस्ताक्षर हो रहे थे तहसीलदार सा० देवीनारायणजी कभी मोके पर मोहीपुरा नहीं गये और न बोली पुकरवाई गई।..."

श्री मूलचन्द डागा : यह सब फाइनल हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी फाइल कमिश्नर के यहां है फाइनल नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इतनी बात मेरी गलत सही।

"मैं मदनगोपाल शपथ-पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे हस्ताक्षर कराये उस वक्त पं० विद्याधरजी या पं० बृजसुन्दरजी का कोई पुत्र वहां तहसील में मौजूद नहीं था।"

श्री मूलचन्द डागा : इससे क्या होता है कहने से.....

श्री भैरोंसिंह : पहले आप महनत करने की कोशिश कर लें। फिर वकालात करना।

(श्री भैरोंसिंह)

इस पर अोथ कमिश्नर का सर्टिफिकेट है वह भी सुनना चाहते हैं तो सुना दूं उसमें भी यह लिखा हुआ है बृजसुन्दरजी के पुत्र और विद्याधरजी दोनों हो मोहीपुरा नहीं पहुँचे। गवाहान कहते हैं कि विद्याधरजी नहीं पहुँचे वहां वह नीलाम नहीं हो सकती थी और ये वहां ले नहीं सकते थे क्योंकि इस भूमि में गांव वालों की दिलचस्पी थी।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहीपुरा के लोगों की दरख्वास्त पर नीलामी आदेश हुए हैं। प्रार्थना-पत्र आप देख सकते है आॅर्डर प्रार्थना-पत्र पर होता हैं और नीलामी वहां नहीं होती। गांव के लोगों को इत्तिला तक नहीं मिलती और जमोन बाला-बाला अपने नाम नीलाम हो जाती है इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है।

इसके अलावा नीलामी के भी नियम हैं वह भी कार्यवाही नहीं हुई। वह भी नीलाम तब तक नहीं हो सकती जब तक सरकार उसके रेट्स निर्धारित न कर दे और इसके साथ-साथ बोली लगाने वाले को यह घोषणा करनो पड़ती है उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है। कच्चा भाटा में २५ बीघा ले ली, कोटा में १५ बीघा ले ली इस तरह से बृजसुन्दरजी सरकार के नियमानुसार और भूमि ले नहीं सकते। इसीलिए डिक्लेरेशन नहीं दिया यदि देते तो यह जानकारी मिलती कि उनके पास कितनी जमान है।

(३) रणजोतसिंह नाम के व्यक्ति के नाम से ४ बीघा ३ बिस्वा जमीन खरीदी है। २५० बीघा के पैसे नहीं दिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मोहीपुरा और रघनाथपुरा कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : आप ही बताइये कितना फासला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सात मील का है।

श्री भैरोंसिंह : सात मील का फासला है, यह जमीन सड़क के किनारे की जमीन है। यहां पर आपने ४।। बीघा जमीन खरीदी है। मुझे सरकारी रेकार्ड से इस बात की भी जानकारी मिली उस जमीन पर सरकार द्वारा मंडी बनाने की योजना प्रस्तावित है। यह जमीन मंडी बनने के लिए ली जायगी तो कम से कम ५ हजार रुपया बीघा से अधिक हो वह जमीन बिकेगी। बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर यह जमीन है।

इसके अलावा इन्होंने एक और जमीन कबाड़ली बून्दी की सरहद के पास डेढ़ बीघा का टुकड़ा पड़ा था उसके लिए आप कहते है कि यह जमीन चूंकि मेरे जमीन के नजदीक है, सरहद के हिसाब से मुझे मिलनी चाहिये इसका अलोटमेन्ट होना चाहिये।

सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यह जो जमीन ली है उस प्रकार की जमीन के लिये भी नियम बने हुए हैं वे इस प्रकार हैं इनमें लिखा है:—

"संख्या एफ. ६ (२२) राजस्व (ख) १/६५ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६) की धारा २६१ को उप-धारा (२), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, १९५६ में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करती है :-

"आसामियों के खेतों से संलग्न अनधिकृत

(श्री भैंरोंसिंह)

भूमि की छोटी पट्टियां अथवा टुकड़ों का आवंटन।

पूर्वगामी नियमों में कई बातें अन्तर्विष्ट होते हुए भी किसी खातेदार आसामी के खेत में संलग्न भूमि की छोटी पट्टी अथवा टुकड़ा जो पांच बीघे से अधिक न हो, बीघा एक टुकड़े के ५/८ भाग बराबर है। उक्त आसामी द्वारा आवेदन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से खातेदार भी धारणाधिकारी के रूप में उसे आवंटित किया जा सकेगा तथा सनद शुल्क ५- रुपये वसूल किये जाने पर प्रपत्र ५ (का) में आवंटन के आदेश की एक प्रति आवंटिती को दी जा सकेगी और निर्धारित नामान्तरण शुल्क वसूल किये जाने पर नामान्तरण की औपचारिक स्वीकृति भी दी जा सकेगी।"

सभापति महोदय, ये खातेदार नहीं थे कच्चा भाटा में रजिस्ट्री करानी है। इस जमीन की जो सीमा दी है वह भी मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

इसमें जो निकलना चाहेंगे। पहला प्रश्न तो यह है कि कोई सलाहकार समिति की बैठक हुई? दूसरा यह कि जमीन यह बताते हैं जैकब वाली वह कोटा में हैं या बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। और बताना चाहूंगा जो रजिस्ट्री हुई है वह २५ बीघा की है। नजदीक होने के कारण जमीन २५ बीघा जरिये रिसीट नं० २६ रकबा २८ बीघा में से २५ बीघा। पश्चिमी भाग की बेचा गया उसके करीब मेरा खुद का बुक नं० खसरा नं० २६ वाला। पश्चिम में पानी की धारा या बूंदी की सड़क राजनारायण की जमीन। उत्तर में करणीमाता की जमीन, दक्षिण में खसरा नम्बर ४५/४६ माफी मुरली मनोहरजी के मन्दिर की। सड़क आपने बताई है। उसके हिसाब से बृजसुन्दरजी कहीं भी पड़ोस में नहीं हैं। मैं तो प्रत्यक्ष में देख कर आया हूं। सरकारी अधिकारी भी पहुँच गये थे, यह स्ट्रिप आफ लैंड फिर किस तरह से नजदीक हो गई। हवा से ऊपर से तो कनेक्शन कर दें या अण्डरग्राउन्ड कर दें तो कह नहीं सकता।

इसके बावजूद भी नियम बने हुए है। वहां के लोग दरख्वास्त देने को तैयार हैं और पड़ोसी कोशिश कर रहे हैं। सलाहकार समिति की मीटिंग में मामला नहीं रखा गया। इस प्रकार से बृजसुन्दरजी शर्मा ने १॥ बीघा यह, ४॥ बीघा रणजीतसिंहजी से। दोनों भाइयों की सुधाकर का, चन्द्रधर की ८० बीघा वह, २५ बीघा जैकब से कुल मिलाकर २५ प्लस ८० प्लस ४ प्लस १॥ और १५ बीघा पेट्रोल पम्प की जमीन। इस प्रकार से कुल मिलाकर जोड़ लगा लें। ११६ बीघा जमीन पर कब्जा किया? अब यह किन बृजसुन्दरजी ने किया। जो सीलिंग का कानून लागू करने के लिये हैं, जिन पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानून बनाकर जिनको अधिकार दिया गया। राजस्थान की जनता ने टीनेन्सी एक्ट के कम्पलाएन्स की जिन पर जिम्मेदारी डाली है; सीलिंग के कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर डाली, कानून की अवहेलना करके जिन्होंने अनधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनसे छुड़ाने की जिन पर जिम्मेदारी डाली है; उन्होंने इस जिम्मेदारी की चिन्ता नहीं की। सीलिंग के कानून की अवहेलना की, टेनेन्सी कानून की अवहेलना की,

(श्री भैरोंसिंह)

रिक्वीजीशन रूल की अवहेलना कर दी गई। प्रशासन की सलाह से समाप्त कर दिया गया। सलाहकार समिति की अवहेलना की। अपने निजी स्वार्थ के लिये इतनी जमीन पर कब्जा किया है, अपने परिवार के लोगों के नाम पर फरजी काम किया है। इसलिये मांग की थी हमने। बिक्री के प्रश्न पर अभी नहीं जाना चाहता। कागजों से फाइलों से वे ले सकते हैं। पर इन पर बाद में विचार किया जा सकता है। मुझे जानकारी मिली है कि इन प्रश्नों पर राजस्थान की सरकार ने कार्यवाही चालू की है। यदि देखना चाहें तो एक-एक प्रश्न पर भी मेरे पास सारा रिकार्ड है। फोरेस्ट की जमीन पर किस प्रकार से कब्जा किया गया, आलनिया बांध पर जमीन किस प्रकार ली, मादुंगा गांव की जमीन को किस प्रकार बेचा गया, लाखेरी को जमीन का मामला अलग है वह किस तरह से अलॉटमेन्ट हुआ। मैं समझता हूं ये सवाल इतने हैं...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लाखेरी की जमीन के एलॉटमेंट के कागजात रख दें।

श्री भैरोंसिंह : बाकी का क्या चाहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक हवा बना दी।

श्री भैरोंसिंह : लाखेरी के लोगों की जमीन। पानों की खेती वालों को निकाल दिया। उसका एलॉटमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी अपने मित्रों को बनाकर उसके नाम कर दिया। पानों की खेती करने वाले लोगों को बाहर फेंक दिया। कह दीजिये सही नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिलकुल गलत।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल सही।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने प्रस्ताव दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बाकायदा एस० डी० ओ० कलेक्टर ने पानों की खेती करने वालों की को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाकर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : जमीन तो दे दी न उनको। चमन, आप कहिये इसके बारे में क्या कहते हैं। कैनाल की जमीन खा गये, इसके लिये क्या कहते हैं। वह तो चली गई। अब कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक सदन में जानकारी और देना चाहूंगा। कोई वहम न हो जावे। अदालत में दखल करने का यह भी पता नहीं होगा। कैसे हुक्म देते हैं। जैसे नादिरशाह हुक्म देता है। राजा-महाराजा अपने जमाने में हुक्म देते थे। जिसको मन आई जमीन इसको दे दी, उसको दे दी। अब भी आप प्रमाण ही मांग रहे हैं तो सुनिये :

"फैसला ब इजलास श्री रणजीतसिंह कुम्भट, आई० ए० एस०, जिलाधीश, झालावाड़ मि० नं० ३०७/५७१ रेवे० अपील मंजू० ११-९-६७

विकास पंचायत, असनावर अपीलान्ट

बनाम

श्री कुन्दनमल वल्द कुन्देरीमल महाजन, साकिन असनावर, तहसील पाटन... रेस्पोन्डेन्ट

Page No 128

(श्री भैरोंसिंह)

अपील बनाराजगी आज्ञा तहसील पाटन
दिनांक ९-८-६८

उपस्थित श्री केवलचन्द जैन
एडवोकेट ... ... अपीलान्ट

श्री चतुरबिहारीलाल ... रेस्पोन्डेन्ट

आदेश

जरा ध्यान से सुनिये।

दिनांक ९-९-६८

"यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार झालरापाटन दिनांक ६-८-६७ पेश हुआ है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि श्री कुन्दनमल महाजन, निवासी असनावर ने माननीय राजस्व मन्त्री के समक्ष दिनांक १-८-६७ को केम्प झालावाड़ पर इस विषय का प्रार्थना-पत्र पेश किया कि प्रार्थी का पारोठिया करीब १०-१२ साल से खसरा नम्बर १३०० की १३ बिस्वा भूमि में है जिसमें वह घास व कृषि का सामान रखता आया है उसको एलॉट कर दिया जावे। माननीय राजस्व मन्त्री ने दिनांक १-८-६७ को झगड़ा खत्म करने के लिये इस जमीन को २० साला लगान लेकर दिये जाने बाबत तहसीलदार पाटन को आदेश दिया।'

श्री मानजी आपको क्या अधिकार था ?

आगे कहा है :

"इस पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उक्त रकबे के बाबत जांच की गई। जांच से विवादग्रस्त रकबे पर श्री कुन्दनमल महाजन का कब्जा सम्वत् २०१८ से चला आना तथा उक्त रकबा विकास आबादी हेतु पंचायत को न दिया जाना पाया गया। इसलिये तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा खसरा नम्बर १३०० का ८ बिस्वा रकबा श्री कुन्दनमल कुन्डेरीमल महाजन को घास व कृषि सामान रखने हेतु २० साला लगान पर दिनांक ६-८-६७ को आवंटित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश हुई है।"

यह तो फेक्ट है।

"बुकलाये फरीकेन हाजिर। बहस समाअत की गई। वकील अपीलान्ट ने प्रकट किया कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा भूमि का एलॉटमेंट केवल माननीय राजस्व मन्त्री के आदेश के आधार पर किया गया है जो नियम विरुद्ध है। एलाटमेंट रूल्स के मैन्डेटेरी प्रोवीजन्स की कोई पालना नहीं की गई है। खसरा टीप में जो इन्द्राज किया है वह सही नहीं है। तहसीलदार का आदेश भूमि एलाटमेंट का दिनांक ६-८-६७ का है जबकि प्रीमियम दिनांक ५-८-६७ को ही जमा कर दी गई है।"

अब यह फैसले की अन्तिम लाइन मैं सुना देता हूं। वैसे यह लम्बा है।

"यदि गैर कृषि उपयोग के लिये दी है तो ऐसा करना तहसीलदार की क्षमता के बाहर था। इससे विदित होता है कि भूमि न तो किसी नियम के अन्तर्गत आवंटित ही की गई है और न राज्य सरकार के किसी परिपत्र को मद्देनजर रखते हुए नियमन ही किया गया है। राजस्व मन्त्री के आदेश का अनुपालन करने में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमो का पालन करना था या इसी आदेश को राज्य सरकार को भेज कर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना था।"

Page No 129

(श्री भैरोंसिंह)

जो नहीं किया गया।

"वकील रेस्पोन्डेन्ट बावजूद मौका देने के कोई रूलिंग न बता सके कि राजस्व मन्त्री का आदेश राज्य सरकार का ही आदेश है। यदि राजस्व मन्त्री का आदेश राज्य सरकार का ही था तो तहसीलदार को नया आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। फिर अपील भी तहसीलदार के आदेश की है जो किसी भी नियम के तहत नहीं आती।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार झालरापाटन दिनांक ६-८-६७ मंसूख किया जाता है।"

आपका आदेश राज्य सरकार का आदेश है यह भी रूलिंग नहीं मिली। आपकी इज्जत तो यह है। यदि राजस्व मन्त्री के आदेश राज्य सरकार के आदेश हैं तो फिर मन्त्री को नये आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। किसी भी नियम के तहत यह नहीं आता।

यह है आपके हुक्म की इज्जत एक एस० डी० एम० के सामने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे याद नहीं है कि दरखास्त पर मैंने क्या हुक्म दिया है।

श्री भैरोंसिंह : तहसीलदार और एस. डी. एम. आपके हैं, उन्होंने लिखा है, आपको याद नहीं है। अगर आपका यह सोचना है कि ऐसे आदेश नहीं थे, तो क्या वे झूठे हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखा होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की हालत क्या हो गई? राजस्व मन्त्री कलेक्टर के फैसले को देखता है कि उसने मेरा नाम कैसे लिखा। मुझे मालूम नहीं क्या लिखा है उसने। उनको अपने मातहत कलेक्टर और तहसीलदार की बात पर भरोसा नहीं। उनको यह भी पता नहीं कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं भी ज्यादा इस सम्बन्ध में सदन का समय नहीं लेना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न मैंने रखा है उस प्रश्न के पीछे, मैं बहुत स्पष्ट कर चुका कि मेरी कोई व्यक्तिगत वैमनस्य की भावना नहीं है। बृजसुन्दरजी से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं इस प्रश्न को सदन में लाना भी नहीं चाह रहा था। नहीं लाने के लिये मैंने बहुत प्रयत्न भी किया। बड़ा प्रयत्न किया कि यह मामला विधान सभा के स्तर पर न आवे और मुख्य मन्त्रीजी स्वयं अपने ही स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करलें। एक साल तक यह मैं देखता रहा। दो पत्र भी मैंने मुख्य मन्त्रीजी को लिखे। पर उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

तो अध्यक्ष महोदय, मैंने मजबूर होकर इस कमेटी का सुझाव इस विधान सभा में रखा है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कि आप बृजसुन्दरजी को फांसी दे दें या बर्खास्त कर दें। मेरी तो मामूली मांग है कि सदन ३ सदस्यों की एक जांच कमेटी नियुक्त कर दे वह जांच कर ले, अब रिपरकसन्स क्या होंगे, कान्सीक्युएन्सेज क्या फालो करते हैं वह दूसरी बात है। उसमें मोरेलिटी का प्रश्न है। यदि इस जांच का प्रश्न हाउस मन्जूर कर लेता है तो हमें कोई बृजसुन्दरजी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने केवल एक समिति की मांग की है और

(श्री भैरोंसिंह)

वह इसलिये की है कि प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन रिपोर्ट जो भारत सरकार को पेश की गई है उसका अच्छी तरह अध्ययन मन्त्री लोग कर लें। करप्शन को किस तरह दूर किया जाय उसमें एक चेप्टर है देखने में यह आता है स्पेसिफिक ऐडमिशन का—

"Specific allegation of corruption on the part of a Minister at the Centre or a State should be promptly investigated by an agency whose findings will command respect. We recognise that irresponsible allegations cannot be taken serious note of. We, therefore suggest that if a formal allegation is made by any ten members of Parliament or a Legislature in writing addressed to the Prime Minister or Chief Minister, through the Speakers and Chairmen, the Prime Minister or Chief Minister should consider himself obliged by convention, to refer the allegations for immediate investigation by a Committee as has been suggested later in this Section."

इसमें १० प्रोसीजर की बात है लेकिन उन्होंने मुख्य मन्त्री के सामने विधान सभा के अध्यक्ष के मार्फत कोई आरोप आते हैं तो मुख्य मन्त्रीजी को जांच करानी चाहिये और इस रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जांच किस प्रकार की जाय उन्होंने कहा है—

"Whenever allegations against a Minister require to be inquired into an adhoc Committee should be selected out of this national panel by the President."

लेकिन यहां पर नेशनल पेनल नहीं है जिसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी कहें या मैं कहूं कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को कमेटी का मेम्बर बना दिया जाय क्योंकि पेनल नहीं है। कमेटी के माध्यम से मुख्यमन्त्री जी को जांच करानी चाहिये। इसलिये मैंने मांग की कि तीन माननीय सदस्यों की कमेटी बनाई जाय। अध्यक्ष महोदय, आप उन तीन व्यक्तियों को मनोनीत कर दें। वह कमेटी सारे प्रश्नों की जांच करके जो तथ्य मैंने सदन के सामने रखे हैं, जो फेक्ट्स मैंने सदन में पेश किये हैं और जो कागजात कलेक्टर के यहां हैं उनको मांग कर इस बात की जांच करें, और जांच होने तक मैं श्री बृजसुन्दरजी शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी थोड़ी बहुत अगर अन्तरात्मा रखते हैं तो जैसे श्री शिवचरणजी की इन्टरनल कान्शस वेक करने लगी थी और उनकी अन्तरात्मा की भावना ने त्याग-पत्र दिया था उसी तरह मंत्रिमण्डल में सब बराबर की अन्तरात्मा रखने वाले हैं सबकी आस्था एक सी है, त्याग-पत्र दें। अगर अन्तरात्मा उनमें नहीं है तो मैं समझता हूं सुखाड़िया साहब आप इस तरह के मंत्रिमण्डल को लेकर जनता की सेवा नहीं कर सकते और जनता की सेवा नहीं करेंगे तो वह आपको लूटेगी और उस लूट से जो अशान्ति की स्थिति फैलेगी वह कभी आपको नहीं टिकने देगी।

आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आखिर हम जायें तो कहां जायें विधान सभा में हम जायें तो हमारी कोई सुनता नहीं, मंत्री हमारी सुनते नहीं, मुख्य मंत्रीजी के पास जायें तो वे सुनते नहीं। जिसके पास भी जायें तो कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि किसी भी

Page No 131

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री के ऊपर आरोप लगेगा तो वह ५ वर्ष तक रहेगा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है–यह फैसला करलें ताकि जो हम आरोप लगायें वह लगाये ही नहीं जासकें। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने लोकपाल और लोक आयुक्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा की है वह चर्चा चल रही है। हम मुख्य मंत्री से इस बारे में कहते हैं कि आपका क्या मत है तो मुख्य मंत्रीजी मौन रहते हैं। यहां न कोई अधिकारी है जिसके पास जाकर हम कहें कि जांच करें। विजिलेन्स कमीशन है उसमें हमारी कोई आस्था नहीं रही है। कुछ लोगों के खिलाफ हम उसमें शिकायत भी कर सकते हैं लेकिन मंत्रियों के खिलाफ शिकायत करने को किसके पास जायें। या तो किसी मंत्री की शिकायत के लिये हम मुख्य मंत्रीजी के पास जायें या सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलायें। मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूं कि मैंने यथा शक्ति कोशिश की कि यह मामला विधान सभा में न आये, मुख्य मंत्रीजी अपने स्तर पर जो भी एप्रोप्रियेट ऐक्शन समझें लेलें लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिये मैंने विधान सभा के सामने रखा है। किसी विद्रोह की भावना से नहीं। किसी वैमनस्य की भावना से नहीं, अपनी अन्तरात्मा से यह चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्रियों का चरित्र ऊंचा उठे, जनता उन पर आंख न उठा सके। सभापतिजी, मैं अपनी अन्तरात्मा से बोलता हूं और उधर बृजसुन्दरजी की अन्तरात्मा सिकुड़ जाती है। भगवान जानता है यह फैसला क्या होगा मैं इसे सदन के सामने छोड़ता हूं पर मेरी बात आप गम्भीरता से सुन रहे हैं इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जो और मुद्दे के पाइन्ट हैं वे मेरे साथी श्री कृष्णकुमारजी गोयल इस सदन में प्रस्तुत करेंगे और वे बहुत इम्पोरटेन्ट हैं। माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा वे ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापतिजी, जिस निन्दा प्रस्ताव पर बहस चल रही है उसी के समर्थन में कुछ अन्य तथ्यों पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सभापतिजी, जिस बड़ा नया गांव की जमीन को लेकर जो अदालत का फैसला है और उसको किस प्रकार से अपने हक में करवाने का पं० बृजसुन्दर शर्मा ने प्रयास किया–उसकी काफी चर्चा हो चुकी है। मैं उस कहानी में केवल इतने तथ्य आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जिस समय यह दावा पेश किया श्रीमती जैकब चिड़ावा में हैड मिस्ट्रेस थी। उनको प्रारम्भ में कोटा लाने का प्रयत्न किया गया। दावों के जरिये श्रीमती जैकब कोटा ट्रेनिंग सेन्टर पर लाई गई और वहां पर जिस समय रजिस्ट्री की गई श्रीमती इदित जो कोटा में नहीं थी, बल्कि दिल्ली में दूसरी ट्रेनिंग में थी उनको बुलाया—यह जांच के बाद स्पष्ट होगा और इस बात की रजिस्ट्री कराई गई। सर्किट हाउस के रजिस्टर अपने आप में बोलेंगे कि पं० बृजसुन्दर शर्मा वहां उस समय मौजूद थे और साथ में यह तय था कि श्रीमती जैकब से यह जमीन ६ हजार में खरीदी। इस जमीन को खरीदने के लिये एक पैसा भी अदा नहीं किया गया। यह सारी जमीन ५८ बीघा है। इसमें से २५ बीघा मैं लेता हूं और तेरे पास फिर ३३ बीघा जमीन बचती

Page No 132

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है । क्योंकि वह जानते थे कि यह सारी जमीन चम्बल एरिया के कमांड में है । इसकी खातेदारी को भी वे जानते थे कि यह मीणा की जमीन है । मीणा से जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी........

श्री मूलचन्द डागा : यह आप फैक्ट दे रहे हैं........

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं फैक्ट्स दे रहा हूं और साथ ही यह भी तथ्य है कि by Sale, Gift or otherwise ट्रान्सफर नहीं की जा सकती थी लेकिन कानूनी अड़चने थी उनसे बचने के लिये श्रीमती इदिथ जेकब को माध्यम बनाकर, जगन्नाथ मीणा से जो शिड्यूल कास्ट का है जमीन हथियाई है। सभापति महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा जो फैसला हुआ है वह हुआ है १७-६-६७ को जिस रोज फैसला हुआ है डिग्री से तहसील को इत्तला दी गई है। इस तारीख के पहले अदालत के पास जो तारीख थी वह २०-५-६७ थी। २० तारीख के फैसले से पहले वाली तारीख १५-६-६७ थी। इसी बीच के अन्दर कोई दूसरी तारीख अदालत ने मुकर्रर नहीं की जबकि लगातार १४-१५ तारीखों की पेशी बदलते रहे हैं। २० तारीख आखिर थी। २१-५-६७ को श्रीमती रेखादेवी ने जो पं० बृजसुन्दर शर्मा की पत्नी है उसी तारीख को अगले रोज रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री जिस रोज की गई उस रोज रविवार था, सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर बन्द था, स्टाम्प जो उसमें चाहिये थे मिल नहीं सकते थे, ट्रेजरी से स्टाम्प नहीं आ सकते थे। क्योंकि कानून के अनुसार १००) रुपये से ज्यादा स्टाम्प लेने पर ट्रेजरी से ही लेने पड़ते हैं। सब-रजिस्ट्रार ने कानून को रिलेक्स किया और जहां तक स्टाम्प लाने की बात है वह स्टाम्प लाये श्री घनश्यामदास भारद्वाज जो उस समय पं० बृजसुन्दरजी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। वे स्वयं अपने हस्ताक्षर करके स्टाम्प्स लाये। ये तथ्य बहुत महत्व के हैं, ट्रेजरी खुलवा कर स्टाम्प्स लाये। पं० बृजसुन्दर शर्मा ने अपने प्रभाव को लेकर एस० डी० ओ० को कहा तुम्हें रि-अपाइन्ट कर देंगे। उनके रिलीव होने के केवल एक दिन पहले फैसला हुआ है १७-६-६७ को, १८ को रविवार था, १९ को वे रिलीव हो गये और रिलीव होने के बाद उनको कोटा के अन्दर—उनको वहां से न हटाकर मंडी कमेटी में डिप्टी डी० डी० ओ० की जगह बनाये रखा तो यह तथ्य है जो मैं उस कहानी में जोड़ना चाहता हूं।

सभापतिजी, इसके अलावा एक दूसरा मसला अपने आप के अन्दर इतना गम्भीर है कि किस प्रकार से पंडित बृजसुन्दरजी शर्मा ने जमीन को हथियाने के लिए कानूनों को एक ताक में रखकर, इन नोटिफिकेशन्स को बिना चिन्ता किये हुए अपनी पत्नी के नाम से उस जमीन से फायदा नाजायज उठाया और वह भी पेट्रोल पम्प। सभापतिजी, यह पेट्रोल पम्प जो कि कोटा-झालावाड़ रोड जाती है और जहां हवाई अड्डा स्थित है उसके बिलकुल सामने स्थित है। उस एरिया के अन्दर आज जो जमीन की कीमत है १० रुपया वर्ग गज की कम से कम कीमत है और इससे कम के बिना उस क्षेत्र में जमीन प्राप्त नहीं हो सकती। जिस जमीन पर आज पेट्रोल पम्प है और जिसके पीछे आज काश्त की भूमि पड़ी हुई है इस सारी जमीन को राज्य सरकार ने अपने आदेश ९ फरवरी,

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

१९६१ के द्वारा जो कि गजट के अन्दर प्रकाशित हुए यह जमीन १६८४ बीघा १० बिस्वा कोटा के अन्दर उस क्षेत्र के अन्दर मोटर रिपेयर वर्कशॉप बनाने के लिए अवाप्त की थी। यह सारी जमीन अवाप्त हो गयी है और किसी प्रकार की आबादी में जमीन को अवाप्त करने के लिए बात नहीं हुई और उसके बाद सरकार ने मन्डी कमेटी ने उस क्षेत्र में प्लॉट बनाकर जमीन को नीलाम किया। सारी जमीनें नीलाम हो चुकी हैं लेकिन इसी क्षेत्र के अन्दर से केवल १२ बीघा १४ बिस्वा जमीन आज तक अवाप्त करने से छोड़ दी गयी। यह जमीन भी वही जमीन है जो कि अवाप्त हो जानी चाहिए थी और अभी तक प्लॉट्स बनाकर बिक जानी चाहिए थी और वहां पर मोटर रिपेयर वर्कशॉप बन जानी चाहिए थी लेकिन आज तक १२ बीघा १४ बिस्वा जमीन पर कोई प्लॉट नहीं काटे गये बल्कि लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण नाम का व्यक्ति है उसके कब्जे में यह जमीन चल रही है। सभापतिजी, यह जो जमीन सारी की सारी गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने अपने आदेश के द्वारा जो अवाप्त की थी और अवाप्त करने के बाद मोटर वर्कशॉप के लिए इस जमीन को काम में लेना था यह उसका नक्शा मौजूद है। इस नक्शे के अनुसार उस क्षेत्र को डवलप करके और प्लॉट काटकर जमीन दे देनी चाहिए थी यह मेरे पास नक्शा है लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल १२ बीघा और १४ बिस्वा जमीन जहां आज वर्कशॉप और प्लॉट होकर तैयार हो जानी चाहिए थी, सड़कें होनी चाहिए थीं, डेवलपमेन्ट होना चाहिए था, केवल इतना क्षेत्र छोड दिया गया और सारी की सारी जमीन बेच दी गई हैं। अब यह क्यों छोड़ी गयी इसके पीछे भी एक कहानी है। पंडित बृजसुन्दरजी शर्मा और इनकी धर्म पत्नी इसमें आते हैं और किस प्रकार आती हैं उसकी ओर मैं सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापतिजी, यह जमीन १२ बीघा १४ बिस्वा जिसका मैंने हवाला दिया है यह पहले पूरनचन्द, भगवानसहाय, मदनलाल, प्रेमनारायण वगैरह के खातेदारी में जमीन थी। इन चारों-पांचों आदमियों ने इस जमीन को पंडित लक्ष्मीनारायण जो कि बूंदी के रहने वाले हैं उनको जमीन बेची। जिस समय यह जमीन बेची गयी उस समय जो रजिस्ट्री के अन्दर डिटेल्स दी गयी उसमें उनको फब्रीकेट किया गया। यह जहां पेट्रोल पम्प हैं यह जमीन वह खातेदारी वाली जमीन नहीं है। यह जमीन उस खातेदारी से बाहर की जमीन है। यह सरकारी जमीन है, आबादी की जमीन है जिसके ऊपर यह पेट्रोल पम्प ट्रेसपासर के रूप में आज सरकारी जमीन पर बनाया गया है। अब इसके पीछे जो सारा षड्यंत्र था वह यह था कि पेट्रोल पम्प के अन्दर रक्षादेवी को बराबर का पार्टनर बनाया जाये और सौदा तय हुआ। वह पेट्रोल पम्प उस जमीन पर बनाया गया और आज वह कायम है और आज इन्डियन ऑयल कम्पनी को ५०० रुपये माहवार पर किराये पर दिया हुआ है। वह पम्प आज तक स्थापित है। केवल जो उसके ऊपर सौदा था वह लक्ष्मीनारायण और पंडित बृजसुन्दरजी शर्मा के बीच था कि वह इस जमीन पर पेट्रोल पम्प बनायेंगे और उनका पैसा नहीं लगेगा और वह केवल नाम के हैं परन्तु उनकी पत्नी को बराबर का पार्टनर बनाना पड़ेगा और जो पीछे की जमीन है सारी की सारी एग्रीकल्चर लैण्ड जो कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक्वायर की जाती थी उसको वह एक्वायर होने से बचायेंगे और वह अवाप्त नहीं होगी और मौका आने पर १२ बीघा १४ बिस्वा जमीन को आबादी में कन्वर्ट कराके प्लॉट बनाकर लाखों रुपया तुम याने लक्ष्मी नारायण कमाये और वह याने पंडित बृजसुन्दरजी केवल इस जमीन में पेट्रोल पम्प के ऊपर पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि यह जमीन जिसके ऊपर पेट्रोल पम्प है यह जमीन न तो लक्ष्मी-नारायण के खाते में है और न किसी की मिल्कियत में है। यह जमीन असल में सरकार की है और उसके तथ्य इस प्रकार से हैं कि जो रजिस्ट्री हुई। लक्ष्मीनारायण ने जमीन खरीद की थी और उसका बयनामा लिखा गया था उसमें ४८ नम्बर की जमीन जिसका रकबा १६ बिस्वा है बिना वह जमीन पूरी मालिकाना के हक में हुई उसके अन्दर दर्ज कर दी गयी और उसके आधार पर उस पर पेट्रोल पम्प बना लिया और यह जमीन लक्ष्मीनारायण की नहीं है। उसके लिए मेरे पास खतौनी की नकल है। नकल खतौनी बाबत जमाबन्दी छत्रपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा संवत २०१६ से २०२४ तक। क्रम संख्या ३ खाता नं० १ भूमि अधिकारी खालसा—पूरनचन्द, भगवानसहाय, मदनलाल, प्रेमनारायण बेटे बुद्धिराम जाति महाजन, कोटा हिस्सा बराबरी। इसके अन्दर जो जमीन की डिटेल्स दी गयी हैं सभापतिजी उसके अन्दर इस जमीन पर ४८ नम्बर की जमीन पर यह पेट्रोल पम्प बनाया गया है, उसका कहीं भी हवाला नहीं है। इसके विपरीत दूसरी जो खसरा टीट है नकल खतौनी बाबत ग्राम छतरपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा, संवत् २०१६ से २०२४ तक और क्रम संख्या ३, नम्बर खाता ८, भूमि अधिकारी-खालसा, सिवाय चक बिलाम लगानी खसरा संख्या ४८ रकबा १६ बिस्वा गैर मुमकिन आबादी। तो यह जो जमीन जिसके ऊपर आज पेट्रोल पम्प है यह ४८ नम्बर की जमीन पर बना है। इस जमीन के ऊपर लक्ष्मीनारायण का या उससे पहले में जो मालिकान थे जिनसे जमीन खरीदी गयी उनका अधिकार इस जमीन पर नहीं था और सभापतिजी यह मेरे पास नक्शा है। इस नक्शे के अन्दर भूमि की सिचुएशन पटवारी ने बताई है। कौन-कौनसी जमीन कहां है और यह ४८ नम्बर की जो जमीन है इस पर पेट्रोल पम्प है। तो मेरा निवेदन यह है कि जो ४८ नम्बर की जमीन जिसके ऊपर पेट्रोल पम्प बनाया गया है वह श्रीमती रक्षादेवी और लक्ष्मीनारायण की बराबरी की पार्टनरशिप में है वह जमीन सरकार की जमीन है और उस पर ट्रेसपासर का कब्जा है और इसके पीछे एक ही सौदा था कि लक्ष्मीनारायण इसमें बराबर का हिस्सा दे और यह एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे और उसकी १२ बीघा १४ बिस्वा जमीन है जो एक्वायर की जानी चाहिए थी उस पर सरकार हाथ नहीं लगायेगी और आज तक वह जमीन वैसी की वैसी ही पड़ी है।

तो सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था कि जो १२ बीघा और १४ बिस्वा है आज १० रुपये स्क्वायर गज से कितने लाखों की कीमत की होगी और इससे सरकार को नुकसान पहुँचाकर केवल अपने लाभ के लिए पेट्रोल पम्प बनाने के लिए सारी कार्यवाही की गयी है। सभापतिजी,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

केवल यह काण्ड इतना सा ही नहीं है। जिस प्रकार से और सारे केसेज बताये गए पण्डित बृजसुन्दरजी शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, अपने लड़कों के नाम पर, भिन्न-भिन्न दोस्तों के नाम पर जमीनें कबाड़ी हैं, जमीनें उनको एलॉट कराई हैं।

इसी प्रकार की एक और घटना है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग करके राजस्थान की सम्पत्ति को लेने के लिए किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और वह कहानी है, सभापति महोदय, बूंदी के अन्दर एक गांव है बड़ा नया गांव। उसकी सारे का सारा वहां जंगल है। उस जंगल के अन्दर बीड़ नम्बर २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ और ४४, कुल रकबा ५५० बीघा ३० बिस्वा है। एक तरफ तो वह जंगल की जमीन है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट की मिल्कियत है और आज तक यह जमीन रेवेन्यू में ट्रान्सफर नहीं हुई है, लेकिन इस जमीन पर पण्डित बृजसुन्दरजी शर्मा के परम मित्र, खास व्यक्ति श्री चमन कादरी ने, जो उनके चुनावों के अन्दर प्रचार करते हैं, इस जमीन पर इल्लीगली टैसपासर की हैसियत से कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उन्होने जमीन पर काश्त नहीं की, बल्कि इस जमीन को उजागरसिंह आत्मज औतारसिंह व जागीरसिंह वल्द हरनामसिंह इन दो व्यक्तियों को वह ५५० बीघा जमीन कुल १० हजार के अन्दर बेच दी है। जिस जमीन पर उसका कब्जा नहीं, जो जमीन वन-सम्पदा है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट की मिल्कियत है, जो आज तक रेवेन्यू को रिलीज नहीं हुई, उसको अपनी जमीन मानकर उन्हें बेच दी है। पुलिस केस का कागनीजेन्स लेती है, और इस केस में उनको अरेस्ट करना चाहती है, तो उस केस को दबा दिया जाता है। आज तक वह केस दबा हुआ है और पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। यह सब बृजसुन्दरजी शर्मा ने किया है।

मेरा निवेदन यह है कि......

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जागीरसिंह वही बदनाम नाम तो नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई ताज्जुब नहीं है। जैसे उनके नाम से जगन्नाथ को खड़ा किया गया.......

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! आपस में चर्चा न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मन्त्री बने हैं और कोई फायदा नहीं उठाया तो क्या किया ? ये तो बहुत पीछे रहे हैं। आगे कई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री रामचन्द्र आर्य : सब इसी में लगे हुए हैं कि जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने भाई के नाम से, भतीजे के नाम से बान्धे, और बान्धे क्यों नहीं ? उन्हें छूट सुखाड़ियाजी ने दे रखी है इसीलिए ऐसा करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयलः सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह जमीन जंगल में है। न पुलिस ने चालान किया है और न फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज तक, जो कार्यवाही करना चाहिये या उसको करने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिया। आज तक जंगल विभाग और पुलिस विभाग दोनों अपनी-अपनी जगहों पर बैठे हैं। तो यह तथ्य है जिनका उत्तर देकर सदन को सन्तुष्ट करना चाहिए। किस प्रकार से कानूनों का उल्लंघन करके, किस प्रकार से नियमों के विरुद्ध, और जहां हम एक ओर समाजवाद का नारा देते हैं, जहां हम एक ओर सीलिंग की बात करते हैं, जहां हम एक ओर मजदूरों के मसीहा होने की बात करना चाहते हैं, गरीबी और अमीरी को मिटाने की बात करते हैं, वहां इस प्रकार से मन्त्रिमण्डल के भ्रष्ट मन्त्री अपने धन्धे के द्वारा सरकारी जमीन को हड़पने की बात चला रहे हैं। यह प्रश्न राजनैतिक आधार पर लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बृजसुन्दरजी ने थोड़ी ही जमीन बान्धी है। बाकी के लोगों ने जो जमीन बान्धी है उससे तो १०० गुना कमती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, जैसी भैरोंसिंहजी ने की है वैसी करें; क्योंकि न मालूम कल से मन्त्रिमण्डल में आपको बैठना पड़े।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे साम्यवादी मित्र बहुत चिन्तित न हों।

मैं, सभापति महोदय, जो निवेदन कर रहा था वह यह था कि आज का प्रश्न केवल व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है आम आदमी के अन्दर जो धारणा बनती जा रही है कि आज किस प्रकार से सरकार का तन्त्र आपा-धापी के अन्दर राजस्थान की जनता को चूसने में लगा हुआ है, इस धारणा को निर्मूल करने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी निकालने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रश्नों पर जिनकी चर्चा सदन में हुई है और जिनका उल्लेख हमारे प्रस्ताव के अन्दर है उन सब पर जांच करने के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों की समिति गठित की जाय। वह समिति इन सारे प्रश्नों की छान-बीन करे और गहराई तक जाकर जो दोषी हैं उन पर दोष साबित करें और अगर निर्दोष हैं तो वह साबित करे।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमारे एमेंडमेंट हैं। आप कृपा करके पहले उनको ले लें जिन्होंने एमेंडमेंट दिये हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी पर जमीन के प्रश्न पर आरोप लगाते हुए श्रीमान् भैरोंसिंहजी शेखावत और अन्य सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव का शुरुआत में विरोध इसीलिए किया था। प्रस्ताव के सारे वजूहात पर दो घन्टे वेस्ट किये भैरोंसिंहजी ने। सारा पाने पर आ जाता तो दो मिनट नहीं लगते इसमें। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में अगर जांच के लिए जो रखा है वह सबके लिए होता तो विरोध किसी का नहीं हो सकता। मैंने खुद ने विरोध किया था, मगर मैं साथ ही साथ यह भी चाहूंगा और सुझाव दूंगा कि अगर यह तीन आदमियों की समिति बन रही है तो यह सारे मिनिस्टर्स की जांच करें

(श्री मदनसिंह)

न केवल श्री बृजसुन्दरजी की ही जांच करें। इस पर थोड़ासा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

यह प्रश्न आज का नहीं है बल्कि जो-भी रेवेन्यू मिनिस्टर्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल बृजसुन्दरजी ही हुए हैं, जो-जो भी रेवेन्यू मिनिस्टर हुए हैं उनके सामने अनेक बार ऐसे प्रश्न आये हैं, अनेक बार इस तरह से जमीन के ऊपर सिपाही के लिए मीटिंग काल की गई है, सोल्जर्स के लिए जमीन बांट रहे हैं और जाकर कांग्रेस के सीकर के अध्यक्ष को जमीन दी जा रही है। यहां पर बातें आती हैं। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि बृजसुन्दरजी का ही यह प्रश्न न होकर जिन-जिन मन्त्रियों के पास जमीन स्त्री के नाम से है, बच्चों के नाम से है, उन सारे मन्त्रियों के लिए अगर तीन सदस्यों की समिति बनायें तो मैं सहमत हूं। आज होता क्या है कि आज आप एक मन्त्री के लिए कहते हैं कल दूसरे मन्त्री को देखेंगे कि ५०० बीघा जमीन उसने अपने ताऊ, भाई, चाचा, मामा को दे दी। इन सब चीजों की जांच एक साथ हो तो मुझे खुशी होगी।

बाकी टेप का इसलिए विरोध कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि भैरोंसिंहजी से कहीं कोई रिटायर्ड सिपाही मिल जाय और टेप उसका करदें। इस तरह से वायस नहीं पहचानी जा सकती है। इस लिए टेप नहीं आना चाहिए। आपका रेकार्ड बृजसुन्दरजी शर्मा खुद स्वीकार करेंगे! मैं तो कम से कम इनकी तारीफ करता हूं कि जो जमीन ली है उसको स्वीकार करते हैं। यहां पर ऐसे-ऐसे रेवेन्यू मिनिस्टर्स हुए हैं जो जमीन को हड़पे हुए बैठे हैं और जिन्होंने उसको कर रखी है-दूसरों के नाम से। इसलिए मेरा सुझाव है, प्रस्तावकों को सुझाव है कि तीन सदस्यों की कमेटी को बार-बार हर साल क्यों बैठाते हैं? कम से कम और भी मन्त्रियों ने ऐसे ही जमीने ली हैं उसको बतादें।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिनके हाथ में आई वो ही खा गये।

श्री मदनसिंह : इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन तीन आदमियों की कमेटी केवल बृजसुन्दरजी के लिए ही रखना चाहते हैं वैसी और मन्त्रियों के लिए भी रखी जाय तो बड़ी खुशी की बात है। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ऐसे वजूहात किसी भी मिनीस्टर के हों। न मैं किसी मिनीस्टर के पीछे लगना चाहता हूं और न किसी सदस्य के पीछे। मुझे जो बुरा लगा वह यह था कि केवल बृजसुन्दरजी अकेले ही नहीं है। इसलिए मैं प्रस्तावकों से फिर निवेदन करूंगा कि इन तीन आदमियों की समिति उन सारे आदमियों की जांच करे जिन्होंने जंगल लिये हैं, किसी ने पेट्रोल पम्प लिया हैं, किसी ने मकानात, किन्हीं ने दूकानें या और चीजे राज्य की सम्पदा में से लिया हैं जिन पर उनका कानूनी हक नहीं है, उन सारे मन्त्रियों को इसमें लिया जाना चाहिए। मैं बृजसुन्दरजी से निवेदन करूंगा कि वे मन्त्री-पद से इस्तिफा दें तो स्वयं न दें क्योंकि वे वापस नहीं आयेंगे।

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह हाड़ा!

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इस

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

प्रस्ताव पर संशोधन है वह इस प्रकार है:
"मूल प्रस्ताव की सातवीं पंक्ति में शब्द 'गठित की जाय' के पश्चात् शब्द 'जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी' जोड़ जायं।

जो समिति सदन की ओर से नियुक्त की जायगी वह एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में पेश कर दे।

सभापति महोदय, माननीय शर्माजी के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया गया है इसमें एक ही नहीं यहां तो और भी मुद्दे मिलेंगे जिनका बाकायदा रेकार्ड लेकर पेश किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि एक उदाहरण आपको मिल गया है कि जमीन की इन्होंने आपाधापी की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वयं इन्होंने अपना लाभ तो उठाया ही है और उठाते ही हैं परन्तु इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रमुख श्री भैरोंप्रकाश माथुर को बहुतसा फायदा पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त मामूली-मामूली रेन्जर्स के तबादलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है और यहां तक कि डी० एफ० ओ० के आदेशों का उल्लंघन कराकर वापस नौकर रखा है। मैं आपको उदाहरण के लिए यह निवेदन करूं कि एक ग्राम रामचन्द्रजी की खड़ी है। वहां पर कुछ काश्तकारों ने कुछ जमीन आबाद की। कुछ लोगों ने ऐतराज किया।

श्री सभापति : आप अपने संशोधन प्रस्ताव पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : एक नई चर्चा हो रही है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : कुछ मामले आप के पास हैं। कुछ इन्होंने रखे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, कोई नया तथ्य आता है तो अच्छा है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आपको यह पता चलेगा कि भ्रष्टाचार में बृजसुन्दरजी ने स्वयं अपने आपको और अपने साथियों को किस प्रकार फायदा पहुँचाया है। जिन्होंने उनको समर्थन दिया है और जो अब तक उनको समर्थन देते हैं, उनको कैसे फायदा पहुँचाते हैं। जिस वक्त ये राजस्व मंत्री थे, उस वक्त जमीन रोकने के लिए भैरोंप्रसाद कलेक्टर से आदेश लेकर गया। जिस पत्र की संख्या १८०/८१, दि० १२-२-६८ है। भैरोंप्रसाद यह आदेश लेकर गया कि रास्ता नहीं उखाड़ा जाये। और उसके लिए उन्होंने १,४४५ रु० फीस के लिए। उसमें हो सकता है कि इनका भी कुछ हिस्सा हो या उसका ही हो। मगर आपने अपने पद पर रहते हुए अपने साथियों को फायदा पहुँचाया, यह सरासर अनुचित है।

इसी प्रकार एक खूनगर का मामला है। खूनगर ग्राम की जमीन के पट्टे एलॉट हो गये। पैसा ले लिया किश्तें जमा हो गईं। लेकिन इनके ही साथियों द्वारा जब बृजसुन्दर शर्मा मन्त्री थे दूसरे आदमियों को जमीनदेने के लिए वापिस ऐलॉटमेंट कर लिये गये। उन्होंने किस प्रकार पैसा लेकर अपना और अपने निजी आदमियों को फायदा पहुँचा कर सरकार को घाटा पहुँचाया है। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूं कि भैरोंप्रकाश जो प्रमुख हैं, उनके भाई के नाम से तकावी दिलाई गई है। और जो शुगर फैक्टरी है उसको भी तकावियां मिली हैं। इस प्रकार उनको फायदा पहुँचाया है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो समिति

Page No 139

(श्री केसरसिंह हाड़ा)

इसके लिए बने उसका प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी १ महीने के अन्दर सदन में वह प्रस्तुत करे।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापतिजी, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"(i) प्रस्ताव की अंतिम पंक्ति में शब्द 'समिति' और 'गठित की जाय' के बीच में शब्द 'तुरन्त' प्रविष्ट किया जाय।

(ii) प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़े जायं:—
'जो तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करदें।'"

मैं अपने आपको निर्दलीय होते हुए भी गान्धी की कांग्रेस का कांग्रेसी मानता हूं, और, उसकी परिभाषा यह है कि आजादी के बाद जिसने एक अंगुल भी जमीन नहीं बनाई, एक पाई का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने दी और अभावों में जीता हो। हजारों आदमियों ने अपना खून जिस आजादी के लिए दिया हो। आज उस आजादी की रक्षा करनी है तो उससे भी ज्यादा त्याग और बलिदान की जरूरत है। लेकिन जब सत्ताधारियों को देखते हैं। आजादी के पहले बीस-बीस पैबन्द लगाते थे, जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता था, उनके घर पर कारें हैं, बंगले हैं। औरतें सोने से पीली हुई लगती हैं। नहरी जमीन है, बैंक बैलेंस है। आखिर यह क्या हो गया है? क्या ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी की हैं, उनकी छाती में छुरा नहीं भोंक रहे हैं? आजादी को गिरवी नहीं रख रहे हैं?

मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग श्री बृजसुन्दरजी से छीन लिया नहीं तो पता नहीं और क्या-क्या होता। मांडलगढ़ में इस तरह से लोगों को जमीन दी है जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा देते थे और पट्टे पर लिखते थे—जोगजी जी भोगजी जी। मांडलगढ़ में सुगनचन्द जैन को १५ बीघा, राधाकृष्णजी को १५ बीघा। भंवरलालजी खारोड़ को १५ बीघा जमीन कैसी है? जिसका आप डेढ़ हजार रु० बीघा दिला सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग जल्दी छीन लिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १५ बीघा ही जमीन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोग तो १००-१०० बीघा करते हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १५ बीघा जमीन की बात है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, उन्होंने बात ठीक कही है। पाने का अधिकार सबको है लेकिन किसने सौगन्ध दिलाई, कि कांग्रेस में आये। कांग्रेस में जो आयेंगे तो उनको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पन्द्रह बीघा जमीन तो दे सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बोलने तो दीजिये।

तो उन्होंने कहा कि उन्हें नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। किसने कहा कि जमीन लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन

Page No 140

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पीछे के दरवाजे से क्यों ली जाय ? आइये एलॉटमेंट कमेटी में और जिस तरह से और लोग लेते हैं, उसी तरह आप भी लीजिये। और वह भी क्यों लेते हैं, इसलिए कि दूसरों से काश्त करवायें पांती पर ? और जो भूमिहीन खेतीहर खेती करना चाहते हैं उनके बच्चे भुट्टे के लिए तरसते रहें। आपने पन्द्रह बीघा जमीन कौनसी ली है ? जो राजस्थान राज्य की कृपा से बांध बना था, मेनाली का गोवटा बांध उसके बिल्कुल नीचे है और आज वह जमीन दो-दो हजार रुपये बीघा के हिसाब से मिलती है। अगर आप वहां जमीन एक-एक बीघा भूमिहीनों को देते तो वह उसमें खाद डालते, खूब पैदा करते। इनको भी आप देते यदि आप सीधे दरवाजे से आते आपने यह बात कही, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि जो मौजूदा मंत्री राजस्व के हैं, यदि वे उसी तरह बाला-बाला मांडलगढ़ तहसील में एलॉटमेंट करेंगे तो मैं यहां आकर ही नहीं कहूंगा बल्कि आपके बंगले के बाहर धरना दूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पीछे के दरवाजे से जमीन लें। आप जो हाथ से खेती नहीं करते हैं, वह पीछे के दरवाजे से आयें तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कांग्रेस को जिन्दा रखना है, अगर कांग्रेस संस्था को आगे बढ़ाना है, तो जितने भी ऐसे सड़े हुए अंग हैं, उनको आप काटिये, जैसे कि पैर में गैंगरीन हो जाता है, तो पैर को काट दिया जाता है। अगर नहीं काटा जाता है तो पूरा पैर सड़ कर आदमी मर जाता है। इसलिए जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचारियों को आप हटाइये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि हम इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि आप मंत्री पद पर नहीं रहें, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आपने जो गलती की है उसको आप सच्चाई से मान लें, और यह विश्वास दिलायें कि आप भविष्य में नहीं करेंगे, इसके बाद, मेरा निवेदन है कि भले ही आप पद पर बने रहें तो भी मैं ऐतराज नहीं करूंगा। आप सदन में यह कहें कि मैंने भूल की है, भयंकर भूल की है....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह भूमिहीन किसान है, इसलिए इन्होंने यह किया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो पाप किया है, उसको स्वीकार करिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह भूमिहीन किसान हैं, इसलिए भूमि ली है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कीजिये, और दो-तीन महीने के अन्दर-अन्दर सदन की मेज पर इसकी रिपोर्ट पेश हो जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : इस प्रस्ताव पर कल बहस जारी रहेगी।

सदन की कार्यवाही कल १९ अगस्त, १९६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५ बजे मंगलवार दिनांक १९-८-६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

(ता. प्र. सं. १३५ की सूची)

Office of the Director of Education, Rajasthan, Jaipur

No. F. 15 (1) D.C.E./68 *Dated 30-5-68*

All the Principals of
Govt. Colleges, Rajasthan.

Sub:—Admission in classes.

I invite your attention to this Directorate's No. F. 15 (1) Aca./D.C.E./67, dated 17-1-68, about admission of students in under-graduate and post-graduate classes. Under these rules, students getting the following percentage of marks alone are eligible for admission:—

Under-graduate classes:—

Science	Arts/Commerce
45% or more marks in Secondary/ Higher Secondary Examination/ Pre-University Examination	36% or more marks in Secondary/ Higher Secondary Examination/ Pre-University Examination

Post-graduate classes:—

I or II Division in degree examination or 48% marks or above in the subject concerned in which admission is sought.

Under the existing rules, preference is given first to fresh candidates and failures are admitted subject to availability of seats.

The State Government have also decided that one year failure (except failures in all subjects) should be admitted as a rule in all classes.

If in the implementation of this decision, colleges need additional section (s) the Directorate may please be moved immediately in late June or early July for opening of additional section, but it may please be ensured that there would be no departure in making admission according to these and other admission rules (copies of old circulars enclosed). It was noticed last year that Principals give admission to students in Science faculty who got less then 45 per cent. marks and even in some cases less than 40 per cent. marks and opened a new section. This may

not be done this year without prior approval of this Directorate. In case there is only one section and the number of students seeking admission is less than the required strength of a section, the percentage may be relaxed in accordance with Government rules.

Director of Education.

Rules for admission of students in colleges.

×× ×× ×× ×× ××

(4) Principals may refuse admission to any candidate without assigning any cause.

×× ×× ×× ×× ××

परिशिष्ट–२

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जंगल का ठेका

१४३. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा–सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कोंढड़ा, गोगुन्दा, फलासिया के जंगलों में लकड़ी काटने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो जंगल का नाम, ठेकेदार का नाम व उसका निवासस्थान बताने का कष्ट करें ।

(२) क्या मरवड़ पहाड़ जंगल नामी ओवरिया के बांस का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है ? यदि हां, तो वह ठेकेदार कहां का रहने वाला है तथा कितने एकड़ का जंगल दिया है ?

(३) क्या सरकार का आदेश है कि जंगल का ठेका नहीं दिया जाय ?

(४) ओवरिया जंगल में नाजायज बांस काटने पर वहां उदयपुर के हल्का रेन्जर ने इस ठेकेदार के खिलाफ लिखा था उसकी क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) मरवड़ नाम के पहाड़ में ओवरिया का कोई जंगल नहीं है ?

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

चांदपोल-झोटवाड़ा बस सर्विस

१४४. श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि चान्दपोल से झोटवाड़े मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी बसों के परमिट दिये हुए हैं ? परमिट हाल्डरों के नाम, बस नम्बर व परमिटों को अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या इन बसों की समय-सारिणी बनी हुई है और चांदपोल व झोटवाड़ा बस स्टेन्ड पर लगी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री लादूराम सुलानिया)

(३) क्या यह सही है कि बसें समय पर नहीं चलती हैं ?

(४) क्या वर्तमान में जितनी बसों के परमिट दिये हुए हैं वे कब से बसें उक्त मार्ग पर चल रही हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी बसें कब से कब तक चलती हैं ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि रात्रि के आठ बजे के बाद चांदपोल से झोटवाड़ा जाने के लिये कोई सवारी उपलब्ध नहीं होती ? यदि हां, तो झोटवाड़ा क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर प्रातः ६ बजे से रात्रि १० बजे तक बस सेवा राज्य सरकार उपलब्ध करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां। इस मार्ग पर पांच यात्री बसों को परमिट दिये हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह मार्ग जयपुर सिटी के निर्धारित मार्गों में से ११वां मार्ग है व इस मार्ग पर बसें ३० मिनट के व्यवधान से चलती हैं। बस स्टेण्डों पर समय सारिणी नहीं लगी हुई है। क्योंकि बस स्टेन्डों पर समय सारिणी लगाने का कोई नियम नहीं है। नियमानुसार समय सारिणी यात्री वाहनों में ही प्रदर्शित की जाती है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) जी हां। पांच बसें प्रातः ६ बजे से रात्रि १० बजे तक ३० मिनट के व्यवधान से चलती हैं।

(५) यह सत्य नहीं है कि चांदपोल से झोटवाड़ा जाने के लिये सायंकाल ८ बजे के बाद सवारी उपलब्ध नहीं होती। इस मार्ग पर विभिन्न प्रकार की सवारियां जैसे तांगा—रिक्शा—टेम्पो आदि उपलब्ध होते रहते हैं एवं बसें प्रातःकाल ६ बजे से रात्रि १० बजे तक ३० मिनट के व्यवधान से चलती हैं।

सूची

क्र०सं०	नाम मोटर मालिक	वाहन की संख्या	अनुमति पत्र समाप्त होने का दिनांक
१.	जयहिन्द ट्रां० को ऑपरेटिव सोसाइटी	आर० जे० ए० ५९३२ ,, ,, ,, ३८१४	२१-७-६९
२.	श्री नरेश भार्गव	आर० एस० एल० ८७०२	२१-७-७१
३.	श्री सईदमहमद	आर० एस० एल० ६१०७	१३-८-७१
४.	श्री भैरूसिंह मानसिंह	आर० जे० बी० ६२७	२१-५-७१

फ्लाई ऐश की खरीद

१४५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जवाहरसागर बांध के निर्माण हेतु फ्लाई-ऐश की खरीद हेतु टेन्डर्स आमंत्रित किए गए थे ? अगर हां, तो कब व कितनी मात्रा हेतु ?

(२) क्या यह सही है कि न्यूनतम (लोएस्ट) टेन्डर को स्वीकार नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) किस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर किस रेट पर कितनी मात्रा के लिए स्वीकार किया गया है ?

(४) उक्त माल पर बिक्री-कर के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

कोटा की फर्म द्वारा गल्ले की खरीद और उसका भुगतान

१४६. श्री देवीदत्त गाडिया, (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा की फर्म मेसर्स जानकीलाल गौरीलाल ने राजस्थान फूड सप्लाई पर्चेजिंग सेंटर कोटा से मिलिट्री कान्ट्रेक्टर होने के नाते सन् १९४८ में करीबन ९३ हजार रुपयों का गल्ला खरीदा था और उसका भुगतान अभी तक राज्य सरकार को नहीं किया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फर्म के विरुद्ध सरकार ने सन् १९५५ में वसूली की कार्यवाही पी० डी० आर० एक्ट के तहत कलेक्टरी कोटा के द्वारा की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या वसूली की कार्यवाही हुई थी ?

(३) क्या अभी तक राज्य सरकार द्वारा उक्त फर्म से बकाया रकम की वसूली नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं, सन् १९४८ में करीबन ९३ हजार रुपये का गल्ला फर्म जानकीलाल गौरी लाल ने नहीं खरीदा था।

(२) जी हां, फर्म जानकी लाल गौरीलाल को सन् १९४६ में भूतपूर्व कोटा रियासत द्वारा फौज को गल्ला देने हेतु कान्ट्रेक्टर नियुक्त किया गया था। फर्म ने सन् १९४६ से ४८ तक जितना माल लिया व भुगतान किया उसमें से बचे द्रव्य की वसूली हेतु पी० डी० आर० में कार्यवाही की गई थी परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थता-पत्र निरस्त कर दिया।

(खाद्य मंत्री)

(३) जी हां, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा वसूली पत्र खारिज कर दिये जाने पर नियमानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा में फर्म के विरुद्ध दावा किया है निर्णय अभी तक हुआ नहीं है।

राज्य में नाहरू रोग

१४७. श्री जयनारायण सालोदिया, (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के किन-किन जिलों में नाहरू (बाला) रोग होता है ? उसके होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस रोग को फैलने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करती है ? यदि हां, तो क्या ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस रोग के लिए कोई पेटेन्ट दवाई नहीं है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है ?

उत्तर

(१) नाहरू (बाला) की बीमारी राजस्थान में सभी जिलों में होती है किन्तु निम्न लिखित जिलों में अधिकतर होती है:—

१. डूंगरपुर
२. भीलवाड़ा
३. उदयपुर
४. चित्तौड़गढ़
५. बांसवाड़ा
६. टोंक
७. जोधपुर
८. नागौर
९. झालावाड़
१०. बीकानेर
११. पाली
१२. जालौर
१३. कोटा

यह बीमारी बावड़ियों (स्टेप वैल्स) के दूषित पानी (जिसमें नाहरू रोग के कीटाणु होते हैं) पीने से होती है।

सरकार इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यवाही कर रही है:—

१. बावडियों को कुओं (ड्रो वैल्स) में परिवर्तन करना।

२. स्वास्थ्य शिक्षा से जनता को समझाना।

३. सेनेटरी वैल्स बनाना (कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेनेटरी वैल्स)

(चिकित्सा मंत्री)

४. कुओं के पानी को शुद्ध करना

पीने के पानी की व्यवस्था करने का कार्य मुख्य अभियन्ता, स्वास्थ्य के अधिकार में है। बावड़ियों को कुओं में बदलने का कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति में यूनिसेफ की सहायता से की गई है।

(२) जी हां। इस रोग के उपचार के लिए अभी तक कोई पेटेन्ट दवा नहीं है। जनता को स्वास्थ्य शिक्षा (हैल्थ एजूकेशन) द्वारा इससे बचने के उपाय समझाये जाते हैं।

मीठड़ी बांध के कारण डूब में आई जमीन

१४८. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाली तहसील में मीठड़ी बांध बन जाने से कुल कितने बीघा भूमि जलमग्न हुई है और उसमें से कितनी भूमि सरकारी, खातेदारी एवं गैर खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इनमें से कितने आदिवासियों की कितनी भूमि है तथा उनके पुनर्वास एवं मुआवजे हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(३) क्या उन्हें मुआवजे के रूप में भूमि दिलवाई जावेगी ?

उत्तर

(१) कुल ४७३ बीघा २ बिस्वा भूमि जलमग्न होगी। इसमें २०० बीघा सरकारी, २१३ बीघा १२ बिस्वा खातेदारी व ३९ बीघा १० बिस्वा गैर खातेदारी।

(२) ६ आदिवासी खातेदारों की कुल ५४ बीघा ७ बिस्वा है। इन आदिवासियों ने उनकी भूमि के एवज में नकद मुआवजा मांगा है। पुनर्वास सम्बन्धी कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जावेगी।

(३) प्रश्न २ में दिये गये उत्तर के अनुसार भूमि दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

सरपंच, रानीवाड़ा पंचायत समिति के विरुद्ध शिकायतें

१४९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा, पं. स., रानीवाड़ा के खिलाफ कई गबन के आरोप हैं ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस विषय में एस. डी. ओ., भीनमाल द्वारा जांच की गई थी और जांच अधिकारी ने गबन का आरोप सिद्ध करके सरपंच को मोग्रत्तिल करने की सिफारिश की थी ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि जिला विकास अधिकारी ने सरपंच के खिलाफ गबन के आरोप में पुलिस को रिपोर्ट भी की है अगर हां, तो ऐसी हालत में सरपंच को अभी तक मोग्रत्तिल क्यों नहीं किया गया है ?

(४) उक्त सरपंच के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार क्या आरोप हैं ? ऐसे आरोप होने से सरपंच को कब तक मोग्रत्तिल कर दिया जावेगा ? अब तक मोग्रत्तिल न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। मामला पुलिस में जेर तहकीकात है इस स्थिति में नियमानुसार सरपंच को मोग्रत्तिल नहीं किया जा सकता।

सरपंच के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट में निम्न आपत्तियां की हैं—

(१) पशु मेले की रकम का दुरुपयोग करना,

(२) फाटक के पशु की अनियमित नीलामी करना,

(३) सचिव श्री गणेशलाल की अनियमित नियुक्ति कर वेतन भुगतान करना ये आपत्तियां ऐसी गंभीर नहीं हैं जिनके कारण सरपंच को निलंबित किया जावे।

मवेशियों का निष्क्रमण

१५०. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर जिलों की कुल कितनी मवेशियों का निष्क्रमण हुआ ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(२) राजस्थान से बाहर कितना निष्क्रमण हुआ और कौन-कौन से प्रदेशों में हुआ सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) राजस्थान के किस जिले में आज कितनी मवेशी उपरोक्त जिलों की हैं ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(४) निष्क्रमण सुव्यवस्थित न होने के कारण कुल कितनी जगह रास्तों में झगड़े हुए और कितने मुकदमें दर्ज हुए ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या सरकार का ऐसा विचार है कि उपरोक्त मुकदमों को वापिस लेने की व्यवस्था की जाये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस वर्ष बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर जिलों का कुल २, ७३, ०४९ मवेशी का निष्क्रमण हुआ। जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) राजस्थान के बाहर ३, ६५, ७०० मवेशियों का निष्क्रमण हुआ। जिन-जिन प्रदेशों में निष्क्रमण हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) राजस्थान के जिन-जिन जिलों में उपरोक्त जिलों की जो मवेशी है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) जितनी जगह रास्तों में झगड़े होने के कारण मुकदमे दर्ज हुए उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(५) राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं, उपरोक्त मुकदमों को वापिस लेने की व्यवस्था की जाय क्योंकि यह सारा मामला शान्ति और व्यवस्था का है।

सूची—१

जिला जहां से मवेशियों का निष्क्रमण हुआ

१.	बाड़मेर	१०३८४२
२.	जैसलमेर	७८५८७
३.	बीकानेर	९०६२०
		२,७३,०४९

सूच—२

जिनमें पशुओं का निष्क्रमण हुआ

मध्य प्रदेश	९२३५४
पंजाब	९०८२०
गुजरात	५३४९२
हरियाणा	९८६०३
उत्तर प्रदेश	३०४३१
योगः—	३,६५,७००

सूची—३

जिले जिनमें उपरोक्त जिलों की मवेशी आज भी मौजद हैं

क्र० सं०	नाम जिला जिसमें मवेशी है	जहाँ की है	संख्या
१.	पाली	जैसलमेर	८०००
		बीकानेर	१२०
२.	उदयपुर	बाड़मेर	५००
३.	अजमेर	बाड़मेर	८०००
		जैसलमेर	८०००
४.	जोधपुर	बीकानेर	४००
		जैसलमेर	८०००
५.	नागौर	जैसलमेर	२५०००
		बाड़मेर	५०००
६.	जयपुर	जैसलमेर	११०००

सूची—४

झगड़ों के कारण दर्ज हुए मुकदमों की सूची

१.	पाली	१२
२.	भीलवाड़ा	१
३.	जयपुर	—
४.	जोधपुर	४
५.	नागौर	५

चैक पोस्ट्स पर सैल्स टैक्स की वसूली

१५१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य की सीमाओं पर विभाग की ओर से चैक पोस्टें लगाई गई हैं और वहां पर सेल टैक्स वसूल किया जाता है यदि हां, तो कुल कितनी चैक पोस्ट्स चौकियां कहां-कहां पर कब-कब से हैं और इनके द्वारा जनवरी, १९६७ के बाद अब तक कितना-कितना टैक्स किस-किस वर्ष में वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त चौकियों द्वारा सैल्स टैक्स के रजिस्टर्ड डीलरों से भी टैक्स वसूल किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा कोई एतराज किया गया था ? यदि हां, तो कब क्या एतराज किया गया और उस पर क्या फैसला किया गया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के मजदूरों का मांग-पत्र

१५२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के समस्त मजदूरों ने कोई मुकम्मिल हड़ताल दिनांक ३ व ४-७-६९ को की ? यदि हां, तो किन-किन कारणों के आधार पर ?

(२) क्या यह सत्य है कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली की सभी यूनियन्स ने मिल कर एक मांग-पत्र मिल के प्रबन्धकों को दिया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार ने उस मांग-पत्र पर कोई अग्रिम कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार उस मांग-पत्र पर अभी भी कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के द्वितीय वेतन आयोग ने जो फैसला दिया है उसके आधार पर अग्रिम कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि, नहीं तो क्यों नहीं ?

(श्रम मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ४-३-६६ का पाली मिल में मुकम्मिल हड़ताल हुई थी। यह हड़ताल श्रमिकों द्वारा सूती कपड़ा मिलों के दूसरे वेतन मण्डल की सिफारिशों को मानने तथा मजदूरों के मंहगाई भत्ते में परिवर्तन करने की मांगों को लेकर की गई थी।

(२) जी हां। यूनियनों ने अलग-अलग मांग-पत्र दिया था, पर उनमें मांगें एक सी हैं। मांगों की सूची संलग्न है।

(३) इस मांग-पत्र पर श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों, श्रम मन्त्री तथा मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स ऐसो० तथा इन्टक तथा एटक के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी।

(४) इस मांग-पत्र पर समझौता हो गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) दूसरे वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार प्रथम वर्ष को बढ़ोतरी ३.७५ रु. सभी मिलों के श्रमिकों को देने का समझौता हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन का प्रश्न औद्योगिक न्यायालय में सौंपने का भी निर्णय लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

माध्यमिकशाला सुखाल के अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

१५३. श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माध्यमिकशाला सुखाल, जिला सवाई माधोपुर में श्री नारायणसिंहल १३-१४ साल से अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ १३-१४ साल के समय में जनता द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से कुल कितनी शिकायतें दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार की राज्य सरकार तथा संचालक, शिक्षा विभाग राजस्थान को प्राप्त हुई हैं? उनको साल वाइज सूचा मय संख्या के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त शिकायतों पर राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है? अगर नहीं, तो क्यों? और अब सरकार उक्त मास्टर के खिलाफ कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(३) १३-१४ साल तक किन कारणों से व किन नियमों के अन्तर्गत उक्त अध्यापक को इतने लम्बे अर्से से एक ही शाला में रखा गया? और सरकार कब तक उसका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री श्रवणलाल)

(४) उपरोक्त शिकायतों में से कुल कितनी शिकायतें राजनीति में खुल कर दल के विशेष पक्ष में भाग लेने की हैं ? उनकी सालवार तादाद बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। उनके खिलाफ जनता द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत इस अवधि में प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) उक्त अवधि में अध्यापक का कार्य सन्तोषजनक रहा और इस अवधि में अध्यापक के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार या कार्य में शिथिलता की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया। जब तक अध्यापक के कार्य एवं व्यवहार में शिथिलता के क्रम में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो तब तक स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

(४) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राणा प्रतापसागर बांध के डूब में आई भूमि का मुआवजा

१५४. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राणा प्रतापसागर बांध में कितनी जमीन डूब में आई और कौन-कौन से गांवों की ?

(२) इनके काश्तकारों को मुआवजा किस साल में और कितना-कितना किस दर से दिया गया ?

(३) क्या यह सत्य है कि मुआवजा लेने के बाद में भी काश्तकारों ने अपनी-अपनी जमीनें बोई हैं ?

(४) जितने साल जमीन काश्तकारों ने बोई उसका लगान बराबर राज्य सरकार में जमा कराया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो किस-किस साल में कितना-कितना लगान जमा किया गया ?

उत्तर

(१) राणा प्रतापसागर बांध के डूबे क्षेत्र में १,१७,७१५ बीघा १४ बिस्वा जमीन डूब में आई है। इस डूब की जमीन में ६४ गांव आये हैं, जिनकी नामवार सूची मय रकबा संलग्न की जा रही है।

(सिंचाई मंत्री)

(२) हर साल दिये गये मुआवजे की सूची संलग्न है। मुआवजे की दर जिन सिद्धान्तों पर आंकी गई है उनकी सूची संलग्न है।

(३) जी हां।

(४) यह प्रश्न इस संस्थान से सम्बन्धित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्कूलों में विज्ञान एवं बायोलोजी विषयों की पढ़ाई

१५५. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) ८ मार्च, ६८ के वित्त मंत्री के भाषण के अनुसार क्या ७५ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदला गया है ? यदि हां, तो कितने और कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(ब) विज्ञान और बायोलोजी के विषय कौनसी चुनी हुई २० हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में चालू कराने का इरादा था ?

(स) कौन-कौनसी स्कूलों में ऐसा किया गया और कब से किया ? सूची सदन की मेज पर रखें और क्या यह सुचारुरूप से चलते हैं ?

(द) उन पंचायत समितियों में जहां सेकेन्डरी स्टेन्डर्ड की कोई स्कूल नहीं थी क्या वर्ष १९६८-६९ में खोली गई ?

(इ) जोधपुर में लड़कियों के लिये कितनी हायर सेकेन्डरी स्कूलें हैं, जिनमें विज्ञान और बायोलोजी के विषय हैं ?

(फ) जोधपुर में सरदारपुरा में जो लड़कियों के लिये हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उसमें विज्ञान व बायोलोजी के विषय पढ़ाने का इन्तजाम क्यों नहीं किया जा रहा है ? यह कब तक कर दिया जायगा ? क्या सरकार को विदित है कि सरदारपुरा की लड़कियों को इन विषयों को पढ़ने के लिये वहां से ढाई मील दूर जोधपुर शहर के एक मात्र इन विषयों के स्कूल राजमहल गर्ल्स स्कूल में जाना पड़ता है।

उत्तर

(अ) ८ मार्च, ६८ के वित्त मंत्री के भाषण के अनुसार ७५ प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शालाओं में बदलने का प्रावधान था परन्तु सन् ६८-६९ में ७५ शालाओं के स्थान पर १६५ प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में बदलने की आज्ञा प्रसारित की गई। सूची सदन की मेज पर रख दो गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(ब) शालाओं का चुनाव पहले से नहीं किया जाता, जब बजट में जितनी शालायें खोलने या विषय प्रारम्भ करने का प्रावधान होता है तो उसी अनुसार नीचे के कार्यालयों से प्रस्ताव मांगकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(स) वर्ष १९६८ में १८ हाई स्कूलों व ९ हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान विषय तथा १२ हाई स्कूलों व १० हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ किया तथा उक्त शालाओं में निम्न माहों में विषय प्रारम्भ किये गये।

विज्ञान विषय १२ हाई स्कूलों में जुलाई, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

विज्ञान विषय ६ हा० स्कूलों में सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

विज्ञान विषय ७ हायर सेकेन्डरी शालाओं मे जुलाई, ६८ से प्रारम्भ किये गये।

विज्ञान विषय २ हायर सेकेन्डरी शालाओं में सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

जीव विज्ञान ७ हा० शा० में जुलाई, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

जीव विज्ञान १ हा० शा० में अगस्त, १९६८ से प्रारम्भ किया गया।

जीव विज्ञान ४ हा० शा० में सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

जीव विज्ञान ८ हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जुलाई, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

जीव विज्ञान २ हायर सेकेन्डरी स्कूलों में सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ किये गये।

(द) जी हां। ९ पंचायत समितियों में सेकेन्डरी स्कूलें इस वर्ष खोली गई हैं।

(इ) जोधपुर में ३ (२ राजकीय व १ प्राइवेट) लड़कियों की हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान और जीव विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है।

१. राजमहल कन्या उच्च मा० विद्यालय।
२. दरबार हनुवन्त कन्या उच्च विद्यालय।
३. सैंट पेट्रिक विद्याभवन उच्च मा० विद्यालय।

(फ) जिन स्कूलों में विज्ञान विषय पहले से पढ़ाया जाता है वहां ही जीव विज्ञान विषय खोला जा सकेगा, इसके लिये लैबारेटरी की व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है। जोधपुर की इस स्कूल में विज्ञान विषय नहीं है अतः जीव विज्ञान खोलना सम्भव नहीं है। फिर भी प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

परिशिष्ट–१८ अगस्त, १९६९–परिशिष्ट

तहसील प्रतापगढ़ में शक्कर का वितरण

१५६. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़-सु.) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला चित्तौड़गढ़ से तहसील प्रतापगढ़ को कुल कितनी बोरी शक्कर माहवारी अलॉट होती है, वहां कहां-कहां कितनी-कितनी बोरी वितरण करने हेतु किस-किस को दी जाती है ?

(२) क्या शक्कर का वितरण समय पर एवं सब को हुआ है या नहीं इस सम्बन्ध में कोई चैकिंग करता है ? यदि हां तो कौन और इस वर्ष कितनी बार एव कहां-कहां चैकिंग किया ?

(३) क्या यह सत्य है कि आदिवासी पंचायतों को शक्कर महाजन एवं आदिवासियों को छोड़ कर अन्य लोगों को दे रखी है जो उन पंचायत एरिया के रहने वाले नहीं हैं और कभी भी आदिवासियों को शक्कर नहीं देकर स्वयं हड़प कर जाते हैं ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में यहां के अधिकारियों ने कभी गांवों में जाकर चैकिंग भी किया है ? यदि हां, तो कितनी बार और कहां-कहां पर ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) तहसील प्रतापगढ़ में माह जनवरी, ६९ से जुलाई, ६९ तक जितनी मात्रा में व जिस माध्यम से चीनी वितरण कराई गई थी उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(२) जी हां। तहसील प्रतापगढ़ के क्षेत्र में चीनी का वितरण समय पर कराया गया है एवं वितरण व्यवस्था का चैंकिंग भी जिले के प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा कराया गया है, यह सूचना भी सदन की मेज पर रख दी हैं।

(३) जी नहीं। तहसील प्रतापगढ़ में कुल २८ आदिवासी पंचायती क्षेत्र हैं इनमें से १८ क्षेत्रों का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से, ५ पंचायती क्षेत्रों में आदिवासी विक्रेताओं के माध्यम से व बाकी बची ५ पंचायती क्षेत्रों में वहां के सरपंचों की सहमति से चीनी वितरण का कार्य महाजनों को दिया गया है।

(४) जिले के प्रवर्तन स्टाफ एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा समय-समय पर चैकिंग किया गया है, जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

रामेश्वरलाल शहरिया कालेज कालाडेरा का मिकेनिक

१५७. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रामेश्वरलाल शहरिया कॉलेज कालाडेरा में मई सन् ६७ से, जून सन् ६७ तक मिकेनिक कौन था ? और उसने संस्था में क्या कार्य किया ?

(२) क्या उस मिकेनिक को कालाडेरा से बाहर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो किस राजकीय कार्य के हेतु तथा किस आज्ञा से ?

(३) क्या कालाडेरा कॉलेज के प्रधानाचार्य के उत्तरप्रदेश व पीलीभींत में कृषि फार्म हैं और उनमें कालाडेरा के मिकेनिक ने कार्य किया ?

उत्तर

(१) इस महाविद्यालय में मई, सन् ६७ से जून, सन् ६७ तक मैकेनिक श्री दीनमोहम्मद था। उन दिनों भौतिक शास्त्र विभाग में कोई विशेष कार्य न होने से उस मिकेनिक को ऑइल इंजन एवं जल विद्युत् की मोटर ठीक करने के लिये गौशाला में ड्यूटी पर लगा दिया था। यह गौशाला कॉलेज से ही सम्बन्धित है और उसमें खेतो सम्बन्धी यंत्र रहते हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी।

(२) उस मैकेनिक को कालाडेरा से बाहर नियुक्त नहीं किया गया। उसे गौशाला में अवश्य ड्यूटी पर लगाया गया था, । क्योंकि वहां पर ऑईल इंजिन एवं बिजली की मोटर ठीक करनी थी। उन दिनों वह मैकेनिक इंजन के पार्ट्स आदि को ठीक कराने के लिये एक दो बार जयपुर अवश्य गया परन्तु वह मैनेजर की आज्ञा से गया था और उसी दिन लौट आता था।

(३) उस समय के प्रधानाचार्य डॉ० फतेहसिंह थे। उनसे पूछने से ज्ञात हुआ कि उत्तरप्रदेश में पीलीभींत तथा शाहजहांपुर जिलों की सीमा पर भदेड़ा नामक ग्राम में उनकी जमीन है। कालाडेरा के मैकेनिक ने गर्मी की छुट्टियों में वहां पर कोई कार्य नहीं किया।

अकाल सहायता कार्यों पर कार्य करने वाले मजदूरों व उनके बच्चों की मृत्यु

१५८. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों की व उनके बच्चों की बड़ी तदाद में मृत्यु हुई है व हो रही है ? यदि हां, तो आज तक कुल कितने व्यक्तियों की मौत केम्पों में हुई है और किस कारण से? केम्पवाइज मृत्यु संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

[स्थगित किया गया]

परिशिष्ट-१८ अगस्त, १९६९-परिशिष्ट

वन श्रमिक सहकारी संघ को ठेके

१५९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को राजस्थान में वन विभाग के ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में किस-किस स्थान पर किस वन उपज का ठेका कितने-कितने रुपयों में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त संघ को जो ठेके दिये गये हैं उनमें से कुछ ठेकों की रकम भी अभी तक तय नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तय करली जावेगी ?

(३) सरकार ने वन उपज सहकारी समितियों को ठेका नहीं दे कर उक्त संघ को जो ठेके दिये हैं वे किस नियम व नीति के अन्तर्गत दिये ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त संघ स्वयं ठेके का काम नहीं करता है ? यदि हां, तो फिर अभी तक उक्त संघ द्वारा किस-किस कूप में किस-किस माध्यम से ठेके का काम करवाया ?

उत्तर

(१) जी हां । सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । बारां वन मंडल के नाउदेह बसई लोट नं० २ के ठेके की रकम गुजरात पद्धति के अनुसार निर्धारित की जानी है, जिसके लिए वन संरक्षक स्तर की समिति में ९-७-६९ को कोटा में बैठक हुई थी, जिसमें सदस्य एक राय पर नहीं पहुँचे, अतः अब कूप की अपसेट प्राइस सचिवालय स्तर की समिति द्वारा की जायगी । इस समिति द्वारा अपसैट प्राइस का निर्धारण शीघ्र ही कर दिया जावेगा ।

(३) वन श्रमिक सहकारी समितियों के विरुद्ध निकल रही बकाया को दृष्टि में रखते हुए संघ को यह ठेके दिये गये हैं ।

(४) संघ वन श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा लिये गये कूप के माल का विक्रय करता है । उक्त तीनों कूपों में संघ ने वन श्रमिक सहकारी समितियों के श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के माध्यम से कार्य करवाया है ।

परिशिष्ट-१८ अगस्त, १९६९-परिशिष्ट

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को स्वीकृत वन उपज के ठेके का विवरण

वर्ष	नाम कूप	नाम वन उपज	ठेका राशि
१९६८-६९	मशालपुरा (ब) कोटा वन मंडल कम्पार्टमेंट संख्या १६ से २१, ३७, ४०-४४, ४५-४८, ५१, ५२, ५४ व कम्पा० संख्या ४६, ५०, ५३, ५५, ५६ के भाग	कत्था	५५,०००
,,	नाउदेह बसई लोट नं० २ बारां वन मंडल	कत्था	गुजरात पद्धति अनुसार ठेका राशि अभी तय नहीं हुई है।
,,	पाल—कम्पा० १ से १८, २० से २६ तक चित्तौडगढ़ वन मंडल	कत्था	३६,३००

छीपाबड़ोद के मिडिल स्कूल में लड़कियों के बैठने की व्यवस्था

१६०. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद में लड़कियों को पढ़ाने के लिए आठवीं क्लास तक पढ़ाई होती है ?

(२) क्या यह सही है कि आज कल लड़कियों के बैठने की व्यवस्था पुराने लड़कों के मिडिल स्कूल भवन में कर रखी है, जिसमें बहुत कम एकोमोडेशन है ?

(३) क्या यह सही है कि इसी भवन में उच्चतर माध्यमिक शाला के हैड मास्टर साहब निवास कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के बैठने के लिए बहुत असुविधा है ? क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस भवन को हैड मास्टर से खाली करा कर हैड मास्टर के रहने के लिए अलग मकान का बन्दोबस्त करें ताकि लड़के व लड़कियों के बैठने की सुविधा हो सके ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(४) जी हां। प्रधानाध्यापक को बरसात समाप्त होने पर किसी और स्थान में रहने को लिख दिया गया है।

पंचायत समिति पिड़ावा में अधिकारियों के रहने के मकान

१९१. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पिड़ावा जिला झालावाड़ में अधिकारियों के रहने के मकान बने हुये हैं ?

(२) क्या इनको ठीक करने के लिये पंचायत समिति ने सात हजार रुपये और खर्च करने की स्वीकृति चाही है ? यदि हां, तो क्या वह दे दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि जिन रुपयों की स्वीकृति हुई वह जिस कार्य के लिये मंजूर हुये उस पर व्यय न कर दूसरी जगह सूचना केन्द्र पर विकास अधिकारी के लिये कमरा बनाने के काम में लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अधूरे पड़े हुए हैं।

(२) जी नहीं। पंचायत समिति द्वारा कोई स्वीकृति नहीं चाही गई।

(३) जी नहीं।

देवस्थान विभाग द्वारा ऋण

१९२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो ऋण देने के क्या नियम हैं ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) वर्ष १९६७-६८ व ६८-६९ में कुल कितना ऋण दिया गया और किन-किन को दिया गया ? कृपया सालवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि वर्ष १९६८-६९ में नवाब साहब टोंक को देवस्थान विभाग से करीब दो लाख रुपया ऋण स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? शर्तों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा ऐतराज करने पर भी राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि यह ऋण दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(देवस्थान मंत्री)

(१) आम तौर पर देवस्थान विभाग से ऋण नहीं दिया जाता है। किन्तु राज्य सरकार के आदेश से किसी विशेष व्यक्ति अथवा संस्था को ऋण दिये गये हैं। इस संबंध में कोई नियम बने हुए नहीं हैं।

(२) सन् १९६७-६८ में कोई ऋण नहीं दिया गया। सन् १९६८-६९ में नवाब सा० टौंक को (२,००,०००) रु० दो लाख रुपये ऋण में दिये गये।

(३) जी हां, शर्तों की सूची संलग्न है।

(४) यह सही नहीं है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (A) DEPARTMENT

From:—

The Deputy Secretary to Government,
Rajasthan, Jaipur.

To:—

The Commissioner,
Devasthan Department,
Rajasthan, Udaipur

No. F3(d)(78) Rev/A/67— *Dated 29-5-68.*

Sub:—Grant of Loan of Rs. 2 Lacs to Nawab of Tonk from Devasthan Department

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of loan of Rs. 2,00,000/- (Rupees two lacs) only to Nawab of Tonk for domestic purposes on the following terms and conditions:—

(a) that the loan shall bear an interest @12% P. A.

(b) that the loan shall be repayable in 12 equal quarterly instalments which alongwith interest shall be recoverable from the privy purse amount which a ruler is in receipt of under article 291 of the constitution read with the covenant Appendix XV, white paper on Indian States. An undertaking to this affect may be obtained from the Nawab of Tonk,

(c) The first instalment will be recovered from the next quarterly payment privy purse after the payment of the LOAN.

(d) That the Nawab of Tonk shall execute an agreement on such form as may be prescribed by the Government for the repayment of the loan.

(e) that the Nawab of Tonk shall mortgage his property viz. Nazar Bagh, Tonk and the said property shall remain mortgaged till the re-payment of the loan and Interest.

(f) that at the time of payment of this loan, a sum of Rs. 7500/- shall be recovered as departmental charges & ½% for preparing estimates by the Public Works Departments.

The Devastaan Department shall arrange payment of this loan through encashment of the securities already held by them or Fixed Deposits. There will be no drawal of funds from the P.D. Accounts.

This issues with the concurrence of the Finance Department vide I. D. No. 1439/FM/68, dated 7-5-1968.

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary to Govt.

प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण का आधार

१६३. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत एक वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण ३ वर्ष से पूर्व कितनों के हुए हैं ?

(२) क्या ये स्थानान्तरण किसी ठोस आधार को लेकर किये गये हैं ? यदि हां, तो वह आधार क्या है ?

उत्तर

(१) गत वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ३ वर्ष से पूर्व ८० प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण हुए हैं।

(२) जी हां। रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों की व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किये जाते हैं।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, असनावर का भवन

१६४. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रा० हैल्थ सेन्टर, असनावर, जिला झालावाड़ के भवन निर्माण के लिये ग्राम से रकम दस हजार रुपये जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो भवन अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह रकम जिला झालावाड़ में सब से पहले जमा हुई थी ? यह कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। उप केन्द्र भवन निर्माण हेतु जन सहयोग से रकम जमा हो चुकी है। भीमसागर प्रोजेक्ट बनने से यह गांव यहां से हटेगा अतः निर्माण कार्य नहीं किये गये हैं।

(२) दिनांक २८-५-१९६१ को यह धनराशि जमा हुई है। नये गांव की स्थिति का पता होने पर ही निर्माण कार्य हो सकेगा।

अधिकारियों के स्थानान्तरण

१६५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के यह स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में न रखा जावे ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, कोटा ने सन् ६८ में कुछ अधिकारियों के परिवर्तन किए जाने हेतु एक सूची चीफ इन्जीनियर, जयपुर को स्वीकृति हेतु भेजी थी ?

अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार के आदेश जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध केवल अधिशासी अभियन्ताओं पर ही लागू होते है।

(२) सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, कोटा ने एक अधिशासी अभियन्ता के परिवर्तन हेतु सिफारिश की थी परन्तु प्रशासनिक कारणों से अधिशासी अभियन्ता का परिवर्तन नहीं किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़गांव के भवन के लिए एकत्रित धनराशि

१६६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, रानीवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़गांव की इमारत बनाने के लिये स्थानीय जनता ने १५,०००) रु० की धनराशि जमा कराई थी ? अगर हां, तो वह धनराशि कहां जमा कराई गई ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जनता द्वारा दी हुई अपने हिस्से की धनराशि जमा कराने पर भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये मन्जूर नहीं की है ? अगर हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय जनता के कई बार आग्रह करने पर भी बड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण सरकार द्वारा अब तक नहीं कराया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त भवन का निर्माण सरकार द्वारा कब तक करा दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सत्य है कि परिवार नियोजन केन्द्र बनाने के लिये आहोर, जालोर एवं भीनमाल स्थानों पर रकमें मन्जूर की गई हैं ? अगर हां, तो कहां-कहां कितनी कितनी ? ऐसे केन्द्र बनाने के लिये रानीवाड़ा व सांचोर स्थानों पर रकमें मन्जूर क्यों नहीं की गई हैं ? यहां पर केन्द्र कब तक बन जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अपितु जन सहयोग से १५,०००/– की धनराशि रसीद संख्या ९, दिनांक १५-१२-६२ द्वारा पंचायत समिति में उप-केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु जमा कराई गई थी।

(२) जी हां, योजना के मद में अर्थाभाव के कारण अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका है।

(३) जी हां। धनराशि के अभाव के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव के लिये भवन एवं गृह का निर्माण नहीं हो सका है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण के लिये ५० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। अतः इस योजना की अवधि में निर्माण कार्य होना संभव होगा।

(४) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

सी. टी. एस., जयपुर की बसों का किराया

१६७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(१) राज्य में सी. टी. एस. की बसें कौन-कौन से शहरों में चलती हैं और इनको किराये की दरें किस आधार पर तय की जाती हैं ?

(२) क्या किराया बढ़ाते समय सरकार से भी राय ली जाती है ?

(३) क्या यह भी सच है कि जयपुर में सी. टी. एस. की बसों का किराया किसी-किसी स्टॉप का तो रिक्शों व तांगों से भी ज्यादा है जैसे:—

	पैसे
१. बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया का	१०
२. बड़ी चौपड़ से गोपालजी का रास्ता	१०
३. सांगानेरी गेट से नया दरवाजा	१०
४. नये दरवाजे से अजमेरी गेट	१०

(४) क्या यह भी सत्य है कि सी. टी. एस. में १० पैसों से कम का टिकट नहीं है जिससे चाहे जितने ही छोटे स्टॉप के लिये बैठें १० पैसे ही देने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस को पांच पैसे कराने का विचार करेगी ?

(५) क्या यह सच है कि बसें सब ओवरलोड चलती हैं जिससे औरतों व बच्चों को भी खड़े-खड़े चलना पड़ता है ?

उत्तर

(१) सी. टी एस. बस सर्विस, जयपुर व अजमेर में चलती है। इनके किराये की दरें, मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ (केन्द्रीय अधिनियम, ४, १९३९) की धारा ४३ के अन्तर्गत, आपरेशनल कास्ट, ईंधन व गाड़ियों को ठीक हालत में रखने हेतु होने वाले व्यय, करों की दरों में वृद्धि एक्साइज ड्यूटी व सामान की कीमत व अन्य राज्यों में प्रचलित किराये की दरों को दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित की जाती हैं।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा ४३ के अन्तर्गत राज्य सरकार ही किराये की दरें राज्य परिवहन प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित करती है।

(३) सी. टी. एस. के किराये की दरें स्टॉप-वार स्वीकृत नहीं हैं मीलवार हैं और सी. टी. एस. को उसी हिसाब से किराया चार्ज करना लाजमी है।

(४) जी यह सत्य नहीं है। कम से कम टिकट ५ पैसे का है।

(५) जी यह सही नहीं है। ओवर लोड चलती पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षण सुविधाएं

१६८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(१) क्या यह सही है कि चीन के आक्रमण के पश्चात् १९६१ में सरकार ने यह घोषणा की थी जब आपत्तिकालीन सैनिक वापिस आयेंगे तब उनको अपनी पढ़ाई पुनः प्रारम्भ करने पर सरकार १०० रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करेगी तथा जो बी. ए. तथा एम. ए. में छोड़ कर जायेंगे उनको डिग्रियां दे दी जायेंगी ? यदि हां, तो इस घोषणा का पालन कहां तक हो रहा है और अब तक किन-किन को उपरोक्त सुविधाएं दी गई हैं ?

(२) क्या विश्व-विद्यालय व अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले भूतपूर्व सैनिकों को होस्टल में रहने में प्राथमिकता दी जाती है ?

उत्तर

(१) वे आपत-कालीन सैनिक जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सेना में भर्ती हो गये थे वापस आने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपनी पढ़ाई पुनः प्रारम्भ करने की सुविधा दी गई है तथा उस पर होने वाले खर्चे को छात्रवृत्ति के रूप में निर्धारित दर के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया है।

(२) जी नहीं।

ग्राम लूगावा के बांध की मरम्मत

१६९. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लूगावा, तहसील बाली के पास में एक पुराना टूटा हुआ बांध है ? जो फूटे लाव के नाम से मशहूर है ?

(२) क्या इस बांध के पुनर्निर्माण करवाने हेतु विभाग ने सर्वे करवाई है ? यदि हां, तो इसकी टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल स्वीकृति कब-कब हो गयी है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस कार्य को चालू भी किया गया था और पुनः बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

(४) अब इस कार्य को पुनः कब चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, फाइनेन्शियल स्वीकृति राहत कार्य के तहत इस वर्ष प्राप्त हुई है तथा तकनिकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी जा चुकी है।

(सिंचाई मंत्री)

(३) जी हां, किन्तु लक्ष्मी को-ऑपरेटिव सोसायटी जिसे कार्य दिया गया था उसने केवल एक दिन कार्य करने के बाद काम बन्द कर दिया तथा सूचना पत्र देने के बाद भी कार्य पुन: शुरु नहीं किया।

(४) यह कार्य अकाल राहत के तहत दिनांक १९-९-६९ से शुरु कर दिया गया है।

अलवर के जनाने अस्पताल के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

१७०. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर के जनाना अस्पताल के लिये कुल कितनी भूमि अवाप्त की गई है ? क्या उसका मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) क्या इस भूमि में एक कुआ है जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति ने बिजली की मोटर लगा रखी है ? यदि हां, तो क्या इसकी इजाजत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त करली गई है ?

उत्तर

(१) इसके लिये १७ बीघा ९ बिस्वा भूमि अवाप्त की गई। उक्त भूमि का मुआवजा ३३,१४५.७५ रुपया दिया गया।

(२) जी हां। पर मामले की छानबीन की जा रही है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली

१७१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार शिक्षा के मामले में, वर्तमान शिक्षकों की बेकारी को देखते हुए कोई नया परिवर्तन लेने की सोचती है ? यदि हां तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं लेने में जो दोषपूर्ण तरीका है, उसमें कोई अन्य सुधार लाने का क्या राज्य सरकार कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) शिक्षा प्रणाली में बच्चों के चरित्र निर्माण की ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है ? चरित्र निर्माण सम्बन्धी दी जाने वाली शिक्षा के कुछ मुद्दों की जानकारी देने का कष्ट करें।

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(१) बेकारी की समस्या देशव्यापी है। जिसका कारण मुख्यतः आर्थिक संकट है।

(२) परीक्षाओं के आयोजन और उनमें सुधार के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग ने सुझाव दिये हैं। जो Essay Type, objective Type of Questions, हैं जिनसे छात्रों के वास्तविक ज्ञान की परीक्षा होती है —धीरे-धीरे इसे नीचे की कक्षाओं में लागू किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा आयोग शिक्षा नीति में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु नियुक्त किया था, उसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान में भी कुछ परिवर्तन, संशोधन किये गये हैं। व कुछ किये जावेंगे जब वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

(३) चरित्र शिक्षा, यद्यपि शिक्षा के अनेक स्तरों पर नियमित पाठ्यक्रम का अंग नहीं है, फिर भी सभी विद्यालयों में, सांस्कृतिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से इस विषय पर ध्यान दिया जाता है। स्काउटिंग, एन० सी० सी०, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा, पुस्तकालीय साहित्य, राष्ट्रीय नेताओं एवं महान पुरुषों की जयन्तियां, तथा समय-समय पर विद्यालयस्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं।

वाइल्ड गेम सेंक्चुअरी

१७२. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में कितनी वाइल्ड गेम सेंक्चुअरियां हैं और कहां-कहां ?

(२) क्या इन सेंक्चुअरीज के निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(३) क्या हर सेंक्चुअरी पर पर्यटकों के उपयोग में आने के लिये सरकार जीप रखती है ? अगर हां, तो कहां-कहां पर है ?

(४) कोटा की दारा सेंक्चुअरी पर क्या सरकार ने जीप की व्यवस्था कर रखी है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) हर सेंक्चुअरी पर पर्यटकों को शेर दिखलाने का क्या शुल्क लिया जाता है ?

(६) वर्ष १९६६ से ६८ में किन-किन सेंक्चुअरी में कितने विदेशी सैलानी गये और कितनी पार्टियों को शेर दिखाये गये और उनसे कितना-कितना और कहां-कहां से शुल्क वसूल किया गया ?

उत्तर

१. ९ गेम सेक्चुअरी हैं सूची (अ) संलग्न है।

२. गेम वार्डन एवं गेम रेन्जर नियुक्त हैं। विवरण सूची (ब) में अंकित हैं।

परिशिष्ट–१८ अगस्त, १९६९–परिशिष्ट

(वन मंत्री)

३. सभी जगह जीप की व्यवस्था नहीं है। यह केवल सरिस्का, दरा तथा सवाई-माधोपुर गेम सैंक्चुअरी में हैं

४. कर रखी है।

५. कुछ नहीं है।

६. संलग्न सूची (अ) में विवरण प्रस्तुत है।

सूची (अ)

नाम गेम सैंक्चुअरी	नाम रैंज	नाम वन मंडल	प्रभारी अधिकारी	वि० विवरण
१. घाना	भरतपुर	भरतपुर	गेम वार्डन	यह बर्ड सैंक्चुअरी है
२. सरिस्का	सरिस्का	,,	,,	
३. वन विहार	धोलपुर	,,	उप क्षेत्रीय वन विहार	
४. रामसागर	,,	,,	,,	
५. ताल छापर	बीकानेर	जोधपुर	वन विस्तार अधिकारी, बीकानेर	यह ब्लेक बक एवं हिरनों की सैंक्चुअरी है।
६. दरा	मोडक	कोटा	गेम वार्डन, कोटा	
७. स० माधोपुर	स० माधोपुर	टोंक	गेम रैंजर	
८. जयसमन्द	उदयपुर	उदयपुर	गेम वार्डन	
९. माउन्ट आबू	माउन्ट आबू	सिरोही	गेम वार्डन	

सूची (ब)

नाम गेम सैंक्चुअरी	विदेशी पर्यटकों की संख्या	वर्ष	पार्टियां जिन्हें शेर दिखाये गये	शेर दिखाने की फीस वसूली
१	२		३	४
१. घाना	–	–	–	–
२. सरिस्का	३११	१९६६	५१	–
	२५४	१९६७	४६	५०)
	१८५	१९६८	६५	–
३. वन विहार	४५	१९६६	३	१४०)
४. रामसागर	४०	१९६७	–	–
	–	१९६८	–	–

१	२		३	४
५. ताल छापर	—	—	—	—
६. दरा	१३	१९६६	—	—
	२३	१९६७	—	—
७. स० माधोपुर	२	६७	शेर दिखाया गया कोई फीस नहीं ली गई	
८. जयसमन्द	१८०	१९६६	टाइगर नहीं है	—
	१७८	१९६७	—	—
९. माउन्ट आबू	—	१९६६	टाइगर नहीं है	—
	१२	१९६७	—	—

विकास अधिकारी, सलुम्बर के कार्यालय की तिजोरी

१७३. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति, सलुम्बर में विकास अधिकारी के कार्यालय से माह जून, १९६६ में एक तिजोरी गायब हुई ?

(२) क्या इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(१) माह जून में नहीं, माह सितम्बर, १९६६ को कैश बाक्स की चोरी हुई ।

(२) उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पुलिस द्वारा जांच के बाद माल-मुल्जिमान का पता नहीं लगने पर फॉइनल रिपोर्ट दे दी गई ।

गन्धेर प्लान्टेशन पर व्यय

१७४. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला चितौड़गढ़ सब-डिविजन प्रतापगढ में फोरेस्ट विभाग द्वारा गन्धेर प्लान्टेशन किया गया है ? यदि हां, तो आज तक इसमें कितना रुपया खर्च हुआ, कितने वृक्ष लगाये गये तथा उन वृक्षों में से अब कितने मौजूद हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस प्लान्टेशन से सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो खर्च के अनुपात में कितना लाभ हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्लान्टेशन में काबिलेकाश्त जमीन है ? यदि हां, तो जमीन गरीब भूमिहीनों को क्यों नहीं दी जाती ?

(वन मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। अब तक ३२,१७६ रु० व्यय हुए। २१,६२६ पौधे लगाए गए जिनमें अभी ११,००० वृक्ष जीवित हैं। इसके अतिरिक्त बीजों से उगे पौधे भी काफी मात्रा में पनप रहे हैं।

(२) जी नहीं। वन उत्पादन में खर्चे के अनुपात में तुरन्त लाभ नहीं होता। वनीकरण का पूरा प्रत्यक्ष लाभ वृक्षों के काटने के योग्य होने पर ही मिलता है मध्यावधि लाभों में प्रत्यक्ष लाभ भूमि की कटाव से सुरक्षा और घास की उपलब्धि है। इस प्लान्टेशन क्षेत्र से प्रति वर्ष लगभग १८०० रु० मूल्य का १५० क्विंटल घास उपलब्ध होता है जिसका उपयोग स्थानीय आदिवासी ग्रामीण करते हैं।

(३) जी नहीं। जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐच्छिक विषय में उत्तीर्ण अध्यापकों को विशेष वेतन

१७५. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अंग्रेजी भाषा ऐच्छिक विषय लेकर स्नातकीय परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले अध्यापकों को ही विशेष वेतन क्यों दिया जाता है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की असमानता को दूर करने पर विचार किया है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेट में लोकप्रिय मन्त्रि-मन्डल ने हिन्दी भाषा की तथा संस्कृत की स्नातकीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अध्यापकों को उच्च-स्तरीय वेतन दिये थे ?

उत्तर

(१) उच्च वेतन (हायर इनिशियल मे) वेतन श्रृंखला १३ मे अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (सेवा में लगे अध्यापकों व नये अध्यापकों) जिनकी नियुक्ति १-९-६१ या इसके बाद ३१-३-६४ तक हुई हैं उन्हीं को दिया था। क्योंकि उस समय ऐसे अध्यापकों की बहुत कमी थी। इन्हें किसी तरह का विशेष वेतन नहीं दिया जाता था।

(२) १-४-६४ से उक्त सुविधा समाप्त कर दी गई।

(३) जी, नहीं।

परिशिष्ट—३

(अ. प्र. सं. २०१ की सूची)

राजस्थान राज्य विकास ऋण के अभिदानकर्त्ताओं की सूची

अभिदानकर्त्ता	ऋण की राशि सन् ६७	सन् ६८ (अंक लाखों में)	
१. स्टेट बैंक आफ इंडिया	१४.००	२५.११	
२. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	३०.००	४४.००	
३. बैंक आफ राजस्थान	१६.३५	१२.२१	
४. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	५.००	५.००	
५. बैंक आफ बड़ोदा	५.००	५.००	
६. युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लि०	१०.००	३०.००	
७. पंजाब नेशनल बैंक	६०.००	६१.०४	
८. इलाहाबाद बैंक लि०	६.००	२०.७०	
९. देना बैंक लि०	३.००	३.००	
१०. बैंक ऑफ इंडिया लि०	३.००	५.००	
११. न्यू बैंक ऑफ इंडिया लि०	२.००	२.००	
१२. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लि०	३.००	३.००	
१३. हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक लि०	—	२८.००	
१४. इंडियन ओवरसीज बैंक लि०	—	३.००	
१५. हिन्दूस्तान मरकेन्टाइल बैंक लि०	—	१.००	
१६. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक	८.००	५.१०	
१७. राजस्थान सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव लैंड मार्गेज बैंक	४.००	५.००	
१८. राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक	१.००	१.५०	
१९. जीवन बीमा निगम	१२०.००	१५०.००	
२०. महाराष्ट्र सरकार	—	२०.३९	
२१. दिल्ली ट्रांस्पोर्ट अण्डरटेकिंग	—	१.००	
२२. उद्योग एवं उद्योगपति	५०.००	२५.००	
२३. राजस्थान वित्त निगम	—	१५.३१	
२४. उदयपुर विश्वविद्यालय	—	१०.००	
२५. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल	—	२.५८	जिलेवार सूची
२६. अन्य (जिलों सहित)	७३.६५	६७.७१	संलग्न है।
योग	४०९.३५	५५१.३५	

परिशिष्ट–१८ अगस्त, १९६९–परिशिष्ट

जिलों से प्राप्त अभिदानों की सूची

ऋण की राशि (अंक लाखों में)

क्रमांक	जिले का नाम	सन् ६७	सन् ६८
१.	अजमेर	१२.८९	८.३२
२.	अलवर	२.२२	४.१२
३.	बांसवाड़ा	०.३३	०.३४
४.	बाड़मेर	०.०१	—
५.	भरतपुर	०.९७	१.०१
६.	बीकानेर	१.८८	२.३४
७.	भीलवाड़ा	१.४५	२.२५
८.	बून्दी	१.३३	२.०५
९.	चित्तौड़गढ़	२.०६	२.३०
१०.	चूरू	२.४६	२.३५
११.	डूंगरपुर	०.४१	०.०३
१२.	गंगानगर	१२.१९	१३.२१
१३.	जयपुर	०.४३	०.०७
१४.	जैसलमेर	०.०८	—
१५.	जालौर	०.६६	—
१६.	झालावाड़	०.५१	२.५०
१७.	झुन्झुनू	२.०१	२.०५
२०.	जोधपुर	५.०५	१.८०
१९.	कोटा	६.१४	५.३७
२०.	नागौर	०.७४	१.६७
२१.	पाली	१.५५	०.४५
२२.	सवाईमाधोपुर	०.०८	७.५०
२३.	सीकर	०.१०	०.२५
२४.	सिरोही	०.३१	०.८२
२५.	टौंक	३.२१	३.००
२६.	उदयपुर	२.०६	३.५२

————

परिशिष्ट–४

(अ० प्र० सं० २१० की सूची)

जैसलमेर–जोधपुर सड़क पर लगाये गये पेड़ों का विवरण, जोधपुर रेन्ज

नाम स्थान	लम्बाई	वर्ष	लगाये गये पेड़ों की तादाद	अभी घोषित पेड़ों की सं०	वर्षवार–व्यय								विशेष विवरण
					६१–६२	६२–६३	६३–६४	६४–६५	६५–६६	६६–६७	६७–६८	६८–६९	
पोकरन–जैसलमेर	१४५–१५०/५ मील	१४६१	६६६	१४५	६४४२–८०	२३४५–३०	१२९२–९०	३७३५–५०	५७५–९६	—	—	—	
साढ़ी	१५३–१५५/५ मील	,,	१५१९	२८७	१९६३–४०	१२७७–३६	२११७–३०	१०३०–३६	५६३–९६	—	—	—	
जोधपुर–शेरगढ़	१३.२–१४.२/५ मील	,,	१००१	७१३	१५४–३०	१२९९–१३	११४२–६९	१०५९–९०	४१३.९६	—	—	—	
पोकरन–जैसलमेर	१४९.४/१४५ ४–१/२ मील	१९६२	७५३	२१	—	२३१९–४६	१२२४–९६	३५०५–९९	—	—	—	—	
चम्बल लाडी	१५५–१६९.४/ ५ मील ६ १.९	,,	११२२	७७	—	८५३१–५०	१५०४–९०	१२९०–९०	११३६–१०	११४२–३६	—	—	
जोधपुर–शेरगढ़	१८.२/२२२/४ मील	,,	१०२७	१६५	—	१५१४–३९	१४०–७९	६२१–२०	१४१६–३६	१५६–३०	—	—	
पोकरन–जैसलमेर	१३७.७–१४९.४ २ मी–५७०	१९६४	२९७	३	—	—	—	१३७०–९०	—	—	—	—	
चम्बल साडी	१६९.६–१६४.३ ३ मील–५ व ६	,,	५६३	१३	—	—	—	३९९८–९०	१५०९–९६	५५७–९६	—	—	
जोधपुर–शेरगढ	३२.२/२६.६ ४–१/२ मील	,,	११००	१७८	—	—	—	६९४९–९०	२६९६–९६	—	—	—	
जोधपुर–शेरगढ	२३.४ से ३३ ३ किलोमीटर	१९६६	७३१	५५१	—	—	—	—	—	४७५३–९६	२५१२–३०	१४१२–९६	
,,	३३ से ३६/५ मील	१३६७	७४३	६९१	—	—	—	—	—	—	४२९९–०९	२४९७–९६	
		योग :—	८४९९	२५९०	१२.४५४–५०	११.५४७–१२	५०४१–१९	२३३१९–३०	९११५–९६	१२४५–९६	१५९९–०९	३०१३–९०	

परिशिष्ट-५

(अ० प्र० सं० ३१७ की सूची)

कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

जो अपर निदेशक, प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/बजट/बी-१/२५०१९/१९/६८-६९ दिनांक १६-१०-६८ के निर्देशानुसार निम्नलिखित शालाओं में स्वीकृत स्केल नं० १३ के पदों में से एक पद कम करके स्केल नं० १६ में एक पद शारीरिक शिक्षक के लिये आवंटित किया जाता है। प्रधानाध्यापक शाला में कार्य कर रहे द्वितीय वेतन श्रृंखला (स्केल नं० १३) शारीरिक शिक्षक का वेतन स्केल नं० १६ में स्थिरीकरण सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र करवाने की व्यवस्था करें। निम्नलिखित शालाओं में स्केल नं० १३ (२१५-३००) से एक पद कम करके स्केल नं० १६ (१२०-३८५) में एक पद शारीरिक शिक्षक का स्वीकृत किया जाता है—

(१) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, प्रताप, अलवर,

(२) रा० मा० वि०, सिंग्रावट (सीकर),

(३) राज० उ० मा० वि० किशनगढ़ (अजमेर),

(४) राज० उ० मा० वि० बैर, (भरतपुर),

(५) राज० उ० मा० वि०, नसीराबाद (अजमेर),

(६) राज० टीकमचन्द, उ० मा० वि०, अजमेर,

(७) राज० ओसवाल जैन उ० मा० वि०, अजमेर

(८) राज० उ० मा० वि०, सावर (अजमेर),

(९) राज० उ० मा० वि०, सराधना (अजमेर),

(१०) राज० उ० मा० वि०, छापोली (झुंझुनूं),

(११) राज० उ० मा० वि०, देवली (टोंक),

(१२) राज० उ० मा० वि०, जवाई (झुंझनूं),

(१३) राज० उ० मा० वि०, सिनसिनी (भरतपुर),

(१४) राज० उ० मा० वि०, बातूड़ा (सीकर),

(१५) राज० उ० मा० वि०, गुडा गौड़जी (झुंझुनूं),

(१६) राज० उ० मा० वि०, मालाखेड़ा (अलवर),

(१७) राज० उ० मा० वि०, सरनपुरा (भरतपुर),

(१८) राज० उ० मा० वि०, बहरोड़ (अलवर),

परिशिष्ट–१८ अगस्त, १९६९–परिशिष्ट

(१९) राज० उ० मा० वि०, पुष्कर (अलवर),
(२०) राज० उ० मा० वि०, नूआ (झुंझुनूं),
(२१) राज० उ० मा० वि०, सिंघाना (झुंझुनूं),
(२२) राज० उ० मा० वि०, बनमोठड़ी (झुंझुनूं),
(२३) राज० उ० मा० वि०, राजाखेड़ा (भरतपुर),
(२४) राज० उ० मा० वि०, गीरोर (झुंझुनूं),
(२५) राज० उ० मा० वि०, न्यू० अलवर,
(२६) राज० उ० मा० वि०, झुंझुनूं,
(२७) राज० उ० मा० वि०, मसूदा (अजमेर),
(२८) राज० उ० मा० वि०, काजरा (झुंझुनूं),
(२९) राज० उ० मा० वि०, कांवट (सीकर),
(३०) राज० उ० मा० वि०, मऊ (सीकर),
(३१) राज० उ० मा० वि०, श्यामपुर मेनाना (झुंझुनूं),
(३२) राज० उ० मा० वि०, केकड़ी (अजमेर),
(३३) राज० उ० मा० वि०, माणक चौक, जयपुर,
(३४) दरबार उ० मा० वि०, जयपुर,
(३५) राज० पोद्दार, उ० मा० वि०, जयपुर,
(३६) राज० उ० मा० वि०, करौली (सवाई माधोपुर),
(३७) राज० उ० मा० वि०, तोपदड़ा, अजमेर,
(३८) राज० उ० मा० वि०, टोंक,
(३९) राज० उ० मा० वि०, भरतपुर,
(४०) राज० श्री कल्याण उ० मा० वि०, सीकर।

ह० सौभाग्यचन्द्र माथुर,
संयुक्त निदेशक,
शिक्षा विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट—६

(अ० प्र० सं० २१९ की सूची)

प्रधान पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची

जिसकी ओर से शिकायत प्राप्त हुई	अधिकारी जिसको शिकायत की गई मय दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४
१. श्री हरजीराम विधान सभा सदस्य	विकास आयुक्त २०-९-६८	अपीलों के निर्णय करने में अनियमितताएं करने व अधिकारों के बाहर कार्य करने	जिलाधीश से प्रारंभिक जांच करवाली गई है। प्रधान को आरोप-पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
२. श्री मनसुखलाल भंवर, निवासी लाडनूं	मंत्रीजी पंचायत १८-८-६८	कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर अपील पर मनमाना निर्णय करना	२४-९-६८ को जांच के लिये जिलाधीश को लिखा गया। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जिलाधीश को स्मरण-पत्र भेजा गया है। जांच उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना कर रहे हैं।
३. राजस्व (ग) विभाग, जयपुर	जिलाधीश, नागौर २७-१०-६७	अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत कुआ बनाने हेतु ३०००)रु. ऋण के उपयोग के संबंध में शिकायत।	जांच के पश्चात् राजस्व विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई। वसूली की कार्यवाही जारी है।

१	२	३	४
४, श्री पूर्णाराम, सरपंच, ढीगसरी	उप-विकास आयुक्त २५-११-६८	२८-१०-६८ की पंचायत समिति की जनरल बैठक की कार्यवाही फरजी लिखा जाना	पंचायत समिति की बैठक २८-१०-६८ की कार्यवाही की पुष्टि व अनुमोदन स्वयं शिकायतकर्त्ता ने १७-२-६९ की बैठक में किया । २८-१०-६८ की कार्यवाही निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट—७

(अ० प्र० सं० २२९ की सूची)

STATEMENT SHOWING THE YEARWISE FIGURES OF CENTRAL ASSISTANCE ASKED FOR, AMOUNT SANCTIONED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND ACTUAL EXPENDITURE INCURRED ON RAJASTHAN CANAL PROJECT

Year	Amount asked for Central Assistance	Loan received from the Government of India	Actual Expenditure	Remarks
1	2	3	4	5
*1955-56	3,57,000	—	2,63,693	
1956-57	2,97,000	—	2,84,786	
1957-58	1,49,40,000	25,00,000	25,75,865	
1958-59	3,00,00,000	2,00,00,000	78,76,205	
1959-60	10,02,00,000	5,30,00,000	5,77,81,471	
1960-61	12,00,00,000	5,40.00,000	6,62,08,511	(An adjustment of about Rs. 1,30,00,000 relating to expenditure incurred in Punjab Portion of the Project prior to 1960-61 was carried out by the Accountant General, Raj.)

1	2	3	4	5
1961-62	7,10,00,000	7,00,00,000	7,85,78,344	
1962-63	7,25,00,000	6,39,00,000	6,55,41,306	
1963-64	7,75,00,000	6,00,00,000	4,94,19,023	(Excludes Rs. 22,48,108 pertaining to the Colonisation Commissioner which has been adjusted by the Accountant General under "99")
1964-65	5,85,00,000	5,60,00,000	5,30,57,353	(Excludes Rs. 18,35,827 pertaining to the Colonisation Commissioner which has been adjusted by Accountant General under "99")
1965-66	5,00,00,000	8,12,86,855	8,27,97,751	(Includes Capitalised Interest Rs. 3,73,86,855).
1966-67	6,00,00,000	5,00,00,000	4,97,00,223	(Actual expenditure booked under "99" is Rs. 7,40, 98,056 which includes Rs. 2,43,97,833 on account of Interest for which no loan have been received from the Government of India)
1967-68	3,00,00,000	3,00,00,000	2,99,51,411	
1968-69	—	6,50,00,000	6,46,48,245	

परिशिष्ट—द

(अ. प्र. सं. 227 की सूची)

Sanctioned post in Irrigation Department

S. No.	Name of post	Number of post			Persons working in the capacity as		
		Pt.	Temp.	Total	Pt.	Temp.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chief Engr.	2	1	3	1	2	3
2.	Addl. Chief Engineer	1	1	2	1	—	1
3.	Supdt. Engineer (Civil)	8	8	16	5	11	16
4.	Supdt. Engineer (Mech.)	—	2	2	—	2	2
5.	Executive Engineer (Civil)	29	29	58	29	29	58
6.	Executive Engineer (Mech.)	3	4	7	1	6	7
7.	A. E. N. (Civil)	96	127	223	79	144	223
8.	„ (Mech.)	12	18	30	2	28	30
9.	Dy. Director (Hyd.)	1	—	1	1	—	1
10.	Sr. A. O.	1	1	2	Finance Department		
11.	P. O. (Personnel Officer)	—	2	2	Labour Department		
12.	Labour Welfare Officer	—	3	3	do		
13.	Asstt. Research Officer	1	3	4	—	4	4
14.	Dy. Collector (R. T. S.)	1	3	4	To be confirmed by Revenue Department		
15.	Dy. Collector (Irrg.)	5	3	8	5	3	8
16.	Research Officer	—	1	1	—	1	1
17.	Accounts Officer	—	1	1	—	1	1
18.	Asstt. Accounts Officer	—	6	6	—	6	6

परिशिष्ट—१८ अगस्त, १९६९—परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Overseer (Civil)	500	355	855	500	355	855
20.	Head Draftsmen	2	4	6	2	4	6
21.	Sr. Draftsmen (Civil)	42	23	65	42	23	65
22.	,, (Mech.)	2	4	6	—	6	6
23.	Jr. ,, (Civil)	60	43	103	60	43	103
24.	Jr. ,, (Mech.)	—	3	3	—	3	3
25.	Tracer (Civil)	48	34	82	48	34	82
26.	,, (Mech.)	4	7	11	—	11	11
27.	Overseer (Mech.)	35	96	131	11	120	131
28.	Ferómen	33	18	51	33	18	51
29.	Plan Recordkeeper	4	1	5	4	1	5
30.	Head Signaller	2	—	2	2	—	2
31.	Signaller	52	27	79	52	27	79
32.	Zilledars	55	17	72	50	22	72
33.	Mistries	39	—	39	39	—	39
34.	Driver	8	14	22	8	14	22
35.	Labour Inspector	—	8	8	—	8	8
36.	Observers	8	—	8	2	6	8
37.	Field Asstt.	4	—	4	2	2	4
38.	Silt Analyst	1	—	1	1	—	1
39.	Sr. Research Asstt.	3	12	15	—	15	15
40.	Jr. Research Asstt.	3	6	9	—	9	9
41.	Telephone Operators	6	3	9	6	3	9
42.	Tractor Drivers	6	—	6	6	—	6
43.	Laboratory Foreman	—	5	5	—	5	5
44.	Laboratory Asstt.	4	6	10	—	10	10
45.	Statistical Asstt.	—	I	1	—	1	1
46.	Legal Asstt.	—	3	3	—	3	3
47.	Computor Gr. I	1	—	1	—	1	1
48.	Superintendent Gr. I	6	2	8	6	2	8
49.	,, Gr. II	4	9	13	—	13	13
50.	Steno Grade II	4	2	6	—	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	Steno Grade III	13	18	31	13	18	31
52.	Assistants	—	38	38	—	38	38
53.	U. D. Cs.	300	509	809	250	559	809
54.	L. D. Cs.	560	450	1010	360	650	1010
55.	Girdawars	60	9	69	40	29	69
56.	Patwaries	600	99	699	400	299	699
57.	Divisional Accountant	20	36	56	Accountant General Office		
58.	Civil Accountant	1	10	11	Chief Accounts Officer		
59.	Commercial Accountant	—	1	1	do		
60.	S. A. S. Accountant	—	1	1	Accountant General Office		
61.	Steno-typist	—	19	19	—	19	19
62.	Store Verifier	2	2	4	—	4	4
63.	Store Incharge	—	1	1	—	1	1
	Class IV	800	601	1401	800	601	1401

———

परिशिष्ट—९

[अ. प्र. सं. 234 की सूची]

AGREEMENT BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT FOR THE EXPLOITATION OF MAHI RIVER (MARCH, 1966)

KADANA DAM :

1. Kadana Dam should be built to FRL. 419.00. The entire cost and benefits of this Project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam for such use. The exact proportion will be fixed at the time when such release become available.

BANSWARA DAM :

2. Banswara dam across Mahi, located in Rajasthan, will be built to FRL. 921.00. Out of the total cost of the Dam, a portion will be allocated for Power which Rajasthan will develop from the waters of this reservoir. This will be at the rate of Rs. 1,250/- per K. W. firm power. If the total cost of the dam increases beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per K. W. taken above will also be increased proportionately.

3. The cost of the dam for FRL. 915.00 should be shared between Gajarat and Rajasthan in the ratio of 40:9 as the utilisation of the waters for irrigation inclusive of eveporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9 TMC in Rajasthan.

4. Building the dam upto FRL. 921.00 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean year for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building Dam between FRL. 921.00 and FRL. 915.00.

5. At a later date when Narmada development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters at Banswera are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse the cost of the Banswara, Project paid by Gujarat.

Sd/-Nathu Ram Mirdha,
Minister for Agriculture,
Food and Agriculture,
Rajasthan, Jaipur.

Sd/-Vijaykumar Trivedi,
Minister for Public Works,
Ports and Civil Supplies.

परिशिष्ट—१०

(अ० प्र० सं० २३६ की सूची)

LIST OF OFFG. ZILLEDARS TAKEN FROM SETTLEMENT DEPARTMENT

1.	Shri Ramayan Pandey	13-6-59
2.	,, Harishchand	2-7-59
3.	,, Zulfiquar Ali	1-9-59
4.	,, Bhagwan Sahai	9-9-59
5.	,, Sayar Mal	1-1-61
6.	,, Umedsingh Kothari	1-3-61
7.	,, Mohd. Ishaq	9-5-62
8.	,, Santsingh	12-9-63
9.	,, Rama Shanker Dubey	8-9-64

Persons at S. N. 3,4,6 and 8 have been Reverted to settlement Deptt.

LIST OF AMINS TAKEN FROM SETTLEMENT DEPARTMENT

(During 59 to 61)

1.	Shri Vijay Singh	Amin	First from Amins have been reverted to Settlement Deptt.
2.	,, Moolsingh	,,	
3.	,, Pannalal Khandelwal	,,	
4.	,, Khayalilal	,,	
5.	,, Jankilal	,,	
6.	,, Jaisingh	,,	
7.	,, Daulatsingh	,,	
8.	,, Tulsi Ram Kumawat	,,	
9.	,, Hiralal Nahar	Inspector	
10.	,, Bahadurmal Mehta	,,	

परिशिष्ट—११

(अ० ७० सं० २३७ की सूची)

निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक २७-८-६८ से २८-९-६८ तक किये गये दोरों का दैनिक भत्ता ३७०.१२ पैसे उठाया जिनकी सूची निम्न प्रकार है:—

सवाई माधोपुर	२७–८–६८
अजमेर	१–९–६८
अजमेर	५–९–६८
अजमेर	६–९–६८
जोधपुर	७–९–६८ वापिस दि० ११–९–६८
अजमेर	१२–९–६८
अजमेर	२०–९–६८
नसीराबाद	२१–९–६८
अजमेर	२२–९–६८
ब्यावर	२३–९–६८
अजमेर	२६–९–६८
अजमेर	२७–९–६८ वापिस दिनांक २८–९–६८

निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक ४–८–६८ से २३–८–६८ तक किये गये दौरों का दैनिक भत्ता २४१.५० पैसे उठाया जिनकी सूची निम्न प्रकार है :—

अलवर	४–८–६८
अजमेर	१०–८–६८
ब्यावर	१०–८–६८
परबतसर	१४–८–६८
ब्यावर	१५–८–६८
जोधपुर	१६–८–६८
चित्तौड़	२०–८–६८
उदयपुर	२१–८–६८ वापिस दिनांक २३–८–६८

परिशिष्ट–१८ अगस्त, १९६९–परिशिष्ट

निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक ३०-९-६८ से ३१-१०-६८ तक किये गए दौरों का दैनिक भत्ता ३७१.०५ पैसे उठाया जिनकी सूची निम्न प्रकार है :—

दौसा	३०-९-६८
अजमेर	१-१०-६८
अजमेर–ब्यावर	६-१०-६८
कोटा	७-१०-६८
रावत भाटा	८-१०-६८
अजमेर	९-१०-६८
अजमेर	१२-१०-६८
अजमेर	१४-१०-६८
देहली	१५-१०-६८ और वापिस दिनांक ३१-१०-६८

निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक २३-११-६८ से २५-११-६८ तक किये गये दौरों का दैनिक भत्ता ९३.०० पैसे उठाया जिनकी सूची निम्न प्रकार है :—

देहली	२३-११-६८ और वापिस दिनांक २५-११-६८

निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक ३-१२-६८ से २८-१२-६८ तक किये गये दौरों का दैनिक भत्ता ३८७.०० पैसे उठाया जिनकी सूची निम्न प्रकार है :—

अजमेर	३-१२-६८ और वापिस दिनांक ५-१२-६८
देहली	११-१२-६८ और वापिस दिनांक १३-१२-६८
अजमेर	१४-१२-६८
सवाई माधोपुर	१९-१२-६८
अलवर	२०-१२-६८
अजमेर	२१-१२-६८ और वापिस दिनांक २३-१२-६८
नसीराबाद	२४-१२-६८
टोंक	२६-१२-६८
अलवर	२८-१२-६८ और वापिस

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १८ अगस्त, १९६९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	२	अंक ६	अंक ५
३	११	लीज	रिलीज
४	अन्तिम से १२	किलोमिटर	किलोमीटर
६	,, ८	जावे ी	जावेगी
१४	,, ८	लागु	लागू
२०	४	विद्यथियों	विद्यार्थियों
,,	अन्तिम से १०	बी. सिन्हा	पी. सिन्हा
,,	,, ४	जी. सिन्हा	पी. सिन्हा
२१	६	पोर्ि टग	पोस्टिंग
२६	१४	प्रतिलि	प्रतिलिपि
२६	१६	पाटी	पार्टी
३१	१४	केरेक्टर	करेक्टर
३९	अन्तिम से १०	(हंसी)	—
४१	१३	स्व कृत	स्वीकृत
,,	२१	भ ता	भत्ता
४७	१०	डारेक्ट	डायरेक्ट
४८	अन्तिम से १२	जिवों	जिलों
४९	,, ८	सू ा	सूचना
,,	,, ४	पधिकार	अधिकार
,,	,, २	ह	है
,,	,, १	अध्य	अध्यक्ष महोदय
५०	१८	ंचायत	पंचायत
५०	अन्तिम से २	ता	तो
५३	६	होतो	होते
५६	१०	व॰	वर्ष
६८	अन्तिम से ५	की	को
७५	१२	जिलस्तर	जिलास्तर
८७	१६	लगा े	लगाने
८९	अन्तिम से ८	२१४	२१३
९८	,, २	कित-कितने	कितने-कितने

१	२	३	४
१०५	६	तूलना	तुलना
१०६	१८	२,४५,०००	२·४५ लाख
११०	अन्तिम से ६	था	था
११८	,, १	किया था	किया गया था
१२०	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	सदस्यों द्वारा सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति
१३२	२ व ४	नुक्सान	नुकसान
१४६	१६	संक्षिप्ा	संक्षिप्त
१६२	११	वि चा	विवेचन
१६६	अन्तिम से ६	वाल	सवाल
२००	,, १५	सब-जुडस	सब-जुडिस
२०७	,, ६	जस्ट	ज़स्ट
२२५	१०	प्रवधान	प्रावधान
२६६	२	आता	आती
२७१	अन्तिम से १२	श्री रामानन्न्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२७५ व २७७	शीर्ष	(श्री केसरसिंह हाड़ा)	(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
२७७	अन्तिम से ३	ग्जादी	आजादी
२९०	१	सूच-२	सूची २
२९०	१०	मोजद	मौजूद
२९१	१	टक्स	टैक्स
२९२	अन्तिम से १२	माध्यमक शाला	माध्यमिक शाला
३२४	११	Feromen	Foremen